सप्तम माला, 1 April 1981

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

(पांचवां सत्र)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : आठ रुपए

विषय सूची

अंक 33, बुधवार, 1 अप्रैल, 1981/11 चैत्र, 1903 (शक)

विषय	पृष्ठ
स्थगन प्रस्तावों के बारे में असम संवैधानिक संकट होने का समाचार	1—4
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	
*तारांकित प्रश्न संख्या 617, 622 से 624, 626 और 629	4—26
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	26—180
तारांकित प्रश्न संख्या : 619, 620, 625, 627, 628 और 630 से 638	26—34
अतारांकित प्रश्न संख्या 5846 से 6045	35—180
स्थगन प्रस्तावों के बारे में—जारी	181—213
असम में संवैधानिक संकट उत्पन्न होने का समाचार	181
सभापटल पर रखे गये पत्र	213
सभापटल पर रखे गये पत्रों के बारे में	214—218
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति बीसवां प्रतिवेदन	218
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति ग्यारहवां प्रतिवेदन	219
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	219—230
जे. जे. कालोनी, दिल्ली में घानी की टंकी टूट कर गिर जाने का समाचार	219
श्री बापूसाहिब परुलेकर	219
श्री भीष्म नारायण सिंह	219
श्री हरिकेश बहादुर	225
डा० बसंत कुमार पंडित	227
श्री सुभाष चंद्र यादव	230
समितियों के लिये नर्वाचन	230—235
(एक) प्रावकलन समिति	230
(दो) लोक लेखा समिति	231
(तीन) सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	231
(चार) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	232
नियम 377 के अधीन मामले	235—239
(एक) आंवला लोक सभा निर्वाचन-क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिये उद्योगों की स्थापना के लिये कार्यवाही ।	235

*किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह † इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था ।

विषय	पृष्ठ
श्री जयपाल सिंह कश्यप	235
(दो) उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों में पीने के पानी की समस्या	236
श्री हरीश चन्द सिंह रावत	236
(तीन) कोटा (राजस्थान) में रेल के ऊपरी-पुल के निकट बाई-पास का निर्माण करने की आवश्यकता	236
प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत	236
(चार) उड़ीसा के कालाहांडी जिले में बाल कल्याण कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने की आवश्यकता	237
श्री रास बिहारी बहेरा	237
(पांच) खाड़ी के देशों में भारतीय आप्रवासियों की माँगों पर विचार करने की आवश्यकता	238
श्री के० ए० राजन	238
(छः) महाराष्ट्र में भण्डारा रोड से जवाहर नगर, डिफेंस फैक्टरी के बीच स्थानीय रेलगाड़ी चलाये जाने की आवश्यकता	238
श्री केशव राव पारधी	238
(सात) राष्ट्रीय महत्व के विषयों के समाचारों को आकाशवासी से प्रसारित किया जाना	239
श्री राम विलास पासवान	239
अनुदानों की मांगें, 1981-82	240—270
पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय	240
श्री मोहन लाल सुखाड़िया	240
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	244
श्री एन० के० शेजवलकर	247
श्री प्रताप भानु शर्मा	251
श्री सी० डी० पटेल	254
डा० वी० कुलनदईवेलु	258
श्री दलवीर सिंह	260
श्री टी० आर० शमन्ना	266
श्री गिरधारी लाल व्यास	269
आधे घन्टे की चर्चा	272—282
मैसर्स इंडिया पेपर पल्प कम्पनी लिमिटेड, हाजी नगर पश्चिम बंगाल का बन्द होना	272
श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा	272
श्री चरणजीत चानना	273
श्री चित्त बसु	276
श्री रामावतार शास्त्री	277
श्री सोमनाथ चटर्जी	278

लोक सभा

बुधवार, 1 अप्रैल, 1981/11 चैत्र, 1903 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

स्थगन प्रस्तावों के बारे में

प्रो० मधु दंडवते : हमने असम में संवैधानिक संकट उत्पन्न होने के कारण प्रश्न के घंटे को नियम 388 के अंतर्गत स्थगित करने का नोटिस दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने सुन लिया है । अब दुबारा रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है ।

प्रो० मधु दंडवते : पिछले दस वर्ष के दौरान मैंने यह नियम को पहली बार लागू करने के लिये कहा है ।

अध्यक्ष महोदय : जो चीज सीरियस होगी उसे सीरियसली ही लिया जाएगा । आपकी बात ठीक है, आपकी नजर में सिचुएशन सीरियस है—

मैं सदन के दोनों पक्षों की बात सुनना चाहता हूँ ।

—और तब उसके बाद मैं अपना निर्णय देना चाहता हूँ । और इसलिए हम प्रश्न के घंटे को जारी रखेंगे और प्रश्न के घंटे के बाद मैं आप दोनो पक्षों की बात सुनूंगा और अपना निर्णय दूंगा । (व्यवधान) मैंने आपकी बात सुन ली है । (व्यवधान) पहले आप सब लोग बोल लीजिए । (व्यवधान) उस बात को सुनने के पहले·····(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीस : आप नियम को निलंबित कर दीजिए । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं ऐसा नहीं करूंगा । (व्यवधान)**

ये सब रिकार्ड न किया जाए । (व्यवधान)**

प्रो० इसलिए मैंने कहा है मैं सुनूंगा···मैंने आपको बोलने से नहीं रोका है । (व्यवधान) मैंने कहा था कि मैं दोनों पक्षों के विचार सुनूंगा । (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मेरा नियम 388 के तहत प्वाइंट आफ आर्डर है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं यही तो कह रहा हूँ कि मैं एक घंटे बाद इसको अलाउ करूंगा ।

(व्यवधान)

**कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : आसाम में संवैधानिक संकट से बढ़कर और क्या महत्वपूर्ण बात हो सकती है। (व्यवधान)

श्री एन० के० शेजवलकर : क्या आप मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुनेंगे ?

(व्यवधान)

श्री हरिकेश बहादुर : क्या यह प्रश्न प्रश्न काल है, अथवा देश का संविधान, इनमें से कौन सा अधिक महत्वपूर्ण है ?

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूँ। इस नियम को निलंबित कर दिया जाए। (व्यवधान)

श्री हरिकेश बहादुर : प्रश्न के घंटे से संविधान अधिक महत्वपूर्ण है। मैं चाहता हूँ।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह प्रश्न काल है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं कुछ पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। नियम 60(1) के अंतर्गत दूसरे उप-बन्ध में कहा गया है 'परन्तु यह भी कि यदि अध्यक्ष उसमें उल्लिखित मामले के बारे में पूर्ण तथ्यों से अवगत न हो तो वह अपनी सम्मति देने या इन्कार करने से पूर्व उस प्रस्ताव की सूचना को पढ़ कर सुना सकेगा और संबंधित मंत्री और या सदस्यों से तथ्यों पर संक्षिप्त विवरण सुन सकेगा और उसके बाद प्रस्ताव को स्वीकार करने के बारे में अपना निर्णय देगा।'

मैं यही करना चाहता हूँ। (व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूँ। आपने जो कुछ कहा उस सम्बन्ध में एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूँ। (व्यवधान)

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि हम अपने अधिकारों के अंतर्गत नियम 388 के अधीन नियमों के निलंबन के लिए उचित सूचना दे सकते हैं जिससे कि जो बात हम उठाना चाहते हैं उस पर चर्चा की जा सके।

एक माननीय सदस्य : किन्तु यह तो···(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, कृपया उनको रोकिये, उसके पहले कि मैं···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जाइये। और यह अध्यक्ष का भी अधिकार है कि वह बात सहमति दे अथवा न दे।

मेरी सहमति नहीं मिली है।

यह आपका अधिकार है। मैंने कभी नहीं कहा कि यह आपका अधिकार नहीं है। मैं आपकी बात सुनूंगा। (व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : आसाम में सवैधानिक संकट के कारण इस नियम को निलंबित किया गया है। प्रश्न काल को निलंबित किया जाना चाहिए। संविधान अधिक महत्वपूर्ण है···(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : नियम को निलंबित कर दीजिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं निलंबन सम्बन्धी नियम को पढ़कर सुना दूँ। इसमें कहा गया है "कोई सदस्य, अध्यक्ष की समिति से, प्रस्ताव कर सकेगा कि सभा के समक्ष किसी खास प्रस्ताव पर किसी नियम का लागू होना निलम्बित कर दिया जाये और यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाये तो यह प्रासंगिक नियम उस समय के लिए निलम्बित कर दिया जायेगा।"

नियम में विशेष रूप से कहा गया है "अध्यक्ष की सम्मति से।"

श्री जार्ज फर्नान्डीस : प्रश्न काल महत्वपूर्ण नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक घंटे में कोई तूफान आने वाला नहीं है।

प्रो० मधु दंडवते : मैं आपकी सम्मति चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने अपनी सम्मति नहीं दी है।

श्री मूलचन्द डागा : नियम 388 के अन्तर्गत, अध्यक्ष अपनी सम्मति देता है। यदि अध्यक्ष ने सम्मति नहीं दी है तो सदस्य कैसे बोल सकता है नियम 388 में कहा गया है "अध्यक्ष की सम्मति से।"

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नियम को निलम्बित नहीं करूंगा।

श्री एन० के० शेजवलकर : आप निलंबित मत कीजिए। यह आपका स्वविवेक है। मैं यह नहीं कहता कि आपको यह शक्ति प्राप्त नहीं है। आप नियम को निलंबित करें अथवा न करें। आपने अपने स्वविवेक से यह कहा है कि मैं दोनों पक्षों की बात सुनूंगा और तब निर्णय करूंगा। उसके बाद आपने कहा कि इस सम्बन्ध में प्रश्न काल के पश्चात निर्णय किया जायेगा। यह परस्पर विरोधी बातें हैं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं। मैं प्रश्न काल के बाद इस सम्बन्ध में कहूंगा।

श्री एन० के० शेजवलकर : ऐसी स्थिति में नियम निलंबित नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं नियम को निलंबित नहीं करूंगा। मैं नियम को निलंबित करने के लिए अपनी सम्मति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

श्री एन० के० शेजवलकर : आप स्पष्ट रूप से "नहीं" कह सकते हैं। इसमें यह कहना गलत नहीं होगा किन्तु मेरी केवल एक आपत्ति है। जब आपने कहा है कि मैं दोनों पक्षों की बात सुनूंगा तो वह प्रश्न के घंटे के बाद नहीं होना चाहिए। यह उसके पहले ही सुना जाना चाहिए क्योंकि प्रश्न के घंटे को निलंबित किया जाना है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं मैंने स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में कहा था जो कि मुझे दिया गया है।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : मैंने इसका नोटिस दिया है। जो कुछ आपने कहा है। वह मेरे नोटिस के प्रतिकूल नहीं है। क्या मैं अपना नोटिस पढ़कर सुनाऊँ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसको पढ़ लिया है। मैं इसको तीन बार पढ़ चुका हूँ। आप आश्वस्त रहिये।

श्री बापू साहिब परुलेकर : आप प्रश्न काल के बारे में कह रहे हैं। क्या प्रश्न काल संविधान से अधिक महत्वपूर्ण है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री मोहनलाल। (व्यवधान)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

वनस्पति तेल कारखानों की स्थापना के लिए आवेदन-पत्र

*617. श्री मोहन लाल पटेल :

क्या **उद्योग मंत्री** यह निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में (राज्य-वार) वनस्पति तेल के नये कारखानों की स्थापता के लिये गत तीन लर्षों के दौरान कितने आवेदन-पत्र मिले;

(ख) उक्त अवधि में प्रत्येक राज्य में कितने लाइसेंस जारी किये गये; और

(ग) नये कारखानों की स्थापता के लिये लाइसेंस मंजूर करने हेतु क्या मानदंड अपनाये गये हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरणजीत चानना) : (क) तथा (ख) वर्ष 1978, 1979 तथा 1980 में विभिन्न राज्यों में नए वनस्पति तेल कारखानों की स्थापना के लिए औद्योगिक लाइसेंसों हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों तथा उक्त अवधि में जारी किए गऐ आशय पत्रों/औद्योगिक लासेंइसों की संख्या को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) तेल के बीजों को पेरने सम्बन्धी उत्पादन काम के लिए निवेश की मात्रा पर बिना ध्यान दिए उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के उपबंधों के अन्तर्गत एक लाइसेंस की आकश्यकता होगी। जहाँ तक इस क्षेत्र में नई क्षमता के लाइसेंसीकरण के लिए अपनाए गए मानदण्ड का संबंध है, उपलब्ध क्षमता, माँग संबंधी आवश्यकताओं, कच्चे माल आदि की उपलब्धता तथा उद्योग के विस्तृत छितराव की आवश्यकता जैसे कारकों को ध्यान में रखा जाता है। किन्तु प्रमुख खाद्य तेलों के बीजों अर्थात मूंगफली, सरसों, तोरिया (रेपसीड), तिल तथा अलसी के बीजों की पिराई उद्योग को लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित किया गया है।

विवरण—1

विभिन्न राज्यों में नये वनस्पति तेल उद्योगों की स्थापना के लिए वर्ष 1978, 1979 तथा 1980 में औद्योगिक लाइसेंसों के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों तथा जारी किये गये आशय पत्रों, औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण।

क्रम संख्या	राज्य का नाम	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	जारी किए गए आशय पत्रो/औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	5	1
2.	गुजरात	9	3
3.	हरियाणा	1	1
4.	हिमाचल प्रदेश	1	—
5.	कर्नाटक	4	1
6.	मध्य प्रदेश	6	5
7.	महाराष्ट्र	3	—
8.	उड़ीसा	1	—
9.	पंजाब	3	—
10.	राजस्थान	2	1
11.	तमिल नाडु	7	3
	योग	42	15

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट में दिया गया है।)

परिशिष्ट

वनस्पति तेलों का उत्पादन करने के लिए वर्ष 1978 से 1980 तक प्राप्त आवेदन पत्रों के लिए जारी किए गए आशय पत्रों/औद्योगिक लाइसेंसों के विस्तृत ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	पार्टी का नाम	स्थापना स्थल	उत्पादन की वस्तु	क्षमता
1	2	3	4	5
1.	मैसर्स दि हरियाणा स्टेट कोआपरेशन सप्लाई एण्ड मार्केटिंग फेडरेशन लि०	हरियाणा	बिनौले का तेल —बिनौले के रूप में 20,000 मी० टन	
2.	मैसर्स श्री गंगा नगर काटन सीड प्रोसेसिंग सहकारी समिति लि०	राजस्थान	बिनौले का तेल —बिनौले के रूप में 20,000 मी० टन	
3.	मैसर्स माडर्न फाइबर्स आफ इण्डिया लि०	मध्य प्रदेश	1. बिनौले का तेल —बिनौले के रूप में 15,000 मी० टन 2. बिनौलों पर के छोटे रेशे (लिन्टर्स) —1,000 मी० टन आदि।	
4.	मैसर्स सुन्दर राजन एण्ड कम्पनी प्रा० लि०	रामनाद तमिलनाडु	1. बिनौले का तेल —बिनौले के रूप में 15,000 मी० टन 2. काटन सीड डायल्ड मील —12,000 मी० टन	
5.	मैसर्स दि मध्य प्रदेश स्टेट कोआपरेशन मार्केटिंग फेडरेशन लि०	देवास मध्य प्रदेश	सोयाबीन का परिष्कृत तेल तथा सोयाबीन के बिस्सारण —सोयाबीन के रूप में 20,000 मी0 टन	
6.	वही	इटारसी मध्य प्रदेश	वही	
7.	वही	शाहजहांपुर मध्य प्रदेश	वही	

1	2	3	4	5
8.	श्री राजकोट डिस्ट्रिक्ट को-क्षापरेशन परचेज एन्ड सेल्स यूनियन लि०	राजकोट गुजरात	बिनौले का तेल —36,000 मी० टन	
9.	गुजरात स्टेट को-आपरेशन मार्केटिंग फेडरेशन लि०	अमरेली गुजरात	मूंगफली का तेल —प्रतिवर्ष 6,600 मी० टन	
10.	श्री दीपक सूर्यवंशी	शाहजहांपुर मध्य प्रदेश	बिनौले का तेल —बिनौले के रूप में 12,000 मी० टन	
11.	मैसर्स गुजरात स्टेट को-आपरेशन फेडरेशन लि०	मेहसाना गुजरात	रिफाइन्ड एरन्डी का तथा एरण्डी की खल—एरण्डी के रूप में 3,000 मी० टन	
12.	मैसर्स श्री हंसराज अग्रवाल प्रबंध निदेश, कर्नाटक ग्राउन्डनट प्रोडक्ट प्रा० लि०	धारवाड़ कर्नाटक	बिनौले का तेल —बिनौले के रूप में 21,000 मी० टन	
13.	मैसर्स दि मद्रास वनस्पति लि०	साऊथ आरकाँट तमिलनाडु	बिनौले का तेल —बिनौले के रूप में 20,000 मी० टन	
14.	प्रो० टी० राधाकृष्णन	होसुर तमिलनाडु	रिफाइन्ड बिनौले का तेल —बिनौले के रूप में 15,000 मी० टन	
15.	मैसर्स दक्खन सोलवेन्ट आयल एक्सट्रक्शन्स लि०	नालगोन्डा आन्ध्र प्रदेश	1. नीम का तेल —1,800 मी० टन 2. नीम की खल —7,100 मी० टन 3. महुआ का तेल —1,100 मी० टन आदि।	

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह नोटिस मेरे विचाराधीन है। मैंने उसे अस्वीकार नहीं किया है। मैं नियम को निलंबित करने के लिये नियम 388 के अधीन अपनी सहमति नहीं दूंगा। (व्यवधान) प्रश्नकाल के बाद मैं स्थगन प्रस्ताव के बारे में दोनों पक्षों के विचार सुनूंगा। मैं इस नियम का निलंबन नहीं करूंगा। (व्यवधान) मैं दोनों पक्षों का सुनूंगा।.....(व्यवधान)

श्री एन० के० शेजवलकर : आपने कहा कि आप निलंबन के बारे में दोनों पक्षों के विचार सुनेंगे ? लेकिन आप यह किस समय सुनेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : निलंबन के बारे में नहीं। मैं स्थगन प्रस्ताव के बारे में दोनों पक्षों के विचार सुनूंगा। नियमों का निलंबन नहीं करूंगा (व्यवधान) मैं नियम का निलंबन नहीं करूंगा।

प्रो० मधु दंडवते : आप नियम 388 के अधीन प्रस्ताव के बारे में दोनों पक्षों को क्यों नहीं सुनते ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं मैंने निश्चय कर लिया है। मैं नियम का निलंबन नहीं करूंगा। मैंने नियम 388 के अधीन अपनी सहमति नहीं दी है। मैंने निश्चय कर लिया है। (व्यवधान) मैंने निर्णय दे दिया है। बस, मेरा विनिर्णय अंतिम है। (व्यवधान)

श्री मोहनलाल पटेल : अध्यक्ष जी, मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है उससे पता चलता है कि जो लैटर आफ इंटेन्ट्स दिये गये हैं उनमें से 8 कोआपरेटिव सैक्टर को और 7 प्राइवेट सैक्टर को दिये गये हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि प्राइवेट पार्टीज की जो ऐप्लीकेशन्स थीं उनमें से बहुत से, जो क्राइटीरिया है, उसको फुलफिल करती थीं लेकिन फिर भी उनको लाइसेंस नहीं दिया गया, क्या यह बात सच है ? और साथ ही यह भी जानना चाहता हूँ कि लाइसेंस की बातें कोर्ट में दाखिल हुई हैं या नहीं ?

श्री चरणजीत चानना : पहले प्रश्न के उत्तर में मैं यह बताना चाहता हूँ कि कुछ निर्धारित मानदंड हैं जिन के आधार पर आशय पत्र जारी किये जाते हैं। दूसरे, जहां तक उच्चतम न्यायालय को भेजे गये मामलों का संबंध है वह खाद्य तेलों के बारे में नहीं हैं, जैसा कि, माननीय सदस्य ने कहा है। ये मामले वनस्पति से संबंधित हैं जिन के बारे में उच्चतम न्यायालय में तीन रिट याचिकायें दायर की गई थीं। अभी दो रिट याचिकाओं पर निर्णय दिया जाना है। अतः मामला क्योंकि न्यायालय के अधीन है मेरे लिये यह उचित नहीं होगा कि मैं उससे संबंधित भाग पर कुछ बोलूं।

श्री मोहन लाल पटेल : गुजरात में अभी सबसे ज्यादा एडिबल आयल का प्रोडक्शन होता है, मैं जानता चाहता हूँ कि आप अभी नये लाइसेंसिज देने जा रहे हैं या नहीं ? अगर देने जा रहे हैं तो क्या गुजरात को भी लाइसेंस देगें या नहीं ?

श्री चरणजीत चानना : मैंने मानदंडों के बारे में उल्लेख किया है। जहां तक उस राज्य का संबंध है इसमें किसी प्रकार के भेदभाव का प्रश्न नहीं उठता है। लाइसेंस देने के लिये गुजरात के साथ भी अन्य राज्यों की तरह ही बर्ताव किया जायेगा।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : सूची में बंगाल के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।

श्री घेराभदन के० गधावी : मूंगफली का प्रश्न बहुत महत्व का प्रश्न है, केवल गुजरात के लिये ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिये । मूंगफली के तेल के लिये आन्दोलनों और मांग को देखते हुए क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र में कोई अन्य बडी फैक्टरी स्थापित करने का है ।

श्री चरणजीत चानना : माननीय सदस्य ने मूंगफली की बात की है । पांच मुख्य तिलहन होते हैं—मूंगफली सरसों, रेपसीड, तिल और अलसी । यह सभी लघु उद्योग क्षेत्र के लिये आरक्षित हैं । अतः कोई बड़ा कारखाना स्थापित करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री दिलीप सिंह भूरिया : माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि 42 आवेदन पत्र आये थे और उन्होंने 15 लाइसेंस जारी किये हैं। यह जो 15 लाइसेंस जारी किये गए हैं ये कारखाने कब तक शुरू हो जायेंगे और प्राइमरी कार्यवाही अब तक क्या कर सके हैं, यह मैं जानना चाहता हूँ ।

श्री चरणजीत चानना : प्रत्येक लाइसेंस का ब्यौरा प्रकाशित किया जायेगा। लाइसेंस की स्वीकृति के साथ सदैव समय सीमा दी जाती है । यह एक सतत निगरानी प्रक्रिया का भाग है । यदि माननीय सदस्य किसी विशेष मामले की बात कर रहे हैं तो यदि वह मामला मुझे भेजते हैं तो मैं उसका पूरा ब्यौरा दूंगा ।

श्रीमती प्रमिला दंडवते : देश में पिछले कई सालों में इम्पोर्टिड आयल देकर वेजीटेबल आयल बनाया जाता था, लेकिन अब इम्पोर्टिड आयल देकर क्या वेजिटेबल आयल फैक्टरीज को नहीं दिया जाता है। देश में एडिबल आयल की कमी है, इसीलिए वेजीटेबल आयल की प्राइसिस बढ़ रही हैं । मैं जानना चाहती हूँ कि नई वेजीटेबल आयल फैक्टरीज से कौन-सा एडिबल आयल कितनी मात्रा में देने की व्यवस्था सरकार कर रही है और इसमें भी विटामिन ए डालने के लिये जो कानून है, उसके मुताबिक फैक्टरी वालों को मजबूर करेंगे या नहीं ?

श्री चरणजीत चानना : विटामिनों और उन्हें अनिवार्यतः प्रयुक्त करने के बारे में जो प्रश्न किया गया है वह विचाराधीन प्रश्न का हिस्सा नहीं है किंतु मैं माननीय सदस्या को बताना चाहता हूँ कि प्रश्न तेल की उपलब्धता के लिए तिलहनों के संवर्धन का है । इस चीज की बिल्कुल ही कमी नहीं है । तिलहनों या फार्म उत्पादों की कमी फसल के अनुसार होती है । किंतु हम यह पिछले डेढ़ वर्ष से सुनिश्चित कर रहे हैं कि राज्य सरकारें, एक नीति के रूप में, तिलहनों के उत्पादन को संवर्धित करें । वस्तुतः कृषि मंत्रालय इनके विकास के लिये प्रोत्साहन देता रहता है ताकि कोई कमी न हो क्योंकि कमी और कीमतें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं । यदि कमी होती है तो मूल्य बढ़ेगें ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 619—श्रीरामचन्द्र रथ, अनुपस्थित । श्री जी० वाई कृष्णन्-अनुपस्थित ।

प्रश्न संख्या 620—श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा-अनुपस्थित ।

प्रो० मधुदंडवते : प्रश्नकाल निलंबित जैसा ही है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर साहब ऐसा ही लगता है । आपकी बात ठीक ही प्रतीत होती है ।

उड़ीसा क आदिवासी श्रमिकों को जम्मू कश्मीर में पीटा जाना

622. **श्री चिन्तामणि जेना :**
श्री हरिनाथ मिश्र :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 मार्च, 1981 के 'नवभारत टाइम्स' में इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि उड़ीसा के कुछ आदिवासी श्रमिकों को कार्य के लिए एक ठेकेदार द्वारा जम्मू और काश्मीर ले जाया गया और वहाँ उसके एजेन्टों आदि ने उनकी पिटाई की ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उनमें से कुछ तो भूख से मर गये हैं और कुछ अन्य श्रमिकों का अभी कुछ पता नहीं चला है ; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार इस सम्बन्ध में सूचना प्राप्त करने और विपद्ग्रस्त व्यक्तियों के परिवारों को कुछ हर्जाना देने का है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) : "अन्तर-राज्यीय प्रवासी कर्मकार (रोजगार का विनियमन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979" जिसे 2 अक्तूबर, 1980 को सम्पूर्ण देश में लागू किया गया, के अधीन इस मामले पर कार्यवाही करने लिए संबंधित सरकारें उड़ीसा और जम्मू व काश्मीर की सरकारें हैं, जिन्होंने इस मामलों को उठाया है । उड़ीसा सरकार ने सूचित किया है कि भर्ती किए गए 16 श्रमिकों में से 9 वापिस लौट आए हैं, एक का पता लगेाया गया है और दो लापता हैं । चार श्रमिकों की मृत्यु को अभी तक साबित नहीं किया गया है, परन्तु मुआवजे के संबंध में उनके दावे उड़ीसा सरकार ने जम्मू व काश्मीर सरकार को भेज दिए हैं, जहां इन पर विचार किया जा रहा है । जम्मू व काश्मीर सरकार ने पुलिस मामले दर्ज किए हैं और विभागीय जांच प्रारम्भ की है । उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा के दो ठेकेदारों के विरुद्ध आपराधिक मामले बताए हैं ।

श्री चितामणि जेना : मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या यह सच हैं कि जम्मू तथा कश्मीर सरकार उड़ीसा सरकार के साथ जो कि उन ठेकेदारों जो उड़ीसा से भर्ती किये गये मजदूरों को तंग कर रहे हैं के विरुद्ध लगाये आरोपों की जाँच कर रही है के साथ सहयोग नहीं कर रही है और यदि हां तो केन्द्र सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही करने जा रही है ताकि जम्मू तथा कश्मीर सरकार उड़ीसा सरकार के साय ठेकेदारों के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच करने में सहयोग करे ।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : यह सच नहीं है कि जम्मू तथा कश्मीर सरकार उड़ीसा सरकार के साथ सहयोग नहीं कर रही है । पिछले महीने उड़ीसा से श्रम आयुक्त जम्मू तथा कश्मीर गये थे और वहां के श्रम आयुक्त के साथ बात की थी किंतु बर्फ गिरने से सड़क बन्द होने के कारण वह घटना स्थल पर नहीं जा सके और इस प्रकार दुबारा कल ही उड़ीसा के श्रम आयुक्त घटना स्थल पर गये हैं ।

श्री चिंतामणी जेना : महोदय, उड़ीसा सरकार ने केन्द्र सरकार से कहा है कि वह उन मजदूरों के लिए जो मारे गये हैं और जिनका पता नहीं लग रहा है क्षतिपूर्ति की व्यवस्था करें। मेरी जानकारी यह है कि जो मजदूर वहाँ काम कर रहे थे उन्हें संबंधित नियोक्ता या ठेकेदारों ने मार डाला है और इस के लिये राज्य सरकार ने क्षतिपूर्ति माँगी है। मेरा प्रश्न यह है: जब उन्होंने जम्मू तथा काश्मीर सरकार को यह लिखा है तो अभी तक उन्होंने क्षतिपूर्ति क्यों नहीं की ? केन्द्र केन्द्र सरकार मारे गये मजदूरों के लिए क्षतिपूर्ति की व्यवस्था करने के लिये जम्मू तथा कश्मीर सरकार को किस प्रकार मनायेगी ?

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : जो मजदूर वहां गये हुए हैं, उन्होंने काम्पेन्सेशन की डिमाँड की और उड़ीसा गवर्नमेंट ने उसको कश्मीर गवर्नमेंट के पास भेज दिया। लेवर कमिश्नर भी पर्सनली वहाँ गये हुए थे, लेकिन रोड ब्लाकेड की वजह से साइट पर जाने में असमर्थ रहे। इसलिए यह मामला एक्सपिडाइट नहीं हुआ। जहां तक सेंट्रल गवर्नमेंट का सवाल है, इस मामले को उड़ीसा सरकार केन्द्र सरकार के ध्यान में प्रत्यक्ष रूप से नहीं लाई है। निस्संदेह उड़ीसा और जम्मू तथा कश्मीर सरकारें ही उसके लिए उपयुक्त सरकारें हैं किंतु जब यह मामला हमारे ध्यान में लाया जायेगा तो हम अधिनियम के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करेंगे। अधिनियम में से ही हम कुछ नियम बना सकते हैं जिससे कि मामले को जल्दी निपटाया जा सके। कानून में सब प्रावधान हैं। यदि 2 अक्टूबर, 1982 तक कोई स्टेट गवर्नमेंट इसके संदर्भ में किसी तरह की डिफीकल्टी हमारे सामने लाती है; तो हम आवश्यक रूल्ज बनाकर उसका समाधान कर सकते हैं।

श्री के० मायातेवर : अध्यक्ष महोदय, 1976 के दौरान श्रीमती इन्दिरा गाँधी के प्रधान मंत्रीत्व में भारत सरकार ने इस देश से बन्धक मजदूरी प्रथा समाप्त करने के लिए एक बहुत ही अच्छा विधेयक लागू किया था। परसों मैंने दक्षिण के किसी समाचार पत्र में पढ़ा था कि कुछ ठेकेदारों ने तमिलनाडु में मजदूर खरीदे हैं। उन्होंने उन मजदूरों को किन्हीं कामों के लिए आन्ध्र प्रदेश में ठेकेदारों को बेच दिया है। अतः मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार सभी राज्य सरकारों को ऐसे अनुदेश देगी कि वे 20 सूत्री कार्यक्रम को लागू करने और भारत में बन्धक मजदूरी प्रथा को समाप्त करने के लिए कार्यवाही करें। यह काम उन राज्यों में अवश्य किया जाना चाहिए जहां अब तक बन्धक मजदूरी प्रथा समाप्त नहीं हुई है।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : यह सवाल माइग्रेट लेबर का है। बॉंडेड लेबर के लिए यदि वह कुछ जानकारी चाहते हैं तो फ्रेश नोटिश हमें दें।

श्री एन० के० शेजवलकर : मैं प्रश्न के भाग (ख) के लिए दिए गए निम्नलिखित उत्तर पर जोर देना चाहता हूँ :—

"चार मजदूरों की तथाकथित मृत्यु की अब तक पुष्टि नहीं हुई है।" यह प्रश्न तारांकित प्रश्न के रूप में पूछा गया है। यह प्रश्न 21 दिन पहले भेजा गया था। मैं श्री जेना को बधाई देता हूँ क्यों कि यह समाचार 8 मार्च को समाचार पत्रों में छपा था और श्री जेना ने तत्काल यह प्रश्न कर दिया। किन्तु सरकार अब तक यह स्पष्ट रूप से नहीं बता सकी है कि उन मजदूरों का

क्या हुआ। फिर किस लिए यह समय दिया जाता है। सरकार को स्पष्ट रूप से यह उत्तर देना है कि वे मजदूर मर चुके हैं या नहीं। इसका क्या अर्थ हुआ कि "अब तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है।" मैं इस बात पर जोर देता हूँ कि उत्तर स्पष्ट रूप से दिया जाना चाहिए।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : 16 में से 9 मजदूर वापस आ गये हैं। एक का पता चल गया है। एक लापता है और चार की मृत्यु हो चुकी है। सरकार मामले की चांच कर रही है।

श्री एन० के० शेजवलकर : मैं आपसे न्याय चाहता हूं। माननीय मंत्री महोदया ने कहा है कि वह उसकी पुष्टि नहीं कर सकती। मैं चाहता हूँ कि ये स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए वे मजदूर मर चुके हैं या नहीं। इसका क्या अर्थ हुआ कि मामले की जाँच की जा रही है। 21 दिन बीत चुके हैं। हम भारत में हैं। इसका क्या अर्थ हुआ।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : उन्हीं के क्रम्पन्सेशन की व्यवस्था करने के लिए तो मैंने अभी कहा।

अध्यक्ष महोदय : वे मर चुके हैं या जीवित हैं या आप इस बारे में जानती नहीं ? कृपया स्पष्ट उत्तर दीजिए।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : वे मर चुके बताए जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय : किनके द्वारा ?

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : 6 मार्च को उड़ीसा सरकार के श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री बी० पटनायक ने एक वक्तव्य दिया था। यह वक्तव्य उड़ीसा विधान सभा में दिया गया था। यदि आप चाहें तो मैं इसे पढ़ देती हूँ।

श्री एन० के० शेजवलकर : आप इसे अवश्य पढ़िये।

अध्यक्ष महोदय : इन्हें राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी पर निर्भर रहना होता है।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : 5-2-1981 के दैनिक समाज में प्रकाशित यह समाचार सरकार के ध्यान में लाया गया कि फूलबनी जिले में कविडिंगा और गम्भीरीगूड़ा गाँव के सर्वश्री मधाला स्वेन और नीलमणि स्वेन ने 80/- रुपये प्रति मजदूर की दर से भुगतान करके 16 मजदूर भरती किए हैं और यह कि उन्हें जम्मू तथा कश्मीर के श्री मुहम्मद रफीक ने सड़क निर्माण के कार्य पर लगाया है और इनमें से 5 की मृत्यु हो गई तथा 25-2-1980 से तीन लापता हैं।

फूलबनी जिला श्रम अधिकारी द्वारा की गई प्रारम्भिक जांच से पता चला है कि उपरोक्त एजेन्टों ने कविडिंगा और गम्भीरीगूड़ा के सोलह आदिवासी मजदूरों को अवैध रूप से भरती किया था और उन्हें श्री मोहम्मद रफीक के माध्यम से ठेकेदार द्वारा जम्मू व कश्मीर में सड़क निर्माण के काम पर लगाया गया था।

मजदूरों के नाम इस प्रकार हैं :—

सर्वश्री दिमगीरु बगारती, कालीवाड़ी कन्हर, करुपा कन्हर···

अध्यक्ष महोदय : कृपया नाम छोड़ दीजिए।

डा० कृपा सिन्धु भोई : श्रम मंत्री ने आदिवासी मजदूरों की मृत्यु के बारे में लिखित जानकारी दी है। यह निर्धनता से ग्रस्त उड़ीसा राज्य में अकेला मामला नहीं है किन्तु मैं मंत्री महोदय से स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूँ कि यह रिपोर्ट भारत सरकार के ध्यान में कब आई, क्या जम्मू तथा काश्मीर सरकार ने उस ठेकेदार के विरुद्ध जिसने यह सब किया है, कोई मामला दर्ज किया ?

श्रीमती रामदुलारी सिंहा : जब यह प्रश्न आया, तब हमने जाँच की···

डा० कृपासिन्धु भोई : क्या भारत सरकार को कोई और जानकारी प्राप्त हुई है ? यह अकेला मामला नहीं है।

बीस-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्दिष्ट लाभ-प्राप्त करने के लिए लक्ष्य वर्ग (टारगेट ग्रुप्स), का पता लगाया जाना

*623. **श्री जैनुल बशर :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीस-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्दिष्ट लाभ प्राप्त करने के लिए लक्ष्य वर्गों का पता लगाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो किन-किन लक्ष्य वर्गों का पता लगाया गया है; और

(ग) उनको क्या-क्या विशेष लाभ देने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) 20-सूत्री कार्यक्रम में त्वरित आर्थिक संवृद्धि के उद्देश्य के अलावा भूमिहीनों, छोटे और मझोले किसानों, कारीगरों, हथकरघा बुनकरों, बंधुआ मजदूरों के रूप में काम करने वाले व्यक्तियों और जनसंख्या के अन्य कमजोर वर्गों की दशाओं को सुधारने पर विशेष जोर दिया गया है।

हाल ही में बैंकों से सहायता के प्रयोजनों के लिए रिजर्व बैंक ने, 20-सूत्री कार्यकम के अलग-अलग मदों के अन्तर्गत उन लोगों और संगठनों के वर्ग निर्धारित किए हैं जिनको ऐसी सहायता दी जानी चाहिए। लोगों और संगठनों के इन वर्गों का विवरण संलग्न है।

(ग) 1980-85 की छठी पंचवर्षीय योजना तैयार करते समय इस कार्यक्रम में निहित उद्देश्यों को ध्यान में रखा गया है। योजना में परिकल्पित त्वरित संवद्धि से स्वयं कमजोर वर्गों की दशाओं को सुधारने में भी सहायता मिलेगी। इसके अलावा, इस योजना में गरीब और कमजोर वर्गों को सीधे सहायता पहुंचाने वाली कुछ विशिष्ट स्कीमें शामिल की गई हैं। इनमें ये कार्यक्रम शामिल हैं—एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य एक तरफ कृषि और संबद्ध क्षेत्रकों में उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने का है तथा दूसरी तरफ दुर्बल वर्गों के संसाधन और आय का विकास करना है, ग्रामीण गरीबों को काम की मंदी की कृषि अवधियों में अनुपूरक रोजगार देने के

नए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, लोगों को कुछ मूल सुविधाएँ देने के लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, सूखाप्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम, रेगिस्तान विकास कार्यक्रम तथा पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए कार्यक्रम। इनके अलावा, योजना में अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजनाओं की परिकल्पना की गई है। कमजोर वर्गों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए उपयुक्त कीमतों पर आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की पूर्ति से भी लाभ प्राप्त होगा।

विवरण

20—सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत बैंकों से सहायता प्राप्त करने वाले लाभग्राही

भाग क—प्राथमिकता क्षेत्रक के अन्तर्गत लाभग्राही

प्राथमिकता क्षेत्रक की श्रेणी	20—सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभग्राही	सहायता का स्वरूप	विषय सं०
1	2	3	4
1. कृषि (प्रत्यक्ष वित्त)	(क) वे निर्धारित भूमिहीन मजदूर और अन्य जिन्हें बेशी भूमि आवंटित की गई है, बटाई दार आदि जिन्हें भूमि अभिलेखों में लिखित अधिकार दिए गए हैं।	कृषि और संबद्ध कार्य-कलापों के लिए सहायता	2
	(ख) भूमिहीनों और कमजोर वर्गों को मकान बनाने की जगह का आवंटन	आवास-वित्त के अलावा कृषि और संबद्ध कार्य-कलापों को आरंभ करने के लिए सहायता	3
	(ग) वे निर्धारित बंधुआ मजदूर जिन्हें छोड़ दिया गया है।	कृषि और संबद्ध कार्य-कलापों के लिए सहायता	4
	(घ) निर्धारित भूमिहीन मजदूर, छोटे किसान।	—वही—	5
	(ङ) अलग-अलग किसान	छोटी सिंचाई के लिए सहायता	6
	(च) अलग-अलग किसान	निवल खपत ऋण	5

1		2	3	4
(अप्रत्यक्ष वित्त	(क)	20—सूत्री कार्यक्रम के लाभग्राहियों के लिए विशेष रूप से प्रायोजित राज्य-प्रायोजित ऋण संस्थाएँ।	कृषि और संबद्ध कार्य-कलापों के लिए वित्त	2, 3, 4 और 5
	(ख)	छोटी सिंचाई स्कीमों के कार्यान्वयन में संलग्न सरकारी अभिकरण।	—वही—	7
	(ग)	बिजली, बोर्ड	ग्रामीण विद्युतीकरण स्कीमों के अन्तर्गत पम्पसैटों को बिजलीचालित करने के लिए सहायता	7
2. लघु उद्योग (प्रत्यक्ष वित्त	(क)	वे भूमिहीन मजदूर और अन्य जिन्हें बेशी भूमि का आवंटन किया गया है।	ग्रामीण और अन्य छोटे उद्योगों की स्थापना के लिए वित्त	2
	(ख)	भूमिहीन और कमजोर वर्गों को मकान बनाने की जगह का आवंटन	—वही—	3
	(ग)	निर्धारित बंधुआ मजदूर जिन्हें छोड़ दिया गया हैं।	—वही—	4
	(घ)	निर्धारित बंधुआ मजदूर और ग्रामीण कामगार	—वही—	5
	(ङ)	अलग-अलग कामगार आदि	निवल खपत ऋण	5
	(च)	हथकरघा बुनकर	स्थायी और कार्यशील पूंजी के लिए	9
	(छ)	हथकरघा सरकारी समितियाँ	—वही—	9
(प्रत्यक्ष वित्त)		विकेन्द्रित क्षेत्रक के लिए संवर्धनकारी निकाय और विपणन संगठन	कार्यशील पूंजी की आवश्यकताएँ	9

1		2	3	4
3. परिवहन प्रचालक		राष्ट्रीय परमिट धारक	वाहन प्राप्त करने और कार्यशील पूंजी के लिए वित्त	16
4. फुटकर व्यापार	(क)	उचित दर की दुकानें/ उपभोक्ता सहकारी समितियाँ और सुपर बाजार	आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिए सहायता	1
	(ख)	कार्यक्रम के अन्तर्गत मुक्त बंधुआ मजदूर, मकान बनाने की जगहों के आवंटिती, आदि जो छोटे फुटकर व्यापार में लगे हुए हैं।	—वही—	2, 3, 4 और 5
	(ग)	व्यक्ति/सहकारी समितियाँ	कन्ट्रोल के कपड़े के लिए वित्त	10
	(घ)	स्कूलों/कालेजों द्वारा चलाए जाने वाले पुस्तक और लेखन-सामग्री भंडार	स्कूल और कालेजों को कन्ट्रोल कीमतों पर आवश्यक वस्तुओं (पुस्तक और लेखन-सामग्री सहित) के लिए वित्त	18 और 19
	(ङ)	शैक्षिक संस्थाओं में उपभोक्ता सहकारिताएँ		
5. लघु व्यापार		20-सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित लाभग्राही, अर्थात् मुक्त बंधुआ मजदूर, मकान बनाने की जगहों के आवंटिती आदि	कृषि, लघु उद्योग, फुटकर व्यापार, परिवहन प्रचालक आदि के अन्तर्गत न आने वाले लघु व्यापार के कार्यकलापों को चलाने के लिए वित्त	2, 3, 4 और 5
6. आवास वित्त		आवास स्थलों के आवंटिती	आवास-वित्त	3
7. निवल खपत ऋण		मुक्त बंधुआ मजदूर सहित ग्रामीण गरीब लोग जिन्हें ऋण राहत कानून आदि से लाभ पहुँचा है।	निवल खपत ऋण	5

भाग ख—प्राथमिक क्षेत्रक के अन्तर्गत न आने वाले लाभग्राही

ऋण प्राप्त करने वाले/लाभग्राही	सहायता का प्रकार	विषय-संख्या
(क) आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, अधिप्राप्ति और वितरण में संलग्न संगठन	आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, अधिप्राप्ति और वितरण के लिए सहायता	1
(ख) औद्योगिक इकाई/बिजली बोर्ड और उद्यम	विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए ऋण सहायता-।-	8
(ग) बड़े और मझोले उद्योग	कन्ट्रोल के कपड़े के उत्पादन के लिए वित्त	10
(घ) राष्ट्रीय परमिट धारक (भाग 'क' के अन्तर्गत आने वालों को छोड़कर)	वाहन प्राप्त करने और कार्यशील पूंजी के लिए वित्त	15

-।- इसमें बैंकों से अभिदत्त बाण्डड और बिजली बोर्ड शामिल नहीं होंगे।

श्री जैनुल बशर : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चहता हूं कि बीस सूत्री कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के मामले में अब तक क्या प्रगति हुई है। और क्या कुछ कार्यक्रमों पर अधिक बल दिया जा रहा है और कुछ पर कम। क्या मंत्री महोदय इस बारे में विवरण देने का कष्ट करेंगे।

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : सम्भवतया विश्व के देशों के इतिहास में और भारत के इतिहास में भी पहले कभी आर्थिक विकास के लिए इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं बनाया गया जितना कि राष्ट्र के नाम संदेश प्रसारित करते हुए। जुलाई, 1975 को प्रधानमंत्री द्वारा घोषित बीस सूत्री कार्यक्रम में किया गया था। इससे समस्त देश को और समस्त जनता को लाभ पहुँचा है।

माननीय सदस्य, बीस सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन के बारे में जानना चाहते हैं। मैं संक्षेप में केवल यही कहना चाहता हूँ कि बीस सूत्री कार्यक्रम के कुछ कार्यक्रम पहले ही क्रियान्वित किए जा चुके हैं। उदाहरण के लिए बंधुआ मजदूरी समाप्त करने का कानून 1976 में पारित कर दिया गया था। तस्करों की सम्पत्ति जब्त करने के लिए विशेष कानून भी पारित किया गया था। वर्ष 1976-77 में आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर 8000 रुपये की गई थी और अब इसे बढ़ाकर 15000 रुपये कर दिया गया है। सड़क परिवहन के लिए राष्ट्रीय परमिट योजना सभी राज्यों में लागू की जा चुकी है। 50 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि में सिचाई सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य पूरा किया जा चुका है। भू-जल के प्रयोग के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम भी आरम्भ किया जा चुका है। विद्युत कार्यक्रम में भी तेजी लाई गई है।

अध्यक्ष महोदय : आप यह विवरण सभा पटल पर रख सकते हैं।

श्री जैनुल बशर : मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या व्यक्तियों की श्रेणी के अतिरिक्त पिछड़े क्षेत्रों का भी पता लगाया गया है ताकि क्षेत्रीय असमानताएँ दूर की जा सके और यदि हां, तो क्या

पूरवी उत्तर प्रदेश को पिछड़े क्षेत्रों में सम्मिलित किया गया है और इस क्षेत्र के विकास के लिए क्या कदम उठाने का विचार किया जा रहा है ताकि यह क्षेत्र विकसित क्षेत्रों के समान स्तर पर आ सके।

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : छठी योजना, 1980-85 बनाते समय कार्यक्रम के निहित उद्देश्यों को ध्यान में रखा गया है। योजना में तीव्र गत्ति से विकास की जो परिकल्पना की गई है उससे दुर्बल वर्ग के लोगों की स्थिति में सुधार करने में भी सहायता मिलेगी। इसके अतिरिक्त योजना में गरीब और दुर्बल वर्ग के लोगों को सहायता पहुंचाने के लिए कुछ अन्य विशिष्ट कार्यक्रम भी रखे गए हैं। इनमें समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, न्यूनतम आवश्यकताएँ कार्यक्रम सूखा से प्रभावित रहने वाले क्षेत्रों के लिए कार्यक्रम मरुभूमि विकास कार्यक्रम तथा पर्वतीय और आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए कार्यक्रम भी शामिल है। समस्त देश के पिछड़े क्षेत्रों के लिए, केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए ही नहीं विशेष व्यवस्था की गई। योजना में अनुसूचितजाति के लिए भी विशेष कार्यक्रम रखे गये हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उचित दर पर अनिवार्य उपभोक्ता वस्तुओं की सप्लाई से भी कमजोर वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचेगा।

श्री सुनील मैत्रा : हमें तथ्य चाहिए, भाषण नहीं।

अध्यक्ष महोदय : भाषण के बिना तथ्य कहाँ से मिलेंगे।

श्री सुनील मैत्रा : बीस सूत्री कार्यक्रम में भूमिहीन खेतीहर मजदूरों और गरीब किसानों को भूमि वितरण करने का भी एक कार्यक्रम था। क्या मंत्री महोदय यह बताएंगे कि योजना आयोग के अनुसार कितनी भूमि उपलब्ध की, इसमें से कितनी भूमि का सरकार द्वारा अधिकरण किया गया और कितनी भूमि भूमिहीन खेतीहर मजदूरों को वास्तविक रूप में बाँटी गई।

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : इस प्रश्न के लिए मुझे नोटिस की आवश्यकता है।

श्री सुनील मैत्रा : प्रश्न बीस सूत्री कार्यक्रम के बारे में है और यह बीस सूत्री कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। जैसा कि उन्होंने कहा है कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। मंत्री महोदय प्रश्न का उत्तर देने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने एक भाषण दिया।

श्री हरिकेश बहादुर : बीस सूत्री कार्यक्रम बहुत से कार्यक्रम शामिल हैं। यदि मैं किसी कार्यक्रम के बारे में प्रश्न बोलता हूं और मंत्री महोदय कहते है कि इसके लिए उन्हें अलग से एक नोटिस की अवश्यकता है तब प्रश्न पूछने का कोई औचित्य ही नहीं रहता। बीस सूत्री कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण कार्य है बंधुवा मजदूरों को मुक्त दिलाना था। भारत सरकार द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि बहुत से राज्यों में अनेकों लोग अभी भी बंधुवा मजदूरों के रूप में कार्यक्रम कर रहे हैं। अतः मैं मंत्री महोदय से विशेष रूप में यह जानना चाहता हूं कि ऐसे राज्यों के नाम क्या है, उन में बंधुवा मजदूरों की संख्या क्या है और सरकार उनकी मुक्ति के लिए क्या कदम उठाने का विचार कर रही है ताकि-उन्हें शोषण से मुक्त किया जा सके।

हरियाणा, बिहार आदि में बंधुआ मजदूरों का पता चला है। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

मंत्री महोदय ने कहा है कि उन्होंने प्रत्येक प्रश्न का विस्तृत उत्तर दिया है। मैं भी इस प्रश्न का विस्तृत उत्तर चाहता हूँ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह एक विशिष्ट प्रश्न है। मंत्री महोदय ने प्रश्न के उत्तर में कहा है कि विश्व के इतिहास में ऐसा कार्यक्रम कहीं नहीं देखा गया है परन्तु मैं देखता हूं किमंत्री महोदय विशिष्ट प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते हैं। यदि मंत्री महोदय उत्तर नहीं दे पाते तब 21 दिन पूर्व नोटिस देने का लाभ ही क्या है।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप आंकड़े चाहते हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं।

श्री हरिकेश बहादुर : अभी भी देश के बहुत से भागों में बंधवा मजदूर मौजूद हैं। उनका शोषण किया जाता है। यह एक अलग बात है कि यहां भी कुछ बंधुवा मजदूर हैं।

श्री सवाईसिंह सिसौदिया : मूल प्रश्न को देखते हुए अनुपूरक प्रश्न उसके क्षेत्राधिकार में नहीं आता।

श्री सुनील मैत्रा : यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और मंत्री महोदय को इस प्रश्न का उत्तर देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपने इस प्रश्न को पढ़ा है। क्या आप चाहते हैं कि इसमें एक प्रश्न "उसके तथ्य और आंकड़े" और जोड़ दिया जाये ?

एक माननीय सदस्य : बंधुवा श्रमिक विशेष रूप से एक महत्वपूर्ण प्रश्न है।

"अरब स्टेट्स में बाय यू० एस० आर्मस फार पाकिस्तान" शीर्षक समाचार

*624. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 9 मार्च, 1981 के "द ट्रिब्यून" चन्डीगढ़ में अरब देशों द्वारा पाकिस्तान के लिए अमरीकी हथियारों की खरीद की संभावना के बारे में (अरब स्टेट्स में बाय यू० एस० आर्मस फार पाकिस्तान) शीर्षक से छपे समाचार की ओर आकर्षित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) हर समय पूरी रक्षा तैयारियाँ रखने सम्बन्धी योजनाओं को उद्यतन बनाते समय देश के सुरक्षा परिवेश में होने वाली सभी गतिविधियों की बराबर समीक्षा की जाती है।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : अपने विवरण में मंत्री महोदय ने इस बात की पुष्टि की है कि पाकिस्तान को अमरीका से हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं। अब अमरीका ने यह बात स्पष्ट कर दी है और कहा है "हमने उन्हें सैनिक और आर्थिक सहायता के रूप में 2·5 मिलियन डालर की सहायता देने का प्रस्ताव किया है" यह एक बहुत ही गम्भीर मामला है और भारत सरकार अमरीका सरकार को यह महसूस कराने का प्रयास कर रही है कि वे इस योजना को आगे न बढ़ाए।

क्या मंत्री महोदय यह बताएंगे कि उन्होंने ग्रेट ब्रिटेन की प्रधान मंत्री श्रीमती थैचर तथा जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्य के चांसलर से बातचीत की है कि वे अमरीका को यह सुझाव दें कि वह पाकिस्तान की सहायता न करे और उसे हथियार न दे क्योंकि यह बहुत गम्भीर मामला है।

मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने इस दिशा में कोई प्रयास किया है ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : प्रश्न के उत्तर में यह बताया गया है कि सरकार ने समाचार पत्रों में ऐसे समाचार देखे हैं। सरकार ने यह नहीं कहा है कि वास्तव में हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं। सरकार ने इस बात से भी इन्कार नहीं किया है कि हथियारों की सप्लाई नहीं की जा रही। हमने इस बात की पुष्टि की है कि समाचार पत्रों में समाचार देखे गये हैं। मेरे से यह प्रश्न पूछा गया है कि क्या सरकार ने ब्रिटेन के प्रधान मंत्री तथा पश्चिमी जर्मनी के चांसलर से ऐसा अनुरोध किया है कि वे अमरीका से पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई न करने के लिए कहें।

परन्तु यह सब निरर्थक बातें हैं। कल ही विदेश मंत्री ने सदन में बताया था कि उन्होंने अमरीका सरकार से पाकिस्तान द्वारा हथियार एकत्र किए जाने के बारे में भारत सरकार की चिन्ता व्यक्त की है और यह कहा है कि अमरीका सरकार द्वारा पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई नहीं की जानी चाहिए। अब ब्रिटेन और जर्मनी की सरकारों से अनुरोध करने का प्रश्न एक अलग मामला है। यदि उन देशों की सरकारों द्वारा हथियारों की सप्लाई की जा रही होती तभी उनसे अनुरोध करने और यह कहने का प्रश्न उठता था कि उनके इस कार्य से इस क्षेत्र में सुरक्षा और शान्ति बनाए रखने में सहायता नहीं मिलेगी।

इस सरकार ने बार-बार खुले आम यह घोषणा की है कि पाकिस्तान को शस्त्रों की सप्लाई किसी प्रकार से सहायक नहीं होगी और ब्रिटेन तथा जर्मनी की सरकारों को भी इसकी जानकारी है।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : अपना वक्तव्य देते समय उसने किसी समाचार-पत्र में छपी खबर का हवाला दिया है। मेरा प्रश्न भी समाचार-पत्र की खबर के आधार पर है जहाँ कि यह सुझाव दिया गया है कि भारत सरकार मित्र देशों को संयुक्त राज्य अमेरिका से सम्पर्क करें और उसे पाकिस्तान को शस्त्र सहायता न देने के लिए राजी करें। यदि आप इसका उत्तर नहीं देना चाहते तो मैं इसके लिए आग्रह नहीं करता।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा खाड़ी के देशों के माध्यम से पाकिस्तान को शस्त्रों की सप्लाई करना न केवल इस देश के लिए बल्कि सम्पूर्ण क्षेत्र के लिए समस्या नहीं होगी, और क्या हमारी सरकार ने अमेरिका सरकार से कोई सीधा सम्पर्क किया है जिसमें उनसे कहा गया हो कि वे शस्त्रों की सप्लाई न करे क्योंकि इससे इस क्षेत्र में सन्तुलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

श्री शिवराज वी० पाटिल : प्रश्न यह है कि :—"..... क्या उनका ध्यान, 9 मार्च 1981 को 'दी ट्रिब्यून', चंडीगढ़, में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि 'अरब राज्य पाकिस्तान के लिए अमेरिका से शस्त्र खरीद सकते हैं'....."

और हमने इसका उत्तर 'जी, हां' दिया है। यह माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न के प्रथम भाग के बारे में है।

जहां तक दूसरे भाग का संबंध है, मैंने अपने उत्तर में पहले ही बता दिया है कि भारत सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका से सम्पर्क किया है। विदेश मंत्री ने बहस का उत्तर देते हुए कल स्वयं कहा है—और उससे पहले भी कह चुके हैं—कि उन्होंने भारत सरकार की चिन्ता से संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकारे को स्वयं अवगत कराया है। उन्होंने कल बताया कि अभी कल ही संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित हमारा राजदूत अमेरिका के राज्य सचिव (सेक्रेटरी आव स्टेट) से मिलने वाले थे। अतः, इस सभा को दी गई सूचना को देखते हुए, सरकार वह सब कुछ कर रही है जो अमेरिका सरकार को उस बात के लिए राजी करने हेतु जरूरी है कि पाकिस्तान को शस्त्रों सप्लाई नहीं की जानी चाहिए क्योंकि इससे क्षेत्र के इस भाग में कठिन स्थिति उत्पन्न हो जाएगी।

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर : क्या मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूँ कि क्या सरकार ने अरब राज्यों से सम्पर्क किया है और क्या हमारी सरकार ने अरब राज्यों से यह इस बारे में अपना विरोध प्रकट किया है कि उन्हें पाकिस्तान की ओर से शस्त्र नहीं खरीदना चाहिए, और यदि किया है तो, उस पर अरब राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है ? उन्होंने जो उत्तर दिया है उसे देखते हुए क्या मैं यह पूछ सकता हूँ कि क्या भारत सरकार अपनी सुरक्षा के लिए रूस तथा अन्य देशों से शस्त्र खरीदने हेतु सम्पर्क करेगी ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : जहां तक प्रश्न के प्रथम भाग का संबंध है, पाकिस्तान तथा सऊदी अरब ने 1967 में प्रतिरक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के उप-बन्धों के अन्तर्गत, साऊदी अरब पाकिस्तान को खरीद के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है : बदले में पाकिस्तान साऊदी अरब के मिलीटरी कार्मिकों को प्रशिक्षण देता है और उसने अपनी कुछ सशस्त्र सेना साऊदी अरब में तैनात कर रखी है। भारत सरकार ने बार-बार खुले शब्दों में यह स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान को शस्त्रों से भरपूर लैस करना इस क्षेत्र में शान्ति और सुरक्षा बनाए रखने में सहायक नहीं होगा। अब प्रश्न यह है कि क्या हमने उनसे सीधा सम्पर्क स्थापित किया है अथवा नहीं। जब कुछ खबरें छपी तो पाकिस्तान ने तथा साऊदी अरब ने भी इस बात का खण्डन किया कि साऊदी अरब पाकिस्तान को धन दे रहा है तथा पाकिस्तान साऊदी अरब को मिलिटरी सहायता दे रहा है। उन्होंने अपनी ओर से इसका खण्डन किया है। प्रश्न यह है कि क्या हम आगे बढ़कर उनके द्वारा किए गए उस समझौते के प्रति अपना विरोध प्रकट कर सकते हैं अथवा नहीं। लेकिन हम विश्व के सभी देशों को यह स्पष्ट करते आ रहें हैं कि पाकिस्तान को एक सीमा से अधिक शस्त्र देना किसी भी प्रकार ठीक नहीं होगा।

श्री मलिक एम० एम० ए० खां : अध्यक्ष महोदय, काफी दिनों से यह चर्चा है कि बड़ी हैवी मदद पाकिस्तान को चाहे अरब कन्ट्रीज के जरिये से या डाइरेक्ट यू० एस० ए० दे रहा है। तो मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूँगा कि अगर यू० एस० ए० हमारे कहने से हमारी बात को न माने और पाकिस्तान की खुशामद से उसको आर्म्स दे, तो आप अपनी आर्मी को मजबूत करने के लिए और इस देश की हिफाजत के लिए क्या करने जा रहे हैं ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : आपने पूछा है कि अगर पाकिस्तान को यू० एस० ए० हथियार दे रहा है...

श्री मलिक एम० एम० ए० खां : दे ही रहा है, इसमें 'अगर' की बात नहीं है ।

श्री शिवराज वी० पाटिल : तो हम क्या कर रहे हैं । हमने इस सम्बन्ध में अनेक बार इस सदन में और सदन के बाहर भी कहा है कि देश की सुरक्षा के लिए जो भी करना जरूरी है, वह हम जरूर करेंगे । हमने यह कहा है कि हम डिप्लोमेसी का सहारा लेकर ऐसी परिस्थिति का निर्माण करना चाहते हैं, जिसकी वजह से कोई लड़ाई न हो । उसके बाद हमने यह कहा है कि हम दुनियां में ऐसा पब्लिक ओपीनियन क्रीयेट करना चाहते हैं—

श्री मलिक एम० एम० ए० खां : मेरे क्वेश्चन का यह बिल्कुल मतलब नहीं है । मैंने सीधा-साधा क्वेश्चन पूछा है और आप इधर-उधर की बात कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आप बीच में इनटरेप्ट क्यों कर रहें हैं ? उनको पूरा जवाब देने दीजिए ।

श्री शिवराज वी० पाटिल : मैंने पूरा उत्तर नहीं दिया है और अभी आधा उत्तर ही दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : इनको पूरा उत्तर देने दीजिए ।

श्री शिवराज वी० पाटिल : पूरा उत्तर सुनने के बाद आपकी बात का पूरा समाधान हो जाएगा और ऐसी बात नहीं है कि असमाधान ही रहे ।

मैं यह कह रहा था कि हमारे देश की सुरक्षा के लिए सारी परिस्थितियों को ध्यान में रख कर जिस प्रकार के कदम उठाना जरूरी है, वे हम उठायेंगे । जैसा इस सदन का मत है और हिन्दुस्तान के अमन-पसन्द लोगों की मदद के लिये, जिस प्रकार के कदम उठाने की जरूरत है, उस प्रकार के कदम हमारी सरकार जरूर उठायेगी और उठा रही है और उसमें आपको शक करने की कोई जरूरत नहीं है ।

अध्वक्ष महोदय : श्री जितेन्द्र प्रसाद
प्रोफेसर के० के० तिवारी

"पिंडी मेकिंग केस फार सप्लाई आफ यू० एस० आर्मस"
शीर्षक समाचार

*626 **प्रो० के० के० तिवारी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 7 मार्च, 1981 के "टाइम्स आफ इन्डिया" में "पिंडी मेकिंग केस फार सप्लाई आफ यू० एस० आर्मस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हां ।

(ख) भारत की सुरक्षा के लिए खतरा होने वाली सभी गतिविधियों पर लगातार नजर

रखी जाती है और हर समय रक्षा तैयारियां बनाए रखने सम्बन्धी योजनाओं को अद्यतन किया जाता है।

प्रो० के० के० तिवारी : माननीय मंत्रीजी ने उत्तर दिया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, क्या विभिन्न प्रश्नों के लिए उसी उत्तर की कार्बन प्रति देना अनुज्ञेय है ? दो अथवा तीन प्रश्नों का बिल्कुल वही उत्तर दिया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं इसे अस्वीकार कर सकता हूँ ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह कैसे अस्वीकार किया जा सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : शायद उन्हें 'क्लब' कर दिया होगा, लेकिन इसमें उतना ही समय लगेगा।

प्रो० के० के० तिवारी : माननीय मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर अत्यधिक असंतोषजनक है और अत्यधिक उभयभावी है। महोदय, यह एक वास्तविकता है और यह सभा भी जानती है तथा सम्पूर्ण देश भी जानता है कि पाकिस्तान को भारी मात्रा में शस्त्र दिये दिये जा रहे हैं तथा भारत सरकार ने एक निश्चित रुख अपनाया है। महोदय, इसमें दोहरा दृष्टिकोण नहीं चल सकता। हमने यह दृष्टिकोण अपनाया है कि कतिपय शक्तियां पाकिस्तान को एक प्रकार की शस्त्र-होड़ में धकेल रही हैं। और इससे हमारी सुरक्षा को एक गंभीर खतरा है।

इस समय देश में निश्चय ही दो मत हैं। एक तो वह है जो दृष्टिकोण भारत सरकार ने अपनाया है और जिस देश के बहुत बड़े वर्ग का समर्थन है वह यह है कि पाकिस्तान को शस्त्र देने से इस उप-महाद्वीप में खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। दूसरा मत भारत के भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने व्यक्त किया है। उनका कहना है कि पाकिस्तान द्वारा शस्त्र प्राप्त करने में कोई बुराई नहीं हैं।

पश्चिमी देशों के समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं पर आधारित मेरी जानकारी यह है कि पाकिस्तान को हथियारों से पुनः लैस करने और पाकिस्तान की आयुद्ध मशीनरी को पुनर्सुसज्जित करने की मुख्य योजना·····में शुरू हुई·····।

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पूछिए।

प्रो० के० के० तिवारी : यह मैं स्पष्टतया जानना चाहता हूं। क्या यह वास्तविकता है कि पाकिस्तान की आयुद्ध मशीनरी को वास्तव में पुनर्सुसज्जित करने का कार्य 1977 और 1979 के दौरान शुरू हुआ है ? क्या यह भी सच है कि 1977 और 1979 के दौरान जब मोरारजी देसाई की सरकार सत्ता में थी तो उसके दौरान पाकिस्तान को 6.2 बिलियन डालर के मूल्य के शस्त दिये गए थे तथा उसके परमाणु कार्यक्रम के लिए गुप्त रूप से मशीनें और सामग्री दी गई थी ? और यह इस वास्तविकता से प्रमाणित हो जाता है कि उन्होंने अब खुले आम यह दृष्टिकोण अपना रखा है कि पाकिल्तान द्वारा हथियार प्राप्त करने में कोई बुराई नहीं है।

श्री शिवराज वी० पाटिल : महोदय, प्रश्न का भाव वही है जो पिछले प्रश्न का था। अतः मैं इस दूसरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए भी उन्हीं शब्दों का प्रयोग करता हूँ। माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या यह सच्चाई है कि 1977-78 से पाकिस्तान ने शस्त्र तथा वे सभी वस्तुएँ

प्राप्त की हैं। महोदय, इस वास्तविकता का खण्डन करने के लिए मेरे पास कोई तथ्य उपलब्ध नहीं है। यह बात प्रकाश में आई है कि पाकिस्तान अपने आपको हथियारों से लैस कर रहा है। अब यह बात भी प्रकाश में आ गई है कि पाकिस्तान आण्विक क्षेत्र में अपनी जानकारी का विकास करने के लिए अन्य देशों से सहायता प्राप्त कर रहा है और वह इस प्रयोजन के लिए तैयारियाँ कर रहा है। इस बात को सभी स्वीकार करते हैं कि पाकिस्तान विश्व के इस भाग के लिए खतरा बनता जा रहा है। यदि कुछेक व्यक्ति इस वास्तविकता को अपनी आँखों से भलीभाँति नहीं देखते हैं तो मैं यह कहूँगा कि हमें इसका खेद है। लेकिन यह सच्चाई है कि पाकिस्तान को शस्त्रों से लैस करने का काम जारी है और हम उन सभी बातों को ध्यान में रख रहे हैं तथा वह सब कुछ कर रहे हैं जो हमारे हितों की सुरक्षा के लिए करना जरुरी है।

अध्यक्ष महोदय : कोई और बात।

प्रो० के० के० तिवारी : मेरा दूसरा पूरक प्रश्न। यह वास्तविकता है कि हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका तथा ब्रिटेन से बड़ी संख्या में विशेषज्ञों ने पाकिस्तान के दौरे करना शुरू किए हैं और साथ ही चीन से भी बड़ी संख्या में विशेषज्ञों ने पाकिस्तान का दौरा किया है? विभिन्न स्रोतों से प्राप्त हमारी जानकारी यह है कि चीन और पाकिस्तान की आपस में मिलकर कुछ संयुक्त युद्ध की तैयारी में हैं। यह बात इस तथ्य से स्पष्ट हो जाती है कि सड़कें बना ली गई हैं तथा हमारे अत्यधिक नाजुक सीमा क्षेत्रों, अर्थात कश्मीर तक बढ़ा ली गई हैं। अतः इसे देखते हुए, क्या भारत सरकार यह जानती है कि हमारे देश की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है, अर्थात पाकिस्तान और चीन संयुक्त रूप से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि भारत का कोई भी शहर अब चीन की आई० सी० बी० एम० से सुरक्षित नहीं है और साथ ही पाकिस्तान द्वारा आण्विक विस्फोट भी अब अपने अन्तिम चरणों में है? इन गतिविधियों को देखते हुए क्या मैं यह जान सकता हूँ कि भारत सरकार क्या उपाय कर रही है तथा देश की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करना चाहती है?

श्री शिवराज वी० पाटिल : महोदय, मैंने इस प्रश्न का उत्तर विस्तार से दे दिया है। मैंने बताया है कि हम कूटनीति का शस्त्र प्रयोग करने जा रहे हैं; हम जनमत का प्रयोग करने जा रहे हैं, तथा हम अपने हितों की सुरक्षा के लिए जो भी जरूरी है वह सब कुछ करने जा रहे हैं। इन तीन बातों में सभी प्रश्नों का उत्तर निहित है।

श्री एम० राजगोपाल रेड्डी : प्रतिदिन हम इस समस्या पर चर्चा कर रहे हैं। यह हमारे देश के लिए एक अपमानजनक बात है। यदि पाकिस्तान अपने को शस्त्रों से लैस कर रहा है तो करता रहे। यदि वह अपने आपको शस्त्रों से आकण्ठ लैस कर रहा है तो उसे तत्सम्बन्धी कठिनाइयाँ भी पैदा हो जाएँगी। हम इसकी चिन्ता क्यों करें? पाकिस्तान जो कुछ कर रहा है उसे करने दो। हमें अपनी तैयारी में लगे रहना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यह एक सुझाव है।

श्री रत्नसिंह राजदा : महोदय, स्वभावतः, हमारे देश में यह आशंका है कि यदि पाकिस्तान अपने आपको शस्त्रों से आकण्ड लैस करता है तो उन हथियारों का प्रयोग भारत के विरुद्ध किया जा सकता है।

लेकिन, महोदय, अभी-अभी मेरे माननीय मित्र ने श्री मोरारजी देसाई का नाम लिया है···

अध्यक्ष महोदय : आप प्रासंगिक नहीं हैं।

श्री रत्नसिंह राजदा : महोदय मैं इसी प्रसंग में बोल रहा हूँ। मैं अपना प्रश्न रख रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय : उसका कोई हवाला मत दीजिए।

श्री रत्नसिंह राजदा : मैं अपना प्रश्न इसी आधार पर तैयार कर रहा हूँ। श्री मोरारजी देसाई ने बताया है कि पाकिस्तान को शस्त्र तथा गोला-बारूद एकत्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यदि पाकिस्तान पर कोई हमला होता है तो भारत एक मित्र देश होने के कारण उन्हें भारत से कोई खतरा नहीं होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : वह किसी चीज का उत्तर नहीं दे सकता। यह बात हो चुकी है, छोड़िए।

श्री रत्नसिंह राजदा : नहीं, महोदय। मैं यह क्यों पूछ रहा हूँ कृपया यह समझने की कोशिश करें। अफगानिस्तान में स्थिति को देखते हुए पाकिस्तान को कुछ बहाना और दलील है कि वह जहाँ से भी चाहे, शस्त्र और गोला-बारूद प्राप्त कर सकता है। मैं सरकार से मात्र एक प्रश्न का उत्तर चाहता हूँ। क्या सरकार पाकिस्तान को स्पष्ट शब्दों में यह बताएगी कि भारत का पाकिस्तान के विरुद्ध कोई भी बुरा इरादा नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : इस पर पहले ही अनेक बार बहस हो चुकी है। श्री अराक्कल।

श्री रत्नसिंह राजदा : नहीं महोदय। यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। क्या आप कृपया यह स्पष्ट करेंगे कि पाकिस्तान के विरुद्ध हमारा कोई गलत इरादा नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न पर सभा में अनेक बार बहस हो चुकी है।

अब अगला प्रश्न, श्री पूजारी।

श्री दिग्विजय सिंह : मुझे एक प्रश्न पूछना है।

अध्यक्ष महोदय : आपका नाम दूसरे दौर में आएगा। अब नहीं। प्रश्न संख्या 629. श्री मुंडेर शर्मा।

पुलिस का पुनर्गठन

*629. **श्री मुन्दर शर्मा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ऐसे साम्प्रदायिक और अराजक तत्वों का पता लगाने तथा उन्हें बर्खास्त करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है, जो विभिन्न राज्यों के पुलिस संगठनों में प्रवेश पा गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रक्रिया के कब तक शुरु हो जाने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) राज्यों में पुलिस संगठन राज्य का विषय है और सम्बन्धित राज्य सरकारें उनके आचरण और अनुशासन के लिए उत्तरदायी है। परन्तु केन्द्रीय पुलिस संगठनों को यह सूचित करते हुए उपयुक्त अनुदेश दिये गये हैं कि इन

अनुदेशों में उल्लिखित साम्प्रदायिक संगठनों को गतिविधियों में भाग लेने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी। इसी प्रकार की कार्रवाई करने के लिए ये अनुदेश राज्य सरकारों के भी ध्यान में लाये गये हैं।

श्री सुन्दर शर्मा : क्या माननीय गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर पुलिस द्वारा यूनियनों के माध्यम से सरकार के आदेशों का पालन नहीं किया है और इस संबंध में क्या केन्द्र-सरकार अपनी ओर से कोई निर्देश राज्य-सरकारों को देने जा रही है?

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैंने पहले ही बताया है कि यह स्टेट सब्जेक्ट है और स्टेट गवर्नमेंट को इसके बारे में काफी लिखा जा चुका है।

श्री दलबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जनता—शासन काल में जिस प्रकार पुलिस यूनियनों को मान्यता दी गई है, क्या इसको भारत—शासन अब समाप्त करने के बारे में विचार कर रहा है?

श्री योगेन्द्र मकवाना : यह प्रश्न इससे नहीं उठता। लेकिन, मैंने माननीय सदस्य के सुझाव को नोट कर लिया है।

श्री शिवप्रसाद साहू : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि बहुत से साप्रदायिक और अराजक तत्व, खासकर बिहार में, टाटानगर, जमशेदपुर, राँची में दंगे करवाते रहते हैं। 2-3 साल बाद वहाँ पर दंगे होते रहते हैं। आप कहेंगे कि यह प्रान्त—सरकार का मामला है लेकिन जब दंगे होते हैं तब केन्द्र सरकार की मशीनरी दौड़नी शुरू हो जाती है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसके लिए आप मुख्य मंत्री से मिल कर या उन से सलाह मश्विरा करके कोई स्पेशल कदम उठा रहे हैं ताकि प्रशासन में जो ऐसे लोग घुस गए हैं उनको तुरन्त निकाल बाहर किया जा सके?

श्री योगेन्द्र मकवाना : महोदय, इसके लिए पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के निदेशक की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई थी।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

अर्ध सैनिक बलों सम्बन्धी अध्ययन रिपोर्टें

*619. **श्री रामचन्द्र रथ** :

श्री जी० वाई० कृष्णन् : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सीमा सुरक्षा बल और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस जैसे अर्ध-सैनिक बलों का आधुनिकीकरण करने का कोई विचार है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में उनके मंत्रालय ने कोई अध्ययन रिपोर्ट तैयार की है;

(ग) यदि हाँ, तो यह प्रस्ताव कब कार्यान्वित किया जायेगा; और

(घ) अर्ध-सैनिक बलों के गठन सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) सरकार के अधीन विभिन्न अर्ध-सैनिक बलों को विशिष्ट क्षेत्रों/कार्यों के लिए बनाया गया है और उनके अपने-अपने कर्तव्य हैं।

सरकार का इन बलों के कर्तव्यों में परिवर्तन करने अथवा उनको एक दूसरे से जोड़ने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान ।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

इलैक्ट्रानिक उद्योग को प्रोत्साहन

*620. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1980-81 के बजट में इलैक्ट्रानिकी उद्योग को दिये गये सरकार के वित्तीय प्रोत्साहनों के बारे में इलैक्ट्रानिकी विभाग और इलैक्ट्रानिकी आयोग को कोई उत्साह-वर्धक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है ।

(ख) यदि हाँ, तो अब तक प्राप्त पूंजी निवेश की पेशकी का ब्यौरा क्या है : और

(ग) क्या उपरोक्त अवधि में इलेक्ट्रानिकी उत्पादों में वृद्धि हुई है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गाँधी) : (क) : जी, हाँ ।

(ख) 1 अप्रेल, 1980 तथा 20 मार्च,1981 के बीच औद्योगिक लाइसेंस आशय-पत्र पूंजीगत उपस्करों के लिए इलेक्ट्रानिकी के क्षेत्र में 148 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए । इस अवधि में इलेक्ट्रानिक उत्पादों के लिए जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंसों तथा आशय-पत्रों का उल्लेख क्रमश: **अनुबन्ध-1** तथा **अनुबन्ध-2** में किया गया है । ग्रन्थालय में रखे गये देखिये संख्या (एल० टी०—2268/81) साथ ही पूँजीगत उपस्करों पर प्रस्तावित पूंजी-निवेश के लिए अनुमोदित/लगाई गई राशि का ब्यौरा भी दिया गया है ।

(ग) जी, हाँ । कैलेण्डर वर्ष 1980 में इलेक्ट्रानिकी के उत्पादन की प्रगति की दर अनुमानत: 24 प्रतिशत है जबकि वर्ष 1979 में प्रगति की यह दर केवल दस प्रतिशत थी ।

आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों की नियुक्तियों के बारे में भर्ती नीति

*625. **श्री जितेन्द्र प्रसाद : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि केन्द्र सरकार के सभी कार्यालयों में वास्तव में निर्धारित योग्यताओं से काफी अधिक योग्यताधारी उम्मीदवारों को ऐसे न्युनतम योग्यताधारी उम्मीदवारों की, जो प्राय: आर्थिक रूप से पिछड़े परिवार/वर्ग के होते हैं, उपेक्षा करते हुए आजकल तरजीह दी जाती है और उन्हें नियुक्त किया जाता है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार अपनी भर्ती नीति को इस प्रकार से निरुपित करने का है जिससे अपेक्षाकृत अधिक सम्पन्न परिवारों के उच्च योग्यताधारी उम्मीदवारों की नियुक्ति पर रोक लगा दी जाए और निर्धन परिवारों के निर्धारित न्यूनतम योग्यताधारी उम्मीदवारों को अवसर मिल जाये ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या)

(क) प्रत्येक पद के लिए निर्धारित अर्हताएं न्युनतम अर्हताएं होती हैं जो उस पद पर प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए किसी व्यक्ति के लिए आवश्यक होती हैं । नियुक्तियाँ बिना किसी भेद भाव के पूर्णतया भर्ती नियमों के अनुसार की जातीं हैं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पर्यावरण के मामले में रोकथाम की कार्रवाई

627 **श्रीजेवियर अराकल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यावरण के मामले में रोकथाम केलिये क्या कदम उठाए गए हैं और क्या सरकार का विचार कोई व्यापक योजना अथवा अधिनियम लाने का है;

(ख) क्या अपराधियों के विरुद्ध सरकार द्वारा कोई दण्डात्मक कार्रवाई नहीं की जाती है, और

(ग) यदि हां, तो क्या विभिन्न अधिनियमों में इस प्रकार का प्रावधान करने का विचार है?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गाँधी) : (क) से (ग) : पर्यावरणीय प्रतिरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विधायी उपायों और प्रशासनिक तंत्र की सिफारिश करने के लिए संघटित एक उच्च-स्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट 15 सितम्बर, 1980 को प्रस्तुत कर दी थी। केन्द्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना करने की एक मुख्य सिफारिश को कार्यान्वित कर लिया गया है। इन सिफारिशों का इस समय विभाग में परीक्षण और प्रक्रियण किया जा रहा है।

वर्तमान पर्यावरणीय विधायन के अन्तर्गत केन्द्रीय, राज्य और शहरी कानूनों की, जिनकी संख्या कई सौ में हैं, समस्त परास आ जाती है जिनका संबंध वनों, वन्य जीवन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, कारखाने, खानें, प्रदूषण नियंत्रण, मृदा संरक्षण, शहरी और ग्रामीण आवास, नगर नियोजन, आदि से है जिन्हें कई मंत्रालयों, राज्य सरकारों, संघ शासित प्रदेशों और नगर पालिकाओं द्वारा लागू किया जाना होता है। इन्हें अतीत में अलग अलग समयों पर अधिनियमित किया गया है और इनके अन्तर्गत मानीटरन और दण्ड दोनों पक्षों को निगमित किया गया है। उच्च स्तरीय समिति ने वर्तमान परिस्थितियों के आलोक में मौजूदा कानूनों की विशद ओर व्यवस्थाबद्ध समीक्षा की सिफारिश की है और उसके पश्चात जब भी आवश्यकता हो और विशेष रूप से पर्यावरणीय प्रतिरक्षा की संगति के बारह क्षेत्रों में नए कानूनों का अधिनियम कर लिया जाना चाहिए।

ब्रिटिश इलेक्ट्रानिकी इंडस्ट्री के साथ संयुक्त उपक्रम

*628. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बत्ताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या ब्रिटिश इलेक्ट्रानिकी इंडस्ट्री ने भारत में भारतीय कम्पनियों के साथ संयुक्त उपक्रम स्थापित करने में रुचि दिखाई है:

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क)से(ग) : ब्रिटेन के इलेक्ट्रानिक संघटक पुर्जे उद्योग के एक बहुत बड़े भाग का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधि मण्डल ने हाल ही में भारत की यात्रा की। इस प्रतिनिधिमण्डल ने बंगलौर, हैदराबाद तथा बम्बई में इलेक्ट्रानिक संघटक पुर्जे उद्योग के उन भारतीय प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की जिनकी इन वस्तुओं में दिलचस्पी थी। किन्तु, अब तक संयुक्त प्रयास के लिए कोई ठोस प्रस्ताव सामने नहीं आया है।

फिल्में दिखाये जाने पर राज्य का विधान

630 **श्री अमर राय प्रधान** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र ने पश्चिम बंगाल के ऐसा विधान बनाने के प्रस्ताव पर कि राज्य में बनी फिल्मों को राज्य के सिनेमाघरों द्वारा कम से कम 12 सप्ताह तक दिखाया जाना अनिवार्य हो, कुछ आपत्ति की है ;

(ख) क्या तमिलनाडु सरकार से भी ऐसा ही कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हाँ, तो उपरोक्त (क) और (ख) संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) पश्चिम बंगाल सरकार ने 'पश्चिम बंगाल फिल्मों का अनिवार्य प्रदर्शन विधेयक, 1979' को संविधान के अनुच्छेद 304 (ख) के परन्तुक के अधीन राज्य विधान सभा में इसके प्रस्तुतीकरण से पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के लिए भेजा था । विधेयक के मसौदे पर संबंधित मंत्रालयों के साथ विचार विमर्श किया गया था । कानूनी मत यह है कि प्रस्तावित विधेयक से संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (क) और (छ) के उपबंधों का उल्लंघन होता है और यह उसके खंडों (2) और (6) द्वारा संरक्षित नहीं है । यह पश्चिम बंगाल सरकार को बता दिया गया है ।

(ख) तमिलनाडु सरकार से विधायन संबंधी ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ग) पश्चिम बंगाल के प्रारूप विधेयक के मुख्य उपबंध पश्चिम बंगाल को फिल्मों को पश्चिम बंगाल के सिनेमा घरों में वर्ष में 12 सप्ताह को अवधि के लिए आवश्यक रूप से दिखाने और उक्त फिल्मों के दिखाने के लिए वितरकों और प्रदर्शनकर्ताओं तथा उत्पादकों के बीच वित्तीय शर्तों का विनियमन करने के लिये है ।

पश्चिम बंगाल में रबड़ कारखानों का राष्ट्रीयकरण

*631, **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **उद्योग मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पश्चिम बंगाल के नेशनल रबड़ लिमिटेड और "इन्चेक" नामक दो कारखानों का राष्ट्रीयकरण करने का है,

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं,

(ग) प्रत्येक कारखाने में कितने कितने कर्मचारी नियुक्त हैं ।

(घ) प्रत्येक कारखाने में कितते कितने मूल्य का उत्पादन होता है,

(ङ) प्रत्येक कारखाने में क्या क्या सामान बनता है, और

(च) प्रत्येक कारखाने की परिसम्पत्ति कितनी कितनी है ।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) : इन दोनों एककों को पुनरूजीवित करने संबंधी तैयार की गई योजना अन्तिम निर्णय के लिए जाने हेतु प्रक्रियागत है ।

(ग) से (च) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण		नेशनल रबर मैन्यू० लि०	इनचैक टायर्स लिमिटेड
(ग)	नियोजित कामगरों की संख्या	3200 कामगर (लगभग)	1500 कामगर (लगभग)
(घ)	कम्पनियों द्वारा बताया गया अप्रैल 1980 से जनवरी 1981 की अवधि का उत्पादों का बिक्री मूल्य	505.04 लाख रु०	284.24 लाख रु०
(ङ)	उत्पादन की वस्तु	साइकिल और रिक्शों के टायर ट्यूब ट्रान्समीशन बैल्टिंग पंखे बी बैल्टें होजैज और मोल्ड रबर उत्पाद	आटोमोबाइल टायर ट्यूब फ्लैप्स
(च)	आस्तियाँ 31-3-1980 को (रु० लांख में)		
	(1) अचल आस्तियाँ	87.61	14.72
	(2) निवेश पुस्तक मूल्य	36.94	0.02
	(3) वस्तु सूची	261.34	281.88
	(4) फुटकर ऋणदाता	183.69	74.73
	(5) ऋण और अग्रिम राशियाँ	54.87	54.68
	(6) नकद और बैंक राशियाँ	33.90	18.00
		658.35	574.03

दादरा तथा नागर हवेली को जनजाति उप-योजना के अधीन अंशदान

*632. **श्री छोतुभाई गामित :** क्या **गृह मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र शासित क्षेत्र दादरा तथा नागर हवेली के लिये जनजाति उप-योजना के अन्तर्गत 1977-78 से 1980-81 तक के लिये कितनी राशि के अनुदान दिये गये और इसमें से प्रति वर्ष कितनी राशि खर्च की गई; और

(ख) इन अनुदानों को पूरा खर्च न किये जानेके क्या कारण हैं तथा इसके लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना : (क) दादरा व नागर हवेली संघ शासित क्षेत्र में कोई जनजाति उप-योजना नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के औद्योगिक विकास पर कोइल्हो समिति की रिपोर्ट ।

*633 **श्रीमती प्रमिला दण्डवते :** क्या **उद्योग मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र के औद्योगिक विकास के संबंध में सरकार को परामर्श देने के उद्देश्य से इससे पूर्व के शासन के दौरान श्री कोइल्ही की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है,

(ख) क्या सरकार ने समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और उसका विचार उन्हें कार्यान्वित करने का है,

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार सरकारी, गैर सरकारी और सहकारी क्षेत्रों में किन किन उद्योगों को स्थापित करने का है,

(घ) क्या इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पूरा पूर्वोत्तर क्षेत्र औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हैं उद्योगों के प्रयोजन के लिए सरकार का विचार पूरे क्षेत्र को पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने का है ताकि उद्यमी सार्वजनिक ऋणदाता संस्थानों से ब्याज की भिन्न दरों पर वित्त प्राप्त कर सकें, और

(ङ) क्या तीव्र औद्योगिक विकास के लिए सरकार का विचार सीमेंट और इस्पात जैसी भवन निर्माण सामग्री को पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराने का है ।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (ग) अखिल भारतीय लघु उद्योग बोर्ड द्वारा गठित की गई स्थायी समिति ने बोर्ड के विचारार्थ अपनी रिपोर्ट को अन्तिम रूप दे दिया है । बोर्ड द्वारा विचार कर लिए जाने तथा स्वीकृति दे देने के बाद ही रिपोर्ट में निहित सिफारिशों पर कार्रवाई की जाएगी ।

(घ) वर्तमान में सम्पूर्ण उत्तर पूर्वी क्षेत्र को औद्योगिक रूप से पिछड़ा घोषित करने संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं है। औद्योगिककरण की गति को तेज करने के लिए सरकार ने स्थापित किए जाने वाले औद्योगिक एककों अथवा उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में 1-3-1981 के बाद स्थापित किए जाने वाले एककों के अचल पूँजीगत पर केन्द्रीय निवेश राजसहायता की राशि अधिकतम 15 लाख तक पर 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 लाख तक पर 20 प्रतिशत कर दी है।

(ङ) उत्तर पूर्वी क्षेत्र में लघु एककों की कच्चे माल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहें हैं। कच्चा माल यथा समय तथा अपेक्षित मात्रा में पहुँचे इसके लिए परिवहन और वितरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

"क्वायट एम० एन० सी० एन्ट्री इन्टु इलेक्ट्रानिक्स"

शीर्षक समाचार

*634 **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :**

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 4 फरवरी, 1981 के 'विजनेसस्टैण्डर्ड' में प्रकाशित कवायट एम० एन० सी० एन्ट्री इन्टु इलेक्ट्रानिक्स' शीर्षक से समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गाँधी) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) : जून 1979 में गृह मंत्रालय के संचार नीति बेतार निदेशालय (डी०सी० पी० डब्ल्यू०) को अति उच्च आवृत्ति के 1500 ट्रांसरिसीवरों की आवश्यकता थी जिसके लिए उन्होंने पूर्ति तथा निपटान निदेशालय के समक्ष मांग रखी। भारतीय इलेक्ट्रानिकी निगम लिमिटेड (ई० सी० आई० एल०), पंजाब बेतार प्रणाली लिमिटेड (पी० डब्ल्यू० एस० एल०), तथा पश्चिम बंगाल दूर संचार उद्योग लिमिटेड (डब्ल्यू० टी० आई० एल०) ने पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय द्वारा आमंत्रित टेंडरों के उत्तर में अपने कोटेशन भेजे। बोली के मूल्यांकन में समय लग रहा था और संचार नीति बेतार निदेशालय को जनवरी 1980 के प्रथम सप्ताह में आयोजित किए जाने वाले लोक सभा चुनाव की व्यवस्था के लिए दिसम्बर, 1979 के अन्त तक उतने ट्रांसरिसीवरों की तत्काल आवश्यकता थीं जितने वे प्राप्त कर सकते थे। इसलिए पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय ने संचार नीति बेतार निदेशालय को अनुमति दी कि वे बोली भेजने वाली तीन कम्पनियों में से किसी से भी 450 ट्रांसरिसीवर खरीद सकते हैं। इस बात पर निर्भर करते हुए कि किस रफ्तार से ट्रांसरिसीवरों की डिलीवरी दी जा सकती है: इन 450 सेटों को संचार नीति बेतार निदेशालय ने पंजाब बेतार प्रणाली लिमिटेड (पी० डब्ल्यू० एस० एल०) नामक कम्पनी से खरीदा। इसके अतिरिक्त चूंकि संचार नीति बेतार निदेशालय कुछ राज्य विधान सभाओं के चुनाव के सम्बन्ध में और ट्रांसरिसीवर खरीदना चाहता था अतः पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय ने पंजाब बेतार

प्रणाली लिमिटेड (पी० डब्ल्यू० एस० एल०) को मई 1980 में 500 और ट्रांसरिसीवरों के लिए एक आर्डर भेजा क्योंकि पंजाब बेतार प्रणाली लिमिटेड (पी० डब्ल्यू०एस०एल०) नामक कम्पनी ही इन तीन कम्पनियों में से एक मात्र कम्पनी थीं जो संचार नीति बेतार निदेशालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्दर अपेक्षित मात्रा में ट्रांसरिसीवर सेट उपलब्ध करा सकती थी। जहाँ तक संचार नीति बेतार निदेशालय को सितम्बर 1980 तक शेष 550 ट्रांसरिसीवरों की डिलीवरी करने का सम्बन्ध था. पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय द्वारा पूछ-ताछ करने पर केवल भारतीय इलेक्ट्रानिकी निगम लिमिटेड (ई० सी० आई० एल०) और पंजाब बेतार प्रणाली लिमिटेड (पी० डब्ल्यू० एस० एल०) ही ऐसी कम्पनियां थी जिन्होंने उस समय सीमा तक सेटों की सप्लाई कर सकने के बारे में पुष्टि की। अतः 400 ट्रांसरिसीवरों के लिए भारतीय इलेक्ट्रानिकी निगम लिमिटेड (ई० सी० आई० एल०) कों आर्डर दिये गये और 150 ट्रांसरिसीवरों के लिए पंजाब बेतार प्रणाली लिमिटेड (पी० डब्ल्यू० एस० एल०) को इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि पंजाब बेतार प्रणाली लिमिटेड (पी० डब्ल्यू० एस० एल०) के साथ कोई पक्षपात पूर्ण रवैया नहीं अपनाया गया। किसी भी चरण पर पश्चिम बंगाल दूर संचार उद्योग लिमिटेड से कोई भी आर्डर वापिस लेकर उसे पंजाब बेतार प्रणाली लिमिटेड को नहीं दिया गया। वर्ष 1980 के आखिर में पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय ने संचार नीति बेतार महानिदेशालय को 2500 ट्रांसरिसीवरों की पूर्ति के लिए एक नया टेंडर आमंत्रित किया और सरकार ने जनवरी 1981 में यह निर्णय किया है कि औद्योगिक लाइसेंसिंग और विदेशी सहयोग के दृष्टिकोण से टेंडर के उत्तर में पश्चिम बंगाल दूर संचार उद्योग लिमिटेड (डब्ल्यू० टी० आई० एल०) द्वारा दी गई बोली पर भी विचार किया जाए, बशर्ते उनके मूल्य और डिलीवरी के समय प्रतियोगी हों। यह भी उल्लेखनीय है कि पंजाब बेतार प्रणाली लिमिटेड (पी० डब्ल्यू० एस० एल०) ने इन अति उच्च आवृत्ति के ट्रांसरिसीवरों के निर्माण के लिए जो विदेशी सहयोग प्राप्त किया है उसका स्वरूप शुद्धतः तकनीकी सहयोग का है और इसमें विदेशी इक्विटी (साम्यापूँजी) नहीं लगी है और संयुक्त राज्य अमेरिका की मेसर्स रेपको नामक सहयोगी फर्म कोई बहूराष्ट्रिक कम्पनी नहीं है बल्कि वह एक मध्यम आकार वाली अमरीकी कम्पनी ही है। जहां तक नागर विमानन वायुसेना तथा अन्य प्रयोगकर्त्ताओं के लिए उच्च आवृत्ति सिंगल बैंड ट्रांसमीटरों और ट्रांसरिसीवरों के निर्माण के लिए पंजाब बेतार प्रणाली लिमिटेड (पी० डब्ल्यू० एस० एल०) द्वारा किए गए तकनीकी सहयोग का सम्बन्ध है, यह भी एक ऐसा तकनीकी सहयोग है जिसमें कोई विदेशी साम्यापूँजी नहीं है और सहयोगकर्त्ता फर्म अर्थात् संयुक्त राज्य अमेरिका की मेसर्स हेरिस फर्म भी बहुराष्ट्रिक कम्पनी नहीं है। किन्तु पश्चिम बंगाल दूर संचार उद्योग लिमिटेड के मामले में 40 प्रतिशत इक्विटी (साम्यापूँजी) मेसर्स पीको इलेक्ट्रिकल्स तथा इलेक्ट्रानिक्स नामक कम्पनी के पास है जो मेसर्स फिलिप्स (हालैन्ड) नामक बहुराष्ट्रिक कम्पनी की सहायक कम्पनी है।

मशीनों के प्रयोग के परिणामस्वरूप ग्रिन्डलेज बैंक में विवाद

*635. **श्री आरिफ मोहम्मद खां** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रिन्डलेज बैंक तथा उसके कर्मचारियों के बीच कतिपय कार्यों में मशीनों के प्रयोग और उसके परिणामस्वरूप स्थायी कर्मचारियों के हटाये जाने से सम्बन्धित कोई विवाद बकाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त विवाद निपटाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी,हां ।

(ख) और (ग) : यह विवाद, अन्य बातों के साथ साथ भारत में ग्रिडलेज बैंक लिमिटेड के कार्यालयों और शाखाओं में मशीनों के प्रयोग के कार्यक्षेत्र से संबंधित है और फरवरी, 1980 में इसे राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण को भेजा गया था, जिनके पंचाट की प्रतीक्षा की जा रही है ।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के इंजीनियरी एककों द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयां

*636. **श्री के० प्रधानी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंजीनियरी एकक कठिन समस्याओं का सामन कर रहे हैं और एकीकृत इस्पात संयंत्रों अपेक्षित इस्पात सामग्री न मिलने के कारण वे अपन उत्पादन कम करने को बाध्य हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) एकीकृत इस्पात संयंत्रों द्वारा उत्पादन दिये जाने वाले बिक्री योग्य इस्पात के उत्पादन में कमी आई है । उत्तर पूर्व क्षत्र इंजीनियरी एककों पर इस सामान्य कमी का तथा क्षेत्र में होने वाली खास परिवहन सम्बन्धी कठिनाईयों का प्रभाव पड़ता है । उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में अपेक्षित माल की उपलब्धता बढ़ाने के कदम उठाए गए हैं तथा वर्ष 1981-82 में संभरण बढ़ा देने की योजना बनाई गई है ।

सरकारी सेवा में अनुसुचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सम्बन्ध में भर्ती/पदोन्नति नियमों पर पुनर्विचार

*637. **श्री भीखा भाई** :क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार जानती है कि सरकारी सेवा और सरकारी उपक्रम में अनुसुचित जाति तथा अनुसुचित जनजाति के प्रतिनिधित्व संबंधी भर्ती / पदोन्नति के नियमों पर, सरकार नौकरियों में भारी कमी और पीछे के बकाया रहे प्रतिनिधित्व की दृष्टि से, समग्र रूप से पुनर्विचार की आवश्यकता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचर स्वतः नियमों पर पुनर्विचार करने का है ;

(ग) क्या सरकार का विचार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के संसद सदस्यों की एक बैठक बुलाने का है ; और

(घ) यदि हां, तो कब ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख) : सरकारी नौकरियं में अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व में कमी मुख्यतः "क" तथा "ख" समूहों में और अनुसूचित जन जातियों के लिए कुल मिलाकर सभी समूहों में है । इस कमी का सम्बन्ध भर्ती/पदोन्नति नियमं में किसी कमी से नहीं है और इस प्रकार इस समय नियमों की कोई व्यापक पुनरीक्षा निर्दिष्ट नहं की जाती है ।

(ग) तथा (घ) : उपर्युक्त (क) तथा (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

कर्नाटक ब्लेड्ज लिमिटेड का आरम्भ किया जाना

*638. **श्री के० मालन्ना** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्नाटक औद्योगिक विकास निगम तथा एशियन केबल्स द्वारा एक गैर सरकारी फर्म कर्नाटक ब्लेड्ज लि० को संयुक्त रूप से प्रारम्भ किया गया है।

(ख) यदि हां, तो इसकी उत्पादन क्षमता संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसका कब तक कार्य आरम्भ किए जाने की संभावना है ;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (ग) 1. कर्नाटक इन्डस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड को निम्नलिखित वस्तुएँ बनाने के लिए एक आशय पत्र जारी किया गया था :—

बनाई जाने वाली वस्तु	वार्षिक क्षमता
(1) दो धार वाले सेफिटि रेजर ब्लेड्स	150 मिलियन
(2) शेविंग सिस्टम जैसे दो ब्लेडवाली यूनिटें तथा (डिपोजेबल यूनिटें)	20 मिलियन
(3) क. 2 हिस्से वाले धातु के रेजर	0.2 मिलियन
ख. 2 हिस्से वाले प्लास्टिक के रेजर	5 मिलियन
(4) प्लास्टिक के रेजर हेन्डल	5 मिलियन

यह परियोजना संयुक्त क्षेत्र में एशियन केबल्स कारपोरेशन लिमिटेड के साथ चालू की जा रही है। तदनुसार ही कर्नाटक, ब्लेड्स लिमिटेड नामक एक कम्पनी बनाई गई है, जिन्हें औद्योगिक लाइसेंस दिया गया है। कर्नाटक स्टेंड इन्डस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एण्ड डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के बताये अनुसार आशा है कि परियोजना में 1982 के शुरू में ही उत्पादन होने लगेगा।

दिल्ली लघु उद्योग विकास निगम में घाटा

5846. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली लघु उद्योग विकास निगम संकट में है ; यदि हां, तो 1 जनवरी, 1981 को इसे कुल कितना घाटा हुआ ;

(ख) क्या वे दिल्ली लघु उद्योग विकास निगम में सेवारत/अवकास प्राप्त अधिकारियों (असैनिक तथा रक्षा कार्मिक दोनों), उनके वेतनमान तथा परिलब्धियां, उनकी नियुक्ति की अवधि तथा उनमें से कितने व्यक्तियों को निशुल्क परिवहन दिया गया, की जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे ;

(ग) दिल्ली लघु उद्योग विकास निगम में "संस्थापना, टेलीफोन, भत्ते, परिवहन आदि" शीर्ष के अन्तर्गत व्यय में कमी करने के लिए क्या कोई उपाय किए गए हैं अथवा किए जा रहे हैं ;और

(घ) यदि हां, तो ब्यौरा क्या है ; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) दिल्ली लघु उद्योग विकास निगम का वर्ष 1976-77 में 1.07 करोड़ रुपये का और वर्ष 1977-78 में 1.15 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। बाद के वर्षों के हिसाब को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) : विभिन्न अनुभागों के कार्यो को सुप्रवाही बनाने सेवा निगम बनाने,उपयुक्त प्रणालियों और प्रक्रियाओं को कार्यान्वित करने, नियंत्रण और जांच करने, वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों के प्रत्यायोजन करने आदि जैसे अनेक प्रशानिक और वित्तीय उपाय किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त, निगम के कारोबार के बढ़ाने के भी उपाय किए गए हैं।

विवरण

क्रम संख्या	नाम और पदनाम	नियुक्ति की अवधि	वेतन और भत्ते	परिलब्धियां, यदि कोई हैं
1.	कर्नल राजकुमार मुख्य अभियंता	रोजगार अवधि निर्दिष्ट नहीं है ।	1800-2250 रुपये के वेतनमान में वेतन तथा निगम के अन्य कर्मचारियों को लागू भत्तों सहित में से पेन्शन को घटाकर	लोकहित में स्टाक गाड़ी प्रदान की जाती है ।
2.	कैप्टन एम० एस० डागर सिक्योरिटी आफीसर	प्रथमवार में छः महीने	700-1300 रुपये के वेतनमान में वेतन जमा सामान्य भत्ते	—वही—
3.	कैप्टन अश्नेक सिक्योरिटी आफीसर	—वही—	—वही—	—वही—
4.	श्री परमानन्द आफिसर आन स्पेशल ड्यूटी	एक वर्ष	1800 रुपये प्रति महीना समेंकित	शून्य

खनन कार्य के पर्यावरण सम्बन्धी और पारिस्थितिक प्रभाव

5847. **श्री हरिहर सोरन :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार खनन कार्य के पर्यावरण सम्बन्धी और पारिस्थितिक प्रभाव का मूल्यांकन करने का है;

(ख) क्या इस मूल्यांकन सम्बन्धी कार्य के लिए कुछ विशेषज्ञों की नियुक्ति करने का विचार है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा इलैक्ट्रानिकी और पर्यावरण विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा खनन और पर्यावरण पर एक कार्यकारी दल 1979 में गठित किया गया था। इस दल की अन्य बातों के साथ-साथ, विचारार्थ विषय इस प्रकार थे—विभिन्न प्रकार की खानों में और उनके आस-पास पर्यावरण की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए रीति विधान का विकास करना और खनिज दोहन के साथ-साथ पर्यावरणीय प्रतिरक्षा के लिए उपायों को समेकित करने के लिए मार्गदर्शक रेखाओं का प्रारुप तैयार करना। इस दल का कार्य पूरा हो चुका है और इसकी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। ग्रुप ने अनुसन्धान और विकास कार्यक्रमों और प्रदर्शन परियोजनाओं सहित कई सिफारिशें की हैं। रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात, जैसा उपयुक्त समझा जाएगा आगे कार्रवाई आरंभ की जाएगी।

(ख) और (ग) विशेषज्ञों की नियुक्ति से सम्बन्धित मामला तभी उत्पन्न होगा जबकि कार्यकारी दल की रिपोर्ट पर विचार कर लिया जायेगा और कार्यान्वयन के लिए कार्य का अन्तिम रूप से फैसला कर लिया जाएगा।

राजगीरी के कार्य में डिप्लोमा पाठ्यक्रम

5848. **श्री एस० बी० सिदनाल :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की कोई योजना राजगीरी के कार्य में डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरु करने की है, जिससे कि कार्य में दक्षता, रोजगार तथा स्तर बनाया जा सके; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आयुध कारखानों के कार्यकरण की समीक्षा के लिए अध्ययन

5849. **डा० कृपा सिन्धु भोई :** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आयुध कारखानों के कार्यकरण की समीक्षा के लिए कोई अध्ययन शुरु किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या निष्कर्ष रहे ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल : (क) जी हाँ।

(ख) आयुध कारखानों के कार्यों की समीक्षा करने के लिए नियुक्त समिति की रिपोर्टें गुप्त प्रकार की हैं इसलिए इसके बारे में कोई विवरण देना लोकहित में नहीं होगा।

मिजोरम के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता

5850. **डा० आर० रोथुआमा :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिजोरम में मकान किराये की बहुत ऊँची दर होने के कारण मिजोरम के सभी ओहदों और पदों के सरकारी कर्मचारियों को अपने मूल वेतन का 40 प्रतिशत से भी अधिक किराये के रूप में देना पड़ता है जिसकी पुष्टि पिछले वेतन आयोग द्वारा पहले ही कर दी गई थी;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का इस सम्बन्ध में कर्मचारियों की कठिनाई को दूर करने के लिए उन्हें मकान किराया भत्ते की कुछ राशि देने पर विचार करने का है;

(ग) क्या पिछले वेतन आयोग ने उन्हें मकान किराया भत्ता देने का सुझाव दिया था ; और

(घ) यदि हाँ, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बड़े व्यापार गृहों द्वारा लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र

5851. **श्री डी० पी० जदेजा :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत कितने और कौन-कौन से बड़े व्यापार गृहों ने वर्ष 1980 के दौरान अपने कारोबार का विस्तार करने के लिये नये लाइसेंस हेतु आवेदन-पत्र दिये हैं; और

(ख) उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) एम० आर० टी० पी० एककों से वर्ष 1980 के दौरान मिले 249 औद्योगिक लाइसेंसों के आवेदनों में से 56 आवेदन पत्र स्वीकृत किए गये व आशयपत्र जारी कर दिये गये थे तथा 88 आवेदन पत्र रद्द कर दिये गये थे। 18 आवेदन पत्र अन्यथा निपटा दिये गये थे तथा 87 आवेदन पत्रों पर विभिन्न स्थितियों में विचार किया जा रहा है।

इन सभी जारी किए गये आशय पत्रों तथा औद्योगिक लाइसेंसों का ब्यौरा इंडियन इन्वेस्टमेंट सेंटर द्वारा निकाले जाने वाले मासिक न्यूजलैटर के परिशिष्ट में प्रकाशित किया जाता है। इनकी

प्रतियाँ संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

मध्य प्रदेश में सीमेंट के खम्भों के लिए
सीमेंट की कमी

5852. **श्री मार्तन्ड सिंह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट की कमी के कारण ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये अपेक्षित सीमेंट के खम्भों के उत्पादन में बाधा पड़ रही है और यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिये मध्य प्रदेश को सीमेंट का स्पेशल कोटा आवंटित करने का है; और

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश सहित देश में सीमेंट की सामान्यतः कमी है तथा इसी कारण सीमेंट के खम्भों का उत्पादन करने सम्बन्धी कुछ काम भी प्रभावित हो सकता है। राज्यों को हर तिमाही में थोक सीमेंट का आवंटन किया जाता है जिसका राज्य सरकारों द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम सहित विभिन्न क्षेत्रों के लिये आगे आवंटन किया जाता है फिर भी राज्य की सीमेंट की आवश्यकता को देखते हुए जनवरी-मार्च 1981 की तिमाही से तिमाही आबंटन को 2 लाख मीट्रिक टन तक बढ़ा दिया गया है। जनवरी से मार्च 1981 की तिमाही में 44,500 मी० टन का अतिरिक्त आवंटन भी कर दिया गया है।

बिक्री-योग्य इस्पात की क्षमता का विस्तार

5853. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग द्वारा गठित इस्पात उद्योग सम्बन्धी कार्यकारी दल ने बिक्री योग्य इस्पात की क्षमता के विस्तार का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि भिलाई तथा बोकारो इस्पात संयंत्रों के विस्तार को सतत योजनाओं में शामिल किया गया हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

योजना तथा श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) जी, हाँ। योजना आयोग द्वारा छठी योजना (1980-85) के निर्माण के सम्बन्ध में स्थापित किए गये लोहा और इस्पात से सम्बन्धित कार्यकारी दल ने एकीकृत इस्पात संयंत्रों में बिक्री योग्य इस्पात की क्षमता का विस्तार करते हुए इसे 1979-80 में 87.29 लाख टन से बढ़ाकर 1984-85 में 113.01 लाख टन करने और 1989-90 तक 181.66 लाख टन करने का सुझाव दिया है।

(ग) और (घ) जी, हाँ। विस्तार स्कीमों के पूर्ण हो जाने पर भिलाई और बोकारो की पिंडक इस्पात क्षमता बढ़ाकर हरेक की 40 लाख टन कर दी जाएगी।

मध्य प्रदेश के नेईला और विलासपुर जिलों में कागज उद्योगों की स्थापना

5854. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक औद्योगिक गृह ने भाखड़ा बाँध के निकट नेईला में और हिमाचल प्रदेश के विलासपुर जिले में लाइसेंस प्राप्त करने के पश्चात कागज/अखबारी कागज के कारखाने स्थापित करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हाँ, तो उन कम्पनियों के क्या नाम हैं; लाइसेंसों को कितनी अवधि के लिए धारण किया गया और इसे किस तारीख को रद्द किया गया तथा कारखाना लगाने से इन्कार करने के क्या कारण थे;

(ग) क्या इस लाइसेंस के धारण की अवधि के दौरान, लाइसेंस की स्वीकृति के नियमों के अनुसार अन्य कम्पनी भी पार्टी कारखाना लगाने की पेशकश नहीं कर सकती;

(घ) यदि हाँ, तो क्या इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई थी और उसका क्या स्वरूप था; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) चूँकि पार्टी योजना को कार्यान्वित नहीं कर सकी थी अतः नेईला टेरेस (तल), भारत के विकास क्षेत्र/विलासपुर (हिमाचल प्रदेश) में नये उपक्रमों की स्थापना के लिए निम्नलिखित पार्टियों को मंजूर किए गए औद्योगिक लाइसेंस आशय पत्रों को गतिसंहृत/रद्द किया गया था।

पार्टी का नाम	औद्योगिक लाइसेंस/ आशय पत्र की संख्या और तिथि	उत्पादन की वस्तु और क्षमता	स्थापना स्थल	प्रति संहरण और रद्द करने की तिथि
1. मै० बल्लारपुर पेपर एण्ड स्ट्रा बोर्ड लि०, (श्रीगोपाल डिवीजन)	औ० ला० सं० एल०/24(2)(2)/एन० यू०/कैमी(1)/61 दिनांक 31-1-61	अखबारी कागज प्रतिवर्ष 60,000 मी० टन क्षमता	नेईला तल (टेरेस), भाखड़ा नाँगल क्षेत्र (हि० प्र०)	27-4-77 को प्रतिसंहृत किया गया।
2. श्री बी०डी० सोमानी	आशय पत्र संख्या 491(76) दिनांक 31-12-76	अखबारी कागज प्रतिवर्ष 25000 मी० टन मैगजिन ग्रेड लाइट कोटेड पेपर 25000 मी० टन प्रतिवर्ष	जिला बिलासपुर (हि० प्र०)	27-3-81 को रद्द किया गया।

(ग) से (ङ) इस प्रकार की परियोजनाओं को अपने हाथ में लेने के इच्छुक दूसरे उद्यमियों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है बशर्ते कि कच्चे माल और अन्य आवश्यकताओं जैसे भूमि, बिजली आदि की लगातार सप्लाई करने के बारे में राज्य सरकार के साथ उनका समझौता हो जाये।

आयुध कारखाना, मध्य प्रदेश में उत्पादन

5855. **श्री शिवकुमार सिंह : क्या रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली के कम उत्पादन के कारण मध्य प्रदेश में आयुध कारखाने में उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हाँ, तो आयुध कारखाना, जबलपुर में पिछले 6 महीनों में कितना उत्पादन हुआ; और

(ग) इन कारखानों के मजदूरों को उस अवधि के लिये कितनी मजदूरी दी गई जिसमें वे बेकार थे ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हाँ ।

(ख) आर्डिनेंस फैक्टरियों के उत्पादन के आंकड़े बताना जनहित में नहीं होगा ।

(ग) सभी कामगार दूसरे कामों पर पूरे समय काम कर रहे थे, अतः बेकारी के समय की कोई मजदूरी नहीं दी गई ।

राष्ट्रीय समेकित चिकित्सा संघ, बम्बई से अभ्यावेदन

5856. **श्री आर० के० महालगी : क्या श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को राष्ट्रीय समेकित चिकित्सा संघ को कर्मचारी राज्य बीमा निगम और चिकित्सा सुविधा परिषद में प्रतिनिधित्व देने के बारे में उपरोक्त संघ से दिनांक 23 सितम्बर, 1980 का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) यदि अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं ।

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी, हाँ ।

(ख) कर्मचारी राज्य बीमा निगम या इसकी चिकित्सा लाभ परिषद में राष्ट्रीय समेकित चिकित्सा संघ को प्रतिनिधित्व देना सम्भव नहीं पाया गया है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड में दैनिक तथा मासिक मजूरी के आधार पर काम करने वाले श्रमिक

5857. **श्री निहाल सिंह : क्या श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान पेट्रोलिगम निगम लिसिटेड में दैनिक मजूरी और मासिक मजूरी के आधार पर काम करने वाले श्रमिकों की संख्या अलग-अलग क्या है; और

(ख) कर्मचारी राज्य बीमा योजना तथा कर्मचारी भविष्य निधि की कितनी राशि इस निगम द्वारा अभी तक जमा कराई गई है और इन खातों की कितनी राशि उसकी ओर बकाया है; और

(ग) बकाया राशि को वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

कर्मचारी चयन आयोग के गोहाटी स्थित उप-क्षेत्रीय कार्यालय को क्षेत्रीय कार्यालय बनाना

5858. **श्री संतोष मोहन देव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्मचारी चयन आयोग के गोहाटी स्थित उप-क्षेत्रीय कार्यालय को क्षेत्रीय कार्यालय बनाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) जी हाँ, श्रीमान्।

(ख) कर्मचारी चयन आयोग के गोहाटी स्थित उप-क्षेत्रीय कार्यालय को 4 फरवरी, 1981 से अपग्रेड किया गया था। गोहाटी के क्षेत्रीय कार्यालय का अध्यक्ष अब क्षेत्रीय निदेशक होगा। क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर पूर्वी क्षेत्र) का अधिकार क्षेत्र असम, मेघालय. मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैण्ड और अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोराम संघ राज्य क्षेत्रों तक है।

सीमेंट का वितरण

5859. **श्री चिरंजीलाल शर्मा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार सीमेंट के वितरण में लगे तथ्यों को समाप्त करने के लिए विभिन्न उपाय करने के बारे में विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भ्रष्ट तत्वों को कहां तक समाप्त किया जा चुका है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (ग) सीमेंट कानूनी रूप से एक नियंत्रित वस्तु है। राज्य सरकारों को शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जा चुका है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत इस प्रकार की शिकायतों से निपटने के लिए सक्षम हैं। राज्य सरकारों को सीमेंट की सरकारी बिक्री और वितरण पर नियंत्रण के लिए प्रभावी योजना लागू करने की आवश्यकता के लिए पहले से ही सलाह दी जा चुकी है। सुझाई गई योजना की आवश्यक बातों में सीमेंट स्टाकिस्टों को वैधानिक रूप से लाइसेंस देता, राज्य सरकारों द्वारा सीमेंट वितरकों की सीधे नियुक्ति करना जिसके परिणामस्वरूप स्टाकिस्टों और उत्पादकों का संबंध-विच्छेद होना, परमिट पद्धति लागू करना और योजना को लागू करने के लिए आवश्यक प्रशासनिक तंत्र का सृजन करना शामिल हैं। यह आशा की जाती है कि इस प्रकार के उपाय करने से सीमेंट के वितरण में भ्रष्टाचार पर प्रभावी रूप से रोक लगेगी।

पटपड़ गंज में उद्योगों की स्थापना

5860. **श्री भोकूराम जैन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पटपड़गंज औद्योगिक बस्ती के विकास के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है ; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर कितना व्यय होने की सम्भावना है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी हां ।

(ख) पटपड़गंज के लिए 9 कार्यशील औद्योगिक बस्तियां स्वीकृत की गई हैं, जिनका ब्यौरा निम्न प्रकार है :

योजना का नाम	स्वीकृत धनराशि
1. घरेलू इलैक्ट्रिकल्स उपकरणों के लिए औद्योगिक बस्ती	45,41,400
2. प्लास्टिक की वस्तुओं के लिए कार्यशील औद्योगिक बस्ती	60,55,300
3. इन्जीनियरी उद्योगों के लिए कार्यशील औद्योगिक बस्ती	45,41,000
4. युवा उद्यमियों के लिए कार्यशील औद्योगिक बस्ती	45,41,400
5. तारों तथा केवलों के लिए कार्यशील औद्योगिक बस्ती	60,55,300
6. इन्स्ट्रूमेन्टेशन के लिए कार्यशील औद्योगिक बस्ती	45,41,400
7. आटो-साइकिल के पुर्जों के लिए सहायक औद्योगिक बस्ती	60,55,000
8. उद्योगों के स्थानान्तरण के लिए औद्योगिक बस्ती प्रथम प्रावस्था	60,55,300
9. उद्योगों के स्थानान्तरण के लिए औद्योगिक बस्ती द्वितीय प्रावस्था	60,55,300
कुल योग :	4,84,41,400

अब तक 160.40 लाख रुपये भूमि पर खर्च किए गए हैं। इसके अतिरिक्त विकास परक कार्य के लिए 37.34 लाख रुपये खर्च किए गए हैं।

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम में सुधार

5861. **श्री के० ए० राजन** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के उपबन्धों में संशोधन करने के लिए कोई कार्यवाही करने पर विचार कर रही है जिसमें बीमारी, दुर्घटना के सभी मामलों में श्रमिकों को पूरी मंजूरी दी जायेगी और अंशदाता श्रमिक के परिवार के सदस्यों को पूरी चिकित्सा सुविधाएं दी जायेंगी ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) : ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है कि बीमारी और रोजगार क्षति के लिए पूरी दैनिक मजदूरी की दर पर नकद अदायगी की जाए। तथापि, निगम इस योजना के अन्तर्गत आने वाले 85 प्रतिशत श्रमिकों के परिवार के सदस्यों को पूरी चिकित्सा सुविधाएं पहले से ही प्रदान कर रहा है। शेष बीमा शुदा श्रमिकों के परिवार के सदस्यों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के प्रश्न पर संबंधित राज्य सरकारों के साथ कार्यवाही की जा रही है।

गैर-सैनिक स्टोर कीपरों की पदोन्नति के अवसरों का अवरुद्ध होना

5862. **श्री अनवार अहमद :**
श्री भीखाभाई :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वायु-सेना के गैर-सैनिक स्टोरकीपरों को पदोन्नति के अवसर (एक) गत 10 वर्षों में लड़ाकू (वायु-सैनिकों) और स्टोरकीपरों के बीच 80:20 के अनुपात में उनके कैडर में कोई उपयुक्त भर्ती न किए जाने, (दो) गैर-सैनिकों तथा लड़ाकू (वायु-सैनिकों) से सम्बन्धित दोनों सेवाओं की तुलना में उनके लिए पदोन्नति के किन्हीं अवसरों के उपलब्ध न होने के कारण एकदम अवरुद्ध हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं तथा इस कठिनाई को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) एक ही ट्रेड के वायु-सैनिकों (उपस्कार सहायक) और सिविलयन स्टोरकीपरों की भर्ती 80:20 के अनुपात में की जाती है। इस कार्य के लिए भारतीय वायुसेना में इस ट्रेड में आने वाली सभी स्थापनाओं को ध्यान में रखा जाता है। इस संवर्ग में पांच ग्रेड हैं और विभिन्न ग्रेडों में पदों का प्रतिशत इस प्रकार है :—

वरिष्ठ स्टोर अधीक्षक	— 10
स्टोर अधीक्षक	— 15
सीनियर स्टोरकीपर	— 30
स्टोरकीपर	— 30
सहायक स्टोरकीपर	— 15

इसके अतिरिक्त, सिविलियन स्टोरकीपरों को ग्रुप "क" और "ख" पदों पर भी पदोन्नत किया जा रहा है और ये पद राजपत्रित हैं। इस प्रकार भारतीय वायुसेना में सिविलियन स्टोरकीपरों के लिए पदोन्नति का पर्याप्त अवसर है और इनकी स्थिति भारतीय वायुसेना में अन्य ट्रेडों के वायुसैनिकों तथा सिविलियनों के अनुपात की तुलना में काफी अच्छी है।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

मुरादाबाद के दंगों की न्यायिक जांच

5863. **श्री रामविलास पासवान :**
श्री जी० एम० बनातवाला :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सभा में आश्वासन दिया था कि मुरादाबाद की घटनाओं की जांच करने के लिए उच्च-न्यायालय के एक न्यायाधीश की नियुक्ति की जायगी ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए अब तक न्यायाधीश नियुक्त न किये जाने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) : उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 13 अगस्त, 1980 को मुरादाबाद में हुई घटनाओं की जांच पड़ताल करने के लिए एक जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अधीन एक जांच आयोग नियुक्त किया था। इसके पश्चात् साम्प्रदायिक दंगों के बारे में एक प्रस्ताव पर 3 दिसम्बर, 1980 को लोकसभा में हुई बहस के उत्तर में केन्द्रीय गृह मंत्री ने माननीय सदस्य द्वारा दिये गए सुझाव के संबंध में कहा था कि मैं मुख्य मंत्री से यह अनुरोध करूंगा कि वे जाँच आयोग की अध्यक्षता करने के लिए एक उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश को नामांकित करने के लिये उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करें। तदनुसार, केन्द्रीय गृह मंत्री ने इस संबंध में उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री से कहा। इस पर मुख्य मंत्री ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा और यह अनुरोध किया कि वे 13 अगस्त, 1980 को मुरादाबाद में हुई घटनाओं के संबंध में जांच आयोग की अध्यक्षता करने के लिए उच्च न्यायालय के किसी कार्यरत न्यायाधीश को नामांकित करें। उत्तर प्रदेश सरकार से उपलब्ध हुई सूचना के अनुसार माननीय मुख्य न्यायाधीश के अन्तिम उत्तर की अभी प्रतीक्षा है। राज्य सरकार ने संकेत किया है कि किसी कार्यरत न्यायाधीश की सेवाएं प्राप्त करने के लिए मामले पर सक्रिय रूप से कार्यवाही की जा

रही है और उच्च न्यायालय के किसी कार्यरत न्यायाधीश की सेवाएं उपलब्ध होते ही जांच पड़ताल आरम्भ कर दी जाएगी ।

केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा की संवर्ग पुनरीक्षा

5864. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा की संवर्ग-पुनरीक्षा पिछली बार सभी मंत्रालयों में कब की गई थी ;

(ख) क्या सरकार ऐसा पुनः करने की आवश्यकता महसूस करती है ;

(ग) यदि हां, तो ऐसी पुनरीक्षा कब तक पूरी किये जाने की संभावना है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) वर्ष 1979 में ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) चूंकि केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा की संवर्ग पुनरीक्षा सम्पूर्ण सचिवालय के आधार पर केवल वर्ष 1979 में ही की गई थी, इसलिए दूसरी पुनरीक्षा इतनी जल्दी नहीं की जा सकती ।

बिहार और पश्चिम बंगाल में हरिजनों और आदिवासियों पर अत्याचार

5865. **श्री ए० के० राय** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष विहार और पश्चिम बंगाल राज्यों से संसद सदस्यों ने हरिजनों और आदिवासियों पर अत्याचारों के कितने मामले भेजे हैं ;

(ख) राज्य सरकार से जांच के बाद ऐसे कितने मामलों में अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ग) क्या यह सच है कि हरिजनों और आदिवासियों पर अत्याचार के जो मामले रिपोर्ट देने हेतु राज्य सरकारों को भेजे जाते हैं उनमें से अधिकांश की केवल प्राप्ति स्वीकार की जाती है उनका उत्तर नहीं दिया जाता ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) : विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है ।

(ग) संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों को पहले औपचारिक पावती भेजी जाती है और उसके

बाद उचित कार्रवाई के पश्चात अन्तिम उत्तर भेजा जाता है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

(क) और (ख) :—गत वर्ष बिहार और पश्चिम वंगाल राज्यों से संसद सदस्यों द्वारा भेजे गये हरिजनों और आदिवासियों पर अत्याचारों के मामलों की संख्या और ऐसे मामलों की संख्या जिनमें राज्य सरकार से जांच के बाद अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, का विवरण ।

क्र० सं०	राज्य	संसद सदस्यों द्वारा भेजे गये हरिजनों और आदिवासियों पर अत्याचारों के मामलों की संख्या	राज्य सरकारों से जांच के बाद प्राप्त अन्तिम रिपोर्ट के मामलों की संख्या
1.	विहार	57	29
2.	पश्चिम बंगाल	3	3

मैसर्स प्रवीण कम्पनी, नाथद्वारा राजस्थान के कर्मचारियों की कर्मचारी भविष्य निधि मथा कर्मचारी राज्य बीमा योजना की बकाया राशि

5866. **श्री रामसिंह शाक्य** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स प्रवीण एण्ड कम्पनी गुरपुरा, नाथद्वारा, राजस्थान और 148/62 कवेला क्रास लेन वम्बई 2 की ओर कर्मचारी राज्य वीमा योजना की मद में भारी राशि बकाया है ; और

(ख) यदि हां, तो इन कम्पनियों की स्थापना से लेकर इनकी ओर कितनी राशि बकाया है ; और

(ग) वकाया राशि वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) यह सूचित किया गया है कि ऐसे कोई प्रतिष्ठान न तो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 और न ही कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत आते हैं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

छतरपुर में रक्षा विभाग की इमारत का क्षतिग्रस्त होना

5867. **श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी** : क्या रक्षा मंत्री यह वताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नव गांव छतरपुर में रक्षा विभाग की करोड़ों रुपयों की एक बहुत बड़ी इमारत क्षतिग्रस्त हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्पत्ति को बचाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं और क्या उसके कुछ भाग किराए पर दिये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उसके कितने भाग को उपयोग में लाया जा रहा है और उसके शेष भाग को उपयोग में लाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी नहीं। नवगांव छतरपुर में दो जीर्ण अस्तबलों के अलावा रक्षा विभाग के लगभग 125 भवन सेना के पास हैं। इन सभी भवनों का अंकित मूल्य 15 लाख रुपये है। यह कहना ठीक नहीं कि वे निरन्तर बहुत क्षतिग्रस्त होते जा रहे हैं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता। इनमें से किसी भी भवन को किराए पर नहीं दिया गया है।

(ग) दो पुराने अस्तबलों को जीर्ण होने के कारण इस्तेमाल में नहीं लाया जा रहा। अन्य सभी भवनों पर कब्जा है और उनका उपयोग किया जा रहा है।

अन्तर्राज्यीय डकैत गिरोह

5868. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली में कार्यरत अन्तर्राज्यीय डाकू गिरोह का सफाया करने के लिए हाल के महीनों में कोई सुचारु समुचित योजना तैयार की गई है और लागू की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके अनुसरण में गत तीन महीनों के दौरान उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन महीनों के दौरान डाकुओं और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ों का ब्यौरा क्या है और इस अवधि के दौरान कितने डाकू पकड़े गये/मारे गये ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) : अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

औद्योगिक एकाधिकार गृहों की वृद्धि

5869. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थिक विकास संस्थान द्वारा किए गए अध्ययन से यह निष्कर्ष निकला है कि सरकार की औद्योगिक एवं लाइसेंस देने संबंधी नीतियां भारत की औद्योगिक एकाधिकार में विकास में बढ़ते असन्तुलन को नियंत्रित करने में असफल रही है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि केवल बिड़ला तथा टाटा ने कुल परिसम्पत्तियों में अपने शेयर को 40 प्रतिशत तक और प्रदत्त पूंजी को 41 प्रतिशत तक बढ़ाया है जोकि पिछले एकाधिकार आयोग द्वारा बताई गई वृद्धि से बहुत अधिक वृद्धि है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन्हीं उद्योगपतियों को 34 वस्तुओं में 25 प्रतिशत तक और आगे स्वतः विकास करने के विकल्प की अनुमति दी गई है ; और

(घ) यदि हां, तो एकाधिकार तथा भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक शक्ति के संकेन्द्रण को नियन्त्रित करने से संबंधित सरकार की पहले की नीतियों का क्या हुआ ;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (घ) उल्लिखित अध्ययन श्री एन० एस० सिद्धार्थन, इन्स्टीट्यूट आफ इकानामिक ग्रोथ के रीडर द्वारा किया गया है। जो निष्कर्ष उन्होंने निकाले हैं उसमें से एक यह है कि औद्यौगिक नीति के उद्देश्यों की घोषणा किए जाने के बावजूद अर्थात् अलीगोपोली (कुलतंत्राधीन उद्योग समूह वाले) कंपनियों की एकाधिकारी तथा विस्तारवादी अवरोधक नीतियों को प्रतिबंधित करने के बावजूद मिलीजुली एकाधिकारी कंपनियां धीमी गति से बढ़ती ही रही हैं जब कि मिलीजुली अलीगोपाली नीति तेजी से बढ़ती है। उनके निष्कर्षों के अनुसार इन मिलीजुली कंपनियों द्वारा किया गया निवेश सरकारी औद्योगिक तथा लाइसेंसिंग नीतियों के घोषित उद्देश्यों से भिन्न रहा है, लेखक ने आगे यह बात भी मान ली है।

मिलीजुली एकाधिकारी कंपनियों की प्रतिवर्धनकारी नीति तथा मिलीजुली अलीगोपाली कंपनियों की विस्तारवन्दी नीति के एक ही साथ एक समान नीति से निपटा नहीं जा सकता है किंतु फिर भी प्रतियोगिता पूर्ण बाजार में जहां निवेश संबंधी निर्णय लाभप्रदता की दृष्टि से प्रभावित होते हैं, निवेश तथा मिलीजुली कंपनियों द्वारा किए गए उत्पादन को विनियमित करने में औद्योगिक तथा मूल्य नीतियां कमीवेश सफल ही रही हैं।

स्वयं लेखक द्वारा यह भी कहा गया है कि उसके अध्ययन की निम्नलिखित बहुत सी सीमाएं हैं :—

(1) आंकड़ों संबंधी सीमाएं ;

(2) ईक्वेशनों का अनुमान लगाने में प्रयुक्त सांख्यिकीय टूलों संबंधी सीमाएं।

(3) भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप उपधारणाओं पर आधारित विकास की यथार्थ स्थिति (माडल) संबंधी कठिनाइयां।

लेखक ने आगे यह भी बताया है कि विभिन्न बाजारों में असम्बद्ध उत्पाद तैयार करने वाली बहु-उत्पादवाली बहुराष्ट्रिक कंपनियां विद्यमान हैं जिनका वर्गीकरण करना व निवेश का पता लगाना कठिन है, आंकड़ों की विश्वसनीयता भी संदेह है तथा रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने जो आंकड़े दिये हैं और जिन पर उसमें विश्वास व्यक्त किया है उसमें परिवर्तन की समस्या विद्यमान है, कुछ विशेश प्रकरणों में यह भी हो सकता है कि परिसंपत्तियों की मूल वृद्धि से यह अर्थ नहीं है कि इस अवधि में निवेश किया ही गया है अपितु संगत विधान के अन्तर्गत ही विशेष धारा के अधीन केवल पूनर्मू-

ल्यांकन ही कर दिया गया है। अंततः लेखक बाजार दर की गणना करते समय केवल रिजर्व बैंक द्वारा दिये गये आंकड़ों पर ही निर्भर करता रहा है जिन आंकड़ों में नई अतिरिक्त कंपनियों के बन जाने से हर पांच वर्षों में परिवर्तन (फर्मों की नमूनागणना) होता रहा है तथा कंपनियों में 80 प्रतिशत ऐसी ही है। उसके द्वारा दिया गया औचित्य मुख्यतः उसकी स्वतः प्रेरणा द्वारा बताया गया है। उसने माना है कि उसके सभी अध्ययनों की यह एक सीमा रही है और वर्तमान अध्ययन भी इसका अपवाद नहीं है।

इन परिस्थितियों में सरकार मात्र एक शैक्षिक अध्ययन पर आगे और कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती है क्योंकि नीति बनाने हेतु इससे कोई उपयोगी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है।

जहां तक स्वतः विकास करने की बात है, अन्य कम्पनियों के साथ परिशिष्ट। के उद्योगों के लिये इसकी अनुमति दे दी गई है।

क, ख और ग वर्ग के राज्यों के लिए सरकारी प्रयोजनों हेतु हिन्दी का प्रयोग

5870. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1980 में क, ख और ग वर्ग के राज्यों के लिए सरकारी प्रयोजनों हेतु किए गए हिन्दी के प्रयोग की प्रतिशतता क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) :

राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए क, ख और ग क्षेत्रों में स्थित केन्द्र सरकार के कार्यालयों के लिए प्रतिवर्ष अलग अलग कार्यक्रम बनाए जाते हैं और विभिन्न मदों के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। वर्ष 1980 के कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों के लिए मुख्य लक्ष्य यह थे :—

1. जिन कार्यालयों में देवनागरी का एक भी टाइपराइटर नहीं है उनमें देवनागरी का कम से कम एक टाइपराइटर अवश्य रखा जाए। यह भी प्रस्ताव किया गया कि क क्षेत्र में स्थित कार्यालय वर्ष में खरीदे जाने वाले कुल टाइपराइटों के कम से कम 50%, ख क्षेत्र में स्थित कार्यालय 25 प्रति० और ग क्षेत्र में स्थित 10% देवनागरी टाइपराइटर खरीदें।

2. राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) में उल्लिखित सामान्य आदेश आदि द्वभाषी रूप में जारी किए जाए।

3. सभी क्षेत्रों में हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिए जाएं।

4. विभिन्न मंत्रालयों विभागों और "क" श्रेत्र में स्थित कार्यालयों के बीच 66प्र०, "ख" श्रेत्र में स्थित कार्यालयों में 30प्र०, तथा "ग" क्षेत्र में स्थित कार्यालयों में 10प्र०पत्राचार हिन्दी में किया जाए।

5. सभी क्षेत्रों में स्थित सरकारी कम्पनियों तथा निगमों को यह सुझाव दिया गया कि वे हिन्दी न जानने वाले कर्मचारियों के लिए हिन्दी के प्रशिक्षण, देवनागरी टाइपराइटर तथा जरूरत के मुताबिक हिन्दी पदों की व्यवस्था करें।

क, ख और ग क्षेत्रों में केन्द्र सरकार के छोटे बड़े हजारों कार्यालय स्थित हैं और प्रत्येक कार्यालय से प्रतिशत आंकडे एकत्र करना न तो व्यवहारिक है और न ही इस प्रकार की विस्तृत जानकारी एकत्र करने पर लगने वाला समय और प्रयास उद्दिष्ट प्रतिफल के अनुरूप होगा। तथापि, वार्षिक कार्यक्रम की विस्तारपूर्वक समीक्षा विभिन्न स्तरों पर गठित हिन्दी सलाहकार समितियों एवं राजभाषा कार्यान्वयन समितियों द्वारा की जाती है और राजभाषा के प्रगामी प्रयोग बढ़ाने के लिए इन समितियों द्वारा उचित प्रबंध किए जाते हैं और आवश्यकतानुसार निदेश दिए जाते हैं। इस प्रकार की लगातार एवं बहुस्तरीय समीक्षा के फलस्वरूप सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग के बारे में उत्तरोत्तर प्रगति हो रही है।

"टू" मिनिस्टर्स इन असम आर फारेनर्स" शीर्षक समाचार

5871. **प्रो० अजित कुमार मेहता :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 जनवरी, 1981 के "सन्डे स्टैण्डर्ड" में प्रकाशित "टू मिनिस्टर्स इन असम आर फारेनर्स" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां. श्रीमान्।

(ख) सारा मामला उपयुक्त कार्रवाई के लिए राज्य सरकार के विचाराधीन है फिर भी समाचार में बताए गए अनिरुल इस्लाम नाम का कोई विधायक नहीं हैं।

राजस्थान में घटिया सीमेंट

5872. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन:** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में सीमेंट के कितने कारखाने हैं और 1979-80 और 1980-81 में उनमें कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) क्या उनके विभाग ने इन कारखानों में निर्मित सीमेंट के स्तर का किन्हीं विशेषज्ञों द्वारा परीक्षण करवाया है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ;

(ग) क्या विभाग का संबंधित केन्ट्रोलर, बाड़मेर जिले को गत दो वर्षों से लगातार केवल जे० के० ब्रांड सीमेंट आवंटित करता रहा है जो उक्त जिले के प्रति उसकी घोर उपेक्षा दर्शाता है ; और

(घ) क्या बाड़मेर जिले को गत दो वर्षों के दौरान सीमेंट का आवंटन दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाएगा ;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) वर्तमात में राजस्थान में 6 कारखाने हैं जिनमें से मोरक में एक कारखाने में 11 मार्च, 1981 से वाणिज्यिक उत्पादन

होना आरंभ हो गया है। 1979-80 और 1980-81 (जनवरी, 81 तक) के दौरान शेष 5 कारखानों का उत्पादन निम्न प्रकार है :—

	मी० टन
1979-80	26,11,789
1980-81 (अप्रैल से जनवरी 81)	15,22,968

(ख) जी, हां। राज्य में 5 सीमेंट कारखानों से किस्म परीक्षण हेतु नमूने लिए गये थे। उदयपुर, चितौड़गढ़,निम्वाहेड़ा तथा लखेरी में स्थापित 4सीमेंट कारखानों के वारे में परीक्षण परिणाम प्राप्त हो गए हैं जिससे पता चला है कि आमतौर से इन कारखानों से प्राप्त नमूने विर्धारित आई० एस० आई० विशिष्टियों के अनुरूप हैं। सवाई माधौपुर में स्थापित सीमेंट कारखाने के बारे में परीक्षण परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ग) और (घ) : राजस्थान सरकार की सिफारिशों पर बाड़मेर जिले को पिछले दो वर्षों से जे० के० निम्वाहेड़ा से सीमेंट दिया (रिलीज) जाता रहा है। वर्ष 1979 और 1980 के दौरान बाड़मेर जिले को किया गया सीमेंट का आवंटन और प्रेषण निम्न प्रकार है :—

वर्ष	आवंटन	(मी. टनों में) प्रेक्षण
1979	4,000	4,000
1980	4,250	2,852

लद्दाख में आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए दल

5873. **श्री चित्त बसु :** क्या **योजना मंत्री** यह लताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री को हाल ही में लद्दाख के लोगों से कोई ज्ञापन मिला है जिसमें यह मांग की गई है कि लद्दाख में आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने और समाधान सुझाने के लिए केन्द्रीय दल नियुक्त किया जाय ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रक्रिया है ?

योजना तथा श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां।

(ख) देश कुछ अन्य भागों के समान ही इस क्षेत्र में जिन अन्तरों को पूरा किया जाना है और जिन समस्याओं को हल किया जाना है वे अनेक हैं। परन्त् राज्य सरकार द्वारा इन सभी को एकदम हल नहीं किया जा सकता। इस संदर्भ में क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य में प्राथमिकताओं के अधिक्रम का सावधानीपूर्वक निर्धारण और उनका उचित समय प्रावस्थाभाजन महत्वपूर्ण है।

सी० ओ० डी० दिल्ली में श्री रामल दास, बढ़ई की मृत्यु

5874. **आर० पी० यादव :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी० ओ० डी० दिल्ली में श्री रामल दास, बढ़ई की मृत्यु के बारे में अधिकारियों ने कोई जांच की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और रिपोर्ट के आधार पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या यह सच है कि उनके टोकन नम्बर 360 पर नियमों के अन्तर्गत जब कोई कर्मचारी छुट्टी के पश्चात डिपो से प्रस्थान करता है तो उस समय लगाई जाने वाली मोहर नहीं लगी हुई थी; यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) एक स्टाफ जांच अदालत इस मामले की जांच कर रही है। इस अदालत की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) टोकन पर मोहर नहीं लगाई गई क्योंकि नियमों के अनुसार ऐसा करने की आवश्यकता नहीं थी।

कर्मचारी भविष्यनिधि संगठन, दिल्ली के क्षेत्रीय कार्यालय का स्थानान्तरण

5875. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा :**

श्री धर्मदास शास्त्री :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी भविष्यनिधि संगठन, दिल्ली के कार्यालय को तीन वर्ष के भीतर दो बार स्थानान्तरित किया गया है और इसका मासिक किराया 7000 रुपये से बढ़ाकर 22,000 रुपये कर दिया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस कार्यालय को इसके 11/10, पूसा रोड, नई दिल्ली वाले पुराने भवन से मात्र 50 गज की दूरी पर ऊँचे किराये पर स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है ; जबकि फरवरी, 1980 में स्थानान्तरण के समय यह भवन काफी कम किराये पर उपलब्ध था ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) :

कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकरणों ने निम्नलिखित सूचित किया है।

(क) पिछले तीन वर्षों के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली को दो बार स्थानांतरित किया गया था, प्रथम अवसर पर किराया 7,249/- रुपये से बढ़ाकर 23846/- रुपये कर दिया गया

और दूसरे अवसर पर किराया 23,846/- रुपये से बढ़ाकर 52,325/- रुपये कर दिया गया। यह कुछ अंश तक अतिरिक्त स्थान को किराये पर लेने के कारण और कुछ अंश तक आवासीय क्षेत्र से वाणिज्यिक क्षेत्र में कार्यालय को स्थानांतरित करने से किराये में वृद्धि के कारण हुआ।

(ख) राजेन्द्र प्लेस में एक भवन को किराये पर लेने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। सितम्बर, 1979 में, राजेन्द्र प्लेस में स्थान के लिए 4.75 रु० प्रति वर्ग फुट की दर से पदमा टावर्स से प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया गया क्यों कि नेहरू प्लेस में कम किराए पर स्थान उपलब्ध था, जहां अन्ततः क्षेत्रीय कार्यालय स्थानान्तरित किया गया था।

(ग) स्टाफ में वृद्धि स्थान की अपर्याप्तता और अधिक केन्द्रीय स्थान की मांग कुछ ऐसे तत्व हैं जिन्हें ध्यान में रखा जाता है।

आसूचना ब्यूरो के कर्मचारियों के विवाद

5876. **श्री जार्ज फर्नान्डीस** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसूचना ब्यूरो के कर्मचारियों तथा प्रशासन के बीच चल रहे विवादों का निपटारा हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो समझोते की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) आसूचना ब्यूरो के कर्मचारियों तथा प्रशासन के बीच कोई विवाद नहीं है।

(ख) : प्रश्न नहीं उठता।

न्यूक्लियर वेस्ट पर नियंत्रण रखने सम्बन्धी योजनायें

5877. **श्री सुभाषचन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अणु-अवशोष (न्यूक्लियर वेस्ट) पर नियंत्रण रखने सम्बन्धी कोई योजना तैयार की है ; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा इलैक्ट्रानिकी और पर्यावरण विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जी, हाँ।

(ख) गैस के रूप में निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों को रेडियो-सक्रियता से रहित बनाने के लिए उनका शोधन और निस्यंदन किया जाता है। रेडियो-सक्रियता की निम्न तथा माध्यमिक मात्रा से युक्त तरल अपशिष्ट पदार्थों का शोधन रासायनिक अवक्षेपण, वाष्पीकरण, आयन-विनिमय, आदि जैसी अनेक प्रक्रियाओं की सहायता से किया जाता है। तब उन अपशिष्ट पदार्थों को रेडियो-सक्रियता

रहित और तनु बनाकर पर्यावरण में जाने दिया जाता है। बाहर निकल कर जाने वाले इन पदार्थों से निकाले गए सांद्रों को तथा ठोस अवस्था वाले रेडियो-सक्रियता युक्त अपशिष्ट पदार्थों को भूमि के नीचे तैयार किये गये भंडार-कक्षों में कई यंत्रों से बने पात्रों में सुरक्षित ढंग से रख दिया जाता है।

उच्चस्तर की रेडियो-सक्रियता से युक्त अपशिष्ट पदार्थों को आरम्भ में भूमि के नीचे कंक्रीट से बनाये गये भंडार-कक्षों में स्टेनलैस स्टील से बने भंडारण कुंडों में रखा जाता है। इस प्रकार के अपशिष्ट पदार्थों का निपटान अन्तिम रूप से करने की सबसे व्यावहारिक विधि यह होगी कि उन पदार्थों को ठोस बना दिया जाए, ताकि वे अचल बन उन्हें और भी अधिक सुनिश्चित रूप से नियंत्रित रखा जा सके। इस सम्बन्ध में समुचित कार्रवाई की जा रही है।

वर्तमान में भारत ने अपशिष्ट पदार्थों को नियंत्रित रखने की जो स्कीमें अपनाई हुई हैं उनकी तुलना संसार में अन्यत्र कहीं भी अपनाई गई प्रक्रियाओं से की जा सकती है।

असम राइफल्स में दाढ़ी वाले व्यक्तियों की भर्ती

5878. **श्री हरिकेश बहादुर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम राइफल्स में बढ़ी दाढ़ी वाले व्यक्तियों को भर्ती नहीं किया जाता है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) असम राइफल्स में सेना के वर्दी विनियमनों का पालन किया जाता है। उक्त विनियमनों के अनुसार सभी गैर-सिखों के लिए सेना में भर्ती होने से पहले दाढ़ी कटवाना जरूरी है।

कर्मचारी भविष्यनिधि स्टाफ यूनियन, महाराष्ट्र से मांगों सम्बन्धी ज्ञापन

5879. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिसम्बर, 1980 में कर्मचारी भविष्यनिधि स्टाफ यूनियन (महाराष्ट्र) से मांगपत्र युक्त एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हाँ, तो मुख्य माँगें क्या हैं ; और उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी, हाँ।

(ख) कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकरणों ने बताया है कि दिसम्बर, 1980 में कर्मचारी भविष्य निधि स्टाफ यूनियन, महाराष्ट्र, द्वारा उठाई गई मुख्य माँगें निम्नलिखित हैं :—

मांग	वर्तमान स्थिति
(1) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की हैसियत	यह मांग अस्पष्ट है ।
(2) फकीर चन्द समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित न करना	फकीर चन्द समिति की कई सिफारिशों को पहले ही स्वीकार किया जा चुका है समिति की अन्य सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है ।
(3) क्षेत्रीय कार्यालय का संगठनात्मक ढांचा-स्टाफ के प्रशिक्षण के बारे में	प्रशिक्षण योजना पहले से ही लागू की गई है ।
(4) कर्मचारियों के पैटर्न का पुनर्गठन करना	यह वित्त मंत्रालय के एस० आई० यू० के विचाराधीन है ।
(5) स्टाफ की मंजूरी	अक्तूबर, 1980 में निम्नलिखित अतिरिक्त कर्मचारियों की मंजूरी दी गई :— प्रधान लिपिक 20 उच्च श्रेणी लिपिक 95 निम्न श्रेणी लिपिक 60
(6) स्टाफ के लिए क्वार्टर	कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त क्वार्टर बनाने के लिए कार्यवाही शुरू की गई है ।
(7) उप-क्षेत्रीय कार्यालयों को खोलना	केन्द्रीय न्यासी बोर्ड और सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुसरण में उप-क्षेत्रीय कार्यालय गठित किए जा रहे हैं ताकि श्रमिकों को उनके घरों के नजदीक तुरंत सेवा प्रदान की जा सके ।

कृषि श्रमिक के रहन-सहन एवं कार्य की परिस्थितियों का सर्वेक्षण

5880. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में कृषि श्रमिकों के रहन-सहन एवं कार्य की परिस्थितियों का नया सर्वेक्षण करने का है ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं ; और

(ग) उस पर कुल कितना व्यय होगा ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) श्रम ब्यूरो द्वारा कृषि-श्रमिकों के रहन-सहन एवं कार्य दशाओं का नया सर्वेक्षण आयोजित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इसके बाद ग्रामीण श्रम जांचों से सम्बन्धित कार्य को राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा आयोजित पंचवर्षीय दौर, जिसका आरम्भ 1977-78 के दौरान आयोजित इसके 32 वें दौर में हुआ, के साथ समेकित किया जाएगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

देश में अर्द्ध रोजगार प्राप्त और बेरोजगार लोगों का सर्वेक्षण

5881. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में अर्द्धरोजगार अथवा बेरोजगार रहने वाले लोगों की संख्या तथा औसतन कितने दिन अर्द्ध-रोजगार पर अथवा बेरोजगार रहते हैं; को सुनिश्चित करने के लिए एक सर्वेक्षण किया है ;

(ख) बेरोजगारों की संख्या में कमी करने के लिए सरकार द्वारा रोजगार उपलब्ध कराने हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है ; और

(ग) इस उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार नियत की गई सहायता की राशि क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (रा० न० स० सं०) ने राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 32 वें दौर (जुलाई, 1977 जून, 1978) के दौरान रोजगार और बेरोजगारी सम्बन्धी अपना द्वितीय पंचवार्षिक सर्वेक्षण किया। उस सर्वेक्षण में, बेरोजगारी का अनुमान तीन पहलुओं अर्थात सामान्य स्तर साप्ताहिक स्तर और दैनिक स्तर के आधार पर किया गया है। सामान्य स्तर बेरोजगारी का तात्पर्य दीर्घकालिक बेरोजगारी से है। साप्ताहिक स्तर और दैनिक स्तर बेरोजगारी अनुमान मौसमी और अंशकालिक बेरोजगारी तथा अल्प-रोजगार को प्रदर्शित करते हैं। ये अनुमान सर्वेक्षण अवधि के दौरान क्रमशः प्रति सप्ताह और प्रतिदिन बेरोजगार व्यक्तियों की औसतन संख्या प्रस्तुत करते हैं। इस दौर के आंशिक परिणाम, एन० एस० एस० ओ० त्रैमासिक जरनल 'सर्वेक्षण' संख्या 4 के खण्ड 11, में प्रकाशित किए गए हैं। जहाँ तक किसी व्यक्ति के नियोजित या बेरोजगार रहने के औसत दिनों की संख्या का सम्बन्ध है, यह सूचना तभी उपलब्ध होगी, जब उस सर्वेक्षण के विस्तृत ब्यौरे प्रकाशित किए जायेंगे।

(ख) और (ग) योजना के भाग के रूप में विभिन्न क्षेत्रों में प्रारंभ किए गए अनेक विकास कार्यक्रमों द्वारा रोजगार अवसर सृजित किए जाते हैं। अन्य लक्ष्यों के साथ, योजना कार्यक्रमों के लिए परिव्ययों को अन्तिम रूप देते समय बेरोजगारी और गरीबी में कमी के लक्ष्म को भी ध्यान में रखा गया है।

भूमि अधिग्रहण (महाराष्ट्र संशोधन) विधेयक, 1977

5882. **श्री उत्तम राठौड़** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1977 में महाराष्ट्र विधान मंडल द्वारा पारित भूमि अधिग्रहण (महाराष्ट्र संशोधन) विधेयक, 1977 पर राष्ट्रपति ने अपनी अनुमति प्रदान कर दी है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) इसमें नीति सम्बन्धी विभिन्न मामले शामिल हैं और केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों के विचार विमर्श करके मामले की जांच की जा रही है। मामले को राज्य सरकार को वापिस भेजना आवश्यक है। उनके विचार प्राप्त होने पर मामले पर निर्णय लिया जाएगा।

रेल गाड़ियों को चलाने के लिये सौर ऊर्जा का उपयोग

5883. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलगाड़ियों को चलाने के लिए सौर-ऊर्जा का उपयोग करने के सम्बन्ध में किए जा रहे अनुसंधान में प्रगति हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) सौर ऊर्जा से चलने वाली पहली गाड़ी के कब तक शुरू हो जाने की आशा है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा इलैक्ट्रानिकी और पर्यावरण विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) रेलगाड़ियाँ चलाने के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग पर इस समय कोई विशिष्ट अनुसन्धान कार्य नहीं चल रहा है। बहरहाल, इस क्षेत्र में, सिगनल उपकरणों में सौर काश-वोल्टीय पैनेलों और माड्यूलों के उपयोग की सम्भावना पर अन्वेषण किए जा रहे हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्रमिक कानूनों में संशोधन

5884. **श्री दया राम शाक्य** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान श्रमिक कानूनों, अर्थात व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, कारखाना अधिनियम 1948, मजूरी संदाय अधिनियम, 1936 आदि का संशोधन करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां तो प्रस्ताव क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 और मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 में कुछ संशोधनों पर विभिन्न अवस्थाओं में विचार किया जा रहा है। और संशोधन सम्बन्धी प्रस्तावों के ब्यौरों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है इस समय कारखाना अधिनियम, 1948 में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों को जारी किए गए लाइसेंस

5885. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों को पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कितने औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए और प्रत्येक लाइसेंस के अन्तर्गत किस उद्योग की स्थापना की जानी है ?

(ख) उनमें से कौन कौन से और कितने उद्योग गैर-सरकारी, संयुक्त एवं सरकारी क्षेत्र में हैं ;

(ग) उनके समक्ष अब तक कितने उद्योगों की वास्तव में स्थापना की जा चुकी हैं ;

(घ) इसके क्या कारण हैं कि अन्य उद्योगों की अब तक स्थापना नहीं हुई है; और

(ङ) केन्द्र एवं राज्य सरकारों ने उनकी शीघ्र स्थापना के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) वर्ष 1978 से 1980 में स्वीकृत किए औद्योगिक लाइसेंसों की राज्यवार तथा उद्योगवार संख्या के ब्यौरे को दर्शाने वाले विवरण ० और 2 संलग्न हैं।

(ख) स्वीकृत किए गये कुल लाइसेंस **1978 से 1980**

1188

(०) सरकारी क्षेत्र (केन्द्रीय-।-राज्य)	98
(2) राज्य औद्योगिक विकास निगम	58
(3) निजी क्षेत्र	1032

(ग) से (ड.): जारी किए जाने वाले औद्योगिक लाइसेंस की प्रारम्भिक वैधता 2 वर्ष होती है। औद्योगिक लाइसेंस की वैधता की अवधि प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा पर्याप्त औचित्य के आधार पर

2 वर्ष और वढ़ायी जा सकती है । सामान्यतः एक औद्योगिक लाइसेंस को कार्यान्वित होने में लगभग 3 से 4 वर्ष लग जाते हैं । गत 3 वर्षों में स्वीकृत किए गए औद्योगिक लाइसेंस कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में होंगे और इतने सारे लाइसेन्सों के कार्यान्वयन सम्बन्धी ठीक-ठीक आंकड़े इतनी जल्दी उपलब्ध हो जाने की आशा नहीं है । प्रशासनिक मंत्रालय औद्योगिक लाइसेंसों के कार्यान्वयन की प्रगति पर निगरानी रखते हैं । केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा कच्चा माल वित्तीय बिजली परिवहन आदि जैसी सभी सम्भव सहायता प्रदान की जाती है पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन देने के लिए औद्योगिक विकास बैंक की रियायती पुनर्वित योजना, केन्द्रीय निवेश राज सहायता आयकर राहत, तकनीकी सेवाओं के लिए परामर्श, ब्याज राजसहायता कच्चे माल का आयात राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा रियायती शर्तों पर मशीनों का सम्भरण, परिवहन राजसहायता आदि केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की जाती हैं । किन्तु, एककों की स्थापना के लिए आवश्यक कदम उठाना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है ।

विवरण—1

वर्ष 1978 से 1980 में जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंसों (आई० एल०) के राज्यवार ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	राज्य	1978 (जन०-दिस०) आई० एल०	1979 (जन०-दिस०) आई० एल०	1980 (जन०-दिस०) आई० एल०
1		2	3	4
1	आन्ध्र प्रदेश	17	17	42
2	अण्डमान व नीकोबार	1	—	—
3	आसाम	1	2	5
4	बिहार	12	3	4
5	चण्डीगढ़	1	—	1
6	दादर एण्ड नागर हवेली	—	—	—
7	दिल्ली	6	6	5
8	गोवा दमण व दीव	2	—	2
9	गुजरात	46	48	86
10	हरियाणा	13	16	19
11	हिमाचल प्रदेश	4	1	2
12	जम्मू व कश्मीर	2	2	1
13	कर्नाटक	26	24	40
14	केरल	7	11	11
15	मध्य प्रदेश	8	7	18

1	2	3	4
16 महाराष्ट्र	101	111	107
17 मणिपुर	—	—	—
18 मेघालय	—	—	—
19 नागालेंड	—	—	—
20 उड़ीसा	2	6	8
21 पांडिचेरी	—	—	—
22 पंजाब	9	13	18
23 राजस्थान	10	8	15
24 तमिलनाडु	28	26	37
25 त्रिपुरा	—	—	—
26 उत्तर प्रदेश	26	33	30
27 पश्चिम बंगाल	23	29	30
28 राज्य नहीं बताया गया है	3	2	1
योग	348	365	475

विवरण—2

वर्ष 1978 से 1980 में जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंसों (आई. एल.) के उद्योगवार ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	अनुसूचित उद्योग	1978 (जन०-दिस०) औ० लाइसेंस	1979 (जन०-दिस०) औ० लाइसेंस	1980 (जन०-दिस०) औ० लाइसेंस
1	2	3	4	
1.	धातुकर्मी उद्योग	24	47	56
2.	ईंधन	1	2	1
3.	बॉयलर तथा भाप	—	—	1
4.	प्राइम मूवर्स (इलैक्ट्रीकल जेनरेटरों से भिन्न)	3	3	1
5.	विद्युत उपस्कर	58	52	70
5.	दूरसंचार	3	4	2
.	परिवहन	13	24	14
	औद्योगिक मशीनरी	29	15	26

1	2	3	4
9. मशीन टूल्स	9	5	8
10. कृषि मशीनरी	1	1	3
11. मिट्टी हटाने वाली मशीनें	1	2	3
12. विविध, के० तथा इंजीनियरी उद्योग	11	21	20
13. वाणिज्यिक कार्यालय तथा घरेलू उद्योग उपस्कर	—	1	5
14. चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा सम्बन्धी उपकरण	—	—	—
15. औद्योगिक उपकरण	6	3	11
16. वैज्ञानिक उपकरण	1	—	—
17. मैथेमेटिकल सर्वेइंग तथा ड्राइंग उपकरण	—	—	—
18. उर्वरक	—	6	5
19. रसायन (उर्वरक से भिन्न	52	57	85
20. फोटोग्राफिक रा फिल्में तथा पेपर	—	—	—
21. रंजक पदार्थ	9	10	3
22. औषधियों एवं भेषजें	43	43	61
23. वस्त्र (इनमें रंगे हुए, तथा छपे हुए अथवा अन्य प्रकार से परिष्कृत किए गए वस्त्र भी शामिल हैं)	19	10	8
24. कागज के उत्पादों सहित कागज तथा लुगदी	4	9	16
25. चीनी	14	1	11
26. किण्वन उद्योग	8	5	—
27. खाद्य परिषोधन उद्योग	7	7	18
28. वनस्पति तेल तथा वनस्पति	4	3	8
29. साबून, प्रसाधन तथा अंगराग सामग्री	1	—	1
30. रबड़ की वस्तुएँ	1	3	5
31. चमड़ा, चमड़े की वस्तुएँ तथा पिकर्स	12	12	9
32. ग्लू और जिलेटिन	2	3	—
33. काँच	2	6	2
34. चीनी मिट्टी उद्योग	3	2	3
35. सीमेंट तथा जिप्सम उत्पाद	4	9	15
36. इमारती लकड़ी उत्पाद	2	—	5
37. सुरक्षा उद्योग	—	—	—
38. विविध उद्योग	1	—	—
योग	348	365	475

पता लगाये गये अवैध हथियार कारखाने

5886. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले दो महोनों के दौरान देश के विभिन्न स्थानों पर अवैध हथियारों का निर्माण करने वाली फैक्टरियों का पता लगाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इनकी संख्या क्या है तथा ये कहां कहां पर स्थित हैं ; और

(ग) इन लोगों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) (क) से (ग) :— राज्य सरकारों से से अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी

पशुओं की खाल का उपयोग करने की योजना

5887. **श्री डूमरलाल बैठा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सामान्यत : देश में और खासतौर पर बिहार राज्य में असमय मरने वाले पशुओं की संख्या बढ़ रही है ;

(ख) क्या मरे हुए पशुओं के कंकाल, चमड़े और हड्डियों का उपयोग करने के लिए सरकार के पास कोई योजना है ;

(ग) यदि हां, तो उस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) पशुओं की समल मृत्यु दर का रिकार्ड उपलब्ध नहीं है । किन्तु राज्यवार उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देश में प्रमुख संक्रामक रोगों के कारण पशुओं की मृत्युदर अधिक नहीं है तथा अधिकांश दूसरे राज्वों की तुलना में विहार राज्य में यह दर कम है ।

(ख) से (घ) : सरकार खालों और चामों तथा हड्डियों से बना आहार (वोन मील), मांस आहार तथा चर्बी जैसे उत्पादों के लिए पशु शवों के उपयोग को प्रोत्साहन दे रही है । खादी और ग्रामीण उद्योग बोर्ड, सहकारी समितियों एवं राज्य सरकार के दूसरे संस्थानों द्वारा पशुओं के शवों का उपयोग करने वाले अनेक केन्द्रों को चलाया जा रहा है । वर्तमान में हड्डियों का चूरा हड्डी से बने आहार का उत्पादन करने वाले 300 से अधिक संयंत्र हैं जिनकी वार्षिक क्षमता 1.5 लाख मी० टन है । हड्डी के चूरे के उत्पादन का प्रयोग आंशिक रूप से ओसेइन और जिलेटिन का उत्पादन करने के लिए किया जाता है ।

"नक्सलाइट्स गिव अप लिक्वीडेशन पालिसी" शीर्षक समाचार

5888. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 5 मार्च, 1981 के टाइम्स आफ इन्डिया में "नक्सलाइट्स गिव अप लिक्वीडेशन पालिसी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान देश के विभिन्न राज्यों में नक्सलवादियों की क्या गतविधियां रही हैं ;

(ग) विहार में, किसी स्थान पर 30 जनवरी से 2 फरवरी, 1981 के दौरान "नक्सलवादियों के 13 ग्रुपों के नेताओं की कथित वार्ता" के सम्बन्ध में सरकार को क्या सूचना प्राप्त हुई है ;

(घ) नक्सलवादियों की नीति में यदि कोई परिवर्तन हुआ है तो वह क्या है ; और

(ङ) नक्सलवादियों के प्रति सरकार का क्या रुख रहा है और उनकी वर्तमान नीति क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) नक्सलवादी विभिन्न स्थानों पर हिंसक गतिविधियों में अन्तर्गस्त हैं । इन गतविधियों में हत्या, डकैती, पुलिस और अन्य सरकारी अधिकारियों पर आक्रमण और हिंसा के अन्य कार्य सम्मिलित हैं । उत्पादन को ठप करने और आर्थिक और सामाजिक जीवन के मुख्य साधनों को तोड़ने फोड़ने और प्रशासन को बदनाम करने की दृष्टि से वे विभिन्न संगठनों में घुसपैठ करने की कोशिश करते रहे हैं । वे स्थानीय मुद्दों पर आन्दोलन करने के प्रयत्न करते रहे हैं । वे अपनी विचारधारा को प्रचारित करने के लिए विचार गोष्ठियाँ, जनसभाएँ और सम्मेलन आयोजित करते रहे हैं ।

(ग) सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, यह वैठक कलकत्ता में आयोजित की गई थी, जिसमें वर्तमान राष्ट्रीय स्थिति और क्रांतिकारी ग्रुपों में एकता संबंधी मामलों पर विचार विमर्श किया गया था । बैठक के वाद जारी किए गए पत्र में लोगों ने केन्द्रीय सरकार, और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, आवश्यक वस्तुएँ अधिनियम का विरोध करने और राजनैतिक बन्दियों इत्यादि को रिहाई के लिए संघर्ष तेज करने के लिए कहा गया ।

(घ) सरकार, नक्सलवादियों की मूल नीतियों में किसी प्रकार के परिवर्तन के वारे में अवगत नहीं है ।

(ङ) सरकार नक्सलवादियों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रख रही है । हिंसा या किसी अन्य गैर-कानूनी कार्य में अन्तर्ग्रस्त नक्सलवादियों के विरुद्ध कानून के अन्तर्गत कार्रवाई की जाती है ।

पंजाब को सीमेंट का आबंटन

5889. **श्रीमती गुरबिन्दर कौर वरार :**

श्री रघुनन्दन लाल भादिया :

क्या **उद्योग मंत्री** यह वताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में राज्य की वास्तविक मांग की तुलना में पंजाब को सीमेंट का कुल कितना आबंटन किया गया ;

(ख) क्या यह सच नहीं है कि दूसरे राज्यों की तुलना में राज्य को यह आबंटन बहुत कम था । यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) आगामी वर्षों के दौरान राज्य को इसकी मांग के अनुरूप आबंटन करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) सीमेंट के लिए राज्य सरकार की मांगों को इकट्ठा नहीं किया जाता है किन्तु हाल हीं में पंजाब सरकार ने बताया है कि उनकी प्रति तिमाही सीमेंट की आवश्यकता 4.79 लाख मीट्रिक टन होगीं । पंजाब राज्य को वर्ष 1979 तथा 1980 में निम्न प्रकार से सीमेंट आबंटित किया गया था :—

वर्ष	(आबंटन मीट्रिक टनों में)
1979	9,85,100
1980	9,11,900

(ख) पिछले दिनों हुई खपत के आधार पर तथा सीमेंट की समग्र उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए राज्यों को उनके आधारभूत तिमाही सीमेंट के आबंटन किए जाते हैं तथा इसके अनुसार ही पंजाब राज्य को आबंटन किए गए हैं ।

(ग) सरकार वर्तमान क्षमताओं का वेहतर उपयोग कर, नयी क्षमताओं तथा आयात की स्वीकृति प्रदान कर देश में सीमेंट की उपलब्धि बढ़ाने का हर संभव प्रयास कर रही है । पंजाब राज्य सहित राज्यों को अधिक आवंटन करना देश में उपलब्धि की स्थिति में सुधार होने पर ही संभव हो सकेगा ।

माफिया हत्यारा

5890. **श्री सतोश अग्रवाल** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 2 मार्च, 1981 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि सरकार द्वारा एक माफिया हत्यारे को देश छोड़कर जाने का आदेश देने से पूर्व वह भारत में चार महीने तक रह चुका था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह माफिया हत्यारा ठेके के आधार पर हत्या करने के लिए किसी अन्य देश द्वारा भारत में भेजा गया था ;

(ग) क्या इस व्यक्ति को देश से बाहर निकालने से पूर्व सरकार ने इस बात का पता लगाया था कि क्या एसे और हत्यारे देश में हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो उनके क्या कारण हैं और क्या इस बात का पता लगाने के लिये कि

क्या ऐसे और विदेशी एजेन्टों की गड़बड़ी कराने के लिए भारत में भेजा जा रहा है, "ईटरपोल" की सहायता ली गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (घ) : जी हां, श्रीमान् । इस विदेशी नागरिक की गतिविधियों पर निरंतर निगरानी रखी गई थी और उचित समय पर उसके प्रवास की अवधि समाप्त कर दी गई थी । अभी तक सरकार को यह जानकारी नहीं है कि क्या इस कथित हत्यारे को ठेके के आधार पर हत्या करने के लिए किसी अन्य देश द्वारा भारत भेजा गया था । इसके अतिरिक्त सरकार ऐसी स्थितियों के प्रति सदैव सतर्क रहती है और जहां जरूरी होता है, कार्रवाई की जाती है ।

निर्यात प्रधान उद्योग

5991. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने कितने उद्योगों को निर्यात-प्रधान उद्योगों के रूप में सूची-बद्ध किया है ;

(ख) इन निर्यात-प्रधान उद्योगों के लिए कतिपय रियायतों की घोषणा किये जाने के बाद क्या प्रगति हुई है ;

(ग) देश में भिन्न-भिन्न राज्यों में गतः छः महीनों के दौरान बड़े; मध्यम तथा लघु क्षेत्र में कितने एकक निर्यात-प्रधान उद्योगों के रूप में पंजीकृत किये गये तथा उनके नाम क्या हैं उनकी उत्पादन क्षमता कितनी है और उनमें किन-किन बस्तुओं का उत्पादन होगा ; और

(घ) अगले पांच वर्षों के दौरान इन उद्योगों की अनुमानतः कितनी निर्यात भागीदारी होगी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) निर्यातपरक उद्योगों की कोई विशिष्ट सूची नहीं है । किन्तु 100 प्रतिशत निर्यात के आधार पर विशेष सुविधाएँ देने के लिए ग्राह्य समझे जाने वाले उत्पाद की सोदाहरण सूची सरकार के संकल्प दिनाँक 31 दिसम्बर, 1980 : जिसमें 100 प्रतिशत निर्यात परक एकक योजना का विस्तृत ब्यौरा दिया गया है के अनुबंध में दी गई हैं, जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है ।

(ख) और (ग) : 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख एकक स्थापित करने के लिए अभी तक 40 आवेदन प्राप्त हुए हैं । इन पर विभिन्न अवस्थाओं में विचार किया जा रहा है ।

(घ) इसकी मात्रा बताना संभव नहीं है ।

गोआ के शिक्षित बेरोजगार

5892. **श्री एडुआर्डो फैलीरो** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1980 को गोआ के रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत शिक्षित बेरोजगार युवकों की संख्या क्या है ; और

(ख) इस क्षेत्र में बेरोजगारों की बढ़ती संख्या को देखते हुए छठी पंचवर्षीय योजना के दोरान

रोजगार के अवसर बनाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) उपलब्ध सूचना 31 दिसम्बर, 1980 को गोवा, दमन और दीव के संघ राज्य क्षेत्र के रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर शिक्षित (मैट्रिक और इससे अधिक) नौकरी चाहने वाले व्यक्तियों (जिनमें अनिवार्यतः सभी बेरोजगार नहीं हैं) की संख्या से संबंधित है, जोकि 17,077 थी ।

(ख) गोवा की छठी योजना के परिव्यय को अन्तिम रूप देते समय अन्य बातों के साथ-साथ वर्तमान बेरोजगारी स्थिति को ध्यान में रखा गया है । विभिन्न योजना कार्यक्रमों, विशेषकर (1) समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, (2) 'आपरेशन क्लड || डेरी' विकास कार्यक्रम, (3) फिशिंग फार्मरस' विकास अधिकरण, (4) ग्रामीण और लघु स्तर उद्योग क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम, (5) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, (6) शहरी क्षेत्रों के लिए वातावरण स्वच्छता 'स्लम' सुधार, वृक्ष-रोपण, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए मकान निर्माण आदि, (7) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, (8) स्वयं रोजगार के लिए ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षित करने की राष्ट्रीय योजना और (9) आय अर्जित करने वाले व्यवसायों के सृजन हेतु अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष कार्यक्रमों से रोजगार अवसर सृजित होने की सम्भावना है । राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न योजना कार्यक्रमों से भी संघ राज्य क्षेत्र में रोजगार अवसर सृजित होने की सम्भावना है ।

उड़ीसा द्वारा इंस्टीट्युट आफ फिजिक्स के लिए सहायता की मांग

5893. **श्री लक्ष्मण मलिक :**

श्री चिन्तामणी जैना :

क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने इंस्टीट्यूट आफ फिजिक्स, भुवनेश्वर के लिए केन्द्रीय सहायता की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा इलैक्ट्रानिकी और पर्यावरण विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) परमाणु ऊर्जा विभाग चार वर्ष की अवधि में 20 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा और इसके अंग के रूप में 1980-81 के दौरान इस विभाग द्वारा 2.00 लाख रुपये का सहायतानुदान मंजूर किया गया है । विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने विशिष्ट परियोजनाओं के लिए समर्थन प्रदान करना मान लिया है । 2.65 लाख रुपये के परिव्यय के साथ एक ऐसी परियोजना का अनुमोदन किया गया है । वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद भी योजना के प्रासंगिक व्ययों और अनुसधान स्टाफ के लिए उपकरण अनुदान और व्यय के रूप में 63,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता इस संस्थान की योजना के लिए प्रदान कर रही है ।

मै० हिन्दुस्तान लीवर की अनुज्ञप्त क्षमता

5894. **श्री नवलकिशोर शर्मा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान लीवर लि० की मदवार अनुज्ञप्त क्षमता कितनी है ;

(ख) मदवार वर्तमान उत्पादन कितना है ;

(ग) क्या यह सच है कि प्रत्येक मद में उत्पादन अनुज्ञप्त क्षमता से अधिक हुआ है ;

(घ) यदि हां, तो उसकी अनुमति कैसे दी गई ; और

(ङ) क्या यह भी सच है कि यह सरकार की उस नीति के विरुद्ध है जिसके अन्तर्गत ये मदें लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित की गई हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना : (क) से (ङ) : जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

बिड़ला सीमेंट फैक्टरी, चित्तौड़गढ़ की क्षमता

5895. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावतः** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिड़ला सीमेंट फैक्ट्री, चित्तौड़गढ़ की दैनिक उत्पादन क्षमता कितनी है ;

(ख) क्या यह कारखाना अपनी पूरी क्षमता से काम कर रहा है ;

(ग) क्या इस कारखाने में बनने वाली सीमेंट की किस्म निरन्तर घटती जा रही है ; और

(घ) इसकी किस्म में सुधार करने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) : मैसर्स बिड़ला सीमेंट वर्क्स चित्तौरगढ़ की सीमेंट की लाइसेंस शुदा क्षमता 4 लाख मीट्रिक टन वार्षिक है तथा 1980 के दौरान उनकी क्षमता का 77 प्रतिशत उपयोग हुआ है ।

(ग) और (घ) : इस कारखाने में उत्पादन किए गये सीमेंट की किस्म में निरन्तर गिरावट होने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है ।

अल्पसंख्यक पैनल के विरुद्ध आरोप

5896. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसके अनुसार, अल्पसंख्यक आयोग के भूतपूर्व चेयरमैन ने अल्पसंख्यकों संबंधी उच्चाधिकार समिति द्वारा अल्पसंख्यक आयोग के कार्यों का अतिक्रमण किए जाने के आरोप लगाए हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो किस तरह की शिकायतें की गई हैं और आरोप लगाए गए हैं ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) : अल्पसंख्तक आयोग

और उच्च अधिकार प्राप्त पैनल के विचारार्थ विषय भिन्न भिन्न हैं और एक दूसरे के विचारार्थ विषयों के अतिक्रमण करने का कोई प्रश्न नहीं है। अल्पसंख्यक आयोग; अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है, चाहे वे धर्म पर आधारित हो या भाषा पर। उच्च अधिकार प्राप्त पैनल का गठन प्राथमिक रूप से इस बात को सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि केन्द्र और राज्य दोनों सरकारों की विभिन्न वित्तीय नीतियों का लाभ वास्तव में अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों को मिले।

उत्तर प्रदेश का औद्योगिकरण

5897. **श्रीमती मोहसिना किदवई** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चुने गये प्रत्येक जिले को 50 करोड़ रुपये का आबंटन करके उत्तर प्रदेश का तीव्र गति से औद्योगीकरण करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इन कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है तथा यह राशि किस प्रकार से व्यय की जाएगी ; और

(ग) क्या मेरठ को भी इन कार्यक्रमों में शामिल किया जायेगा ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (ग) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1. उत्तर प्रदेश के औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों का केन्द्रस्थ परियोजनाओं की स्थापना द्वारा तीव्र औद्योगीकरण करने का प्रस्ताव है। पहली प्रावस्था में, राज्य नरकार इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए ओद्योगिक दृष्टि से पिछड़े 7 जिलों को लेगी इसके लिए इन जिलों का आर्थिक-तकनीकी संभाव्यता अध्ययन करने के बाद ही धनराशि का आवंटन किया जाएगा। यह योजना मेरठ जिले पर लागू नहीं होती।

2. किन्तु उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के पास छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) में सारे राज्य के ओद्योगीकरण के लिए अनेक योजनाएं हैं, बड़े और मँझौले ,उद्योगों और खनिज विकास श्रेत्र में शामिल की गई योजनाएं हैं :—

(क) **बड़े और मँझोले उद्योग :**

1. उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम।
2. उत्तर प्रदेश राज्य सीमेंट निगम।
3. पी० आई० सी० यू० पी०।
4. उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम।
5. उत्तर प्रदेश इलैक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन।
6. उत्तर प्रदेश वित्त निगम।

7. औजार कक्ष ।
8. आटो ट्रेक्टर्स लिमिटेड ।
9. भूमि अधिग्रहण ।
10. अवस्थापना विकास ।
11. परीक्षण विकास सुविधाएं ।
12. औद्योगिक जीव्यक्षम/संभाव्यता अध्ययन ।
13. भारी उद्योग अनुभाग का निरन्तर नियोजित अमला ।
14. नोएड़ा ।
15. जेनरेटर सेटों पर राजसहायता ।
16. पर्वतीय विकास निगम ।
17. चीनी उद्योग ।

(ख) खनिज :

1. भू तत्व और खनन निदेशालय ।
2. खनन निगम ।
3. छठी पंचवर्षीय योजना में राज्य सरकारों के पास लघु उद्योगों के विकास के लिए विभिन्न योजनाएँ हैं, जैसे औद्योगिक बस्तियों की स्थापना करना; विकास केन्द्रों की स्थापना करना; विद्युत राज सहायता, ब्याज राज सहायता, परामर्श सम्बन्धी राज सहायता, राज्य पूंजी राज सहायता, के माध्यम से लघु एककों को सहायता तथा रियायतें देना, प्रदर्शिनियों के माध्यम से विपणन सम्बन्धी विकास करना; उत्पादकता में सहायता देना तथा आधुनिकीकरण कार्यक्रम, औद्योगिक बस्तियों की स्थापना करना; निर्यात सम्बन्धी प्रोत्साहन प्रदान करना; कमजोर वर्गों के लिए औद्योगिक सहकारी समितियों/विशेष सहकारी समितियों की स्थापना करना; उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम के माध्यम से कच्चे माल तथा मशीनरी की पूर्ति करना तथा विपणन सम्बन्धी सहायता प्रदान करना; चमड़ा विकास निगम के माध्यम से चमड़ा उद्योग के छोटे कारीगरों को सहायता प्रदान करना; आदि ।

मैसर्स विसलेरी इन्डिया प्राइवेट लिमिटेड

5898. **श्री धमंदास शास्त्री** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स विसलेरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को मूलतः केवल खनिज जल बोतलों में भरने की अनुमति दी गयी थी ;

(ख) क्या बाद में उनको सोडा और लिमका तथा पेपिनों जैसे जायकेदार शीतल पेय बना कर अपनी गतिविधियों का प्रसार करने की अनुमति दी गई थी ;

(ग) यदि हाँ, तो उनको यह अनुमति किन शर्तों पर दी गई थी और यदि नहीं, तो इस कम्पनी ने अपनी गतिविधियों का प्रसार कैसे किया है ; और

(घ) इस विदेशी कम्पनी ने अब सिगार बनाने और बेचने का काम, जो लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित है, कैसे आरम्भ कर दिया है और क्या यह काम सरकार की अनुमति से किया गया है और यदि हाँ, तो किन शर्तों पर ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (घ) अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

अखबारी कागज

5899. **श्री हीरालाल आर० परमार** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान देश में उत्पादित और विदेशों से आयात किए गए अखबारी कागज की मात्रा कितनी है और उपर्युक्त अवधि में अखबारी कागज की कुल माँग कितनी थी ;

(ख) साक्षरता में वृद्धि, समाचार-पत्रों के वितरण में वृद्धि और अधिक पुस्तकों तथा पत्रिकाओं के लिए बढ़ती हुई माँग को देखते हुए, अखबारी कागज केवल उत्पादन में माँग के अनुरूप वृद्धि करने के लिए क्या उपाय किए जाने का विचार है ;

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) वर्ष 1979-80 और 1981 के दौरान अखबारी कागज की कुल आवश्यकता को नीचे दिया जा रहा है :—

	1979-80 (मी० टनों में)	1980-81 (मी० टनों में)
स्वदेशी उत्पादन	47,385	50,000 (अनुमानित)
आयात	3,13,000	3,00,000 (अनुमानित)
कुल आवश्यकता	3,30,000	3,30,000 (अनुमानित)

(ख) और (ग) विद्यमान एकक अर्थात नेशनल न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर मिल्स (जो अपनी क्षमता का 75,000 मी० टन तक विस्तार कर रहा है। के अलावा केरल न्यूजप्रिंट प्रोजैक्ट, (वार्षिक क्षमता 80,000 मी० टन) के जिसका कार्यान्वयन हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन द्वारा किया जा रहा है, 1981-82 में आरम्भ हो जाने तथा मैसूर पेपर मिल्स की अखबारी कागज परियोजना (वार्षिक क्षमता 75,000 मी० टन) के 1982-83 में आरम्भ हो जाने की आशा है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने उत्तर प्रदेश में एक योजना (अखबारी कागज के लिए प्रति वर्ष 20,000 मी०, टन क्षमता) तथा (अखबारी कागज हेतु प्रतिवर्ष 50,000 मी० टन क्षमता वाली) तमिलनाडु में दूसरी योजना की स्वीकृति प्रदान कर दी है।

मध्य प्रदेश में कल्याणगत स्वदेशी मिल द्वारा कर्मचारी भविष्यनिधि का जमा कराया जाना

5900. **श्री फूलचन्द वर्मा** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अधीन मध्य प्रदेश में चल रही स्वदेशी

कल्याणमल और मालदा मिलों ने कर्मचारी भविष्य निधी की लाखों रुपये की राशि जमा नहीं कराई है ;

(ख) यदि हाँ' तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) उपरोक्त में से प्रत्येक मिल की ओर कर्मचारी भविष्य निधी की कितनी राशि कब से बकाया है ; और

(घ) बकाया राशि को वसूल करने के लिए सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है अथवा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) भविष्य निधी प्राधिकारियों द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, 31-12-80 को मैसर्स स्वदेशी काटन और फ्लोर मिल्स, कल्याणमल मिल्स तथा इन्दौर यूनाइटेड मालवा मिल्स, इन्दौर की और निम्नलिखित राशियाँ बकाया हैं :—

मिल का नाम	भविष्य निधि की देय राशियाँ । (रुपये लाखों में)
1. मैसर्स स्वदेशी काटन और फ्लोर मिल्स	13.16
2. मैसर्स कल्याणमल मिल्स	17.93
3. मैसर्स इन्दौर मालवा यूनाइडेड मिल्स	71.02

ये देय राशियाँ रूग्ण कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीय-करण) अधिनियम, 1974 के अधीन अधिकार में लेने और राष्ट्रीयकरण करने से पहले की अवधि के सम्बन्ध में है ।

(घ) क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, मध्य प्रदेश ने देय राशियों को भू-राजस्व की बकाया राशियों के रूप में बसूल करने के लिए बसूली प्रमाण-पत्र जारी किए हैं और कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 के उपबन्धों के अनुसार इन मिलों के निजी प्रबन्ध तन्त्रों के विरुद्ध अभियोजन शिकायतें दायर की हैं, क्योंकि बकाया राशियाँ अधिकार में लिये जाने से पूर्व की अवधि के बारे में थी ।

इन प्रबन्ध तन्त्रों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 406 और 409 के अधीन शिकायतें भी दायर की गई हैं । इन मिलों का राष्ट्रीयकरण करने के परिणामस्वरूप, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने रूग्ण कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1974 के अधीन नियुक्त संदाय आयुक्त के पास पूर्ण बकाया राशियों के सम्बन्ध में पहले ही दावे दायर कर दिये हैं और ये दावे संदाय आयुक्त द्वारा सत्यापन और स्वीकृति के लिये लम्बित पड़े हैं ।

दिल्ली छावनी में दुकानदारों द्वारा बरामदों का अतिक्रमण

5901. **श्री सतीश प्रसाद सिंह** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली छावनी बोर्ड के स्वामित्व वाली किराये पर दी गई दुकानों के सामने वाले बरामदों का किरायेदारों ने अतिक्रमण कर लिया है जिससे ग्राहकों को खास तौर पर गर्मी तथा वर्षा के दिनों में भारी असुविधा एवं कठिनाई होती है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इन बरामदों को खाली कराने तथा साफ कराने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है और कब तक ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) जी हाँ । यह सही है कि दिल्ली छावनी बोर्ड की 62 दुकानों में से 40 के सामने बरामदों को किरायेदारों ने 20 वर्ष से भी ज्यादा समय से घेर रखा है । छावनी बोर्ड ने दुकानों का किराया बढ़ाकर उन्हें नियमित कर दिया था । छावनी बोर्ड इसके लिए सक्षम प्राधिकारी है । शेष 22 दुकानों के बरामदों को भी काफी समय पहले बन्द कर दिया गया था । सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि अप्राधिकृत कब्जा करने वाले व्यक्तियों से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जाएँ ।

मध्यप्रदेश उद्योगों की स्थापना के लिए विश्व बैंक के विशेषज्ञ दल द्वारा दौरा

5902. **श्री कमल नाथ** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक के एक विशेषज्ञ दल ने नगर विकास की प्रस्तावित योजनाओं के मूल्यांकन के लिए मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों का दौरा किया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि विश्व बैंक इस राज्य के लगभग 20 पिछड़े हुए जिलों के औद्योगीकरण में गहरी रुचि दिखा रहा है ; और

(ग) यदि हाँ, क्या वे क्षेत्र चुने जा चुके हैं जहाँ विकास किया जाना है और विश्व बैंक से किस प्रकार की सहायता उपलब्ध होगी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (ग) विश्व बैंक के एक शिष्टमंडल ने जनवरी-फरवरी, 1981 में रायपुर, भिलाई, दुर्ग, कटनी जबलपुर, सागर, इन्दौर, देवास और उज्जन का दौरा किया था । इसका उद्देश्य गन्दी बस्तियों का सुधार, क्षेत्रीय विकास, शहरी रख-रखाव, सोलिड वेस्ट व्यवस्था, जल प्रदाय और मल प्रवाह जैसी परियोजनाओं के माध्यम से लघु और मध्यम नगरों के विकास के लिए एक नीति विकसित करने हेतु हाऊसिंग एण्ड अरबन डेवलेपमेंट कारपोरेशन (हुडको) के सहयोग से मध्य प्रदेश में शहरी क्षेत्र की संयुक्त रूप से समीक्षा करना और परियोजनाओं का पता लगाना था । कुल 64 करोड़ रुपये के निवेश का सुझाव दिया गया था । प्रस्ताव प्रारंभिक और जांच पड़ताल के प्रकार का है ।

आदिवासी उप योजना के लिए पश्चिम बंगाल के लिए नियतन

5903. **श्री अजित कुमार साहा :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में आदिवासी उप-योजना स्कीम में कितनी राशि निर्धारित की गई हैं ;

(ख) इस शीर्ष के अंतर्गत नियतन किस प्रकार किया जाएगा ; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री सवाई सिंह सिसोदिया : (क)से(ग) पश्चिम बंगाल सरकार ने छठी योजना में 3500 करोड़ रुपये के कुल राज्य योजना परिव्यय से राज्य की जनजातिय उप-योजना के लिए 180,3 करोड़ रुपये की धनराशि की मात्रा तय की है । क्षेत्रकीय वितरण इस प्रकार है :—

	(करोड़ रु०)
1. कृषि और संबद्ध सेवाएँ	61.2
2. सहकारिता	1.6
3. जल और विद्युत विकास	46.7
4. उद्योग और खनिज	15.8
5. परिवहन और संचार	15.6
6. सामाजिक और सामुदायिक सेवाएं	38.2
7. आर्थिक/सामान्य सेवाएँ	1.7
जोड़ :	180.3

इसके अलावा, जनजातीय उपयोजना के लिए पश्चिम बंगाल की विसेष केन्द्रीय सहायता की राशि अस्थायी रूप में 20.25 करोड़ रु० है ।

भारतीय प्रशासनिक सेवा में अधिकारी

5904. **श्री विजय कुमार यादव :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र में मंत्रालयवार, भारतीय प्रशासनिक सेवा के कितने अधिकरी कार्य कर रहे हैं ;

(ख) केन्द्र में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को रोके रखने के सम्बन्ध में सरकार की क्या निति है ;

(ग) एक ही बार में तीन वर्षों से अधिक अवधि के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को एक ही स्थान पर बनाए रखने के क्या कारण हैं ; और

(घ) एसे सभी अधिकारियों को जिन्होंने एक ही स्थान पर तीन वर्ष से अधिक अवधि पूरी कर ली है, स्थानान्तरित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) :

(क) अपेक्षित सूचना का एक विवरण संलग्न है।

(ख) से (ग) तथा (घ) : भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को (तथा अन्य अखिल भारतीय सेवाओं और संगठित केन्द्रीय समूह की सेवाओं के अधिकारियों को भी (केन्द्र में तीन वर्ष तथा पांच वर्षों के बीच की अवधियों के लिए कार्यावधि पदों पर नियुक्त किया जाता है जो पद के स्तर पर निर्भर करता है ; कार्यकाल की अवधि समाप्त होने पर उन्हें अपने-अपने संवर्गों को प्रत्यावर्तित कर दिया जाना आवश्यक होता है। किन्तु कार्यकाल की अवधि को यदि लोक हित में आवश्यक हो तो बढ़ाया या घटाया जा सकता है।

विवरण

केन्द्र में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों (उनके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन संगठनों तथा सार्वजनिक उद्यमों सहित) में सेवा कर रहे भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की संख्या

मंत्रालय/विभाग	केन्द्र में सेवा कर रहे अधिकारियों की संख्या
1	2
1. कृषि मंत्रालय	56
2. परमाणु ऊर्जा विभाग	4
3. मंत्रिमण्डल सचिवालय	9
4. सिविल पूर्ति मंत्रालय	8
5. वाणिज्य मंत्रालय	69
6. संचार मंत्रालय	3
7. रक्षा मंत्रालय	37
8. शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय	26
9. पर्यावरण विभाग	2

1	2
10. ऊर्जा मंत्रालय	20
11. विदेश मंत्रालय	4
12. वित्त मंत्रालय	59
13. स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय	10
14. गृह मंत्रालय	122
15. उद्योग मंत्रालय	28
16. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	11
17. सिंचाई मंत्रालय	4
18. श्रम मंत्रालय	12
19. विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय	5
20. पैट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय	26
21. योजना मंत्रालय	12
22. राष्ट्रपति सचिवालय	1
23. प्रधान मंत्री सचिवालय	3
24. संसदीय कार्य विभाग	1
25. ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय	12
26. रेल मंत्रालय	2
27. नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय	23
28. अन्तरिक्ष विभाग	2
29. इस्पात तथा खान मंत्रालय	24
30. पूर्ति तथा पुनर्वास मंत्रालय	18
31. पर्यटन तथा नागर विमानन	11
32. संघ लोक सेवा आयोग	6
33. निर्माण एंव आवास मंत्रालय	15
कुल	645

टिप्पणी :—उपर्युक्त विवरण में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वे अधिकारी शामिल नहीं हैं जो विदेश नियुक्ति पर हैं ।

राजस्थान में सीमेंट कारखाने की स्थापना

5905. **श्री अशोक गहलोत** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में चित्तौड़ और उदयपुर में बड़ी मात्रा में सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर पाया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो यह कितनी मात्रा में पाया गया है ;

(ग) क्या सरकार का विचार राजस्थान में नये सीमेंट कारखाने लगाने का है ताकि इस चूना पत्थर का उपयोग किया जा सके ;

(घ) क्या सरकार का विचार राजस्थान में चल रहे सीमेंट कारखानों की क्षमता बढ़ाने का है ;

(ङ) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में पूर्ण ब्यौरा क्या है ; और

(च) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) सीमेंट रिसर्च इन्स्टीट्यूट आफ इण्डिया के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार चित्तौड़ तथा उदयपुर जिलों में क्रमशः 686.66 मिलियन मी० टन तथा 205.00 मिलियन मी० टन सीमेंट ग्रेट चूना पत्थर निक्षेपों का सूचित एवं अनुमानित भंडार होना बताया गया है।

(ग) से (ङ) जिन पार्टियों को औद्योगिक लाइसेंस/आशयपत्र दिये गये हैं तथा जो पार्टियाँ नये सीमेंट कारखानों की स्थापना करने हेतु तकनीकी विकास के महानिदेशालय में दर्ज है व क्षेत्र में वर्तमान कारखानों का विस्तार करना चाहता है उनका ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

क्र० सं०	पार्टी का नाम	स्थापना स्थल	क्षमता (मी० टन लाखों में)
1	2	3	4
1	उदयपुर सीमेंट वर्क्स	उदयपुर	6.00
2	श्री राव हरीसिंह बेगु	परसोली जि० चित्तौड़	0.66

1	2	3	4
3	जेनिथ स्टील पाइप्स एण्ड इन्डस्ट्रीज लिमिटेड	खजूरिया जि० उदयपुर	0.66
4	उषा लिमको एण्ड सीमेंट प्रा० लि०	तहसील उदयपुर जिला उदयपुर	0.66
5	जे० के० सीमेंट वर्क्स	निम्बाहेड़ा जि० चित्तौड़	0.50 (सफेद सीमेंट)

दिल्ली में महिलाओं को जलाये जाने के मामले

5906. **श्रीमत्री किशोरी सिन्हा :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में 1980 में किसी बुरे इरादे से अथवा दुर्घटनावश महिलाओं के जल जाने के कितने मामले हुए हैं ; और

(ख) इन मामलों में से पुलिस ने कितने मामलों की जांच की और उसका क्या परिणाम निकला ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) (क) वर्ष 1980 के दौरान महिलाओं द्वारा स्वयं या दुर्घटना में जलने के 394 मामले पुलिस को सूचित किए गए थे।

(ख) भा०द० संहिता की धारा 306 और 309 के अधीन 394 मामलों में से 77 मामले दर्ज किए गए थे और जांच पड़ताल की गई/ की जा रही है। शेष 317 मामलों में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 174 के अन्तर्गत अप मृत्यु विचारणा की गई/की जा रही है। जांच पड़ताल/ अप-मृत्यु विचारणा के परिणाम संलग्न विवरण में दिखाया गया है।

विवरण

भाग—1

वर्ष 1980 के दौरान धारा 306 और 309 के अन्तर्गत सूचित किए गए मामलों के निपटान और गिरफ्तार व्यक्तियों का विवरण

अवधि	सूचित किए गए	रद्द किए गए	स्वीकार किए गए मामले	चालान किए गए	दोष सिद्ध	दोष मुक्त किए गए	विचारणाधीन	जाँच पड़ताल के अन्तर्गत लंबित	लापता	गिरफ्तार व्यक्ति: गिरफ्तार किए गए	चालान किया गया	सूचित किए गए	रद्द किए गए	स्वीकार किए गए मामले	चालान किए गए	रिहा किए गए
1-1-80 से 31-12-80	77	13	64	12	3	—	9	14	38	44	28	2	—	26	15	1

भाग—2

वर्ष 1980 के दौरान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 174 के अन्तर्गत की गई अप-मृत्यु-विचारणा कार्रवाई का निपटान

वर्ष	कुल सूचित मामले	न्यायालय द्वारा फाइल किए गए	लम्बित
1980	317	182	135

पश्चिम बंगाल में खड़गपुर में स्कूटर कारखाना

5907. **श्री नारायण चौबे :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में खड़गपुर में स्कूटर बनाने का कोई कारखाना है ,

(ख) यह कारखाना कब शुरु हुआ था और इस कारखाने के मालिक कौन हैं , क्या लक्ष्य थे ;

(ग) उत्पादन के वर्ष-वार लक्ष्य क्या थे ;

(घ) उत्पादन और बिक्री के मामले में इस कारखाने की वर्तमान स्थिति क्या है ,

(ङ) क्या यह सच है कि यह कारखाना परिसमापन और बन्द होने के कगार पर है , और

(च) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं और इस कारखाने को बचाने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरनणजीत चानना) (क) तथा (ख) :— जी, हां। वेस्ट बंगाल स्कूटर्स लिमिटेड नामक एकक पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड और आइके इन्वेस्टमेन्ट सेन्टर लिमिटेड का संयुक्त क्षेत्र का उद्यम है। बताया जाता है कि इस एकक ने 1977 में उत्पादन करना शुरु किया था।

(ग) वेस्ट बंगाल स्कूटर्स लिमिटेड ने बताया है कि उत्पादन का वर्ष-वार लक्ष्य निम्न प्रकार था :—

1976-77	6,000 नग
1977-78	10,000 नग
1978-79	12,000 नग

(घ) से (च) :— कम्पनी ने बताया था कि तकनीकी और विपणन संबंधी समस्याओं के कारण इसका उत्पादन कम हो रहा है। अब यह केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रम स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड की ओर से स्कूटरों की असेम्बली कर रहा है। कार्यकलापों में स्कूटरों की वैल्डिंग, पेन्टिंग और असेम्बली सम्मिलित है। कम्पनी ने यह भी बताया है कि अपनी स्थिति में सुधार लाने हेतु इसने एक विविधीकरण परियोजना शुरू की है जो कार्यान्वयन की अग्रिम स्थिति में है।

जाली नोट छापने की मशीनों का पकड़ा जाना

5908. **श्री एम० अरुणाचलम :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तमिलनाडु की सरकार ने तिरुनेलवेली जिले की सेनकोट्टाल तालुक के गांव भल्कारई में जाली नोट छापने की मशीनें जब्त की हैं,

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में तमिलनाडु सरकार ने क्या कार्यवाही की है तथा कितने लोगों को गिरफ्तार किया है ; और

(ग) क्या जाली नोटों के इस मामले की जाँच को सही एवं निष्पक्ष जाँच के लिए सौंपे जाने का विचार है ?

गृह मंत्राल में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) मामले की राज्य सी० आई० डी० द्वारा जांच की जा रही है। तीन अभियुक्तों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है और तीन अन्य के लिए तलाश की जा रही है ।

(ग) तमिलनाडु सरकार इस मामले की जाँच केन्द्रीय जाँच ब्यूरो को सौंपना आवश्यक नहीं समझती है ।

नारियल जटा बोर्ड का पुनर्गठन

5909. **श्री ए० नीलातोहिथादसन नाडार** : क्या उद्योग मंत्री यह वताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारियल जटा वोर्ड का पुनर्गठन करने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, और

(ख) यदि हाँ, तो इसका पुनर्गठन कव किया जाएगा ।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) नारियल जटा बोर्ड के पुनर्गठित करने का कोई प्रस्ताव निलम्वित नहीं है, हां सरकार बोर्ड का पुनर्गठन कर रही है ।

संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के खाली पदों का भरा जाना

5910. **श्री कुसुमकृष्ण मूर्ति** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के कितने पद खाली पड़े हुए हैं ;

(ख) संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की पहली रिक्ति कव हुई ;

(ग) क्या इन खाली पदों के भरे बिना नियमित कार्य करने में संघ लोक सेवा आयोग को कोई दिक्कत हुई , और

(घ) क्या इन रिक्त पदों पर नियुक्ति करने के समय अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को पुनः प्रतिनिधित्व दिया जाएगा ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्वय्या) : (क) इस समय संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के तीन पद खाली पड़े हुए हैं ।

(ख) इनमें से पहली रिक्ति 21-4-1980 को हुई थी ।

(ग) आयोग ने निर्दिष्ट किया है कि वह संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की पूर्ण संख्या न

होने के कारण कुछ कठिनाई महसूस कर रहे हैं ।

(घ) संघ लोक सेवा आयोग की सदस्यता के लिए चयन करते समय अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखा जाता है ।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की बटालियनें बनाना

5911. **श्री नरसिंह मकवाना** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साम्प्रदायिक दंगों के बढ़ जाने पर शान्ति स्थापना बल के रूप में काम करने हेतु केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की आठ बटालियनें बनाने का निर्णय जिनमें से तीन बटालियनें पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यक समुदायों का प्रतिनिधित्व करेंगी, कब तक क्रियान्वित कर दिया जायेगा ;

(ख) इन नई बटालियनों तथा शान्ति स्थापना बल की स्थापना पर कितनी राशि खर्च होगी ; और

(ग) उक्त शांति-स्थापना बल की भर्ती कब तक आरम्भ कर दी जायेगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) ; (क) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल को प्रस्तावित लाइट आठ बटालियनों की भर्ती और व्यवस्था की जा रही है ।

(ख) इन नई बटालियनों के बनाने का खर्च लगभग 807.30 लाख रुपए आवर्तक और 938.98 लाख रुपए अनावर्तक होगा ।

(ग) साम्प्रदायिक दंगों से निपटने के लिए विशेष रूप से बनाई जा रही के० रि० पु० की तीन बटालियनों के लिए भर्ती कार्यक्रम शुरू किया जा चुका है ।

कैम्पा कोला, थम्स अप और डबल सैवन से की गई पूछताछ

5912. **श्री दीपू तिरकी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि विदेशों में कैम्पा कोला, थम्स अप और डबल सैवन बनाने के लिए विदेशी लोगों ने इन कंपनियों से गंभीरता से पूछताछ की है, और

(ख) यदि हाँ, तो कहां और उसकी संभावना क्या है ।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत जानना) : (क) तथा (ख) : अफ्रीकन देश में "77" पेयसुरस को बोतल में भरने के लिए मैसर्स माडर्न बेवरीज (इण्डीया) लिमिटेड ने भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के समक्ष एक प्रारम्भिक परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है । कैम्पा कोला तथा थप्स अप बनाने के लिए किसी विदेशी पूछताछ के बारे में सरकार के पास कोई विशिष्ट जानकारी नहीं है ।

प्रबंध सूचना प्रणाली की स्थापना

5913. **श्री जगदीश टाइटलर** : क्या योजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारत सरकार के सभी मंत्रालयों में प्रबंध सूचना प्रणाली स्थापित करने

पर विचार कर रही है ताकि योजन कार्यान्वयन में समय पर और सही निर्णय करने में मदद मिल सके ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उक्त प्रस्ताव को लागू करने में कितना वित्तीय व्यय शामिल है ?

योजन तथा श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) : योजना के कार्यान्वयन में समय पर और ठीक निर्णय करने के लिए सूचना उपलब्ध कराने में सहायता या साधन के रूप में, भारत सरकार के चुने हुए उत्पादनोन्मुख मंत्रालयों में प्रबंध सूचना व्यवस्थाएं पहले से बनाई और स्थापित की जा रही हैं । सरकार के संकल्प द्वारा नवम्बर, 1976 में तत्कालीन वित्त मंत्री की अध्यक्षता में गठित की गई सरकार में प्रबंध लेखा से संबंधित सलाहकार समिति के मार्गदर्शन में प्रबंध सूचना व्यवस्थाएं स्थापित की जा रही हैं । रसायन और उर्वरक विभाग के लिए प्रबंध सूचना व्यवस्था जनवरी, 1979 से ही चल रही है । निर्माण और आवास मंत्रालय (केन्द्रीय लोग निर्माण विभाग) तथा कृषि मंत्रालय (नियंत्रण क्षेत्र विकास कार्यक्रम) के लिए प्रबंध सूचना व्यवस्थाएं तैयार की गई हैं । इस्पात और खान विभाग तथा कोयला विभाग द्वारा तैयार की गई प्रबंध सूचना व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने का कार्य अंतिम चरण में है। कुछ अन्य विभागों के लिए प्रबंध सूचना व्यवस्थाएं तैयार की जा रही हैं ।

(ग) प्रस्तावों की वित्तीय आवश्यकताएं अलग से तैयार नहीं की गई हैं ।

नागालैंड में साबुन बनाने वाले एककों की स्थापना करना

5914. **श्री चिंगवांग कोनयक** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नागालैंड में साबुन बनाने वाले एककों की स्थापना करने का है क्योंकि इस राज्य के वनों में अखाद्य तेलों वाले वृक्षों का अपेक्षित कच्चा माल प्रचुर मात्रा में पैदा होता है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) साबुन के उत्पादन के लिए नागालैण्ड में सरकारी एकक स्थापित करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव इस मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) देश में यह उद्योग एक सुस्थापित उद्योग है । इसको ध्यान में रखते हुए सरकार इस उद्योग में प्रविष्ट होना आवश्यक नहीं समझती ।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में क्षेत्रीय आयुक्तों के रूप में अधिकारियों की नियुक्त/पदोन्नति

5915. **श्री रामनारायण त्रिपाठी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रों में क्षेत्रीय आयुक्तों को क्षेत्रों के ग्रेड के अनुसार नियुक्त नहीं किया गया है और कुछ अत्यन्त कनिष्ठ अधिकारियों को ग्रेड-1 और स्पेशल ग्रेड वाले क्षेत्रों में नियुक्त किया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि 3 वर्ष की सेवा पूरी करने पर अधिकारियों के स्थानान्तरण की नीति नहीं अपनाई गई है और पदोन्नति होने पर भी अधिकारियों को उसी स्थान पर विशेषकर दिल्ली में ही रोक लिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो आयुक्तों को अपने अपने ग्रेड के क्षेत्रों में नियुक्त करने और दिल्ली में 3 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके सभी अधिकारियों के और सहायक आयुक्त तथा क्षेत्रीय आयुक्त के रूप में पदोन्नति अधिकारियों के स्थानान्तरण के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) भविष्य निधि प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि कुल स्वीकृत 34 पदों के स्थान पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त ग्रेड के व्यक्तियों के चयन होने तक उच्च ग्रेड के पदों पर क्षेत्रीय आयुक्तों के विभिन्न ग्रेडों के 13 अधिकारियों को तैनात किया गया है ।

(ख) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के विभिन्न कार्यालयों में तैनात श्रेणी 1 और श्रेणी 2 पदों में नियुक्त अधिकारियों का प्रैक्टिस के अनुसार एक स्थान/स्टेशन से दूसरे स्थान/स्टेशन पर स्णानान्तरण किया जा सकता है ? तथापि कुछ ऐसे अधिकारी हैं, जिन्हें प्रशासनिक कारणों से तीन बर्षों से अधिक अवधि के लिए उसी स्थान पर रखा गया है ।

(ग) जहां कहीं नियुक्ति के लिए पात्र व्यक्ति उपलब्ध हो जाते हैं, वहां नियमित आधार पर पदों में नियुक्ति के लिए अधिकारियों के चयन हेतु कार्यवाही आरम्भ की गई है । तथापि, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों (ग्रेड 3) के पदों के सम्बन्ध में सहायक भविष्य निधि आयुक्तों (ग्रेड-1) की वरिष्ठता सूची के विरुद्ध अभ्यावेदनों पर निर्णय लेने तक पदोन्नति लंबित पड़ी हैं और इन अभ्यावेदनों पर संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से विचार किया जा रहा है । हाल ही में केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने ऐसे सभी अधिकारियों के मामलों की पुनरीक्षा के अनुदेश दिये हैं, जिन्होंने अपने पदों पर 5 वर्ष पूरे कर लिये हैं या जो शीघ्र ही 5 वर्ष पूरे करने जा रहे हैं ताकि इनका स्थानान्तरण किया जा सके ।

काम के बदले अनाज कार्यक्रम संबंधी प्रतिवेदन

5916. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने हाल ही में चयन किए गए 10 राज्यों में काम के बदले अनाज कार्यक्रम की क्रियान्विति की प्रगति संबंधी अध्ययन का अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त अध्ययन में सम्मिलित प्रत्येक राज्य पर कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन के प्रमुख निष्कर्ष और टिप्पणियां क्या हैं ; और

(ग) क्या प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखा जायेगा ?

योजना तथा श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां ।

(ख) मूल्यांकन अध्ययन की रिपोर्ट के कुछ मुख्य निष्कर्ष इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वितरित किए गए खाद्यान्न की मात्रा, सृजित रोजगार और समुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण में किए गए व्यय से संबंधित हैं । अनुलग्नक 1 से 3 में संबंधित सूचना दी गई है । (ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल० टी० 2269/81) । और अधिक ब्यौरों के लिए, इस रिपोर्ट की प्रतियां संसद पुस्तकालयों को उपलब्ध करांई गई है ।

(ग) जी, नहीं ।

विद्युतीकरण योजनाओं के लिए सीमेंट

5917. **श्री बी० आर० नहाटा** : क्या उधोग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाएँ कौन सी हैं जो सीमेंट की कमी के कारण पिछड़ रही हैं ; और

(ख) क्या केन्द्र सरकार का विचार इस कार्य के लिए सीमेंट का विशेष कोटा आवंटित करने का है ।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना : (क) और (ख) सिंचाई और बिजली के प्राथमिकता वाले क्षेत्र के लिए सीमेंट का पूर्व आरक्षण करने सम्बन्धी एक पद्धति लागू है तथा यह जानकारी मिली है कि विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्य हेतु सीमेंट की आवश्यकता का अब आवंटन किया जा रहा है । विगत में केवल सीमेंट की कमी के कारण ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाएँ किस सीमा तक पिछड़ी हैं, इस बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान द्वारा समुद्र से बहुधात्विक पिंडों का एकत्र किया जाना

5918. **श्री पी० राजगोपाल नायडु** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिक समुद्र से बहुधात्विक पिंड एकत्र करने में सफल हुए हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो उन पिंडों में कौन-सी धातुएँ हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा इलैक्ट्रानिकी और पर्यावरण विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जी हाँ, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान (एन० आई० ओ०) गोवा

ने हिन्द महासागर से अपने अनुसन्धान जलयान "गवेषणी" की 86 तथा 87 वी खेंप में बहुधात्विक पिंडों के नमूने एकत्र किए थे;

(ख) इन पिंडों का पूर्ण विश्लेषण करके उनमें धातुओं की मात्रा ज्ञात नहीं की गई है किन्तु प्रारम्भिक परीक्षणों से पता लगा है कि इन पिंडों में मैंगनीज, कोबाल्ट, निकल, तांबा और लोहा निहित है।

उत्तर प्रदेश के जनगणना कार्य निदेशालय में काम कर रहे कर्मचारी

5919. **श्री जयराम वर्मा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में, जहां की सरकारी भाषा हिन्दी है और सम्पूर्ण कार्य हिन्दी में किया जाता है जनगणना कार्य अंग्रेजी में किया जा रहा है, जब कि राज्य की कतिपय एजेन्सियां इस काम में कार्यरत हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) उत्तर प्रदेश के जनगणना निदेशालय और इसके अधीनस्थ कार्यालयों में कितने-कितने अधिकारी और कर्मचारी काम कर रहे हैं तथा उनमें से ऐसे कितने कर्मचारी हैं, जिन्हें काम करने लायक हिन्दी आती है ;

(घ) उनमें हिन्दी अनुवादकों की ग्रेड-वार संख्या कितनी है ; और

(ङ) क्या सुचारू रूप से कार्य चलाने हेतु उच्च ग्रेड के कुछ हिन्दी अनुवादकों की नियुक्ति करने संबंधी किसी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख) : समस्त उत्तर प्रदेश में 1981 का जनगणना कार्य हिन्दी में किया गया था। केवल सेना क्षेत्रों में यह कार्य अंग्रेजी में किया गया था।

(ग) इस समय जनगणना कार्य निदेशालय उत्तर प्रदेश और इसके निम्न संगठनों में 28 अधिकारी, और 504 कर्मचारी नियमित वेतनमानों पर और 4433 कर्मचारी समेकित वेतन पर कार्य कर रहे हैं। उन सभी को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान है।

(घ) एक हिन्दी अनुवादक ग्रेड-11 है।

(ङ) जी हां, श्रीमान।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए रोजगार में आरक्षण

5920. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **रक्षा मंत्री** बाटसन यू० ई० स्कूल मधुबनी में भूतपूर्व सैनिकों के अध्ययनरत आश्रितों को शिक्षा सहायता के बारे में 17 दिसम्बर, 1980 के अतरांकित प्रश्न संख्या 4160 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व सैनिकों के लिए रोजगार में आरक्षण के मामले विभिन्न राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श का क्या परिणाम निकाला है ; और

(ख) क्या बिहार सरकार वर्ष 1978 में किये गये इस आरक्षण की समाप्ति को निरस्त करने पर सहमत हो गई है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) सरकार सभी सम्बन्धित राज्यों के साथ इस मामले पर बात-चीत कर रही है । राज्य सरकारों के उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ख) जी नहीं । बिहार सरकार ने 1978 में सैनिकों के लिए नौकरियों को आरक्षित रखना समाप्त कर दिया था और अभी तक उसे बहाल नहीं किया है ।

अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में भारतीय द्वीप समूह

5921. **श्री एन० डैनिस** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (एक) अरब सागर और (दो) बंगाल की खाड़ी में उन द्वीपों की कुल संख्या कितनी है जो भारत सरकार के अधिकार में है ;

(ख) इन द्वीपों का अलग-अलग कुल क्षेत्रफल कितना हैं ; और

(ग) द्वीपवार इन द्वीपों की जनसंख्या (पुरुष और स्त्री) कितनी है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) : अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सदन के पटल पर रख दी जायेगी ।

गोआ, दमन और दीव में नौसैना प्रशिक्षण स्कूल

5922. **श्रीमती संयोगिता राणे** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ क्षेत्र गोआ, दमन और दीव में नौसेना प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना करने और उसका विस्तार करने का सरकार का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) : गोआ, दमन और दीव में नौसेना प्रशिक्षण की वर्तमान सुविधाओं में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

रक्षा कर्मचारियों को पेंशन

5923. **श्री एन० सुन्दर राजन** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जो रक्षा कर्मचारी 1 जनवरी, 1973 से सेवा-निवृत्त हुए हैं वे 31 दिसम्बर, 1972 से पहले सेवा-निवृत्त हुए कर्मचारियों से दोगुनी पेंशन पा रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार 31 दिसम्बर, 1972 से पहले सेवा निवृत्त हुए कर्मचारियों की पेन्सन की राशि के बारे में पुनरीक्षण करने का है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल): (क) जी नहीं। परन्तु यह सही है कि,10-10-1973 के बाद सेवा निवृत हाने वाले रक्षा कार्मिकों की कुल पेंशन इस तिथि से पहले सेवा निवृत हुए कार्मिकों से अधिक है, क्योंकि पेंशन, सेवानिवृत के समय संबंधित व्यक्ति द्वारा लिए जा रहे वेतन के अनुसार दी जाती है।

(ख) जो कार्मिक 31-12-1972 से पहले सेवा निवृत हो गए थे उनकी मूल पेंशन में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। परन्तु जो कार्मिक 1-1-1973 से पहले सेवा-निवृत हो गए थे उन्हें तदर्थ राहत और समय-समय पर मिलने वाली राहत के रूप में लाभ मिलेंगे। इस प्रकार 10-10-1973 से पहले और उसके बाद सेवा निवृत हुए कार्मिकों के बीच के अन्तर को कम कर दिया गया है।

हिन्दुस्तान फोटो फिल्म लिमिटेड की ओर से अनुसन्धान और विकास केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव

5924. **श्री सी० चिन्नास्वामी** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स लिमिटेड ने सरकार को प्रौद्योगिकी में सुधार लाने के लिए मद्रास में एक पूर्ण विकसित अनुसन्धान और विकास केन्द्र की स्थापना करने से सम्बन्धित कोई प्रस्ताव भेजा है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) इस प्रकार का एक प्रस्ताव जिसमें सम्भावित (स्थापना स्थल) मद्रास है—प्राप्त हो गया है, उस पर कार्यवाही चल रही है।

टेक्नीकल असिस्टेंट के रूप में पदोन्नति के लिए विभागीय परीक्षा

5925. **श्री चन्द्रपाल शैलानी** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जायन्ट साइफर में टेक्नीकल ब्यूरो में असिस्टेंट के पद पर पदोन्नति के लिए कोई लिखित विभागीय परीक्षा ली गई थी ;

(ख) यदि हाँ, तो परीक्षा किस तारीख को ली गई थी ;

(ग) इस परीक्षा में बैठने के लिए कितने उम्मीदवार बुलाये गये थे ; और

(घ) इस परीक्षा में कितने उम्मीदवार बैठे थे और अगले उच्च पद पर पदोन्नति के लिए कितने उम्मीदवार सफल हुए थे ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल): (क) से (घ) तकनीकी सहायक के

पद के लिए 12-2-1980 से ली जाने वाली विभागीय परीक्षा की सूचना ब्यूरो के पचास पात्र उम्मीदवारों में परिचालित कर दी थी। लेकिन कोई उम्मीदवार परीक्षा में नहीं बैठा।

महाजन समिति की सिफारिशें

5926. **श्री मुकुन्द मंडल :** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाजन समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने कैडट प्रशिक्षण में सुधार के बारे में नेशनल कैडट कोर के संगठन अथवा उन संगठनों के बारे में जो एन० सी० सी० कैडटों तथा अधिकारियों के लाभ के लिये है सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है ; और

(घ) यदि हाँ, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ग) महाजनी समिति की सिफारिशें और उन पर सरकार द्वारा किए गए निर्णय "डिसीजन आन दी रिकमन्डेशन्स आफ दी एन० सी० इवल्यूएशन समिति" नामक पुस्तिका में दिए गए हैं। इस पुस्तिका की प्रतियां संसद भवन के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(घ) एक विवरण संलग्न है।

(ग्रन्थालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी०—2270/81)

स्व-नियोजन योजना

5927. **श्री राजेश पायलट :** क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्व-नियोजन नियोजना की एक श्रृंखलाबद्ध प्रक्रिया बनाने के लिये एक योजना पर विचार किया है जिसमें एक केन्द्र द्वारा एक करोड़ रुपये का पुनरुत्पादक पूंजी निवेश करने पर दस वर्ष तक लगभग दो हजार व्यक्तियों को रोजगार दिया जा सकता है ; और

(ख) सरकार का विचार परीक्षण के तौर पर ऐसे कितने केन्द्र स्थापित करने का है जहां शिक्षा और विकास को जोड़ा जा सकता है ?

योजना तथा श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी): (क) सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद,छटी पंचवर्षीय योजना (1980-85) में स्व-रोजगार प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों को मार्ग-दर्शन, ऋण और विपरण जैसी सुविधाएँ देने पर जोर दिया गया है।

(ख) यद्यपि ऐसे केन्द्र स्थापित करने की परिकल्पना नहीं की गई है, परन्तु जिला जनशक्ति आयोजना और रोजगार सृजन परिषदें, अन्य बातों के साथ-साथ, शिक्षा की विकास आवश्यकताओं से सम्बद्धता पर विचार करेंगी।

भवष्यि निधि आयुक्त के कार्यालय में कर्मचारियों का स्थानान्तरण

5928. **श्री के० लकप्पा :**

श्री डी० एम० पुत्ते गौडा :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नियमों के अनुसार, जो सरकारी कर्मचारी किसी एक स्थान पर तीन वर्ष तक सेवा शुरू कर चुके हैं उन्हें स्थानान्तरित किया जा सकता है ?

(ख) क्या यह भी सच है कि भविष्य निधि आयुक्त के कार्यालय में ऐसे अनेक कर्मचारी हैं जो तीन वर्ष से अधिक अवधि तक सेवा कर चुके हैं तथा पदोन्नति भी पा चुके हैं परन्तु अब तक स्थानान्तरित नहीं किए गए हैं ; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस मामले में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) किसी नियम के अधीन कोई निर्धारित अवधि नहीं है। तथापि संगठन की प्रैक्टिस के अनुसार, श्रेणी-1 पौर श्रेणी-2 पदों पर अियुक्त अधिकारियों को एक स्थान पर 3 वर्ष या इससे अधिक सेवा के पूर्ण हो जाने पर स्थानांतरित किया जाता है, सिवाय जहां प्रशासनिक कारणों से अनिवार्य समझा जाता है, उन्हें अवधि के बाद भी उसी स्थान पर रहने दिया जाता है।

(ख) कुछ अधिकारियों को, जिन्होंने अपने-अपने तैनाती स्थानों पर तीन वर्ष से अधिक सेवा की है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में श्रेणी-1 पदों पर पदोन्नति नियुक्ति के पश्चात भी उस स्थान पर काम करने की अनुमति दी गई है । विवरण संलग्न है, जिसमें उसके ब्यौरे दिए गए हैं।

(ग) हाल ही में केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने ऐसे सभी अधिकारियों के मामलों की पुनरीक्षा के अनुदेश दिए हैं; जिन्होंने अपने पदों पर 5 वर्ष पूरे कर लिए हैं या जो शीघ्र ही 5 वर्ष पूरे करने जा रहे हैं तथापि इनका स्थानान्तरण किया जा सके।

विवरण

ऐसे अधिकारियों की सूची, जिन्होने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में तीन वर्ष से अधिक अवधि तक सेवा की है, परन्तु जिन्हें श्रेणी-1 पदों में पदोन्नति होने के पश्चात् भी स्थानान्तरित नहीं किया गया ।

क्रमांक	अधिकारियों के नाम	वर्तमान पद और इस पद पर नियुक्ति की तारीख	उसी स्टेशन पर पिछला पद, यदि कोई हो और नियुक्ति की तारीख	तैनाती के वर्तमान स्थान पर श्रेणी-2 पदों पर कार्य करने की तारीख
1	2	3	4	5
1	श्री एस० पी० जैन	आर० पी एफ० सी० (ग्रेड-3) 11-4-80 (एड-होक)	ए० पी० एफ० सी० 19-5-76	दिल्ली 19-5-76
2	श्री आर० एम० गाँधी	आर० पी० एफ० सी० (ग्रेड-1) मार्च, 1980	आर० पी० एफ० सी० (ग्रेड-2) 7-1-77	अहमदाबाद 7-6-77
3	श्री के० एल० सहगल	डिप्टी आर० पी० एफ० सी० 10-11-1980 (एड-हाक)	ए० पी० एफ० सी० 25-5-71 (एड हाक) 17-11-78 (नियमित)	फरीदाबाद 9-6-77
4	श्री आर० पारथासारथी	डिप्टी एफ०ए० एण्ड सी०ए०ओ० 10-4-80 (एड हाक)	ए०पी०एफ०सी० (ग्रेड-1) 16-5-77 (एड हाक) 17-11-78 (नियमित)	नई दिल्ली 16-6-77
5	श्री ए० के० सेन	डिप्टी सी० ए० ओ० 15-4-1980 (एड हाक)	लेखा अधिकारी 31-3-74	कलकत्ता 31-3-74 ए० ओ० रूप में 17-11-78 ए०पी०एफ०सी० (ग्रेड-1) के रूप में नियमित रूप से

1	2	3	4	5
6	श्री आर० डी० छेतीवाल	ए०पी०एफ०सी० (ग्रेड-1) 14-6-1980 नियमित)	पी०एफ०आई० (ग्रेड-1) 6-3-76	दिल्ली 6-3-76
7	श्री एस० रंगारामानुजम	ए०पी०एफ०सी० (ग्रेड-1) 12-10-79 (एड-हाक)	लेखा अधिकारी 31-5-74	अहमदाबाद 31-5-74 लेखा अधिकारी के रूप में 12-10-79 ए०पी०एफ०सी० (ग्रेड-1) के रूप में
8	श्री के० हसन	ए०पी०एफ०सी० (ग्रेड-1) 2-6-78 (नियमित)	ए०पी०एफ०सी० (ग्रेड.1) 30-4-77	त्रिवेन्द्रम 30-4-77
9	श्री एम० एम० विवालकर	ए०पी०एफ०सी० (ग्रेड-1) 17-11-78 (नियमित)	पी०एफ०आई० (ग्रेड-1) 22-3-75	नागपुर 22-3-75 पी०एफ०आई० (ग्रेड-1) के रूप में 17-11-73 ए०पी०एफ०सी० (ग्रेड-1) के रूप में
10	श्री आर० के० देसाई	ए०पी०एफ०सी० (ग्रेड-1) 27-10-78	पी०एफ०आई० (ग्रेड-1) 1-5-75 (एडहाक)	बम्बई -।-27-10-78-।-संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्त
11	श्री डी०डी० देशमनी	ए०पी०एफ०सी० (ग्रेड-1) 2-12-78	पी०एफ०आई० (ग्रेड-1) 24-12-74 (एडहाक)	बम्बई 2-12-78-।-सीधी भर्ती कोटे में लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्ति

1	2	3	4	5
12	श्री टी.एस. लक्ष्मीनारायनन	ए.पी.एफ.सी. (ग्रेड-1) 29-3-75 (एडहाक)	पी.एफ.आई. (ग्रेड-1) 9-10-63	मद्रास 11-3-76 ए.पी.एफ.सी. (ग्रेड-1) के रूप में
13	श्री एस. के. चटर्जी	ए. पी. एफ. सी. (ग्रेड 1) 21-3-75 (एडहाक)	पी. एफ. आई. (ग्रेड 1) 9-10-63	कलकत्ता 4-3-75 ए.पी.एफ.सी. (ग्रेड 1) के रुप में
14	श्री वी. जी. वागवी	ए.पी.एफ.सी. (ग्रेड 1) 19-9-78	पी.एफ.आई. (ग्रेड 1) 23-3-74	बम्बई 23-3-74 पी.एफ.आई. (ग्रेड 1)के रुप में 19-9-78 ए.पी.एफ.सी. (ग्रेड 1) के रुप में
15	श्री एम. कृष्णामूर्ति राव	ए.पी.एफ.सी. (ग्रेड 1) 14-2-79	लेखा अधिकारी 24-11-73	मद्रास 24-11-73 लेखा अधिकारी के रुप में 14-12-79 ए.पी.एफ.सी. (ग्रेड 1)के रुप में
16	श्री एस. के. हाजरा	ए.पी.एफ.सी. (ग्रेड 1) 1-1-1980	पी.एफ.आई. (ग्रेड 1) 8-11-65	कलकत्ता 15-1-78 पी.एफ.आई. (ग्रेड 1) के रुप में 1-1-80 ए.पी.एफ.सी. (ग्रेड 1) के रुप में
17	श्री जे. सी. मजुमदार	ए.पी.एफ.सी. (ग्रेड 1) 2.11.79 (एडहाक)	पी.एफ.आई. (ग्रेड 1) 15.11.66	कलकत्ता अगस्त, 1977 पी.एफ.आई. (ग्रेड 1) के रूपमें 2.11.79 ए.पी.एफ.जी. (ग्रेड 1) के रुप में
18	श्री के. एल. डाबर	ए.पी.एफ.सी. (ग्रेड 1) 7.6.76 (एडहाक) 17.11.73 (नियमित)	ए.पी.एफ.सी. (ग्रेड 2) 21.1.73	नई दिल्ली 7.6.76 ए.पी.एफ.सी. (ग्रेड 1) के रुप में
19.	श्री टी. वी. सूर्यनारायनन	ए.पी.एफ.सी. (ग्रेड 1) 27.7.79 (नियमित)	ए.पी.एफ.सी. (ग्रेड 1) (एड-हाक) 29.3.76	नई दिल्ली 29.3.76 ए.पी.एफ.सी. (ग्रेड 1) के रुप में

उड़ीसा में सीमेंट संयंत्रों की स्थापना

5929. **श्री नित्यानंद मिश्र :**
श्री डी०पी०जदेजा :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उड़ीसा में नए सीमेंट संयंत्रों की स्थापना का प्रस्ताव है ।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) :

नए सीमेंट संयंत्रों की स्थापना के लिए निम्नानुसार आशय पत्र जारी किए गए हैं :—

पार्टी का नाम	स्थापना स्थल	
स्टील अर्थारिटी आफ इंडिया लि०	मध्य प्रदेश में जिला बिलासपुर के चिलहटी नामक स्थान पर क्लिकिरंग संयंत्र लगाना ।	उड़ीसा में सुन्दरगढ़ जिले के राऊरकेला क्षेत्र में पिसाई संयंत्र लगाना ।
इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन आफ उड़ीसा लिमिटेड	उड़ीसा में सुन्दरगढ़ जिले के कुतरा किरिंगसेरा क्षेत्र	

उपद्रवों को दबाने के लिए बुलाया गया केन्द्रीय पुलिस बल और की गई गोलाबारी

5930. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष उपद्रवों को दबाने में राज्य सरकारों की सहायता करने के लिए कितनी बार और किन-किन स्थानों पर केन्द्रीय पुलिस बल बुलाया गया था ;

(ख) कितनी बार उन्हें गोली चलानी पड़ी और उनकी कार्यवाही के परिणामस्वरूप कितने लोग हताहत हुए ; और

(ग) इसमें पुलिस बल के कितने लोग हताहत हुए ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीयोगेन्द्र मकवाना) (क) सीमा सुरक्षा बल और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल को 1981 के दौरान विधि और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए राज्य सरकारों की सहायतार्थ 17 स्थानों पर 29 बार बुलाया गया था ।

(ख) और (ग) : आन्तरिक सुरक्षा कार्यों में लगी के० रि० पु० सी० सु० बल यूनिटों ने अब तक इस वर्ष में सात बार गोली चलाई जिसमें दो नागरिक मारे गए और एक जख्मी हुआ । बल के तीन कार्मिक मारे गए और पांच जख्मी हुए ।

मिलिट्री कोल्ड स्टोरेज प्लांट का बेचा जाना

5931. **श्री वीरेन घोष :**

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो एक मिलिट्री कोल्ड स्टोरेज प्लांट बेचने के लिये चार उच्च रक्षा अधिकारियों और दो रेलवे अधिकारियों पर निगरानी रख रहा है ;

(ख) क्या यह संयंत्र वाडी वंडर, बम्बई में रेलवे भूमि पर बनाया गया था ;

(ग) क्या यह संयंत्र 1.68 लाख रूपये के बहुत कम मूल्य पर बेचा गया था ;

(घ) यदि हां, तो इसे किसे बेचा गया था ;

(ङ) क्या 1944 से 9,000 वर्गमीटर भूमि सेना के कब्जे में है ; और

(च) क्या अपराधियों का पता लगा लिया गया है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) (क) से (च) :

सितम्बर 1944 में रेल मंत्रालय ने 10,157 वर्गगज भूमि रक्षा मंत्रालय को किराए पर दी थी, जिस पर रक्षा मंत्रालय ने एक कोल्ड स्टोरेज प्लांट सहित कुछ भवन का निर्माण कर दिया था। 9 मार्च 1978 को डिपो के बन्द हो जाने के बाद वह भूमि और उसपर निर्मित रक्षा संगठन के भवनों की उनको जरुरत नहीं रही। रेल मंत्रालय अपनी भूमि वापिस करने पर जोर दे रहा था। इसलिए रक्षा भवनों सहित भूमि रेल मंत्रालय को देने का निर्णय किया गया। परन्तु रेल मंत्रालय ने सूचित किया कि वे रक्षा संगठन के भवनों को लेने का इच्छुक नहीं। इस बीच रेल मंत्रालय ने अपनी भूमि को 1979 में बम्बई की एक फर्म मैसर्स किरीत इन्टरप्राइज को लाइसेंस पर दे दी।

2. यह समझते हुए कि रेल मंत्रालय भवनों को लेना नहीं चाहता और यदि उनको नष्ट करके और स्थान साफ करने का काम उनकी नीलामी से किया जाए तो इस कार्य में कई मास लग जाऐंगे और रक्षा मंत्रालय को इसके लिए रेल मंत्रालय को लाईसेंस फीस देना होगी जो 1-4-1977 से बढ़ा दी गई थी। अतः वित्त मंत्रालय के परामर्श से उन भवनों को मैसर्स किरीत इन्टरप्राइज बम्बई 1,67,954 रुपये के हस्तांतरण मूल्य पर हस्तांतरित करने का निर्णय किया गया।

3. केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने रक्षा विभाग के चार अफसरों और रेल मंत्रालय के दो अफसरों के विरुद्ध मैसर्स किरीत इन्टरप्राइज, बम्बई को इन भवनों की बिक्री में कथित अनियमितता बरतने पर प्रारम्भिक जांच-पड़ताल करने का काम हाथ में लिया है। जांच-पड़ताल अभी चल रही है।

आसाम जनगणना में विदेशी राष्ट्रिकों की पहचान

5932. **श्री राजेश कुमार सिंह :**

श्री राम विलास पासवान :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 18 जनवरी, 1981 के 'इण्डियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित इस आशय के समाचारों को देखा है कि जनगणना आयुक्त भारत के महापंजीकार ने यह कहा हैकि वर्ष 1981 की जनगणना के दौरान आसाम में विदेशी राष्ट्रिकों की कोई पहचान नहीं की जायेगी ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण है ;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान !

(ख) और (ग) : "राष्ट्रीयता" के बारे में न तो 1981 की जनगणना में और न 1971 की जनगणना में प्रश्न किया गया था। इसके अतिरिक्त विदेशी नागरिकों का पता लगाने का कार्य एक सतत प्रक्रिया है और जनगणना से सम्बद्ध नहीं है ।

कोझीमुट्टक्कयम में आदिवासी

5933. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सरकारी एजेंसियों द्वारा देखरेख किए जाने के अभाव के कारण पालघाट, केरल के कोझीमुट्टक्कयम में आदिवासी धीरे-धीरे समाप्त होते जा रहे हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि आदिवासी कल्याण निधि के लाभ अभी तक उन्हें उपलब्ध नहीं कराए गए हैं, और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और उनकी सहायता करने और उन्हें बिल्कुल लुप्त होने से बचाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) : केवल सरकार से रिपोर्ट प्रत्याशित है और रिपोर्ट प्राप्त होने पर विवरण सदन के पटल रख दिया जाएगा ।

"एवार्ड" द्वारा विदेशी धन का उपयोग

5934. **श्री वी० एन० गाडगिल :**
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण विकास के लिए स्वयंसेवी एजेन्सियों के संगठन (एवार्ड) का मुख्य कार्यक्षेत्र गत कुछ वर्षों में भारत का सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पूर्वी क्षेत्र रहा है;

(ख) क्या यह सच है कि इस संगठन (एवार्ड) ने उन संगठनों को विदेशी धन पहुंचाया है जो भारत के पूर्वी सीमा पर आन्दोलनात्मक कार्य में लगे हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस बारे में कोई जांच कराई है; और

(घ) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) सरकार को मालूम है कि संगठन ने उनके कार्यकलापों के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के रुप में पूर्वी क्षेत्र में कुछ परियोजनाएं शुरू की हैं।

(ख) : सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(ग) ; जी नहीं, श्रीमान। किन्तु ऐसे संगठनों की गतिविधियों पर सामान्य रूप से निगरानी रखी जाती है और जब आवश्यक होता है कानून के अधीन उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

(घ) : प्रश्न नहीं उठता।

स्टाफ पद्धति के बारे में राजभाषा

अधिनियम का कार्यान्वयन

5935. **श्री टी० एस० नेगी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वित्त मंत्रालय राजभाषा अधिनियम और उसमें बनाये गये नियमों के कार्यान्वयन के लिये गृह मंत्रालय द्वारा सुझाई गई स्टाफ पद्धति के लिये सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो सहमत हुई इस नई पद्धति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार सुनिश्चित करेगी कि राजभाषा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिये पद बनाने संबंधी सभी प्रस्तावों का अनुमोदन किया जाये चाहे वे न्यूनतम आवश्यकता के लिये ही हों ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना :) (क) राजभाषा अधिनियम, 1963 के कार्यान्वयन के लिये अपेक्षित पदों को योजनेत्तर पदों पर लगाए गये सामान्य प्रतिबंध से छूट दी गई है। यह भी निर्णय किया गया है कि ऐसे पदों के सृजन के प्रस्तावों पर 1973 में गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सामान्य मार्गदर्शी निदेशों के आधार पर विचार किया जाएगा।

(ख) 1973 में जारी किए गए मार्गदर्शी निदेशों में निम्नलिखित व्यापक स्टाफ पद्धति के सुझाव दिए गए थे।

(1) पूर्ण रूप से सचिव के अधीन प्रत्येक मंत्रालय में एक वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी और प्रत्येक विभाग में एक हिन्दी अधिकारी।

(2) प्रत्येक मंत्रालय/बडे स्वतंत्र विभाग में एक वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक और तीन कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक।

(3) 100 अथवा अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक अधीनस्थ कार्यालय के लिए एक हिन्दी अधिकारी।

(4) कम से कम 25 कर्मचारियों वर्ग "डी" कर्मचारियों को छोड़कर वाले प्रत्येक अधीनस्थ कार्यालय के लिए एक हिन्दी अनुवादक और 50 लिपि वर्गीय कर्मचारियों के लिए अनुवादक का एक अतिरिक्त पद।

(5) 25 लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की संख्या वाले प्रत्येक अधीनस्थ कार्यालय के लिए एक हिन्दी टंकक ।

(ग) सरकार का राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त संख्या में हिन्दी पदों की व्यवस्था करने का प्रयास रहा है साथ ही सरकारी खर्च में मितव्यता की आवश्यकता को ध्यान में रखा जाता है ।

सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन करने वाला राज्य

5936. **श्री विरदाराम फुलवारिया** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश के कौन से राज्य में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन होता है :

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : देश में मध्य प्रदेश राज्य की सीमेंट उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है ।

फोरेन अलाइमेंट सर्विस में इंजीनियरों का पंजीकरण

5937. **श्री एन० सेलवा राजू** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फौरेन असाइमेंट सर्विस में गत तीन वर्षों के दौरान पंजीकृत हुए इंजीनियरों की राज्य-वार संख्या कितनी है ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार कितने इंजीनियरों को क्रमशः एक बार, दो बार, तथा तीन बार साक्षात्कार का अवसर दिया गया ; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार कितने इंजीनियर फोरेन असाइन्मेंट सर्विस के माध्यम से विदेशों में कार्य करने के लिये जा चुके हैं ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या : (क) गत तीन वर्षों के दौरान एशिया, अफ्रीका तथा लेटिन अमेरिका के विकासशील देशों में प्रतिनियुक्ति के लिए कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा रखे गये विदेश नियुक्ति पैनलों में पंजीकृत इंजीनियरों की संख्या निम्न प्रकार है :—

वर्ष	इंजीनियरों की संख्या
1978	4106
1979	3183
1980	2875

राज्यवार आंकड़ों के ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान विकासशील देशों के भर्ती प्रतिनिधि मण्डलों द्वारा साक्षात्कार के लिए विचार हेतु अवसर प्रदान किए जाने के लिए 2899 इंजीनियरों को एक बार, 974 इंजीनियरों को दो बार और 349 इंजीनियरों को तीन बार प्रायोजित किया गया था ।

राज्यवार आंकड़ों के ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान विदेश-नियुक्ति अनुभाग के जरिए विकासशील देशों में द्विपक्षीय नियुक्तियों के लिए चुने गए इंजीनियरों की संख्या इस प्रकार है :—

वर्ष	चुने गए इंजीनियरों की संख्या
1978	344
1979	378
1980	411

राज्यवार आंकड़ों के ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

योजनाओं के कार्यान्वियन में जनता द्वारा भाग लिया जाना

5938. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में योजनाओं के सफल होने में एक कमी यह रही है कि उनके कार्यान्वयन में जनता द्वारा पर्याप्त रूप में भाग लिये जाने का अभाव था ; और

(ख) यदि हाँ, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं कि कम से कम छठी पंचवर्षीय योजना को तो इस कमी से नुकसान न भुगतना पड़े ?

योजना तथा श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, नहीं। क्रमिक योजनाओं में योजना के निर्माण और कार्यान्वयन के सभी स्तरों पर लोगों की सम्बद्धता पर पर्याप्त बल दिया जाता रहा है। छठी पंचवर्षीय योजना में भी उसके कार्यान्वयन में लोगों की सहभागिता प्राप्त करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

(ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

रिजर्विस्टों से मकान के किराये संबंधी कटौती के लिये पेंशन की गणना करना

5939. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रिजर्विस्ट पेंशन भोगियों के सम्बन्ध में सरकारी आवास के लिए मकान किराये की वसूली हेतु पेंशन की दर को हिसाब में लिया जाता है लेकिन मकान किराया भत्ता आदि के लिए नहीं ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) जो रिजर्विस्ट

पेंशनर सिविल सरकारी नौकरी करते हैं उनसे सरकारी आवास के लिए मकान किराया (लाइसेन्स शुल्क) वसूल करने और मकान किराया भत्ता तथा प्रतिपूर्ति (नगर) भत्ता मंजूर करने के बारे में दो अलग अलग नियम हैं। मकान किराया (लाइसेन्स शुल्क) की वसूली परिलब्धियों के आधार पर की जाती हैं जिसमें पेंशन भी शामिल होती है। मकान किराया भत्ते और प्रतिपूर्ति (नगर) भत्ते का निर्धारण इस प्रकार किया जाता है :—

(1) जिनका वेतन और पेंशन मिलाकर पद के लिए स्वीकृत अधिकतम वेतन से बढ़ जाता है उनके भत्ते की गणना उस पद के लिए अधिकतम वेतन पर की जाती है।

(2) सिविल पद पर पुनर्नियुक्ति के बाद जिनका वेतन उनकी कुल पेंशन अथवा उसके एक भाग को शामिल किए बिना नियत किया जाता है उनके मामले में मकान किराया भत्ते तथा प्रतिपूर्ति (नगर) भत्ते की मंजूरी के लिए पेंशन की वह राशि छोड़ दी जाती है जिसे वेतन में शामिल नहीं किया गया।

(3) अन्य मामलों में ये भत्ते वेतन और पेंशन को मिलाकर निर्धारित किए जाते हैं।

दिल्ली में हत्याएं

5940. **श्री रशीद मसूद :**
प्रो० अजित कुमार मेहता :
श्री राजेश कुमार सिंह :
श्री के० पी० सिंहदेव :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजधानी में वर्ष 1980 के दौरान हत्याओं के कितने मामलों की रिपोर्ट की गई और कितने मामले हल किए गये ;

(ख) पुलिस द्वारा यदि वर्ष के दौरान हल न किए गये कुछ मामले बन्द कर दिये गये हों तो उनकी संख्या तथा कारण क्या हैं ;

(ग) अब तक शेष मामलों के हल न किए जाने के मुख्य कारण क्या हैं ; और

(घ) शेष मामलों को तेजी से हल करने के लिए जाँच अधिकारियों को सजग करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) वर्ष 1980 के दौरान हत्या के 185 मामले सूचित किए गये थे। जिनमें से 7 मामलों को सक्षम मजिस्ट्रेटों के आदेशों से रद्द कर दिया गया है और 115 मामलों का चालान कर दिया गया है।

(ख) 22 मामलों को लापता मामलों के रूप में समाप्त कर दिया गया है क्योंकि कोई सुराग मालूम नहीं हो सका।

(ग) अन्य ऐसे मामले जिनका समाधान नहीं हो सका, के मुख्य कारण इस प्रकार हैं :—

(1) कुछ मामलों में मृतक की पहचान नहीं जा सकी ।

(2) अपराध स्थलों पर सरागों का उपलब्ध न होना

(घ) हत्या के मामलों पर विशेष रिपोर्ट मामलों के रूप में कार्यवाही की जाती है और उनकी जांच पड़ताल का पूरी तरह पर्यवेक्षण वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा किया जाता है ।

पुलिस द्वारा एक बस में दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारियों की पिटाई

5941. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डी० टी० सी० की एक बस में नशे में धुत तीन सिपाहियों द्वारा एक ड्राइवर, कन्डक्टर और एक मैकेनिक के अलावा बीच-बचाव करने वाले दिल्ली प्रदेश सहकारी बैंक के डायरेक्टर की भी पिटाई की गई और उन्हें पानी पीने की अनुमति भी नहीं दी गई ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या इस घटना के मामले में कोई जाँच पड़ताल की गई है और यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम रहे ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना): (क) और (ख) 14/15 जनवरी, 1981 की रात्रि को सूचना प्राप्त हुई थी कि दिल्ली प्रदेश सहकारिता बैंक के निदेशक श्री भानु प्रकाश, नांगलोई निवासी को नांगलोई पुलिस स्टेशन के कर्मचारियों द्वारा पीटा गया था। पुलिस उप-आयुक्त पुलिस स्टेशन पहुँचा और श्री भानुप्रकाश का बयान दर्ज किया। जांच पड़ताल से पता चलता है कि रात की गश्त ड्यूटी के लिए तैनात किए गए कांस्टेबल श्री सतबीर सिंह और महावीर सिंह और होमगार्ड होशियार सिंह ने एक मिनि बस को रोका और लिफ्ट माँगी। लेकिन बस चालक ने मना कर दिया और गाँव नांगलोई की तरफ मुड़ा । दो कांस्टेबलों, जो बस में सवार हो गए थे, ने बस से छलाँग लगा दी और उनमें से एक अर्थात महावीर स्टेशन पहुँचा और एक अन्य कांस्टेबल अनिल कुमार को मदद के लिए लाया । उन्होंने देखा कि मिनि बस श्री भानुप्रकाश के घर के सामने खड़ी है। कांस्टेबलों, मिनि बस में बैठे व्यक्तियों और श्री भानुप्रकाश के बीच हाथापाई हुई। रात की गश्त पर तैनात पुलिस कर्मचारी जो एक जीप में थे, रुके और बलों को अलग-अलग कर सके ।

डाक्टरी जांच के बाद केवल एक कांस्टेबल को शराब पीए हुए पाया गया। यह सच नहीं है कि दिल्ली प्रदेश सहकारिता बैंक के निदेशक और अन्य को पानी पीने की अनुमति नहीं दी गई। इसके विपरीत दिल्ली प्रदेश सहकारिता बैंक के निदेशक को चाय दी गई थी ।

(ग) कांस्टेबल सतबीर सिंह और अनिल कुमार को निलंबित कर दिया गया है। पंजाबी बाग के सहायक पुलिस आयुक्त द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है।

गरीबी की रेखा से नींचे रहने वाले व्यक्तियों के सम्बन्ध में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्थान द्वारा किया गया सर्वेक्षण

5942. **श्री दौलत राम सारण** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्थान द्वारा किए गये नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार यह पाया गया है कि देश की 63 करोड़ की जनसंख्या में से 30 करोड़ लोग गरीवी की रेखा से नीचे वसर कर रहे हैं और उनमें से 25 करोड़ लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं ;

(ख) क्या इस सर्वेक्षण रिपोर्ट में यह बताया गया है कि 2 करोड़ से अधिक लोग बेरोजगार हैं और उनमें से 80 प्रतिशत लोग ग्रामीण क्षेत्रों से सम्बन्धित हैं तथा ऐसी व्यापक बेरोजगारी और गरीबी के क्या कारण हैं ; और

ग्रामीण क्षेत्रों में इस व्यापक बेरोजगारी और गरीबी को समाप्त करने के लिए प्रस्तावित कार्यक्रम क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) 1977-78 के लिए पारिवारिक उपभोक्ता व्यय के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के आधार पर योजना आयोग ने यह अनुमान लगाया है कि देश की 63 करोड़ जनसंख्या में से लगभग 30 करोड़ जनसंख्या गरीवी के स्तर से नीचे रह रही है और इनमें से 25 करोड़ जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है।

(ख) उपर्युक्त सर्वेक्षण के अन्तिम आंकड़ों के आधार पर योजना आयोग द्वारा तैयार किए गये अनुमानों के अनुसार दैनिक स्थिति की बेरोजगारी 186.5 लाख थी जिसमें से ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी 143.2 लाख, अर्थात लगभग 77 प्रतिशत थी। बेरोजगारी और गरीबी की स्थिति इस कारण है कि ग्रामीण जनसंख्या की सम्वृद्धि के अनुरूप ही ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में पर्याप्त तेजी से विस्तार नहीं हुआ है।

(ग) 1980-85 की छठी पंचवर्षीय योजना में गरीवी और बेरोजगारी को कम करने की दिशा में प्रमुख बल दिया गया है। इसमें 5.2 प्रतिशत प्रतिवर्ष की पर्याप्त अधिक संवृद्धि दर की परिकल्पना की गई है और इसमें राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम जैसे विशिष्ट रोजगार सृजन करने वाले कार्यक्रम तथा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत परिसम्पत्तियों और कुशलताओं के अन्तरण के लिए स्कीमें शामिल हैं। इसके अलावा ऐसी अनेक अन्य सरकारी क्षेत्रक की स्कीमें हैं जिनसे बेरोजगारी और अल्प-रोजगार को कम करने में योगदान मिलेगा। अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए विशेष संघटक योजना उल्लेखनीय है, जिसके लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का विस्तार और प्रभावी कार्यान्वयन किया जा रहा है। इससे गरीबों को मूल सुविधाएँ प्राप्त होंगी और रोजगार के अतिरिक्त अवसर उत्पन्न होंगे।

भारत इलैक्ट्रानिक्स का उत्पादन

5943. **श्री के० पी० सिंहदेव** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड की उत्पादन की मात्रा कितनी रही ; और

(ख) गत दो वर्षों के दौरान विभिन्न नागरिक आवश्यकताओं के लिए भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित विभिन्न उत्पाद क्या थे ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड में 1978-79 में 81.72 करोड़ रुपये और 1979-80 में 85.02 करोड़ रुपये का उत्पादन हुआ ।

(ख) नागर विमानन विभाग और मौसम विज्ञान विभाग के लिए ट्रांसरिसीवर, ट्रांसमीटर, रिसीवर, रडार जैसे बेतार संचार उपकरण, आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के लिए टेप रिकार्डर स्टुडियों उपकरण, तथा ब्राडकास्ट और टी०वी० ट्रांसमीटर तथा रेडियो रिसीविंग बल्व, जरमेनियम एण्ड सिलीकन सेमी कंडक्टर उपकरण, इण्टीग्रेटेड सर्किट, मीका एण्ड सीटेमिक केपेसीटर, क्रिस्टल, ट्रांसमीटिंग ट्यूब, एक्सरे ट्यूब और टी०वी० पिक्चर ट्यूब जैसे इलैक्ट्रानिकी संघटक ।

शान्ति बनाये रखाने के लिये विशेष बल

5944. **श्री ए० टी० पाटिल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साम्प्रदायिक हिंसा को रोकने और उसके दमन के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य अल्प संख्यक समुदायों को शामिल करके शान्ति बनाये रखने के लिए विशेष बल बनाने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) इस बल को क्या उपलब्धियाँ हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) साम्प्रदायिक दंगों से निपटने के लिए विशेष रूप से बनाई जा रही के० रि० पु० की तीन बटालियनों के लिए भर्ती कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि अभी बटालियनें नहीं बनाई गई हैं ।

महीने वार औद्योगिक विकास दर

5645. **डा० सुब्रह्मण्यमस्वामी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1978 तथा 1979 की तुलना में वर्ष 1980 में औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक की महीने वार विकास दर क्या रही है, और

(ख) क्या 1980 में वार्षिक विकास 1980 के लिए निर्धारित लक्ष्य दर और 1977, 1978 और 1979 में प्राप्त दर से कम है।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) वर्ष 1977, 1978, 1979 तथा 1980 में औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि की दर के अनन्तिम सूचकांक क्रमश: पिछले वर्ष की इन्हीं अवधियों की तुलना में 3.4 प्रतिशत, 6.9 प्रतिशत, 1.2 प्रतिशत तथा 0.6 प्रतिशत थे। छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85 में पाँच वर्ष की अवधि के लिए औद्योगिक उत्पादन के विकास की वार्षिक औसत दर 8 प्रतिशत होने की प्राकल्पना की गई है।

विवरण

पंचांग वर्ष 1980 में औद्योगिक उत्पादन के मासिक सूचकांक में पिछले वर्षों के उसी महीने की तुलना में विकास दर

मास	1980 / 1979	1980 / 1978 अ
जनवरी	—2.9	1.7
फरवरी	—2.1	2.3
मार्च	—5.0	0.3
अप्रैल	—4.9	—1.5
मई	—2.0	—1.9
जून	—0.1	—0.2
जुलाई	2.3	0.5
अगस्त	0.7	1.1
सितम्बर	3.2	1.6
अक्तूबर	5.1	3.2*
नवम्बर	6.4	2.8
दिसम्बर	7.3	0.7**

अ मिश्रित विकास दर

*लगभग

**स्त्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन

निर्धनता एवं बेरोजगारी उन्मूलन के लिए
तमिलनाडू को सहायता

5946. **श्री के० राममूर्ति :**
श्री के० टी० कोसलराम :

क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना के प्रारूप में शामिल उन निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए योजना आयोग का तमिलनाडू राज्य को किस तरह सहायता करने का विचार है जिसमें बताया गया है कि गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन कर रही ग्रामीण जनसंख्या के तीन चौथाई से ज्यादा वाले तमिलनाडू में देश में गरीब लोगों की संख्या लगभग सर्वाधिक है और राज्य में बेरोजगारी देश की 8.5 प्रतिशत बेरोजगारी की तुलना में 16.1 प्रतिशत आंकी गई है ;

(ख) नियोजन उन्मुखी उद्योगों में लघु उद्योगों और श्रमिक उन्मुखी उद्योगों को प्राथमिकता देने के क्या प्रस्ताव हैं ; और

(ग) तमिलनाडू में कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित किए जा रहे न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसौदिया) : (क) तमिलनाडू में 1977-78 में 55.68 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या गरीबी के स्तर से नीचे थी । इसी वर्ष में कुल मिलाकर देश में 8.18 प्रतिशत बेरोजारी के मुकाबले राज्य में 15.59 प्रतिशत बेरोजगारी होने का अनुमान है । योजना आयोग द्वारा राज्य की छठी पंचवर्षीय योजना 1150 करोड़ रु० के कुल परिव्यय से आनुमोदित की गई है, उसमें विकास के विभिन्न क्षेत्रकों के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए बेरोजगारी और गरीबी की समस्या को हल करने का उद्देश्य रखा गया है । भारत सरकार राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित सिद्धान्तों के अनुसार राज्य योजना के लिए केन्द्रीय सहायता देगी । केन्द्रीय क्षेत्रक और विभिन्न मंत्रालयों द्वारा प्रशासित केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत भी सहायता दी जाएगी ।

(ख) कृषि विकास, सिंचाई और भूसंरक्षण, ग्रामीण विकास, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, डेरी विकास, मछलीपालन तथा लघु और ग्राम उद्योग, स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण आदि की स्कीमों से राज्य में रोजगार सृजित होने की आशा है । केवल लघु और ग्राम उद्योग क्षेत्रक ही 80 करोड़ रु० का होगा जिसका उद्देश्य लघु उद्योग, खादी और ग्राम उद्योग, हथकरघा, रेशम उद्योग, आदि के अंतर्गत रोजगार-प्रधान कार्यकलापों का विकास करना होगा ।

(ग) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के विभिन्न संघटकों के लिए 241.82 करोड़ रु० का परिव्यय निम्नलिखित रूप में निर्धारित किया गया है :—

	(लाख रु०)
ग्रामीण सड़कें	7000

प्रारंभिक शिक्षा	2400 -I-
ग्रामीण स्वास्थ्य	2182
ग्रामीण जलपूर्ति	5000
ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों के लिए आवास स्थल	2500
गंदी बस्तियों का पर्यावरणीय सुधार	2500
पोषाहार	2600
	24182

-I-प्रौढ़ शिक्षा के लिए 400 लाख रु० शामिल हैं।

स्नातक इंजीनियरों की भर्ती के लिए परीक्षा

5947. **श्री ए० सी० दास** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एरोमाटिक्स लिमिटेड (एच० ए० एल०) सिदवेदा ने मेकैनीकल, इलेक्ट्रनिक्स और दूर संचार इंजीनियरी के स्नातक इंजीनियरों की भर्ती के लिए 9 मई, 1980 को युनिवर्सिटी कालेज आफ इंजीनियरिंग, बर्ला और रीजनल इंजीनियरिंग कालेज; राउरकेला (उड़ीसा राज्य) में आवश्यक लिखित परीक्षा और शाक्षात्कार आयोजित किए थे ; और

(ख) उसके क्या परिणाम रहे ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) (क) जी हां।

(ख) प्रवन्धकों के इस निर्णय के कारण कि अगली भर्ती को स्थगित रखा जाये उन अभ्यर्थियों में से किसी को भी नहीं लिया गया जो परीक्षा में वैठे थे।

अंडमान तथा निकोबार प्रशासन द्वारा गाँधीनगर, पोर्ट ब्लेयर में अधिगृहीत भूमि

5948. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **गृह मत्री** अंडमान तथा निकोबार प्रशासन द्वारा गाँधीनगर पोर्ट ब्लेयरों अधिगृहीत भूमि के वारे में 23 जुलाई 1980 के तारांकित प्रश्न संख्या 671 के उत्तर के सम्बन्ध में यह वताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंडमान तथा निकोबार प्रशासन को इसमें उल्लिखित 3 प्राइवेट पार्टियों/व्यक्तियों को किये गये आवंटन के वाद वाणिज्यिक क्षेत्र में भूमि के आवंटन के लिये और आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे ;

(ख) यदि हां, तो कितने और ऐसे प्रत्येक आवेदन-पत्र की तारीख क्या है ?

(ग) क्या प्रशासन ने उपरोक्त वाणिज्यिक क्षेत्र में और आवटन किया है अथवा करने का विचार है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय म राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) (क) से (घ) अंडमान तथा निकोबार प्रशासन को गाँधीनगर, पोर्ट ब्लेयर में भूमि के आवंटन के लिए 15-12-78 से 5-7-80 तक दस आवेदन-पत्र सात व्यक्तियों, दो सहकारी समितियों और एक व्यापारिक प्रतिष्ठान से प्राप्त हुए थे। फिर भी प्रशासन अब इंडियन एयरलाइन्स कोरपोरेशन को संबंधित भूमि के आवंटन के लिए एक प्रस्ताव की जांच कर रहा है। अन्य पार्टियों द्वारा भूमि के आवंटन के लिए अनुरोधों पर इंडियन एयरलाइन्स के मामले का निर्णय किए जाने के बाद विचार किया जाएगा।

परमाणु विद्युत की 10000 मेगावाट की क्षमता प्राप्त करने का समय तथा उस पर आने वाला अनुमानित व्यय

5949. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि

(क) दाबानुकूलित भारी जल के रूप में परमाणु विद्युत की 10,000 मेगावाट की अधि-ः ष्ठापित क्षमता प्राप्त करने के बड़े कार्यक्रम की क्रियान्विती में कितना समय लगेगा ; और

(ख) पूरी परियोजना पर अनुमानतः कितनी लागत आयेगी ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रानिकी और पर्यावरण त्रिभाग में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) आशा है कि वित्तीय साधनों तथा अन्य मूलभूत निवेशों के उपलब्ध होने की स्थिति में, 10,000 मेगावाट परमाणु बिजली के उत्पादन की क्षमता लगभग 2000 ई० तक प्राप्त कर ली जायेगी।

(ख) इस कार्यक्रम में कई तरह की बहुत सी परियोजनाएं होंगी, जिनमें से प्रत्येक पर आने वाली लागत का हिसाब यथा समय लगाया जायेगा।

लेखन कार्य में काम आने वाले कागज की कमी

5950. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में लेखन कार्य में काम आने वाले कागज की बहुत कमी है और लेखन कार्य में काम आने वाले कागज का औसत मूल्य देश के लोगों, विशेषकर छात्रों पर गंभीर रूप से प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है , और

(ख) यदि हाँ, तो इस समस्या को हल करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरनणजीत चानना) : (क) तथा (ख) : लिखाई तथा

छपाई के कागज के देशीय उत्पादन तथा मांग में केवल मामूली सा अन्तर है जिसे आयात करके पूरा किया जा रहा है। भावी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त क्षमता की भी स्थापना की जा रही है। जहां तक शिक्षा के क्षेत्र का संबंध है अभ्यास पुस्तकों के प्रकाशन के लिए रियायती दर पर छपाई के कागज की पूर्ति की जा रही है।

एशियाई खेलों के तरणताल में कार्य कर रहे मजदूरों की मजूरी का भुगतान

5951.**श्री के० लकप्पा** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशियाई खेलों की तरणताल परियोजना, तालकटोरा गार्डन नई दिल्ली में कार्य कर रहे मजदूरों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) क्या यह सच है कि ठेकेदार ने उनकी मजदूरी का भुगतान नहीं किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इसके लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है जिससे मजदूरों को उनकी मजदूरी मिल जाए और दोषी ठेकेदार के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) लगभग 500 श्रमिक कार्य स्थल पर काम कर रहे हैं।

(ख) : 11 मार्च, 1981 को श्रमायुक्त, दिल्ली को, उप ठेकेदार से ठेकेदार के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि 220 श्रमिकों को उनकी बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

(ग) : श्रमायुक्त, दिल्ली ने विवाद का निपटारा करने के लिए संबंधित पक्षकारों के साथ विचार-विमर्श किया। आगे विचार विमर्श करने का प्रस्ताव है।

विदेशों में दूरदर्शन कार्यक्रम रिले करने के लिये अतिरिक्त उपग्रह सुविधायें

5952. **श्री मती माधुरी सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या भारतीय दर्शकों के लिए विदेशोंके दूरदर्शन कार्यक्रम रिले करने हेतु कोई अतिरिक्त उपग्रह सुविधायें जुटाने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में विभिन्न देशों के साथ चल रही बात-चीत का ब्यौरा क्या है और उक्त सुविधायें संभवतः किस तारीख तक उपलब्ध हो जायेंगी ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) : जी, नहीं।

(ख) : प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ,

भविष्य निधि की योजना का विकेन्द्री करण

5953. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भविष्य निधि की योजना के विकेन्द्रीकरण के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) : कर्मचारी भविष्य निधि पुनरीक्षा समिति ने जिसके अध्यक्ष श्री जी० रामानुजम थे, भविष्य निधि संगठन के कार्य के विकेन्द्री करण के लिए कुछ सिफारिशें की हैं। समिति की इन सिफारिशों को 18 मार्च, 1981 को अतारांकित प्रश्न संख्या 4076 के उत्तर में सदन की मेज पर रखा गया था। सरकार इन सिफारिशों पर विचार कर रही है।

दिल्ली में अवैध शराब का व्यापारी

5954. **श्री तारिक अनवर** : क्या गृह मंत्री यह वताने की कृपा करेंगे कि :

(क) झंडेवालान के अवैध शराव के व्यापारी का क्या नाम है तथा दिल्ली में उसके अधिकार में सम्पत्ति का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इस व्यक्ति के खिलाफ "बावेजा आयोग" ने क्या टिप्पणियाँ की है;

(ग) बावेजा आयोग की सिफारिशों पर पुलिस तथा सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना : (क) : दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि झंडेवालान के अवैध शराव विक्रेता का नाम श्री वलराम किशन उर्फ बलराम सुपत्र श्री कुन्दन लाल है। उसके अधिकार में सम्पत्ति के ब्यौरे इस समय प्रशासन के पास उपलब्ध नहीं हैं। परन्तु उनको मालूम करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(ख) : ववेजा आयोग ने अपने प्रतिवेदन में श्री वलराम किशन के वारे में कोई उल्लेख नहीं किया था।

(ग) तथा (घ) ववेजा आयोग द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें ये थीं कि देशी शराब के विक्रेताओं की संख्या वढ़ाई जानी चाहिए और दिल्ली में देशी शराव के मूल्य साथ वाले राज्यों में शराव के मूल्यों में से अधिक नहीं होने चाहिए। इन सिफारिशों को कार्यान्वित कर दिया गया है। 1972 में शराव की दो दुकानों के मुकावले अव शराव की 7 दुकानें है। दिल्ली में देशी शराब का मूल्य भी हरियाणा और उत्तर प्रदेश में देशी शराव के मूल्य से कम है। अन्य सिफारिशों जो निम्नलिखित से संवंधित हैं को भी कार्यान्वित किया जा चुका है :—विक्री से पहले औद्योगिक डिनेचर्ड स्पिरिट के निरीक्षण/रासायनिक जाँच, इसके वितरण और विक्री को विनियमित करना,

स्प्रिट के लाइसेंस धारकों के स्टाक और बिक्री के रिकार्ड की बार-बार जांच करना, सिथन्नर और मेथाइल एलकोहल की बिक्री और वितरण को विनयिमित करना, स्प्रिटों पर आबकारी शुल्क बढ़ाना, एक समन्वय समिति गठन करना जो पुलिस पर यह दबाव डाले कि आबकारी कानून के अधीन अपराधों को रोकना, उनका पता लगाना और उनकी जाँच पड़ताल करना उनके मुख्य कर्तव्य हैं और जहरीली शराब पीने की बुराइयों/खतरों का जनसाधारण में प्रचार करना ।

मध्य प्रदेश में मिनी सीमेंट संमंत्रों की स्थापना

5955. **श्री मार्तन्ड सिंह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में सीमेंट कारखानों तथा भिनी सीमेंट संयंत्रों की स्थापना के लिए कितने प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं और प्रस्तावित कारखानों के नामों, उनके स्थानों तथा प्रस्तावित क्षमता का ब्यौरा क्या है, और

(ख) उक्त प्रस्ताव सरकार की किस किस तारीख को पेश किए गए थे, और उनको मंजूरी देने में विलम्ब के क्या कारण हैं।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) न्यौरा बताने वाला एक विवरण संलग्न है ।

विवनण

पार्टी का नाम	स्थापना स्थल	क्षमता लाख मी० टन	आवेदन की तिथि	टिप्पणी
1. मैसर्स ग्वालियर रेयन सिल्क मैन्यू० (वीविंग) कम्पनी लिमिटेट	जावाड़ जिला	8.00	1-11-77	विद्यमान स्थापना स्थल पर चूने के पत्थर की उपलब्धता के बारे में शंका होने के कारण आवेदन को बंद समझा सया था । पार्टी के अभ्यावेदन पर आगे कार्रवाई की जा रही है।

1	2	3	4	5
2. मैसर्स दिल्ली क्लाथ एण्ड जनरल मिल्स कम्पनी लिमिटेड	रीवा जिला रीवा	7.00	22-7-78	पार्टी को यह सूचना दी गई थी कि प्रथम दृष्टया आवेदन के संबंध में कोई लाइसेंस जारी करने का मामला नहीं बनता है। पार्टी से एक अभ्यावेदन मिला था, जिस पर आगे कार्रवाई की जा रही है।
3. श्री ए० वी० कृष्णामूर्ति	ग्रा०रावन, जिला रायपुर	10.00	5-11-79	हाल ही में पार्टी को यह सूचित किया गया था कि प्रथम दृष्टया आवेदन के संबंध में कोई लाइसेंस जारी करने का मामला नहीं बनता है। इस संबंध में पार्टी से यदि कोई अभ्यावेदन करेगी तो मिलने पर ही कोई कार्रवाई की जायेगी।
4. श्री पी० के० मेहता	होसंगाबाद जिला	0.66	15-11-80	पार्टी को यह सूचित किया गया था कि प्रथमदृष्टया लाइसेंस जारी करने का मामला नहीं बनता है। पार्टी से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था, जिस पर आगे कार्रवाई की जा रही है।

कम्प्यूटर साफ्टवेयर के उत्पादन के बारे में नीति का पुनरीक्षण

5956. **श्री के० मालन्ना** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने विशेषकर निर्यात के लिए 'कम्प्यूटर साफ्टवेयर', का उत्पादन बढ़ाने के लिए अपनी पुनरीक्षित नीति घोषित की है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में नई नीति का ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा इलैक्ट्रानिकी और पर्यावरण विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जी, हाँ ।

(ख) कम्प्यूटर साफ्टवेयर निर्यात से सम्बन्धित परियोजनाओं के लिए सरकार द्वारा 2 जनवरी, 1981 को घोषित नई नीति तथा कार्य विधियाँ अनुबन्ध में दी गई हैं। (ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल. टी.—2271/81) ।

युद्ध-विधवाओं को वित्तीय सहायता

5957. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में युद्ध-विधवाओं को वित्तीय सहायता तथा अन्य पुनर्वास सम्बन्धी प्रोत्साहन देने के लिये कोई योजना बनाई है ;

(ख) यदि हाँ, तो कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है और प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में, राज्यवार, ऐसी युद्ध-विधवाओं की संख्या कितनी है जिनको ये लाभ तथा सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं ;

(ग) क्या कुछ युद्ध-विधवाओं ने इन लाभों/सुविधाओं को स्वीकार नहीं किया है ;

(घ) यदि हाँ, तो उनकी संख्या कितनी है और उन्होंने किन कारणों से इन सुविधाओं को स्वीकार नहीं किया है ;

(ङ) क्या किसी युद्ध-विधवा से किसी राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा किसी प्रकार की उपेक्षा किए जाने अथवा किसी अन्य रूप में परेशान किए जाने के बारे में सरकार को कोई शिकायत प्राप्त हुई है ; और

(च) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (च) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1. सरकार ने युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों की विधवाओं के पुनर्वास और उन्हें वित्तीय सहायता देने के लिए कई उपाय किए हैं। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण योजनाएँ इस प्रकार हैं:—

(क) सरकार ने इस आशय के आदेश जारी किए हैं कि युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों के प्रत्येक परिवार में से दो सदस्यों को रोजगार कार्यालय के माध्यम के बिना श्रेणी-3 और श्रेणी-4 के पदों पर नियुक्त किया जा सकता है। इस प्रयोजन के लिए वीरगति प्राप्त सैनिक की विधवा के अतिरिक्त "परिवार" की परिभाषा में रक्षा सेवा के मृत कार्मिकों के लड़कों, लड़कियों/नजदीकी रिश्तेदारों को भी सम्मिलित किया गया है।

(ख) पैट्रोल मंत्रालय ने वीरगति प्राप्त सैनिकों की विधवाओं और युद्ध में निःशक्त हुए सैनिकों की विभिन्न पैट्रोल पदार्थों की सभी एजेन्सियों का 10 प्रतिशत आरक्षित कर दिया है।

(ग) सरकार ने वीरगति प्राप्त सैनिकों विधवाओं और अन्य युद्ध संतप्त तथा निःशक्त सैनिक अथवा उनके आश्रितों को आवर्ती/अनावर्ती अनुदान देने के लिए एक विशेष निधि बनाई है जिसे "युद्ध संतप्त तथा निःशक्त सैनिक विशेष राहत निधि" कहते हैं।

2. इसके अतिरिक्त, वीरगति प्राप्त सैनिकों की विधवाओं को विभिन्न राज्य सरकारों ने भी रियायतें तथा वित्तीय सहायता दी हैं।

3. 1962 के चीनी आक्रमण, 1965 और 1971 के भारत-पाक संघर्ष में वीरगति प्राप्त सैनिकों की विधवाओं की विभिन्न राज्यों में संख्या परिशिष्ट "क" में दी गई है।

4. केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा दिए जा रहे लाभों/सुविधाओं को वीरगति प्राप्त किसी सैनिक की विधवा द्वारा मना करने की कोई घटना रक्षा मंत्रालय के ध्यान में नहीं आई है। वीरगति प्राप्त सैनिकों की विधवाओं को भूमि के आवंटन, अनुग्रहपूर्वक अनुदान की अदायगी, शैक्षणिक रियायत, पेंशन मंजूर करने, मकान के लिए जमीन देने आदि के मामले में अपेक्षा अथवा तंग किए जाने की जब कभी कोई शिकायतें मिलती हैं तो उनका निराकरण करने के लिए सरकार, सम्बन्धित अधिकारियों के साथ बात-चीत करती है।

1-4-1981 को लोक सभा में पूछे गये अतरांकित प्रश्न संख्या 5957 के उत्तर में उल्लिखित विवरण का परिशिष्ट "क"

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	वीरगति प्राप्त सैनिकों की विधवाओं की कुल संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	70
2.	असम	23
3.	बिहार	150

4. गुजरात	7
5. हरियाणा	707
6. हिमाचल प्रदेश	456
7. जम्मू व कशमीर	357
8. केरल	117
9. मध्य प्रदेश	82
10. महाराष्ट्र	361
11. मणीपुर	2
12. मेघालय	2
13. मिजोरम	5
14. कर्नाटक	41
15. नागालेंड	—
16. उड़ीसा	25
17. पंजाब	972
18. राजस्थान	459
19. तमिलनाडू	130
20. त्रिपुरा	2
21. उत्तर प्रदेश	1113
22. पश्चिम वंगाल	65
23. चण्डीगढ़	2
24. दिल्ली	60
25. गोआ, दमन और दयू	1
26. अरुणाचल प्रदेश	—
27. सिक्किम	1
जोड़	5210

आधारभूत सुविधाओं के उपयोग के बारे में विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों के बीच समन्वय

5958. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आधारभूत सुविधाओं का अधिकतम उपयोग करने और—

(1) औद्योगिक विकास ;

(2) पर्यटन सम्वर्धन ; और

(3) इनके लिए तथा ऊर्जा के अन्य वर्गों के लिए बिजली की व्यवस्था के लिए राष्ट्रीय

राजमार्ग/रेल लाइनों/विमान सेवाओं जैसी इस आधारभूत सुविधा की व्यवस्था हेतु योजना तैयार करने के बारे में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों के बीच कोई समन्वय है ;

(ख) यदि हाँ, तो किस तरह का समन्वय है और संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए क्या कोई एजेंसी/तंत्र स्थापित किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या ऐसा कोई एजेंसी/तंत्र स्थापित किए जाने का विचार है ?

योजना तथा श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हाँ ।

(ख) अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों के बीच (जिनमें माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित परिवहन, बिजली, उद्योग और पर्यटन जैसी आधारिक संरचना शामिल है) समन्वय का कार्य योजना आयोग द्वारा पंचवर्षीय और वार्षिक योजनाओं को तैयार करने के समय किया जा रहा है। इस सन्दर्भ में योजना आयोग क्रमिक रूप में कई अभ्यास करता है तथा केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श करता है। योजना आयोग के भीतर विभिन्न क्षेत्रकीय और अन्य प्रभागों के बीच भी अन्तर-कार्यवाही की जाती है। इस प्रकार अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों तथा केन्द्रीय और राज्य क्षेत्रकीय कार्यक्रमों के बीच अधिकतम सम्भव एकीकरण और समन्वय के साथ पंचवर्षीय और वार्षिक योजनाओं को तैयार किया जाता है ।

(ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होता ?

वर्तमान सरकार द्वारा छठी योजना के प्रारूप का पुनः तैयार किया जाना

5959. **श्री शिव कुमार सिंह :**

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी :

क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने किन कारणों से विवश होकर पिछली सरकार की अवधि के दौरान तैयार किये गये छठी पंचवर्षीय योजना के समूचे प्रारूप को पुनः तैयार करने का निर्णय किया है ;

(ख) इस समय नया प्रारूप किस स्थिति में है ; और

(ग) पुराने और नये प्रारूप में-मतभेद की कौन-कौन सी मुख्य बातें होंगी तथा क्या मूल्य-वृद्धि के प्रभाव को दूर करने तथा अधिक विकास दर का नया लक्ष्य प्राप्त करने के लिये समूचे योजना नियतन में वृद्धि होने की संभावना है ?

योजना तथा श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) सरकार ने नई छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) तैयार करने का निर्णय किया जिससे सरकार के विचार में प्राथमिकताएँ प्रकट हों और जिसमें पहले की प्रारूप पंचवर्षीय योजना (1978-83) को तैयार करने के बाद भारत की आंतरिक आर्थिक स्थिति में हुई गतिविधियों और विदेशी आर्थिक परिस्थिति को ध्यान में रखा जाए ।

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित हो चुकी है।

(ग) संलग्न विवरण में परिशोधित प्रारूप छठी पंचवर्षीय योजना (1978-83) और नई छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) के वित्तीय परिव्यय दिए गए हैं ।

विवरण

प्रारूप छठी योजना—परिशोधित (1978-83) और छठी योजना (1980-85) में सरकारी और निजी क्षेत्रक परिव्यय

(करोड़ रुपये)

क्षेत्रक	प्रारूप छठी योजना (1978-83)			छठी योजना (1980-85)		
	निवेश	वर्तमान परिव्यय	जोड़	निवेश	वर्तमान परिव्यय	जोड़
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. सरकारी क्षेत्रक	60750	10250	71000	84000	13500	97500
2. निजी क्षेत्रक	70377	—	70377	74710	—	74710
जोड़ :	131127	10250	141377	158710	13500	172210

टिप्पणी : 1978-83 की योजना के लिए परिव्यय 1978-79 की कीमतों पर हैं ;

1980-85 की योजना के लिए परिव्यय 1979-80 की कीमतों पर हैं।

अखबारी कागज की क्षमता का उपयोग

5960 **श्री कुशिव कुमार सिहं** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अखबारी कागज की कुल अधिष्ठापित क्षमता कितनी है और इस समय उसके उपयोग की प्रतिशतता क्या ; है;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री) चरणजीत चानना : इस समय देश में नेशनल न्यूजप्रिंद एण्ड पेपर मिल्स ही अखनारी कागज का उत्पादन करने वाली एकमात्र भिल है। इसकी वर्तमान अधिष्ठामित क्षमता 67,500 मी टन प्रति वर्ष तथा क्षमता उपयोग लगभग 74 प्रतिशत है।

उड़ीसा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातिमों में साक्षरता

5961. **श्री चिंतामणि जैना** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़िसा के अनुसिूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों में साक्ष रता की प्रतिशतता क्या है ;

(ख) उनकी साक्षरता की प्रतिशत बढ़ाने के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या विशेष उपाय किये हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि राज्य सरकार ने केन्द्र से अनुरोध किया है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों को दी जाने वाली मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति में केन्द्र और राज्य द्वारा आधा-आधा हिस्सा बटाया जाए अथवापूरा व्यय केन्द्र द्वारा ही पूरा किया जाए ; और

(घ) यदि हाँ, तो इस मामले में केन्द्र द्वारा क्या निर्णय किया गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) : 1971 की जनगणना के अनुसार उड़ीसा की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों (आयु वर्ग-0-4 को मिलाकर) में साक्षरता का प्रतिशत क्रमशः 15.61 और 9.46 था। 1981 की जनगणना अभी हाल में की गई है और उसके आंकड़े अभी तैयार नहीं किये गये हैं।

(ख) से (घ) : अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

नई दिल्ली नगरपालिका, दिल्ली नगर निगम व दिल्ली प्रशासन के कर्मचारियों के विरुद्ध सतर्कता विभाग द्वारा जांच

5962. **श्री निहाल सिंह** : क्या गृह मंत्री यह वताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली नगर पालिका, दिल्ली प्रशासन व दिल्ली नगर निगम के जनरल विंग के ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिनके विरुद्ध दिल्ली के सतर्कता विभाग द्वारा जांच की जा रही है और जिन कर्मचारियों के विरुद्ध जाँच की जा रही है वे किन-किन विभागों से सम्बद्ध है और उनके पद-नाम क्या हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि नगर निगम का सतर्कता विभाग कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध पिछले तीन वर्षों से जांच कर रहा है और जांच अभी तक पूरी नहीं की गई है ; और

(ग) यदि हाँ तो इन कर्मचारियों और विभागों का जिनसे वे सम्बद्ध हैं विवरण क्या है और जांच पूरी करने में क्या कठिनाइयां अनुभव की जा रही हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) दिल्ली प्रशासन का सतर्कता विभाग प्रशासन के सिर्फ राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक जांच पड़ताल करता है। दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगरपालिका के कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक जांच पड़ताल उनके अपने सतर्कता विभागों/जांच अधिकारियों द्वारा की जाती है। दिल्ली प्रशासन, दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर पालिका के सतर्कता विभाग/जांच अधिकारियों के समक्ष लम्बित जांच-पड़ताल के ब्यौरों के तीन विवरण क्रमशः परिशिष्ट क, ख और ग में दिये हैं। (ग्रन्थालय में रखे गये देखिए संख्या एल० टी०—2272/81)

(ख) और (ग) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया हैं कि 54 कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय जांच;पडताल तीन से अधिक वर्षों से लम्बित पडीं है इन जांच-पडतलों के बारे में तत्संबंधी ब्यौरे परिशिष्ट घ विवरण में दिये गये हैं। (ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी०–2272/81,) यह स्पष्ट किया गया है कि इनमें से 49 कर्मचाचिों के विरुद्ध जांच-पडताल पूरी होने की अंतिम व्यवस्था में है अर्थात इनके मामलों में सबूत पूरा कर लिया गया है और वे जांच रिपोर्ट लिखने, कारण वताओ नोटिस जारी करने और कारण वताओ नोटिसों के उत्तरों पर विचार करने की अवस्था में हैं। शेष पांच मामलों में से तीन सी०बी०आई० के मामले हैं जिनमें लम्बी कार्रवाई की जानी है और अन्य दो मामले अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिए गए हैं एक न्यायालय से स्थगन आदेश के कारण और दूसरा इस तथ्य के कारण कि संबंधित कर्मचारी एक अन्य मामले में सेवा से निकाल दिया गया है।

भारतीय तेल में स्थायी निगम और दैनिक मजूरी के आधार पर कार्य कर रहे कर्मचारियों की संख्या

5963. **श्री निहाल सिंह** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय तेल निगम लिमिटेड में कितने कर्मचारी स्थायी आधार पर और कितने कर्मचारी दैनिक मजूरी के आधार पर कार्य कर रहे हैं ; और

(ख) कर्मचारी भविष्य निधि और राज्य बीमा निधि की कितनी राशि अभी तक जमा कराई गई है और कितनी राशि इन शीर्षों के अंतर्गत वकाया है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) : सूचना एकत्र की जा रही है और शीघ्र सभा की मेज पर रख दी जाएगी

दिल्ली में पकड़े गये जाली करेंसी नोट

5964. **श्री निहाल सिंह** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की अपराध शाखा ने 10,50 और 100 रुपये के जाली करेंसी नोट पकड़े थे ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में की गई जांच के क्या परिणाम निकले ; और

(ग) कितने व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) नीचे बताऐ गए तीन अलग अलग मामले दर्ज किए गए हैं।

1. थाना पार्लियामेंट स्ट्रीट के अन्तर्गत प्रथम सूचना पिपोर्ट सं. 700 तारीख 22-12-1980 के अनुसार 100 रू० का एक नोट पकड़ा गया।

थाना लाहौरी गेट के अन्तर्गत प्रथम-सूचना निपोर्ट सं० 73 ता० 27-1-1981 के अनुसार 50 रु० का नोट पकड़ा गया।

थाना लाहोरी गेट के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 76 ता.27-1-81, 100के 4 नोट 50 के दो नोट और 10 रु० के 17 नोट पकड़े गए। सभी तीनों मामलों की जांच की जा रही है।

(ग) इन मामलों में तीन व्फ्तियों को गिरफतार किया है।

विजली काटन मिल्स, हाथरस में दैनिक और मासिक मजूरी के आधार पर कार्य कर रहे कर्मचारी

5965. **श्री निहाल सिह** : क्या **श्रम मंत्री** यह वताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अधीन चल रहे विजली काटन मिल्स हाथरस में दैनिक मजूरी और मासिक मजूरी के आधार पर कितने कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं।

(ख) इस मिल के कर्मचारी राज्य वीमा योजना और कर्मचारी भविष्य निधि की कितनी कितनी राशि अब तक जमा कराई है और इन खातों की कितनी राशि उनकी और बकाया है ; और

(ग) शेष राशि को वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की ग़ई है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) (क) : उपलब्ध सूचना के अनुसार, कर्मचारी राज्य बीमा योजना और कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या (जिनमें नैमित्तिक आधार पर नियोजित श्रमिक शामिल हैं) क्रमश: 1078 और 1332 थी।

(ख) और (ग) : कर्मचारी राज्य निग़म प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि नियोजक ने 1/76 से 12/80 की अवधि के लिये 13,99,001.60 रूपये की राशि जमा कराई है और अभी भी उनकी ओर 12,72,954.00 रुपये की राशि वकाया है। रूग्ण कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अधनियम, 1974 के अधीन नियुक्त संदाय आयुक्त के समक्ष अधिकार में लेने से पूर्व की देय राशियों

के सम्बन्ध में दावा दायर किया गया और आयुक्त ने 5,00,206.70 रुपये का पंचाट दिया है। निगम ने शेष राशि के सम्बन्ध में न्यायालय में अधीन दायर की है।

कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि चूंकि इसे, राष्ट्रीय कपड़ा निगम लिमिटेड द्वारा अपने अधिकार में ले लिया गया, अतः प्रतिष्ठान 3/75 से 12/77 की अवधि के सम्बन्ध में 7018 रुपये की राशि को छोड़कर, भविष्य निधि की बकाया राशि को नियमित रूप से जमा करा रहा है। इस राशि को वसूल करने के लिए आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जा रही है। इसके अतिरिक्त, अधिकार में लिए जाने से पूर्व प्रतिष्ठान को 13.59 लाख रुपये की देय राशि का भुगतान करना था। इस राशि के सम्बन्ध में दावा संदाय आयुक्त के पास दायर किया गया, जिन्होंने अब 9.47 लाख रुपये का पंचाट दिया है।

सीमेंट उत्पादन पर गोष्ठी

5966. **श्री हरिहर सोरन :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1981 में अखिल भारतीय सीमेंट अनुसन्धान संस्थान द्वारा आयोजित सीमेंट उत्पादन पर अखिल भारतीय गोष्ठी ने ऊर्जा की कम खपत के लिए प्रमुख सीमेंट संयंत्र के "प्लांट ले आउट" और डिजाइन पद्धति में कुछ नये तरीके अपनाने के लिये कुछ सुझाव दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकारी क्षेत्र के प्रमुख सीमेंट संयंत्रों में भी ऐसे तरीके अपनाने का विचार है ;

(ग) कम ऊर्जा के संरक्षण के लिये अन्य कौन सी प्रौद्योगिकी अपनाने का विचार है ;

(घ) क्या ऐसे प्रस्तावों को कार्यान्वित किया जायेगा ; और

(ङ) इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (ङ) जी हां। संगोष्ठी में इस बात पर बल दिया गया था कि ऊर्जा की आवश्यकताओं को न्यूनतम रखना संयंत्र विन्यास, सिस्टम डिजाइन तथा बड़े आकार के संयंत्रों की मशीनों एवं उपकरणों का चुनाव करने एक महत्व-पूर्ण मानदण्ड होना चाहिए। तो भी अपनाये जाने की सम्भावनाओं का पता लगाए जाने हेतु हर संयंत्र तथा विभिन्न स्थितियों के आधार पर इन सुझावों की जाँच करने की आवश्यकता है। सीमेंट रिसर्च इन्स्टीट्यूट द्वारा सरकारी क्षेत्र सहित देश के सभी सीमेंट उत्पादकों के बीच संगोष्ठी के ये विचार परिचालित किए जा रहे हैं। अतः अपनाये जाने वाले संयंत्र-वार अभ्युपाय अथवा उनके लिए लगने वाले समय को इस समय नहीं बताया जा सकता है।

अनन्तगिरि में रेडियो धर्मी चट्टानों के प्रकटन के कारण हुई मृत्यु का सत्यापन

5967. **श्री जी० वाई० कृष्णन :**
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि किसी विशेषज्ञ दल को अनन्तगिरि फारेस्ट, जिला विशाखापतनम जाकर इन रिपोर्टों का सत्यापन करने का निर्देश दिया गया था कि वहाँ रेडियो धर्मी चट्टानों के प्रकटन के कारण 25 आदिवासियों की मृत्यु हो गई है ; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा इलैक्ट्रानिकी और पर्यावरण विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जी, हाँ ।

(ख) इस विभाग के परमाणु खनिज प्रभाग के तीन भू-वैज्ञानिकों का एक दल हाल ही में अनन्तगिरि रिजर्व फोरेस्ट में उस क्षेत्र की जाँच के लिए गया था । जाँच के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि जिन आदिवासियों की मृत्यु की बात रिपोर्ट में कही गई है, उनकी मृत्यु का कारण रेडियो सक्रियता नहीं हो सकती थी ।

ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम का संशोधन

5668. **श्री के० ए० राजन** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उपदान संदाय अधिनियम के उपबंधों में संशोधन करने के लिए किसी उपाय पर विचार कर रही है जिसके परिणाम स्वरूप ग्रेच्यूटी की राशि प्रत्येक सेवा वर्ष के लिए 30 दिन के कुल वेतन और भत्तों तक बढ़ा दी जायेगी और इस अधिनियम में न्यूनतम सेवा और बर्खास्तगी के मामले में ग्रेच्यूटी की जब्ती के खंड को निकाल दिया जा सकता है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) इस सम्बंध में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और इन पर विचार किया जा रहा है ।

मुलनकुन्नाथकर, त्रिचूर में ई० एस० आई० टी० बी० अस्पताल का प्रबन्ध

5969. **श्री के० ए० राजन** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकर को पता है कि केरल केत्रिचूर जिले में मुलनकुन्नाथकर में ई०एस० आई० टी० बी० अस्पताल काफी अर्से से खराब स्थिति में है ;

(ख) यदि हां, तो क्या स्थिति पर विचार करने के लिये सरकार द्वारा कोई उपाय किये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था करना राज्य सरकारों की सांविधिक जिम्मे-

वारी है, अपेक्षित सूचना केरल की सरकार से एकत्र की जा रही है, और इसे शीघ्र सभा की मेज पर रख दिया जाएगा ।

दिल्ली नगर निगम को प्रेषित सम्पत्ति कर सम्बन्धी मामलों के बारे में पत्र

5970. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम ने जोनल कार्यालयों में यह प्रक्रिया सुस्थापित हो चुकी है कि यदि कोई करदाता अपने ऊपर लगाये गये अधिक सम्पत्ति कर की ओर ध्यान दिलाये तथा तत्संबंधी आंकड़े माँगने अथवा तत्संबंधी किसी मामले में स्पष्टीकरण करने के लिए निगम को पत्र लिखे तो उसे कोई उत्तर ही न दिया जाये ;

(ख) क्या दिल्ली नगर निगम के आयुक्त को प्रेषित पत्रों की पावती तक नहीं भेजी जाती ;

(ग) क्या उक्त प्रक्रिया से भ्रष्टाचार जन्म लेता है और ऐसे कदाचार बढ़ते हैं जिसके कारण करदाताओं को जोनल अधिकारियों तथा इन्स्पैक्टरों के पीछे-पीछे दौड़ना पड़ता है ;

(घ) दिल्ली नगर निगम के राजोरी गार्डन जोन तथा दक्षिणी जोनों में सम्पत्ति कर सम्बन्धी मामलों के बारे में कुल कितने पत्र विचाराधीन पड़े हुए हैं और उनके उत्तर न दिये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या सरकार निगम को इस आशय के निर्देश देने की वांछनीयता पर विचार करेगी कि ऐसे सभी पत्रों के उत्तर यदि पहले नहीं तो कम से कम तीस दिन के भीतर तो अवश्य दे दिए जाने चाहिए ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) निगम ने सूचित किया है कि दिल्ली नगर निगम के आयुक्त के नाम भेजे गए पत्रों की पावती भेजी जाती है ;

(ग) प्रश्न के भाग "क" तथा "ख" के उत्तर की दृष्टि से प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) 693 निगम ने कहा कि इस तथ्य को दृष्टि से कि पश्चिमी जोन (राजौरी गार्डन) और दक्षिणी जोन (ग्रीन पार्क) के अधिकतर कर्मचारी 5-3-81 तक जनगणना कार्य में लगे हुए थे और चालू वित्त वर्ष समाप्त हो रहा था तथा व्यक्तिगत सम्पर्क द्वारा करदाताओं से कर एकत्र करने के लिए कर्मचारियों को प्रतिनियुक्त किया गया था अतः इन पत्रों का उत्तर नहीं दिया जा सका । निगम ने सूचित किया है कि इन दोनों जोनों में लम्बित सभी पत्रों का उत्तर 30 अप्रैल, 1981 तक दे दिया जाएगा ।

(ङ) निगम को यह सुनिश्चित करने के निदेश दिये गए हैं कि इस प्रकार के सभी पत्रों के उत्तर शीघ्र दिए जाएँ ।

बम्बई की एक फर्म द्वारा सेना को घटिया कम्बलों की सप्लाई

5971. **श्री सनत कुमार मंडल :**

श्री जार्ज फर्नाण्डीज :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई की एक फर्म द्वारा सेना को घटिया कम्बलों की सप्लाई किये जाने के बारे में कोई जाँच की गई है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) दोषी अधिकारियों एवं सम्बद्ध मिल के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) जी हाँ। यह मामला जाँच के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंपा गया था और उन्होंने नवम्बर 1973 में जो जाँच रिपोर्ट दी उससे यह पता चला कि 1971 में मैसर्स श्रीकृष्ण वूलन मिल्स द्वारा सप्लाई किए गए कुछ कम्बल घटिया किस्म के थे।

(ग) दोषी अफसरों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गई थी। जो सैनिक अफसर सेवा-निवृत्त हो गया था उसके मामले में पेंशन में कटौती कर दी गई थी और सिविलियन दोषी अफसर की पदोन्नति एक वर्ष के लिए रोक दी गई थी। उस फर्म के साथ तीन वर्ष के लिए व्यापार रोक दिया गया और सप्लाईकर्त्ता के कारण सरकार को जो नुकसान हुआ उसकी वसूली का प्रश्न चित्र निर्णय के लिए पड़ा हुआ है।

अबोहर में छावनी

5972. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अबोहर "पंजाब" में एक छावनी स्थापित करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो इसमें अनुमानत: कितनी धनराशि खर्च होगी ; और

(ग) इस परियोजना का कार्य कब शुरू होने और कब पूरा होने की सम्भावना है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) अबोहर उन स्थानों में से एक है जहाँ पर सैनिक स्टेशन बनाने पर विचार हो रहा है इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लिया जाना है।

कर्मचारी भविष्य निधि की पूंजी निवेश योजनाओं का पुनरीक्षण तथा ब्याज की दर में वृद्धि

5973. **श्री के० ए० राजन :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारी भविष्य निधि की पूंजी निवेश योजनाओं का पुनरीक्षण करने पर विचार कर रही है तथा छूट-प्राप्त प्रतिष्ठानों के लिए ब्याज की दर बढ़ाकर दस प्रतिशत कर दी गई है ; और

(ख) क्या सरकार बैंक तथा डाकघर पूंजी-निवेश से प्रतिवर्ष मिलने वाले ब्याज को निधि में श्रमिकों के अंशदान के लिए वितरित करने पर भी विचार कर रही है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) निवेश के पैटर्न को हाल ही में अर्थात् पहली जनवरी, 1981 से संशोधित किया है। इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है कि कर्मचारी भविष्य निधि के निवेश पैटर्न में और संशोधन किया जाए। छूट-प्राप्त प्रतिष्ठानों के बारे में ब्याज दर सम्बन्धित न्यासी बोर्डों द्वारा घोषित की जाती है और छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के सम्बन्ध में ब्याज दर को 10 प्रतिशत तक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) भविष्य निधि की कोई भी राशि बैंकों में निवेश नहीं की जा रही है। डाकघर सावधि जमा पर अर्जित ब्याज और अन्य निवेशों को सदस्यों के भविष्य निधि संचयनों पर वार्षिक देय ब्याज की दर को निर्धारित करने के प्रयोजनार्थ ध्यान में रखा जाता है।

चौथा भारतीय इन्जीनियरिंग व्यापार मेला

5974. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एसोसिएशन आफ इण्डियन इंजीनियरिंग इण्डस्ट्री के तत्वावधान में प्रगति मैदान, नई दिल्ली में इस वर्ष 2 से 18 फरवरी तक चौथा भारतीय इन्जीनियरिंग व्यापार मेला आयोजित किया गया था ;

(ख) यदि हां; तो आयोजकों ने यह मेला देखने के लिए संसद सदस्यों को भी आमंत्रित किया था ;

(ग) यदि हां, तो क्या संसद सदस्यों के पूरे मेले में हिन्दी भाषा में प्रदर्शित एक भी नाम पट्ट देखने को नहीं मिला ; और

(घ) यदि हां, तो क्या यह 1963 और 1967 के राजभाषा अधिनियम के प्रावधानों का घोर अतिक्रमण नहीं है और ऐसा करने के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) तथा (घ) एसोसिएशन आफ इण्डियन इन्जीनियरिंग इण्डस्ट्री जिसने इस मेले का आयोजन किया था, से प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित क्षेत्रों में हिन्दी का प्रयोग किया गया था :-

(1) व्यापार मेले के बार में जानकारी फोल्डर हिन्दी में प्रदर्शित किया गया था।

(2) इण्डियन इंजोनियरिंग ट्रेड फेयर के गेट नम्बर 1 के बाहर मुख्य बोर्ड हिन्दी में भी लिखा गया था ।

(3) एसोसिएशन आफ इण्डियन इंजीनियरिंग इण्डस्ट्री के चेयरमैन द्वारा कई माननीय संसद सदस्यों को पत्र हिन्दी में लिखे गए थे ।

सरकारी क्षेत्र के जिन उपक्रमों ने मेले में भाग लिया था उनके द्वारा हिन्दी के प्रयोग के बारे में जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

उड़ीसा में इलैक्ट्रानिकी निगम की स्थापना

5975. **श्री रामचन्द्र रथ : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) किन-किन राज्यों में इलेक्ट्रानिकी निगम स्थापित किये गये हैं ;

(ख) क्या सरकार ने उड़ीसा में ऐसे इलेक्ट्रांनिकी निगम के गठन के बारे में मार्गदर्शी सिद्धान्त भेजे हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने उड़ीसा के प्रस्तावित इलेक्ट्रांनिकी निगम के लिये प्रारम्भिक अवस्था में कोई धनराशि मंजूर की है अथवा करने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो इस शीर्ष के अन्तर्गत उड़ीसा राज्य को कुल कितनी राशि देने का विचार है तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा इलेक्ट्रांनिकी और पर्यावरण विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह : (क) बिहार, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में राज्य स्तरीय इलेक्ट्रांनिकी निगमों की स्थापना की गई है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

बीमारी के आधार पर बिना बारी के सरकारी आवास के आबंटन

5976. **श्री चन्द्रपाल शैलानी : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन को बीमारी के आधार पर बिना बारी के सरकारी आवास के आवंटन के लिये विभिन्न विभागों से गत तीन वर्ष के दौरान विभाग-वार और वर्ष-वार कुल कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए ;

(ख) लोक नायक जयप्रकाशनारायण अस्पताल, नई दिल्ली द्वारा प्रति वर्ष कितने आवेदन-पत्र अग्रसारित किये गये और कितने आवेदक थे । और

(ग) उनको बिना बारी के सरकारी आवास कब तक आवंटित कर दिया जायेगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) ; (क) विवरण संलग्न है ।

(क) विवरण संलग्न है ।

(ख)	अवधि	आवेदन पत्रों की संख्या
(1)	अप्रैल, 1978 से मार्च, 1979 तक	3
(2)	अप्रैल, 1979 से मार्च, 1980 तक	2
(3)	अप्रैल, 1980 से मार्च, 1981 कत	4
		कुल 9

(ग) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है लोक नायक जयप्रकाश नारायण अम्पताल, नई दिल्ली द्वारा भेजे गये 9 आवेदन पत्रों में से 8 मामलों में आवंटन किया जा चुका है । जहाँ तक 9 वें मामले का संबंध है, आवेदक ने अपेक्षित डाक्टरी, प्रमाण पत्र नहीं भेजा है ।

विवरण

क्र० सं०	विभाग	चिकित्सा मामलों की सूची		
		78-79 अप्रैल, 78 से मार्च 79 तक	79-80 अप्रैल 79 से मार्च 80 तक	80-81 अप्रैल 80 से मार्च 81 तक
1	2	3	4	5
1.	शिक्षा निदेशालय	25	12	8
2.	तकनीकी शिक्षा निदेशालय	2	2	—
3.	लो० ना० जयप्रकाश ना० अस्पताल	3	2	4
4.	भूमि तथा भवन विभाग	—	2	2
5.	उद्योग निदेशालय	1	—	—
6.	पंजीकार, सहकारी समितियां	—	—	1
7.	वेतन तथा लेखा कार्यालय	2	1	2
8.	उपायुक्त का कार्यालय	—	2	1
9.	बिक्री कर आयुक्त	—	1	2
10.	रोजगार निदेशालय	3	1	2
11.	खाध तथा आपूर्ति आयुक्त	2	1	1

1	2	3	4	5
12	समाज कल्याण निदेशालय	1	2	1
13.	आवास ऋण विभाग	—	1	—
14.	विकास आयुक्त का कार्यालय	—	—	1
15.	श्रम आयुक्त	—	1	1
16.	परिवहन निदेशालय	—	—	1
17.	जिला एवं सत्र न्यायाधीश	1	2	1
18.	दिल्ली प्रशा० सचिवालय	—	—	1
19.	मेंटल अस्पताल	—	—	1
20.	जी०बी० पंत अस्पताल	—	1	—
21.	मुख्य इंजीनियर, लो० नि० वि०	—	—	1
22.	दिल्ली इंजीनियरिंग कालेज	—	—	1
	जोड़	40	31	32

म्युनिसिपल मार्किट, कनाट सर्कस, नई दिल्ली में कारों की मरम्मत करने वाली दुकानें

5977. **प्रो० अजितकुमार मेहता** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि म्यूनिसिपल मार्केट, कनाट सर्कस नई दिल्ली में कारों की मरम्मत करने वाली विभिन्न दुकानें अपना काम मुख्यतः सड़क पर करती हैं जिससे यातायात के मुक्त प्रवाह में बाधा पड़ती है ;

(ख) क्या उसके कारण अनेक दुर्घटनायें भी हो चुकी हैं ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार इस बारे में क्या उपाय करने का है ताकि यातायात के मुक्त प्रवाह में बाधा न पड़ सके ।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हाँ, श्रीमान ।

(ख) पिछले तीन वर्षों में अर्थात 1978 से 1980 तक, बताया जाता है कि सड़क की इस पट्टी पर केवल एक मामूली दुर्घटना हुई ।

(ग) घटना स्थल पर चालानों के अतिरिक्त यातायात पुलिस वाहनों को क्रेन से उठाती

रहती हैं। इस क्षेत्र में जनवरी 1981 में 13 वाहन और फरवरी 1981 में 7 वाहन उठाये गये थे।

ब्रिटिश शिष्ट-मंडल की भारत की यात्रा

5978. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटिश शिष्ट-मंडल ने इलेक्ट्रानिक कम्पोनेंट इंडस्ट्री द्वारा हाल ही में प्रायोजित भारत की यात्रा की थी और विचार-विमर्श किया था ; और

(ख) यदि हां, तो विचार-विमर्श का क्या परिणाम निकला ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग और इलैक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) ब्रिटिश शिष्ट-मंडल की यह जवाबी यात्रा थी, जिसका उद्देश्य इस बात का पता लगाना था कि व्यापार तथा औद्योगिक सहयोग में किस सीमा तक वृद्धि होने की संभावना है। इस चरण में यह भविष्यवाणी करना असामयिक होगा कि मात्रात्मक दृष्टि से इसका क्या परिणाम होगा, किन्तु यह बात अवश्य है कि इस यात्रा के फलस्रूप दोनों देशों के बीच पारस्परिक सहयोग का अनुकूल वातावरण बना है।

अगर-बत्तियों का निर्माण

5979. **श्री आर० के० महालगी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगरबत्ती का उत्पादन प्रधानतः एक कुटीर उद्योग है और क्या इसके लगभग चार लाख कर्मचारियों को रोजगार मिला हुआ है ;

(ख) क्या सरकार इस लघु उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए उद्योग को कच्चा माल सीधे उपलब्ध कराने के लिये कोई उपाय कर रही है ;

(ग) क्या यह सच है कि इस कच्चे माल का निर्यात किया जाता है जिससे उद्योग को इन चीजों की कमी पड़ जाती है ;

(घ) क्या यह सच है कि अपरिष्कृत अगरबत्ती का भी निर्यात किया जा रहा है और विदेशों में इनका सम्मिश्रण करा कर भारत में पुनः आयात किया जा रहा है ;

(ङ) क्या सरकार को अगरबत्ती के उत्पादन में सुधार के बारे में सुझाव देने के लिये गठित अध्ययन समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है; और

(च) यदि हां, तो इसकी सिफारिशें क्या हैं ;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) (क) : जी, हां।

(ख) कर्नाटक सरकार (जहां ये कारखाने प्रमुख रूप से हैं) ने इस कारखाने की प्रमुख कच्चामाल उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्था की है।

(ग) इस बारे में सरकार को शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(घ) सरकार की ऐसी प्रक्रिया की कोई जानकारी नहीं है ।

(ङ) ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि कोई अध्ययन समिति गठित की गई है।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विदेशी अंशदान स्वीकार कर रहे संगठन/संघ

5980. **श्री चित्त बसु :**

डा० वसन्त कुमार पंण्डित :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी अंशदान (विनियममन) अधिनियम, 1976 की धारा 5(एक) के अन्तर्गत कौन-कौन से संगठनों/संघों ने विदेशी अंशदान स्वीकार करने के लिये सरकार की अनुमति मागी है ;

(ख) क्या विदेशी अंशदान प्राप्त कर रहे किसी संघ ने इसे प्राप्त विदेशी अंशदान की राशि किन-किन स्रोतों से और किस तरीके से ऐसे विदेशी अंशदान प्राप्त किये गये थे और इस अधिनियम की धारा 6(एक) के अन्तर्गत किन प्रयोजनों और किस तरीके से इस अंशदान का उपयोग किया गया था, इसकी सूचना केन्द्र को दी थी ; और

(ग) क्या सरकार ने इस अधिनियम की धारा 10 (क, ख और ग) के अन्तर्गत किसी संघ/संगठन अथवा किसी व्यक्ति को कोई विदेशी अंशदान स्वीकार करने से मना किया था और किसी संघ संगठन अथवा व्यक्ति को कोई विदेशी अंशदान लेने से अनुमति प्राप्त करने के लिए कहा था ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) निम्नलिखित संगठनों/संघों ने विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम 1976 के धारा 5 (1) के अधीन विदेशी अंशदान स्वीकार करने के लिए सरकार की अनुमति मांगी है :—

1. समाजवादी महिला समाज, महाराष्ट्र ।
2. आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, नई दिल्ली ।
3. नेशनल फैंडरेशन आफ इंडियन विमैन, नई दिल्ली ।
4. हिन्द मजदूर सभा, नई दिल्ली ।
5. इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, नई दिल्ली ।
6. फ्रेंडस आफ मोरल रि-आर्मामेंट, महाराष्ट्र ।
7. जमात-ए इस्लामी-हिन्द, दिल्ली ।

(ख) अधिनियम की धारा 6 (1) के अधीन निश्चित सांस्कृतिक, आर्थिक शैक्षिक, धार्मिक अथवा सामाजिक कार्यक्रमों वाले लगभग 5,000 संघ/संघटन/संस्थाएं आदि छमाही विवरणि प्रस्तुत कर रही हैं कि उन्होंने कितना विदेशी धन प्राप्त किया, ऐसा विदेशी अंशदान किस स्र

तथा किस तरीके से प्राप्त किया और उन्होंने ऐसा विदेशी धन का किस प्रयोजन के लिए तथा किस तरीके से उपयोग किया।

(ग) जी नहीं, श्रीमान।

विदेशी अंशदान प्राप्त करने वाले राजनीतिक दलों के अभिलेखों का निरीक्षण

5981. **श्री चित्त बसु** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 14 के अन्तर्गत विदेशी अंशदान प्राप्त करने वाले किसी राजनीतिक दल/संघ/संगठन व्यक्ति के लेखे अथवा अभिलेखों का अब तक निरीक्षण कराया था ;

(ख) क्या अधिनियम की धारा 15, 16, 17, और 18, के अन्तर्गत अब तक कोई कार्यवाही की गई है और इसमें कौन से राजनीतिक दल/संगठन/संध/व्यक्ति सम्बद्ध हैं ;

(ग) क्या इस अधिनियम की धारा 23 (1 और 2), 24, 25 और 26 के अन्तर्गत कोई कार्यवाही की गई है ; और

(घ) क्या इस अधिनियम की धारा 31 के अन्तर्गत किसी संघ/संगठन/व्यक्ति को छूट गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना : (क) से (ग) : जी नहीं श्रीमान।

(घ) समुदाय को सेवा में वैज्ञानिक और तकनीकी योगदान में अब तक केवल एक व्यक्ति को उसकी उपलब्धियों को मान्यता देते हुए विदेशी अंशदान (विनियम) अधिनियम, 1976 की धारा 31 के अन्तर्गत छूट दी गई है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के ढांचे और कर्मचारियों की सेवा-शर्तों के बारे में समिति

5982 **डा० बसन्तकुमार पंडित :**
श्री एस० टी० कादरी :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय न्यासी बोर्ड ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के ढांचे और इसके कर्मचारियों की सेवा शर्तों को अन्तिम रूप देने के लिए श्री फकीर चन्द की अध्यक्षता के अन्तर्गत एक उस समिति नियुक्त की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इसका प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है ; और

(ग) इस समिति की प्रमुख सिफारिशें क्या हैं और सरकार ने कौन सी सफारिशें स्वीकार कर ली हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के ढांचे और उनके कर्मचारियों के रोजगार की शर्तों की पुनरीक्षा तथा केन्द्रीय न्यासी बोर्ड को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए फरवरी, 1979 में श्री फकीरचन्द की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी।

(ख) जी, हां।

(ग) समिति ने दो रिपोर्टें प्रस्तुत की, प्रथमतः आन्तरिय रिपोर्ट और बाद में अन्तिम रिपोर्ट। समिति की सिफारिशों, जिनको केन्द्रीय न्यासी बोर्ड ने स्वीकार किया और सरकार को प्रस्तुत किया, का सारांश सभा की मेज पर रख दिया जाएगा।

तथापि सरकार द्वारा स्वीकृत सिफारिशों संबंधी विवरण में दिया गया है। (ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी०-2273/81)।

तदर्थ अनुवादकों का नियमित किया जाना

5983. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के कार्यालय में कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग (गृह मंत्रालय) के कार्यालय ज्ञापन संख्या 14/6/78-सी एस-11 दिनांक 10 दिसम्बर, 1979 के समय पर लागू न किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ख) कथित कार्यालय में हिन्दी अनुवादकों, जिन्हें प्रशासन द्वारा जानबूझ कर नियमित आधार पर नियुक्त न करके तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया था, को नियमित करने के लिए क्या कार्यवाही की जारही है क्योंकि कथित कार्यालय ज्ञापन उक्त कार्यालय में समय पर लागू नहीं किया गया था?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के 10-12-1979 के ज्ञापन संख्या 14।6।78-सी० एस०-11 में वर्णित अनुदेशों को लागू करने के लिए भर्ती नियमों को संशोधित करना होगा। इस बारे में कार्रवाई प्रारम्भ कर दी गई है और भर्ती नियमों में शीघ्र ही संशोधन जारी कर दिए जाने की सम्भावना है।

(ख) भर्ती नियमों में संशोधन कर दिए जाने के बाद सभी तदर्थ अनुवादकों को संशोधित भर्ती नियमों के अनुसार नियमित करने के बारे में विचार किया जाएगा।

पाठ्य-पुस्तकों का पुनरीक्षण

5984. **श्री के मालन्ना** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर-मंत्रालयी सलाहकार समिति ने निर्णय किया था कि सत्र 1982-83 से इतिहास तथा भाषा की सभी पाठ्य-पुस्तकों का पुनरीक्षण करने का निर्णय किया है जिससे साम्प्रदायिक एकता तथा राष्ट्रीय अखण्डता की धारणा के विपरीत आने वाली पुस्तकों को हटा दिया जाए ; और

(ख) यदि हां, तो इस सलाहकार समिति में कार्यरत व्यक्तियों के नाम, योग्यताएं तथा सदस्य रूप में कार्य करने के लिए क्या मापदण्ड अपनाये गये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) प्रचार, शिक्षा और रोजगार संबंधी अन्तर-मंत्रालय सलाहकार समिति ने साम्प्रदायिक सद्भाव के संदर्भ में निर्णय किया हैं कि (1) विशेष रूप से संवेदनशील राज्यों में इतिहास और भाषा को पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा एक समयबद्ध कार्यक्रम के आधार पर की जाएगी ताकि शिक्षा वर्ष 1982-83 के लिए पाठ्य पुस्तकें राष्ट्रीय एकता की भावना के अनुरूप हों। कालेज और स्कूल को पाठ्यपुस्तकें तैयार करने के लिये इस संबंध में उपयुक्त मार्गदर्शी निदेश जारी किये जायेंगे। (2) पाठ्यपुस्तकों में से ऐसे विषयों को निकालने के कार्य में, जो पूर्णतः राष्ट्रीय एकता की भावना के अनुरूप नहीं है जनता का सहयोग माँगा जायगा।

(ख) केन्द्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में अन्तर मंत्रालय सलाहकार समिति में श्रम, शिक्षा तथा सांस्कृतिक कार्य, सूचना एवं प्रसारण, उद्योग मंत्रालयों, कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग और आर्थिक कार्य विभाग के अतिरिक्त सचिव।संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी हैं।

भारतीय मत्स्य उद्योग का संयुक्त अध्ययन

5985. **डा० वन्सत कुमार पंडित :**

श्री रामचन्द्र रथ :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या केन्द्र सरकार ने भारतीय मत्स्य उद्योग का व्हाइट फिश अथारिटी और ए० एण्ड पी० एपेलीडोर (इन्टरनेशनल) लिमिटेड के द्वारा संयुक्त अध्ययन को प्रायोजित किया हैं ;

(ख) यदि हां, तो संयुक्य अध्ययन के द्वारा मत्स्य उद्योग के विकाश के लिए क्या सुझाव दिए गए हैं और उन पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है ;

(ग) क्या उन्होने तीन प्रमुख शिपिंग केन्द्रों की स्थापना की सिफारिश की है ; यदि हां, तो सुझाए गए स्थान और योजनाएं क्या हैं ;

(घ) क्या इस प्रकार का कोई केन्द्र उड़ीसा मे स्थापित किया जायेगा; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) (क) जी, हां।

(ख) अध्ययन दल ने अगले 10 वर्षों में अपेक्षित मत्स्य नौकाओं के प्रकार, साइज और संख्या के बारे में सिफारिशें की और स्वदेशी उद्योग के विकास के लिए उपायों के बारे में सुझाव दिया। यह रिपोर्ट मत्स्त उद्योग और मत्स्य नौका निर्माण उद्योग सहित सभी सम्बद्ध अभिकरणों को परिचालित कर दी गई है।

(ग) रिपोर्ट में गुजरात में वेरावल, केरल में विज्जिजम और उड़ीसामें पारादीप में तीन नये मत्स्य केन्द्रों की सिफारिश की गई है।

(घ) तथा (ङ) : उड़ीसा तथा अन्य स्थानों में मत्स्य केन्द्रों के स्थान का निर्धारण विशिष्ट प्रस्तावों के गुणावगुण के आधार पर किया जायेगा।

परमाणु बिजली परियोजनाओं की परियोजना लागत में वृद्धि

5986. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या मुख्यतः आयातित तथा देशी उपकरणों के मूल्यों में वृद्धि के कारण देश में 4 परमाणु बिजली परियोजनाओं में से 3 की परियोजना लागत में भारी वृद्धि हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक बिजली संयंत्र की लागत में कुल कितनी वृद्धि हुई है ;

(ग) क्या उसको पूरा करने में विलम्ब होगा ;

(घ) यदि हां, तो सभी परियोजनाओं की लागत में कुल कितनी वृद्धि हो गई है ; और

(ङ.) लागत में वृद्धि को किस प्रकार पूरा किया जायेगा ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रानिकी और पर्यावरण विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) :(क) जी, हां।

(ख) से (घ): राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना, मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना तथा नरोरा परमाणु विद्युत परियोजना पर आने वाली लागत में क्रमशः 80.51 करोड़ रुपये 78.48 करोड़ रुपये और 66.11 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है, जिजमें से राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना के मामले में 49.61 करोड़ रुपये, मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना के मामले में 64.30 करोड़ रुपये तथा नरोरा परमाणु विद्युत परियोजना के मामले में 119.83 करोड़ रुपये की वृद्धि आयातित तथा स्वदेशी, दोनों प्रकार के, उपकरणों के मूल्यों में हुई है। परियोजनाओं को पूरा करने के काम में लागत में हुई इस वृद्धि के कारण, कोई विलम्ब नहीं होगा।

(ङ.) संशोधित अनुमानों के अनुमोदित हो जाने पर, इन परियोजनाओं के लिए संशोधित वित्तीय संस्वीकृतियां जारी की जातीं हैं और विभाग की योजनाओं तथा बजट में धन का प्रावधान किया जाता है।

भारतीय ऊर्जा सेवा के गठन का प्रस्ताव

5987. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या गृह मंत्री यह बताने कीकृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय प्रशासनिक सेवा की पद्धति पर भारतीय ऊर्जा सेवा का गठन करने का है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) तथा (ख) : जी नहीं, श्रीमान्। किन्तु अखिल भारतीय इजीनियर्स सेवा (सिंचाई, विद्युत, भवन तथा सड़क) को गठित करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

लघु उद्योगपतियों के साथ हुई बैठक

5988. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय उद्योग मंत्री तथा लघु उद्योगों के प्रतिनिधियों के साथ 21 जनवरी, 1891 को एक उच्चस्तरीय बैठक हुई थी ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या बैठक का आयोजन उद्योग मंत्री द्वारा किया गया था ;

(ग) यदि हाँ, तो बैठक का मुख्य प्रयोजन क्या है ;

(घ) उसमें किन-किन बातों पर विचार विमर्श किया गया ; और

(ङ) उसमें क्या निर्णय किये गये ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी हाँ ।

(ख) जी, हाँ ।

(ग) और (घ) इस बैठक को बुलाने का मुख्य उद्देश्य लघु उद्योग क्षेत्र के प्रतिनिधियों को इस क्षेत्र के पूरे प्रतिनिधित्व वाले एक संगठन की आवश्यकता के बारे में बताना था, जो इस क्षेत्र के विकास के लिए नीति संबंधी कामलों पर सरकार से विचार-विमर्श कर सके ।

(ङ) लघु उद्योग संघों के प्रतिनिधियों ने इस प्रकार के प्रतिनिधित्व वाली एक संस्था बनाने के बारे में अंतिम निर्णय लेने से पूर्व आपस में विचार-विमर्श करने के लिए समय मांगा ।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में इन्जीनियरी एककों में इस्पात की कमी

5989. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एकीकृत इस्पात संयंत्र से अपेक्षित इस्पात सामग्री न मिलने पर पूर्वोत्तर क्षेत्र के इन्जीनियरी एककों को अपना उत्पादन 70 प्रतिशत तक कम करने को बाध्य किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इन एककों को इस्पात की कम सप्लाई के मुख्य क्या कारण हैं ;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ; और

(घ) इस निर्णय से जिन इंजीनियरी एककों को हानि हुई है, उनका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (घ) प्रमुखतया: बिजली और कोयले की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण समेकित इस्पात संयंत्रों द्वारा किए गए बिक्री योग्य इस्पात के उत्पादन में गिरावट आई है । उत्तरी क्षेत्र से इन्जीनियरी एकक इस सामान्य कमी से प्रभावित हुए हैं । इन एककों के उत्पादन पर पड़े प्रभाव का अनुमान नहीं लगाया गया है ।

किसी भी किस्म की इस्पात के वितरण पर कानूनी नियन्त्रण नहीं है । लोहा और इस्पात

सामग्री के वितरण के लिए संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा घोषित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार लोहा और इस्पात सामग्री का वितरण किया जाता है। इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों में राज्य-वार और क्षेत्र-वार वितरण की व्यवस्था नहीं होती है। संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा किए गए आवंटनों पर संभरण के लिए प्राथमिकता सम्बन्धी योजना को उपरिलिखित मार्गदर्शी सिद्धान्तों में निर्धारित कर दिया गया है। इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार 31 मार्च, 1981 तक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए इन्जीनियरी माल के निर्यातकों की आवश्यकताओं को समग्रतः पूरा कर दिया गया है। अप्रैल-दिसम्बर, 1980 की अवधि में किए गए आवंटनों पर उत्तरी क्षेत्र में लघु उद्योग निगमों को किया गया संभरण अखिल भारतीय औसत की तुलना में संतोषजनक रहा है।

समेकित इस्पात संयंत्रों द्वारा अपेक्षित इस्पात सामग्री के संभरण में वृद्धि करने के लिए कदम उठाये गए हैं। सेल (स्टील अथारिटी आफ इन्डिया लि०) द्वारा नगर आयात और वास्तविक उपभोक्ताओं द्वारा सीधे निर्यात करने की अनुमति आयात नीति के अनुसार दे दी गई है।

शिक्षा को अधिक उद्देश्यपूर्ण बनाने हेतु मार्गदर्शी निर्देश

5990. **श्री बी० वी० देसाई :**
श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग की एक विशेषज्ञ समिति द्वारा शिक्षा का रोजगार एवं आर्थिक विकास के साथ और ज्यादा लाभप्रद सम्पर्क स्थापित करके इसे अधिक उद्देश्यपूर्ण बनाने हेतु मार्गदर्शी निर्देशों को तैयार किया जा रहा है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या विशेषज्ञ समिति ने मार्गदर्शी निर्देशों को अन्तिम रूप दे दिया है ;

(ग) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है और इनको लागू करने के लिए अन्तिम निर्णय कब लिया जायेगा ; और

(घ) क्या राज्य सरकारों ने इन मार्गदर्शी निर्देशों को मंजूर कर दिया है ?

योजना तथा श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (घ) योजना आयोग ने शिक्षा रोजगार, स्वास्थ्य और विकास में उपयोगी संवद्धताएँ प्राप्त करने के लिए उपायों की सिफारिश करने के लिए अक्तूबर, 1980 में श्री जी० पार्थसारथी की अध्यक्षता में एक कार्यकारी दल स्थापित किया है। योजना आयोग द्वारा स्थापित इस दल को अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है और इसका कार्य अभी चल रहा है। उपलब्ध होने पर रिपोर्ट पर विभिन्न अभिकरणों को विचार करना होगा।

पर्यावरण रक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत चलाए गए मुकदमें

5991. **श्री जेवियर अराकल** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि पर्यावरण रक्षा सुनिश्चित करने के लिये वर्ष 1979-80 में विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत कितने मुकदमें चलाये गये थे

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा इलैक्ट्रानिकी और पर्यावरण विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : ऐसी असंख्य विधियां, संविधियां और विनियमन है, जिनका प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पर्यावरणीय प्रतिरक्षा पर प्रभाव पड़ता है। इनमें अन्यों के अलावा निम्नलिखित शामिल हैं—विभिन्न राज्यों के जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, व्यापारिक नौ-परिवहन अधिनियम, फैक्टरी अधिनियम उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम, खान और खनिज अधिनियम, कीटनाशक अधिनियम, वन्य जीवन (प्रतिरक्षा) अधिनियम, मोटरगाड़ियाँ अधिनियम, शहरी भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम और धूम्र कण्टक अधिनियम। इन्हें केन्द्रीय, राज्य और संघ शासित प्रदेशों की सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा लागू किया जाता है। इसके अलावा, कुछ विनियमों को स्थानीय स्वशासी अधिकरणों द्वारा भी लागू किया जाता है। किसी एक स्थान पर इन विभिन्न संविधियों, विधियों विनियमों के अधीन चलाये जा रहे मुकदमों के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। केन्द्रीय, राज्य सरकारों और संघशासित प्रदेशों की सरकारों के संबंधित मंत्रालयों से और देश भर में फैली नगर और पंचायती संस्थाओं से उनके अधीन अधिसंख्य विषयों के बारे में, यथा, वनों, वन्य जीवन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कारखानों, खानों, प्रदूषण नियन्त्रण: मृदा संरक्षण, शहरी और ग्रामीण आवासी, नगर नियोजन आदि के बारे में ऐसी सभी कानूनी कार्यवाहियों के बारे में जानकारी एकत्रित करना एक विषम और समय साध्य कार्य होगा क्योंकि इन सभी संस्थाओं के बड़े व्यापक भौगोलिक और प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र हैं। इस प्रकार के किसी अध्ययन का फिलहाल विचार नहीं किया जा रहा है।

नये परमाणु बिजलीघर स्थापित किया जाना

5992. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार वर्ष 1981-82 में देश में एक नया परमाणु बिजलीघर स्थापित करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस सम्बन्ध में परियोजना प्रतिवेदन को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) उस स्थान का नाम क्या है जहाँ वह स्थापित किया जायेगा ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा इलैक्ट्रानिकी और पर्यावरण विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) से (घ) सरकार का विचार यह है कि पश्चिमी क्षेत्र में एक परमाणु बिजलीघर लगाने का काम वर्ष 1981-82 में आरम्भ किया जाए।

इस बारे में एक सम्भाव्यता प्रतिवेदन तैयार कर लिया गया है तथा उसके लिए सरकार की संस्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही है।

उससे सम्बन्धित विवरण सरकार द्वारा सम्भाविता रिपोर्ट के अनुमोदित कर दिए जाने के बाद मिल सकेगा।

स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन

5993. **श्रीमती प्रमिला दंडवते** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकार द्वारा दिनांक 1 अक्तूबर, 1976 से स्वतन्त्रता सेनानियों को दी गई पेंशन को ध्यान रखे बिना वर्ष 1972 की पेंशन योजना के अधीन पेंशन प्राप्त कर रहे स्वतन्त्रता सेनानियों को पूरी पेंशन का भुगतान करने का निर्णय लिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हाँ, श्रीमान् ।

ग्रेट ब्रिटेन और अमरीका के साथ रक्षा संधि के लिए पाकिस्तान के प्रयास

5994. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :**
श्री चिंतामणि पाणिग्रही :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पाकिस्तान अपनी रक्षा टुकड़ियाँ बनाने के लिए सतत प्रयास कर रहा है और उसने अमरीका तथा ग्रेट ब्रिटेन के साथ रक्षा सन्धि करना चाहा है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस खतरे से निपटने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जैसा कि सुविदित है पाकिस्तान अपनी सशस्त्र सेनाओं में वृद्धि करने और उसे आधुनिक बनाने के लिए पूरे प्रयत्न कर रहा है। कुछ ऐसे समाचार मिले हैं जिनमें यह कहा गया है कि पाकिस्तान अमरीका के साथ 1959 के समझौते का दर्जा बढ़ा कर उसे दोनों देशों के बीच सुरक्षा सन्धि करने के प्रयत्न कर रहा है। परन्तु इन समाचारों की पुष्टि नहीं हुई है। इस बात के भी संकेत नहीं मिले हैं कि पाकिस्तान ब्रिटेन के साथ भी रक्षा करार करने के प्रयत्न कर रहा है।

(ख) सरकार उन सभी घटनाओं का लगातार विश्लेषण करती रहती है जिनका भारत की सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है। ऐसी गतिविधियों के मूल्यांकन के आधार पर सरकार देश की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखण्डता को सुनिश्चित करने और अपनी रक्षा तैयारी को अद्यतन करने के लिए समय-समय पर आवश्यक कार्यक्रम बनाती है।

इलैक्ट्रानिकी में निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए किए गए उपाय

5995. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या इलैक्ट्रानिकी में निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए एक सम्पूर्ण वातावरण का निर्माण करने हेतु सरकार ने कुछ उपाय शुरू किए हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा इलैक्ट्रानिकी और पर्यावरण विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जी, हाँ ।

(ख) इलैक्ट्रानिकी में पूंजी निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित आर्थिक उपाय शुरू किए गये हैं :—

(1) इलैक्ट्रानिकी उपस्करों तथा संघटक-पुर्जों के निर्माण के लिए पूंजीगत उपस्करों पर मूल्य ह्रास-भत्ता 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया है ।

(2) वर्ष 1981-82 के बजट के द्वारा निम्नलिखित इलैक्ट्रानिकी उद्योगों को आयकर अधिनियम 1961 की ग्यारहवीं अनुसूची से निकाल दिया गया है ।

(क) प्रसारण दूरदर्शन रिसिवर सेट, रेडियो (जिनमें ट्रांजिस्टर सेट शामिल हैं) ।

(ख) जनता को सम्बोधित करने के काम में लाये जाने वाले ध्वनि प्रवर्धक यन्त्र अथवा कोई अन्य यन्त्र ।

इस प्रकार अनुसूची में से निकाल दिये जाने के बाद इलेक्ट्रानिकी उद्योग के उपर्युक्त क्षेत्रों को कर योग्य लाभ की संगणना में, मशीनरी तथा संयंत्र पर आने वाली वास्तविक लागत की 25 प्रतिशत की दर से पूंजी निवेश भत्ता का लाभ पाने का अधिकार होगा । इसके फलस्वरूप पर्याप्त मात्रा में विस्तार होगा और उपभोक्ता इलेक्ट्रानिकी के इन दो क्षेत्रों में और अधिक यूनिटें स्थापित हो सकेंगी ।

(3) वर्ष 1981-82 के बजट में इलेक्ट्रानिकी उद्योग के निम्नलिखित क्षेत्रों को आयकर अधिनियम, 1961 की नयी अनुसूची में शामिल किया गया है, जिसके द्वारा इस उद्योग को प्राथमिकता का दर्जा दिया गया है :

इलेक्ट्रानिकी संघटक-पुर्जे तथा कच्ची सामग्रियाँ ; कम्प्यूटर तथा उपात उपस्कर ; संचार उपस्कर ; प्रक्रिया नियंत्रण यंत्रिकरण ; औद्योगिक तथा व्यावसायिक ग्रेड के इलेक्ट्रानिक उपस्कर ।

इसके साथ ही इलेक्ट्रानिकी उद्योग के जिन क्षेत्रों की सूची ऊपर दी गई हैं वे निम्नलिखित की हकदार हैं :—

(1) अन्तर्निगमन लाभांश का लाभ ; तथा

(2) इन मदों का निर्माण करने वाली कम्पनियों के इक्विटी शेयरों को प्रथम बार जारी करते समय 5 कर निर्धारण वर्षों तक विना किसी सीमा के धन कर से छूट ।

इक्विटी (साम्या-पूंजी) शेयरों के प्रारम्भतः जारी करने पर धन कर से छूट के फलस्वरूप सीधे पूंजी-निवेश को बढ़ावा मिलेगा, जबकि अन्तर्निगमन लाभांश पर कर से छूट का लाभ देने के फलस्वरूप वर्तमान यूनिटों को इलेक्ट्रानिकी के क्षेत्र में विविधता लाने में सहायता मिलेगी ।

(4) निर्यात सम्वर्धन क्षेत्र अर्थात् सांताक्रुज इलेक्ट्रानिकी निर्यात संसाधन क्षेत्र (एस० ई० ई० पी० जेड०) को चालू बजट में इलेक्ट्रानिकी उद्योग के लिए कर से पूर्णतः मुक्त रखा गया है। इसके साथ ही, सांताक्रुज इलेक्ट्रानिकी निर्यात संसाधन क्षेत्र में निर्यातोन्मुखी और अधिक यूनिटें स्थापित की जाएँगी जिसके फलस्वरूप पूंजी निवेश में भेजी जाएगी।

(5) इलेक्ट्रानिकी उद्योग के लिए जिन अनेकानेक पूंजीगत उपस्करों तथा संघटक पुर्जों की आवश्यकता होती है, उन पर आयात शुल्क घटा दिया गया है।

(6) चुनिंदा उपस्करों के लिए विनिर्दिष्ट संघटक-पुर्जों तथा छोटे-छोटे पुर्जों पर आयात शुल्क घटा दिया गया है ताकि वे अधिक प्रतियोगी सिद्ध हो सकें।

दिल्ली पुलिस द्वारा "कैंटीन फण्ड्स मिसएप्परोप्रियेटिड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

5996. **श्री आरिफ मोहम्मद खां** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 1 मार्च, 1981 के "नेशनल हैरेल्ड" में दिल्ली पुलिस के कुछ अधिकारियों द्वारा "केन्टीन फण्ड्स मिसएप्परोप्रियेटिड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) 23/24-2-1981 को पुरानी पुलिस लाइंन कैंटीन के साथ संलग्न मिठाई की दुकान के स्टाक की जांच की गई थी। पुरानी पुलिस लाइन्स के सहायक पुलिस आयुक्त ने स्टाक को जांच पड़ताल के बाद रिपोर्ट प्रस्तुत की कि 8,083.97 रुपए मूल्य की विभिन्न वस्तुएं कम पाई गई थी। भ्रष्टाचार निरोध शाखा से मिठाई की दुकान के प्रभारी, हैड कांस्टेबल के विरुद्ध आपराधिक दुर्विनियोग का मामला दर्ज करने के लिए कहा गया था। हैड कांस्टेबल को निलंम्बित कर दिया गया है। भ्रष्टाचार-निरोधी शाखा द्वारा जांच की जा रही है।

नक्सलवादी गतिविधियाँ

5997. **श्री के० प्रधानी :**

श्री जी० वाई० कृष्णन :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को, विशेषरूप से पश्चिम बंगाल राज्य में एक से अधिक स्तर पर नक्सलवादी गतिविधियों के पुनः आरम्भ होने के चिन्हों की जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो उस राज्य में उनकी गतिविधियों संबंधी ब्यौरे क्या हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि पुलिस द्वारा पकड़े गये पर्चों में नक्सयवादी श्री काकुलम और भोजपुर आन्दोलनों के विशेष संदर्भ में भारतीय क्रांति के मूल कार्यों का क्या वर्णन है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कदम उठाये हैं उथवा उठाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (घ) पश्चिम बंगाल सरकार से सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी ।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के ग्रेड (1) (कार्यकारी) अधिकारियों को नियमित एवं पदोन्नत करना

5998. **श्री भीखा भाई :**
श्री चन्द्रपाल शैलानी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत एक वर्ष के दौरान उनके मंत्रालय में तथा दिल्ली प्रशासन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के ग्रेड (1) (कार्यकारी) अधिकारियों को नियमित करने, स्थायी करने और उनकी पदोन्नति करने के मामले में बरते जा रहे भेदभाव से सम्बन्धित कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) उन अभ्यावेदनों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ;

(घ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) उन अभ्यावेदनों पर क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि अनुसूचित जातियों के दो ग्रेड 1 (कार्यकारी) अधिकारियों ने (1) ग्रेड 2 (कार्यकारी) में अपने स्थायीकरण के आधार पर उच्च प्राथमिकता देने, (2) ग्रेड 1 (कार्यकारी) में नियमित करने और (3) दानी सिविल सेवाओं में पदोन्नत करने के बारे में अभ्यावेदन दिए थे । दिल्ली प्रशासन के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ ने भी एक अभ्यावेदन दिया था कि अनुसूचित जाति के इन दो अधिकारियों और अन्य ग्रेड 1 (कार्यकारी) अधिकारियों को दानी सिविल सेवा में नियमित किया जाये और पदोन्नत किया जाये ।

(ग) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि (1) अनु० जातियों के दो अधिकारियों के अभ्यावेदनों पर विचार किया गया है और गुणदोष के आधार पर नामंजूर कर दिये गये हैं और (2) अनु० जाति के अन्य ग्रेड 1 (कार्यकारी) अधिकारियों को नियमित करने से सम्बन्धित मामले विचाराधीन हैं ।

(घ) और (ड.) प्रश्न नहीं उठता ।

केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण कोटा

5999. श्री भीखा भाई : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में 31 दिसम्बर 1980 को केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निम्नलिखित ग्रेडों में कुल कितने व्यक्ति काम कर रहे थे और प्रत्येक श्रेणी में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की प्रतिशतता क्या थी :

1. निजी सचिव,
2. वरिष्ठ निजी सहायक,
3. सिलेक्शन ग्रेड निजी सहायक,
4. निजी सहायक, और
5. आशुलिपिक।

(ख) क्या वर्ष 1978-1979 और 1980 के लिये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण कोटा नहीं भरा गया है ; और

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक मंत्रालय/विभाग में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अर्हता प्राप्त कर्मचारी उपलब्ध होने तक विशेष परीक्षा/तदर्थ पदोन्नति द्वारा आरक्षण कोटा भरे जाने के सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य वभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) :

(क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी हां, श्रीमान्। ऐसा पात्र अधिकारियों की अनुपलब्धता के कारण है।

(ग) केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के विभिन्न ग्रेडो में भर्ती पदोन्नति-सीमित ■भागीय प्रतियोगिता परीक्षा-सीधी भर्ती द्वारा की जाती है। न भरी गई रिक्तियों के अग्रेनीत =ए जाने सहित अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों के =बन्ध में सरकारी आदेशों का ईमानदारी से अनुपालन किया जा रहा है।

विवरण

क्रम सं०	केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा में ग्रेड	1-3-1981 कार्यरत व्यक्तियों की संख्या	कालम (3) के सन्दर्भ में अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों की संख्या तथा प्रतिशतता			
			अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजातिसंख्या प्रतिशतता			
1	2	3	4	5	6	7
1.	ग्रेड "क" (निजी सचिव)	159	3(1.9 प्रतिशत)	—	3	1.9
2.	ग्रेड "ख" वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक	469	20(4.3 प्रतिशत)	2(0.40%)	22	4.7
3.	ग्रेड "ग" चयन ग्रेड सहित (वैयक्तिक सहायक)	2342	85(3.6 प्रतिशत)	1(0.04%)	86	3.7
4.	ग्रेड "घ" (आशुलिपिक)	2380	27(1.1 प्रतिशत)	—	27	1.1

दिल्ली में रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगार व्यक्ति

6000. **श्री भीखा भाई :**
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में विभिन्न रोजगार कार्यालयों में चतुर्थ श्रेणी/सब स्टाफ/चपरासी के पदों के लिए गत तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार कुल कितने व्यक्ति पंजीकृत थे ;

(ख) रोजगार कार्यालयों के रजिस्टरों में उनमें से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कितने व्यक्ति हैं ;

(ग) स्टेट बैंक आफ इण्डिया सहित प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक ने गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार, सब-स्टाफ/चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवार भेजने के लिए कितनी बार रोजगार कार्यालयों को अपनी-अपनी माँगें भेजीं ;

(घ) रोजगार कार्यालयों द्वारा भेजे गये और उपरोक्त बैंकों द्वारा वास्तव में भर्ती किए गये व्यक्तियों की पृथक-पृथक संख्या कितनी है और उनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के के समुदायों के व्यक्ति कितने हैं ;

(ड.) क्या इन बैंकों ने रोजगार कार्यालयों से गत तीन वर्षों में, वर्षवार कोई अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र प्राप्त किए थे ; और

(च) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) वर्ष, 1978, 1979 तथा 1980 के अन्त में श्रेणी 4-सब स्टाफ-चपरासी के पदों के लिए दिल्ली में रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर नौकरी चाहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या क्रमशः 54042, 61490 तथा 60452 थी ।

(ख) 1978, 1979 तथा 1980 के अन्त में दिल्ली के रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर नौकरी चाहने वाले अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की संख्या निम्न प्रकार थी :

	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1978	13,483	576
1979	15,066	644
1980	14,996	549

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान सब स्टाफ-श्रेणी 4 के पदों पर भर्ती के लिए स्टेट बैंक आफ इण्डिया सहित प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा रोजगार कार्यालयों को भर्ती के लिए भेजी गई माँगों की संख्या निम्न प्रकार थी :

	1978	1979	1980
1	2	3	4
स्टेट बैंक आफ इण्डिया तथा उसके सहायक बैंक	7	13	16
इलाहाबाद बैंक	2	—	—
सिंडीकेट बैंक	1	1	1
पंजाब नेशनल बैंक	2	4	—
बैंक आफ इण्डिया	2	4	1
इण्डियन बैंक	1	1	1
बैंक आफ बड़ौदा	2	1	—

1	2	3	4
केनरा बैंक	—	1	7
स्टेट बैंक आफ पटियाला	—	1	—
यूनाईटिड कमर्शियल बैंक	—	1	—
बैंक आफ महाराष्ट्र	—	1	—
इण्डियन ओवरसीज बैंक	—	—	2
आन्ध्र बैंक	—	—	1
न्यू बैंक आफ इण्डिया	—	—	5
स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	—	—	2

(घ) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वर्ष 1978, 1979 तथा 1981 के दौरान दिल्ली में रोजगार कार्यालयों द्वारा सम्प्रेषित किए गए उम्मीदवारों की संख्या तथा बैंक-वार वास्तविक रूप से भर्ती किए उम्मीदवारो की संख्या।

बैंक का नाम	सम्प्रेषित किए गए व्यक्तियों की संख्या			वास्तविक रूप से भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या		
	अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1	2	3	4	5	6	7
				1978		
1. बैंक आफ इण्डिया	444	—	—	—	—	—
2. इलाहाबाद बैंक	389	120	—	—	—	—
3. पंजाब नेशनल बैंक	91	—	130	6	—	19
4. स्टेट बैंक आफ इण्डिया तथा इसके सहायक बैंक	105	61	15	2	1	1
5. सिंडीकेट बैंक	—	21	—	—	1	—
6. इण्डियन बैंक	11	—	—	—	—	—
7. बैंक आफ बड़ौदा	68	14	13	5	—	2

1	2	3	4	5	6	7
				1979		
8. स्टेट बैंक आफ इण्डिया	313	91	30	1	—	—
9. केनरा बैंक	10	—	—	—	—	—
10. स्टेट बैंक आफ पटियाला	99	—	—	—	—	—
11. पंजाब नेशनल बैंक	587	—	249	10	—	21
12. बैंक आफ बड़ौदा	—	29	—	—	—	—
13. सिंडीकेट बैंक	—	—	55	—	—	11
14. यूनियन बैंक आफ इण्डिया	—	1	—	—	1	—
15. इण्डियन बैंक	29	—	—	—	—	—
16. यूनाइटिड कमर्शियल बैंक	240	—	—	—	—	—
17. बैंक आफ महाराष्ट्र	28	—	—	3	—	—
18. बैंक आफ इण्डिया	120	—	—	—	—	—
				1980		
19. स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	73	—	—	—	—	—
20. स्टेट बैंक आफ इण्डिया	625	279	87	6	—	—
21. इण्डियन ओवरसीज बैंक	210	59	30	—	—	—
22. न्यू बैंक आफ इण्डिया	138	42	16	29	12	2
23. सिंडीकेट बैंक	259	167	30	—	—	—
24, बैंक आफ महाराष्ट्र	—	58	—	—	—	—
25. आन्ध्र बैंक	—	11	15	—	—	—
26. बैंक आफ इण्डिया	118	59	47	—	—	—
27. केनरा बैंक	102	51	2	—	—	—
28. इण्डियन बैंक	7	6	—	—	—	—

रक्षा कर्मचारियों की अखिल भारतीय एसोसिएशन

6001. **श्री दया राम शाक्य** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रक्षा कर्मचारियों के उस प्रत्येक अखिल भारतीय एसोसिएशन/फैडरेशन की कुल सदस्य संख्या कितनी है जिसे मंत्रालय द्वारा मान्यता दी गई है ;

(ख) यदि कुल सदस्य संख्या तत्काल उपलब्ध न हो तो उन्हें मान्यता किस आधार पर दी गई थी ;

(ग) उन एसोसियेशनों/फैंडरेशनों की संख्या कितनी है जिन्होंने गत पाँच वर्ग और उससे अधिक समय से वार्षिक चुनाव नहीं किए हैं ;

(घ) क्या मंत्रालय को दूसरे और तीसरे स्तर के संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र में प्रतिनिधित्व करने वाले प्रत्येक एसोसिएशन/फैडरेशन को सदस्य संख्या मालूम है; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या इसका सत्यापन किया जाएगा ;

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) इस बारे में सूचना अभी उपलब्ध नहीं है।

(ख) मान्यता उस समय लागू नियमों/आदेशों/नीति के आधार पर दी गई थी।

(ग) और (घ) : इस बारे मेंसूचना अभी उपलब्ध नहीं है।

(ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और जहां आवश्यक समझा जाएगा वहां सत्यापन किया जायेगा।

सीमा सड़क विकास संगठन तथा जी० आर० ई० एफ० के असैनिक कर्मचारी

6002. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा सड़क विकास संगठन तथा जी० आर० ई० एफ० में काम करने वाले असैनिक कर्मचारी रक्षा मंत्रालय के शासकीय नियन्त्रण के अधीन हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं कि ये कर्मचारी सेवा शर्तों के संबंध में एम० ई० एस०, ई० एम० ई० आदि में काम कर रहे असैनिक कर्मचारियों के समतुल्य नहीं लाये जाते ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी ०पाटिल) : (क) जी नहीं। ये सीमा सड़क विकाश बोर्ड के प्रशासनिक नियंत्रण में आते हैं। यह बोर्ड सरकारी विभाग को प्राप्त शक्तियों का प्रयोग स्वयं करता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडू में मेगनिटो-हाईड्रो-डाइनेमिक थियूरी संबंधी एक पायलट प्लांट स्थापित किया जाना

6003. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या विज्ञान और प्रोद्यौगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु में मेगनिटी-हाइड्रो-डाइनेमिक थियूरी सम्बन्धी एक पायलट प्लांट स्थापित कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा इलैक्ट्रानिकी और पर्यावरण विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा निर्धारित एक परियोजना के अन्तर्गत कोयले पर आधारित मेगनेटो-हाइड्रो-डायनेमिक (एम० एच० डी०) विद्युत जनन का एक प्रायोगिक प्रारम्भिक संयंत्र, तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में निर्माणाधीन है । यह परियोजना 1976 में प्रारम्भ की गई थी और इसका निष्पादन संयुक्त रूप से भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र और भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। इस संयंत्र की क्षमता 5 मैगावाट (तापीय) तक होगी जिसे बढ़ाकर 15 मैगावाट तक किया जा सकता है । निर्माण कार्य का प्रमुख भाग और उपकरणों की संविरचना का कार्य पूरा हो चुका है। कुछ अन्य संघटक और प्रणालियां निर्माणाधीन हैं । वर्तमान संकेतों के अनुसार इस संयंत्र का निर्माण कार्य 1982 के अंत तक पूरा हो जाएगा। 1980-81 तक परियोजना का अनुमोदित परिव्यय 11.78 करोड़ रुपये है ।

हिन्दी के प्रयोग का पुनरीक्षण करने संबंधी समिति का गठन

6004. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजभाषा अधिनियम, 1663 में यह व्यवस्था की गई है कि 10 वर्ष बाद हिन्दी के बढ़ते हुए प्रयोग के बारे में पुनरीक्षण करने के लिए 30 सदस्यों की एक समिति का गठन किया जाएगा और उक्त समिति अपनी रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेगी ;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति का गठन कब किया गया था ; और

(ग) इसके द्वारा प्रतुस्त की गई रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भोगेन्द्र मकवाना) (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 के उपबन्ध के अनुसार राजभाषा समिति 1976 में गठित की गई थी ।

(ग) समिति अभी तक कार्य कर रही है और समिति को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है ।

"केरल स्माल स्केल साइकिल टायर एण्ड ट्यूब मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन" से ज्ञापन

6005. **श्री के० ए० राजन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को "केरल स्माल स्केल साइकिल टायर एण्ड ट्यूब मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन" से उनकी कुछ समस्याओं के बारे में एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

20 वर्षीय नाभिकीय ऊर्जा विकास कार्यक्रम

6006. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि परमाणु ऊर्जा विभाग ने एक 20 वर्षीय नाभिकीय ऊर्जा विकास कार्यक्रम तैयार किया है जिसमें 2000 ई० तक 10,000 नेगावाट बिजली उत्पादन की परिकल्पना की गई है ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस योजना के अन्तर्गत देश में और कितने नए नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाएँगे ; और

(घ) तब तक बिजली की हमारी कुल आवश्यकता क्या होगी और इसमें नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों का कितने प्रतिशत योगदान होगा ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रानिकी और पर्यावरण विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह : (क) से (घ) इस विभाग के परमाणु बिजली के विकास के कार्यक्रम को ऊर्जा मंत्रालय द्वारा पन बिजली तथा ताप बिजली सम्बन्धी कार्यक्रमों के साथ मिला कर एक किया जाना है तथा योजना आयोग के परामर्श से उसे अन्तिम रूप दिया जाना है। 1980 85 की पंचवर्षीय योजना से आगे के वर्षों के लिए अभी ऐसा करना शेष है।

नाभिकीय संयंत्रों का डिजाइन

6007. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या हमारे वर्तमान नाभिकीय संयंत्रों को इस प्रकार से बनाया गया है कि वे मिश्रित आक्साइड ईंधन से भी चल सकें ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या इन संयंत्रों में हमारी आवश्यकताओं के अनुरूप सुधार किया जा सकता है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा इलैक्ट्रानिकी और पर्यावरण विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) (क) और (ख) तारापुर परमाणु बिजलीघर को छोड़कर शेष सभी वर्तमान परमाणु बिजली घरों में प्राकृतिक यूरेनियम को ईंधन के रूप में काम में लाया जाता है। कुछ किस्म के रिएक्टरों में, जिनमें तारापुर स्थित रिएक्टर भी शामिल हैं, मिश्रित आक्साइड ईंधन को काम में लाने की प्रौद्योगिकी विकसित की गई है। हमारे द्वारा किए गए विकास-कार्य से यह संकेत मिला है कि ऐसे रिएक्टरों में कोई भी सुधार किए बिना इस ईंधन को काम में लाया जा सकता है

नाभिकीय ईंधन काम्पलैक्स, बंगलौर का निर्माण कार्य पूरा होना

6008. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) नाभिकीय इंधन काम्पलैक्स, बंगलौर का विस्तार कार्य कब तक पूरा होगा ;

(ख) विस्तार के तत्पश्चात् इसकी क्षमता कितनी होगी ; और

(ग) देश की नाभिकीय आत्म निर्भरता में इसका क्या योगदान है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) भारी पानी रिएक्टरों से संबंधित कार्यक्रम के लिए आवश्यक इंधन की तथा जरकालाय से बने संघटकों की पूर्ति के लिए नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र का विस्तार चरणबद्ध रूप से किया जा रहा है। विस्तार का वर्तमान चरण सन् 1984 में पूरा कर लिया जायेगा।

(ख) विस्तार के वर्तमान चरण के पूरा हो जाने पर, नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र भारी पानी रिएक्टरों के लिए आवश्यक 210 टन ईंधन तथा 53.4 टन जरकालाय के संघटक बनाने की वार्षिक क्षमता प्राप्त कर लेगा।

(ग) नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र के माध्यम से परमाणु ऊर्जा विभाग ईंधन के मामले में अब आत्मनिर्भर हो गया है तथा भारी पानी रिएक्टरों के लिए आवश्यक जरकालाय के संघटकों के मामले में लगभग आत्मनिर्भर बन चुका है।

गोआ से कुछ जातियों का अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में शामिल किया जाना

6009. **श्री एडुआर्डो फेलीरो** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ, दमण और दीव सरकार से वहां की जनसंख्या के कुछ समुदायों उदाहरणार्थ गोडा, कुम्भी और धनगार को अन्य पिछड़ी जातियों में शामिल करने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो आवश्यक मंजूरी देने में बिलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूची में उपयुक्त समुदायों को सम्मिलित करने पर विचार करने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर कार्रवाई करने और इस पर निर्णय लेने के बाद ही प्रस्ताव पर निर्णय लिया जा सकता है।

(ग) अभी ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) उन समुदायों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को सूची में शामिल करने का अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है जिनके नाम प्रश्न के भाग (क) में दिये गये हैं। फिर भी निर्धारित मानदण्डों को पूरा करने वाले समुदायों पर अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जन जातियों की सूचियों में शामिल करने के लिए उस समय विचार किया जा सकता है जब सूचियां संशोधित की जाती हैं।

विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों को राजसहायता

6010 **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों को कुल कितनी राशि की राज सहायता दी जाती है ; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त राज सहायता किस-किस रूप में दी जाती है ;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) भारत सरकार द्वारा औद्योगिक क्षेत्र को राज सहायता के भुगतान के लिए संशोधित अनुमानों 1980-81 और बजट अनुमानों 1981-82 में किए गए प्रावधानों को दिखाने वाला एक विवरण में दिया गया है। इसमें निम्नलिखित मदें शामिल नहीं हैं :—

(रुपये करोड़ों में)

	बजट अनुमान 1981-82	संशोधित अनुमान 1981-82
1. लाभांश राहत और अन्य रियायतों के लिए रेलों को राज सहायता	65.42	70.84
2. ट्रालर डेवलपमेंट सपोर्ट फंड में अशदान	0.50	2.50

करों में रियायत और राहतों के जरिए औद्योगिक क्षेत्र को दी जाने वाली कुछ राज सहायता भी है।

विवरण

औद्योगिक क्षेत्र के लिए राज सहायता

(करोड़ों रुपयों में)

	संशोधित अनुमान 1980-81	बजट अनुमान 1981-82
(क) ग्रामीण और लघु उद्योगों के अलावा औद्योगिक क्षेत्र		
1. वित्तीय राजसहायता	402.25	390.50
2. चीनी निर्यात	—	15.00
3. आयातित सूत पर राजसहायता	7.25	0.15
4. चुने हुए पिछड़े क्षेत्रों में नए औद्योगिक एककों आदि की राज सहायता	25.00	30.00
5. इस्पात के आयात के लिए	10.60	4.00
6. पी० वी० सी० रेजिन के आयात के लिए राजसहायता	1.00	4.00
7. हानियों की प्रतिपूर्ति	0.20	0.05
—लाख प्राप्ति पर	—	1.25
—रबर के आयात पर		
8. चाय पुनर्रोपण राजसहायता योजना	0.55	0.50
9. ब्याज राज सहायता :		
(अ) कोल इन्डिया लिमिटेड	53.80	52.53
(ब) शिपिंग डेवलपमेंट फंड कमेटी	27.00	28.00
	23.28	30.59
(स) अन्य	550.93	543.57
(ख) ग्रामीण और लघु उद्योग :		
1. हथकरघा राजसहायता	37.20	34.05
2. ब्याज राज सहायता		
अ. खादी और ग्रामोद्योग	19.45	21.00
ब. क्षन्य	0.13	0.14
3. अन्य राज सहायता	4.05	3.65
योग—ब	60.83	58.84

राजस्थान में औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुये जिले

6011. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में उन जिलों की संख्या कितनी है जिन्हें वर्ष 1977 के बाद ओद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए घोषित किया गया है और ऐसा करने के क्या कारण हैं ;

(ख) जिलों को पिछड़े हुए जिले घोषित करने के लिये क्या मानदण्ड रखे गये हैं ;

(ग) क्या राजस्थान में चितौड़गढ़ जिला औद्योगिक दृष्टि से सर्वाधिक पिछड़ा हुआ जिला है;

(घ) उसे अभी तक भी पिछड़ा हुआ जिला घोषित न करने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) राजस्थान में उन जिलों की संख्या कितनी है जिन्हें वर्ष 1981-82 के दौरान औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ घोषित किया जायेगा ;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) राजस्थान में 1977 के बाद किसी भी जिले को औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ घोषित नहीं किया गया है ।

(ख) से (ङ) औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों का पता लगाने के लिए राज्य सरकारों द्वारा अपनाए जाने हेतु दिसम्बर, 1969 में योजना आयोग द्वारा निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धान्तों का सुझाव दिया गया था :—

1. क्या जिला खाद्यानों/नकदी फसलों का पहले से प्रमुख उत्पादक है, इस पर आधारित प्रति व्यक्ति खाद्यान्न/वाणिज्यिक फसल उत्पादन ।

2. खेतिहर मजदूरों का जनसंख्या में अनुपात ।

3. प्रति व्यक्ति औद्योगिक उत्पादन (सकत)

4. एक लाख की जनसंख्या पर कारखाना कर्मचारियों की संख्या अथवा इसके विकल्प में एक लाख की जनसंख्या पर द्वितीयक तथा तृतीयक गतिविधियों में लगे हुए व्यक्तियों की संख्या ।

5. बिजली की प्रति व्यक्ति खपत ।

6. जनसंख्या के अनुपात में सड़कों की लम्बाई अथवा जनसंख्या के संबंध में रेल की मील दूरी।

यह भी निर्दिष्ट किया है कि वे जिले जिनका सूचकांक राज्य के औसत सूचकांक से कम है, उनका वित्तीय संस्थानों से उपयुक्त प्रोत्साहनों हेतु चयन किया जा सकता है ।

राज्य सरकार द्वारा भेजे गए संशोधित आंकड़ों के आधार पर चित्तौड़गढ़ जिले के आंकड़े राज्य के औसस आंकड़ों की अपेक्षा अधिक पाए गए थे ।

(ङ) पिछड़े क्षेत्रों की विकास संबंधी राष्ट्रीय समिति ने "औद्यगिक छितराव" (इण्डस्ट्रियल डिस्परसल) पर अपनी रिपोर्ट पहले ही प्रस्तुत कर दी है जिसकी राज्य सरकारों, सम्बद्ध केन्द्रीय मंत्रालयों और वित्तीय संस्थानों के परामर्श से इस समय जांच की जा रही है । प्रतिवेदन में

अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा विचार कर लिए जाने के बाद ही अतिरिक्त जिलों को औद्यगिक रूप से पिछड़ा घोषित करने संबंधी प्रश्न पर निर्णय लिया जा सकेगा ।

अनुसूचित जाति मूल के ईसाइयों की अपात्रता

6012. **श्री जार्ज फर्नान्डीस :**

प्रो० पी० जे० कुरियन :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश के विभिन्न ईसाई संगठनों में एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें अनुसूचित जाति मूल के ईसाईयों की अपात्रता हटाने का अनुरोध किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस ज्ञापन की मुख्य बातें क्या-क्या हैं ; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) (क) और (ख) : संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया, के अनुसार किसी व्यक्ति जो हिन्दू अथवा सिक्ख धर्म के अतिरिक्त किसी अन्य धर्म का अनुयायी है को अनुसूचित जाति का नहीं समझा जाएगा । उपर्युक्त संविधान आदेश के पैरा 3 को हटाकर/उपयुक्त रूप से संशोधित करके अनुसूचित जातियों में अनुसूचित जाति मूल के ईसाइयों को भी अनुसूचित जातियों में शामिल करने के लिए भारत में कुछ इसाई संगठनों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।

(ग) मामले की जांच की जा रही है ।

ताप विद्युत केन्द्र की स्थापना करने के लिए भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि० का बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के साथ समझौता

6013. **श्री जार्ज फर्नान्डीस :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लि० ने मुजफ्फरपुर में एक ताप विद्युत केन्द्र का निर्माण करने के लिए बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उक्त समझौते की शर्तें क्या हैं ;

(ग) क्या उस विद्युत केन्द्र का निर्माण कार्य निर्धारित समय के अनुसार चल रहा है ; और

(घ) विद्युत केन्द्र कब चालू किए जाने की संभावना है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, हां ।

(ख) समझौते की शर्तों में टर्न-की आधार पर 110-110 मे० वा० की दो यूनिट के एक तापीय बिजली केन्द्र की स्थापना करने की व्यवस्था है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) पहली युनिट के अगस्त, 1983 में और दूसरी के फरवरी, 1984 में चालू होने की संभावना है।

इलेक्ट्रानिकी के क्षेत्र में भारत का पिछड़ापन

6014. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :**

श्री अर्जुन सेठी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत इलेक्ट्रानिकी में अत्याधिक उन्नत देशों की तुलना में 20 से 25 वर्षों तक पिछड़ा हुआ है : और

(ख) यदि हाँ, तो इलेक्ट्रानिकी उद्योग का विकास करने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का प्रस्ताव है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा इलैक्ट्रानिकी और पर्यावरण विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) तथा (ख) क्षेत्र/उत्पाद-श्रेणी पर निर्भर करते हुए भारत इलेक्ट्रानिकी के क्षेत्र में अत्यन्त समुन्नत देशों से केवल 5 से लेकर 10 वर्ष तक पीछे है। इस अन्तराल को इलेक्ट्रानिकी विभाग निम्नलिखित के जरिए पूरा कर रहा है :—

(1) उन्नत इलेक्ट्रानिक प्रणालियों का डिजाइन तैयार करने, उनका विकास करने और विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनकी संरचना करने की दृष्टि से इलेक्ट्रानिकी विभाग में प्रणाली दल जैसे विशेष दल स्थापित किये गये हैं, विशेषकर रक्षा सेवाओं के लिए ; तथा परिष्कृत एवं नाजुक किस्म की संचार प्रणाली तथा कम्प्यूटर पर आधारित नियन्त्रण प्रणाली के आद्योपान्त डिजाइन तैयार करने, तथा उनके इंजीनियरी और संयुक्त प्रतिष्ठापन के कार्य के साथ उन्हें चालू करने की दृष्टि से टीटेन प्रणाली इंजीनियरी तथा परियोजना निष्पादन ग्रुप की स्थापना की गई है और इसे अपतट तथा तटीय तेल उत्पादन तथा विद्युत के वितरण और नियन्त्रण से संबंधित कार्य सौंपा गया है ;

(2) व्यावसायिक इलेक्ट्रानिक उत्पादों के विनिर्माण के आधार को व्यापक बनाना तथा सुदृढ़ करना, विशेष कर उदार आधार पर औद्योगिक अनुमोदन/लाइसेंस को सुनियोजित ढंग से जारी करके राज्यस्तरीय इलेक्ट्रानिकी निगमों तथा निजी क्षेत्र की कम्पनियों के माध्यम से ;

(3) यथासम्भव अन्तर्राष्ट्रीय पैमानों के अनुरूप स्तर/मात्रा में संघटक पुर्जों के उत्पादन के लिए न केवल सार्वजनिक क्षेत्र अपितु निजी क्षेत्र में कई पार्टियों को औद्योगिक लाइसेंस जारी करके इलेक्ट्रानिक संघटक पुर्जो के उत्पादन को विशेष रूप से और सक्रिय रूप से बढ़ावा देना। पिछले 18 महीनों में जो औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए हैं उनमें केवल संयंत्रों एवं उपस्करों पर किया गया पूंजी निवेश ही लगभग 30 करोड़ रुपये का है।

(4) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र में स्वयं इलेक्ट्रानिकी विभाग द्वारा इलेक्ट्रानिक संघटक पुर्जों के बड़े संयंत्रों की स्थापना करना जैसे सेमी कण्डक्टर उद्योग समूह लिमिटेड तथा इलेक्ट्रानिकी

कम्पलेक्स (जिनकी स्थापना क्रमशः 17 करोड़ तथा 10 करोड़ रुपयों की पूंजी गत लागत पर की गयी है) इनकी स्थापना बड़े पैमाने के एकीकृत सेमी कण्डक्टर परिपथों तथा उच्च शक्ति वाले इलेक्ट्रान ट्यूबों का उत्पादन करने और उनमें अनुसंधान तथा विकास कार्य करने के उद्देश्य से की गयी है। यह दोनों सामग्रियां समकालीन तथा भावी इलेक्ट्रानिक प्रणालियों तथा उपस्करों के लिए आधार भूत आधारशिला का कार्य करेगी, विशेषकर जो सामरिक महत्व की है ।

(5) निर्णायक/सामरिक महत्व की इलेक्ट्रानिक सामग्रियों के उत्पादन के लिए विशेष सुविधाएँ जुटाना, सेमीकण्डक्टर तथा फोटो-आल्टेइक स्तर के सिलिकन, ताँबा बेरिलियम तथा गेलियम ;

(6) औद्योगिक दृष्टि से अत्यन्त समृद्ध देशों में अग्रणी फर्मों से विदेशी प्रौद्योगिक की चुनिन्दा आधार पर खरीद ;

(7) औद्योगिक कम्पनियों में नयी प्रणालियों, उपस्करों और संघटक पुर्जो के डिजाइन, विकास तथा इंजीनियरी कार्य शुरु करने के लिए सक्रिय रूप से बढ़ावा देने, खासकर सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों में जो हमारे व्यवसायिक इलेक्ट्रानिक उत्पादों का बहुत बड़ा भाग निर्मित करती है ;

(8) सार्वजनिक क्षेत्र की विभिन्न कम्पनियों, अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशालाओं, तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों/विश्वविद्यालयों में इलेक्ट्रानिकी आयोग की प्रौद्योगिकी विकास परिषद तथा राष्ट्रीय रेडार परिषद के माध्यम से प्रौद्योगिकी विकास की अनेक परियोजनाओं को सीधे आर्थिक सहायता प्रदान करना । वर्ष 1974-80 की अवधि में इलेक्ट्रानिकी विभाग ने प्रौद्योगिकी विकास की ऐसी परियोजनाओं पर लगभग 33 करोड़ रुपये का पूँजी निवेश किया है, तथा

(9) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र में नए संयंत्रो पर छठी योजना अवधि में 185 करोड़ रुपये का प्रावधान तथा राज्यस्तरीय इलेक्ट्रानिकी निगमों में 53 करोड़ रुपये के पूँजी निवेश का प्रावधान । साथ ही इलेक्ट्रानिकी उद्योग में आम तौर पर पूँजी निदेश को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन का भी प्रावधान है ।

साम्प्रदायिक उपद्रवों में मरने वालों के परिवारों को मुआवजा

6015. **श्री चित्त बसु** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में अल्पसंख्यक आयोग ने उन व्यक्तितों को, जो साम्प्रदायिक उपद्रवों के शिकार हुए ; परिवारों के बचे सदस्यों को मुआवजा दिए जाने को व्यापक योजना का सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख) अल्पसंख्यक आयोग ने सिफारिश की है कि दंगों में जलाये गये अथवा लूटे गए उनके मकानों/दुकानों के पुनः निर्माण हेतु

साम्प्रदायिक दंगों के पीड़ितों और उन पीड़ितों को जो दंगों के दौरान चोटों के परिणामस्वरूप मारे गए हों पर्याप्त आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। उन परिवारों को भी जिनके कमाने वाले सदस्य मारे गए हों, पर्याप्त आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए ताकि वे अपना जीवन निर्वाह कर सकें और इसके अतिरिक्त प्रभावित परिवारों में से प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को रोजगार दिया जाना चाहिए।

(ग) इस सम्बन्ध में एक योजना सरकार के विचाराधीन है।

बेरोजगारों के लिए नौकरियों के अवसर पैदा करना

6016. **श्री चित्त बसु :**

श्री के० ओबुल रेड्डी :

श्री रामावतार शास्त्री :

क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि संगठित क्षेत्र द्वारा छठी योजना के दौरान रोजगार के केवल 40-50 लाख अवसर ही पैदा किए जा सकते हैं और उस अवधि में लगभग 300 लाख बेरोजगार शेष रह जायेंगे ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस वृहद योजना पर विचार किया है और रोजगार के पर्याप्त अवसर जुटाने का उपयुक्त कार्यक्रम तैयार किया है ; और

(ग) यदि हाँ, तो उस कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

योजना तथा श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) छठी योजना की अवधि में 340 लाख मानक श्रम-वर्षों के कुल रोजगार सृजन की परिकल्पना है। संगठित क्षेत्रक में इस योजना की अवधि में 40 से 50 लाख तक रोजग़ार प्राप्त होगा, परन्तु अधिकांश रोजगार सृजन असंगठित क्षेत्रक में होगा।

(ख) और (ग) छठी योजना में शामिल विकास के विभिन्न शोर्षों के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों से रोजगार सृजन की आशा है। विशेष रूप से निम्नलिखित कार्यक्रमों में पर्याप्त रोजगार की क्षमता/सम्भाव्यता है :—

1. एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम।
2. आपरेशन फलड-2 डेरी विकास कार्यक्रम।
3. मछली पालक विकास अभिकरण कार्यक्रम।
4. ग्राम और लघु उद्योग क्षेत्रक के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम।
5. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम।
6. शहरी क्षेत्रों में पर्यावरणीय स्वच्छता, ग़न्दी बस्तियों में सुधार, वृक्षारोपण आर्थिक दृष्टि से सुविधा वंचित लोगों के लिए मकानों का निर्माण, आदि।
7. न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम।
8. आय अर्जित करने वाले व्यवसायों को उत्पन्न करने के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष कार्यक्रम।

पिछड़े जिलों का युद्ध-स्तर पर औद्योगिक विकास

6017. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछड़े जिलों के औद्योगिक विकास के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित प्रोत्साहनों पर प्रतिक्रिया धीमी रही है,

(ख) यदि हां, तो इन जिलों का युद्ध-स्तर पर विकास करने हेतु, अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को अन्तिम रूप देने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं, और

(ग) राज्यवार औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए घोषित जिलों के नामों से सम्बन्धित ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) पिछड़े जिलों में स्थापित किए गए औद्योगिक एककों के बारे में जनवरी, 1981 तक राज्य सरकारों को प्रतिपूरित की गई केन्द्रीय निवेश राज सहायता तथा परिवहन राज सहायता निम्न प्रकार है :---

वर्ष	धनराशि (रु०)
1972-73	11,76,644
1973-74	69,91,231
1974-75	3,85,50,942
1975-76	5,99,71,549
1976-77	11,17,00,000
1977-78	19,96,00,000
1978-79	15,41,19,034
1979-80	12,00,00,000
1980-81 (19-3-81 तक)	28,66,17,149

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, जून,1978 तक चुने हुए औद्योगिक रूपसे पिछड़े जिलों में 710 करोड़ रुपए की कुल पूंजी वाले 10,808 औद्योगिक एककों (10064 लघु, 601 मझोले तथा 143 बड़े क्षेत्र के औद्योगिक एकक) की स्थापना की गई थी। इसके अतिरिक्त, रियायती वित्त योजना के अन्तर्गत पिछड़े जिलों/क्षेत्रों में स्थापित औद्योगिक एककों के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आई० सी० आई० सी० आई० तथा आई० एफ० सी० आई० द्वारा क्रमश: 101884.56 लाख रुपए, 14961.12 लाख रुपए तथा 16453.22 लाख रु० की धनराशि स्वीकृत की गई थी तथा क्रमश 56330.09 लाख रुपए, 10267.48 लाख रुपए और 11242.53 लाख रु० की राशि का भुगतान किया गया था।

(ख) पिछड़े क्षेत्रों का विकास करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने निम्नलिखित सहायता तथा सुविधाएं देने का प्रस्ताव किया है :--

(1) निवेश राज सहायता की केन्द्रीय योजना

(2) परिवहन राजसहायता योजना।

(3) अखिल भारतीय सांवधिक ऋणदाता वित्तीय संस्थानों से रियायती वित्त सुविधाएं।

(4) कर सम्बन्धी रियायतें।

(5) लघु उद्योगों द्वारा राष्ट्र लघु उद्योंगों से मशीनरी की किराया खरीद।

(6) तकनीकी सेवाओं के लिए परामर्श।

(7) कच्चे माल के आयात के लिए विशेष सुविधाएं।

(8) गामीण उद्योग परियोज़ना कार्यक्रम।

(9) ग्रामीण कारीगर कार्यक्रम।

(10) जिला उद्योग केन्द्र।

(11) प्रारम्भिक-सीभान्त धन।

अन्य बातों के साथ-साथ पिछड़े क्षेत्रों के लिए प्रोत्साहनों की विद्यमान योजनाओं की संवीक्षा करने तथा पिछड़े श्रेत्रों की पहचान के लिए मानदण्ड अपनाने की सिफारिश करने, योजना आयोग के भूतपूर्व सदस्य श्री बी० शिवारमन की अध्यक्षता में पिछड़े क्षेत्रों के विकास सम्बन्धी एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया है। समिति ने औद्योगिक छितराव पर आपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है, जिसकी राज्य सरकारों तथा सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालयों के साथ परामर्श करके जांच की जा रही है।

(ग) देश में 246 जिलों (जैसा कि अनुबन्ध-1 में दिया गया है (को रियायती वित्त तथा अन्य सुविधाएं पाने के लिए पात्र औद्योगिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया गया है और इनमें से 101 जिलों-क्षेंत्रों (जैसा कि अनुबन्ध-2 में दिया गया है) को केन्द्रीय निवेश राज सहायता योजना के अन्तर्गत लाभ पाने के लिए भी पता लगाया गया है और 13 राज्यों-केन्द्रशासित प्रदेशों के कतिपय पहाड़ी क्षेत्रों (जैसा कि अनुबन्ध-3 में दिया गया है) को परिवहन राजसहायता योजना के अन्तर्गत लाभ पाने के लिए पता लगाया गया है। (ग्रंथालय में रखे गये, देखिये संख्या एल० टी० 2274/81)।

स्टेनोग्राफरों के पदों का बनाया जाना

6018. **श्री सतीश प्रसाद सिंह**: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऐसे आदेश विद्यमान हैं कि अधिकारियों के पद बनाने सम्बन्धी प्रस्तावों में उन से संबद्ध अपेक्षित स्टेनोग्राफरों के पद की व्यवस्था का भी प्रस्ताव हो जिससे कि पद बनाने के लिये छूट एक साथ दी जा सके ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सशस्त्र सेना मुख्यालय में सैनिक अधिकारियों के काडर का पुनरीक्षण किया गया है और ले० जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, ले० कर्नल तथा

वायुसेना एवं नौसेना में उनके समतुल्य अनेक पद मंजूर किये गये हैं पदों का दर्जा बढ़ाया गया है परन्तु उनके साथ स्टेनोग्राफरों के सम्बद्ध पद अभी तक मंजूर नहीं किये गये हैं ;

(ग) यदि हां, तो पहले से किये निर्णय से विचलन के क्या कारण हैं ; और

(घ) स्टेनोग्राफरों के पदों की मंजूरी कब तक दी जायेगी और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) ऐसे आदेश केवल सिविल में ही हैं ।

(ख) और (ग) : यह ठीक है कि सेना असरों के संवर्ग की समीता की गई है और सेना के अफसरों के पदों का दर्जा बढ़ाने की स्वीकृति दे दी गई है । पदों का निर्धारण करने के बाद पदों का दर्जा बढ़ाने का काम क्रमिक आधार पर किया जा रहा है । सामान्य प्रक्रिया का पालन करते हुए सशस्त्र सेना मुख्यालयों के पदों के लिए स्टेनोग्राफरों की व्यवस्था भी की जा रही है ।

(घ) जिन पदों के दर्जे बढ़ाए गए हैं उनके लिए कुछ मामलों में उपयुक्त ग्रेड के स्टेनोग्राफन दिए जाने की मंजूरी दे दी गई है और दूसरे मामलों में कार्रवाई की जा रही है ।

मुंगेर की बन्दूकों के निर्माण की क्षमता

6019. **श्री सतीश प्रसाद सिंह** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विहार के जिला मुंगेर में बन्दूकों आदि के निर्माण की क्षमता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या वहां पर साधारण राइफलों और छोटे शस्त्रों का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) इस विषय पर कोई अध्ययन नहीं किया गया है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

आसाम समस्या का राजनैतिक दलों द्वारा हल

6020. **श्री अमर राय प्रधान** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल में आसाम समस्या हल करने के लिए सभी राजनैतिक दलों से कोई हल प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस बारे में विभिन्न ग्रुपों तथा राजनैतिक दलों से सुझाव आमंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) : असम में विदेशी नागरिकों के मामले पर संसद में विपक्षी दलों ग्रुपों के नेताओं के साथ तीन बैठकें हुई थीं और उनमें से कुछ के साथ इस पर व्यक्तिगत रूप से भी विचार-विमर्श किया गया है। गृह मंत्री आसाम राज्य विधान सभा में राजनीतिक दलों/ग्रुपों का प्रतिनिधित्व करने वाले नेताओं से भी मिले थे। कई क्षेत्रों से सुझाव भी प्राप्त हुए हैं। समस्या के लिए कोई विनिर्दिष्ट समाधान प्रस्तावित नहीं किया गया है। फिर भी मुख्य सुझाव यह दिया गया है कि समस्या का समाधान बातचीत द्वारा किया जाय। सरकार सभी संबद्धों को स्वीकार्य समाधान खोजने के लिए बहुत उत्सुक है और इस दिशा में अपने प्रयास जारी रखे हुए है।

तीन दशाब्दियों में औद्योगिक प्रगति

6021. **श्री रासबिहारी बहेरा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन दशाब्दियों में हमारे औद्योगिक उत्पादन में 6.1 प्रतिशत प्रति वर्ष की औसत दर से वृद्धि होती रही है,

(ख) क्या यह प्रगति विभिन्न योजनाओं में निर्धारित लक्ष्य से कम है, और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) वर्ष 1950-51 से वर्ष 1978-79 तक के औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर प्रवृत्ति 6.1 प्रतिशत प्रति वर्ष बैठती है।

(ख) और (ग) : योजनावधि में औद्योगिक उत्पादन का वृद्धि-निष्पादन निम्न प्रकार है :—

औद्योगिक उत्पादन का वृद्धि-निष्पादन

	प्राप्त वृद्धि दर प्रतिशत प्रति वर्ष मिश्रित	लक्ष्य वृद्धि दर प्रति वर्ष मिश्रित
प्रथम योजना (1951-52 से 1955-56)	7.3	—
दूसरी योजना 1956-57 से 1960-61	6.6	8.3 ×
तीसरी योजना (1961-62 से 1965-66)	9.0	11.1
वार्षिक योजनाएं (1966-67 से 1968-69)	2.0	— (अ)

चौथी योजना (1969-70 से 1973-74)	4.7	8 से 10
पाँचवी योजना (1974-75 से 1978-79)	5.9	7

(क) (क) प्राप्त वृद्धि पर योजना से पूर्व के आधार वर्ष तथा योजना के अन्तिम वर्ष के बीच की मिश्रित दरों के रूप में है ।

औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक में प्राकल्पित वृद्धि के रूप में ।

(अ) किन्तु वर्ष 1967-68 तथा 1968-69 की वार्षिक योजनाओं में औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक में निम्नलिखित वृद्धियां होने की प्राकल्पना की गई थी :—

1967-68 5 प्रतिशत

1968-69—5 से 6 प्रतिशत

प्रत्येक वर्ग की वृद्धि में घटा-बढ़ी होने के कारण प्रति वर्ष भिन्न भिन्न होंगे । किन्तु, औद्योगिक उत्पादन में सामान्यतया बिजली की कमी, कुछ वस्तुओं की कम मांग, आधार भूत निर्विष्टियों जैसे इस्पात, कोयला और अलौह धातुओं की कमी, विदेशी मुद्रा की कमी, परिवहन संबंधी कठिनाइयों तथा सूखे की स्थिति के कारण कमी आती है ।

खंडवा जिले को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ जिला घोषित करना

6022. **श्री शिव कुमार सिंह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने सिफारिश की है कि खण्डवा जिले को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ जिला घोषित किया जाये, और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

औद्योगिक नीति पर पुनर्विचार

6023. **श्री शिवकुमार** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश की वर्तमान औद्योगिक नीति पर पुनर्विचार करने का है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

केबिल और कण्डक्टर बनाने वाले एककों में संकट

6024. **श्री भीकू राम जैन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के केबल और कण्डक्टर बनाने वाले लघु एककों को राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा समय पर भुगतान न किए जाने तथा आर्डर रद्द किए जाने के कारण गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है,

(ख) क्या यह भी सच है कि केबल और कण्डक्टरों के निर्यात पर रोक के कारण इस उद्योग की कठिनाइयां और भी बढ़ गई हैं, और

(ग) उद्योग की सहायता के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) केबल और कण्डक्टर बनाने वाले लघु एककों से राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा समय पर भुगतान न किए जाने तथा क्रयादेश रद्द किए जाने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुए हैं ।

(ख) कच्चे माल की पर्याप्त कमी तथा आन्तरिक माँग में बढ़ोत्तरी हो जाने के कारण केवल प्रतिबन्धित आधार पर ही निर्यात की अनुमति दी गई है । सामान्य तौर पर लघु एकक केवल घरेलू किस्म के केबलों तथा 1.1 के० वी० तक के औद्योगिक केबलों का उत्पादन करते हैं जिनके निर्यात की कोई विशिष्ट मांग नहीं है । अतः लघु क्षेत्र के एककों पर निर्यात पर लगाए प्रतिबन्ध का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राजभाषा समिति में कार्य कर रहे कर्मचारी

6025. **श्री विजयकुमार यादव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजभाषा संसदीय समिति में श्रेणीवार कितने कर्मचार काम कर रहे हैं ;

(ख) इस समिति के गठन के बाद से इसके कर्मचारीयों के वेतन और उनकी यात्राओं पर प्रति वर्ष कितना-कितना खर्च किया गया ;

(ग) क्या संयुक्त सचिव से कम पद के अधिकारियों को विमान से यात्रा करने की अनुमति प्राप्त है जिससे सरकार को और अधिक खर्च होता है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) इस समय समिति में ग्रुप "क" के 5 ग्रुप "ख" के 15, ग्रुप "ग" के 12 और ग्रुप "घ" के 15 कर्मचारी कार्य कर रहे हैं ।

(ख) व्यय के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं ।

(ग) तथा (घ) : इससे संबंधित नियमों के अनुसार संयुक्त सचिव से नीचे के पदाधिकारियों को भी अपने विवेक से विमान द्वारा यात्रा करने की अनुमति है यदि उनका वेतन 1800 रु० प्रतिमास अथवा अधिक है और यात्रा की दूरी 500 कि० मी० है अथवा अधिक तथा यह अन्य साधनों से एक रात्रि में पूरी नहीं की जा सकती है। सक्षम प्राधिकारियों की अनुमोदन से अन्य अधिकारियों को कार्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जब भी अपेक्षित होता है विमान द्वारा यात्रा करने की अनुमति दी जाती है :

विवरण

(आंकड़े सं० में)

उप-शीर्ष	1976-77	1977-78	1978-79	1979-80	1980-81 (फरवरी, 81 तक)
वेतन	1,16,130	4,02,311	5,00,581	5,23,588	5,61,016
यात्रा भत्ता	14,160	41,136	70,333	27,244	1,19,481

राजभाषा समिति में लोगों की नियुक्ति

6026. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजभाषा समिति में विभिन्न श्रेणी के पदों पर लोगों की नियुक्ति के लिए क्या शर्तें हैं ;

(ख) क्या कर्मचारियों को उसके रखने और उससे अन्यत्र भेजने में बड़ा भेदभाव बरता जाता है ; और

(ग) जो लोग उक्त समिति में पाँच वर्ष से अधिक की अवधि पूरी कर चुके हैं उन सभी को वापस भेजने के लिए तथा अन्य लोगों को प्रतिनियुक्ति का लाभ देने हेतु समान अवसर देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) समिति में सचिव, उप सचिव, और अवर सचिवों के पदों पर सम्बन्धित नियमों के अनुसार अखिल भारतीय/केन्द्रीय सेवाओं के ऐसे अधिकारी तैनात किए जाते हैं जो केन्द्रीय सचिवालय में तुलनात्मक पदों पर नियुक्ति के पात्र हैं। ग्रुप "क" के शेष पदों, ग्रुप "ख" के सभी पदों (एक व्यक्ति के अतिरिक्त जो पूर्णतः तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया है) ग्रुप "ग" और ग्रुप "घ" के एक पद पर कार्य कर रहे व्यक्तियों

को केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर लिया गया है और उनका वेतन तथा कार्यकाल वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गये सम्बन्धित सामान्य आदेशों द्वारा नियमित किया जाता है। ग्रुप "घ" के शेष कर्मचारी रोजगार कार्यालय के माध्यम से नियुक्त किए गए हैं।

(ख) तथा (ग) जी नहीं, श्रीमान। समिति के कार्यालय में कोई भी व्यक्ति 5 वर्ष अथवा अधिक समय से प्रतिनियुक्ति पर नहीं है।

रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगार

6027. **श्री अशोक गहलोत : क्या श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1980 तक देश के रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत व्यक्तियों की व्यवसाय-वार संख्या क्या है ;

(ख) क्या सरकार का छठी पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान कुछ पंजीकृत बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है ;

(ग) यदि हां, तो इस अवधि के दौरान कितने व्यक्तियों को रोजगार मिलने की संभावना है और कब तक ; और

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) 31-12-1980 में रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर रोजगार चाहने वालों की संख्या (उनमें अनिवार्यता सभी बेरोजगार नहीं हैं), जिन्हें मुख्य व्यवसायों द्वारा वर्गीकृत किया गया है, से सम्बन्धित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) योजना 1980-85 में, यह दर्शाया गया है कि 1980-85 के दौरान अंतिरिक्त रोजगार क्षमता 34 मिलियन रोजगार मानक व्यक्ति वर्ष होगी। यह अनुमान लगाया गया है कि जब देश में बड़े पैमाने पर रोजगार अवसर सृजित किए जाएँगे तब अनेक पंजीकृत बेरोजगार व्यक्तियों (चालू रजिस्टर पर) को लाभ प्राप्त होगा।

(ग) ऐसे पंजीकृत बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या को अलग से दर्शाना सम्भव नहीं है, जिन्हें छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान रोजगार प्राप्त हो सकता है।

(घ) ऊपर (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

31 दिसम्बर, 1980 को रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर रोजगार चाहने वालों की संख्या—मुख्य व्यवसायिक समूहों के अनुसार

(अनन्तिम)

व्यवसायिक समूह	31-12-1980 को चालू रजिस्टर पर संख्या (हजारों में)
1	2
1. व्यवसायिक, तकनीकी और सम्बद्ध श्रमिक	840.9
2. प्रशासनिक, कार्यकारी और प्रबन्धकीय श्रमिक	11.2
3. लिपिकीय और सम्बद्ध श्रमिक	760.8
4. बिक्री श्रमिक	4.0
5. सेवा-श्रमिक	412.1
6. काश्तकार, भीख्यारे, शिकारी, काष्ठ-वस्तु विक्रेता तथा सम्बद्ध श्रमिक	82.2
7. उत्पादन तथा सम्बद्ध श्रमिक, परिवहन उपस्कर प्रचालक तथा मजदूर	1493 9
8. व्यवसायों के अनुसार वर्गीकृत न किए गए श्रमिक :	
(क) मैट्रिक से कम (अशिक्षित तथा अन्यों सहित)	5653.0
(ख) मैट्रिक और उससे उच्च परन्तु स्नातक से कम	5634.8
(ग) स्नातक तथा उससे उच्च	1302.4
योग :	16200.3

नोट—इसमें दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब को छोड़कर विश्वविद्यालय रोजगार सूचना और मार्गदर्शन केन्द्रों के आंकड़े शामिल नहीं हैं।

दूरदर्शन की पुरानी प्रौद्योगिकी

6028. **श्रीमती किशोरी सिन्हा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्रसारण और अभिग्रहण दोनों मामलों में वर्तमान दूरदर्शन प्रौद्योगिकी, ट्रांसमिशन और फ्लैट ट्यूब में सांख्यिक तकनीकी तथा अभिग्रहण में एल० सी० डी० तकनीकों के विकास के साथ अप्रचलित हो रही है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इन क्षेत्रों में, खासतौर पर फ्लैट ट्यूब अथवा अधिग्रहण करने वाले छोर पर एल० सी० डी० तकनीकी में सरकार ने कोई अनुसंधान और विकास कार्य शुरू किया है ; और

(ग) यदि हाँ, तो उसके अब तक क्या परिणाम रहे हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रानिकी और पर्यावरण विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) सरकार न केवल दूरदर्शन के प्रसारण अपितु दूरदर्शन संकेतों के अभिग्रहण के सम्बन्ध में हाल ही में हुई औद्योगिकीय प्रगति से भी अवगत है ।

(ख) ये प्रौद्योगिकियाँ अभी भी विकास की अवस्था में हैं और औद्योगिक दृष्टि से समुन्नत देशों में भी इसका वाणिज्यिक दृष्टि से उपयोग नहीं किया जा सकता है ।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

अपराधियों के साथ व्यवहार करते समय पुलिस द्वारा तीसरे दर्जे के साधनों के उपयोग के मामलों के बारे में जांच

6029. **श्री आर० के० महालगी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को यह मालूम है कि देश में पुलिस पर उसके द्वारा अपराधियों, जिनमें अभियोगाधीन व्यक्ति भी शामिल हैं, के साथ व्यवहार करते समय तीसरे दर्जे के साधनों का उपयोग किये जाने के मामलों में गम्भीर आरोप हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि तथाकथित मुठभेड़ में कभी-कभी तो इन साधनों में लोगों को अन्धा कर देने, उनकी टांगें तोड़ देने अथवा मार डालने तक की घटनाएँ भी शामिल हैं ;

(ग) ऐसे मामलों की संख्या कितनी है जिनके बारे में इस समय केन्द्र सरकार जांच कर रही है ;

(घ) क्या पुलिस आयोग ने इस सम्बन्ध में कोई सिफारिशें की हैं ताकि पुलिस ऐसे तरीके न अपनाये अथवा, यदि वह ऐसा करे, तो उसे उदाहरणीय दण्ड दिया जाये ;

(ङ) यदि हाँ, तो उन सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ; और

(च) केन्द्र सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है कि अपराध होने की स्थिति में पुलिस उक्त तरीकों का उपयोग न करे ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हाँ, श्रीमान्।

(ख) भागलपुर जेल में रखे गये अभियोगाधीन व्यक्तियों को अन्धे करने और उत्तर प्रदेश के वाराणसी और गाजीपुर जिलों में कुछ व्यक्तियों की टांगें तोड़ने के संबंध में कुछ आरोप लगाए गए हैं।

(ग) जैसा कि संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची में 2 में सूचीवद्ध किया गया है, "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्य के विषय हैं। अतः सामान्य रूप से केन्द्रीय सरकार को पुलिस द्वारा तथाकथित तीसरे दर्जे के साधन प्रयोग करने के बारे में रिपोर्टें प्राप्त नहीं होती हैं इसलिए केन्द्रीय सरकार ऐसे मामलों की जांच पड़ताल नहीं करती है। फिर भी, बिहार राज्य सरकार के विशिष्ट आग्रह पर भागलपुर जेल में रखे गये अभियोगाधीन कैदियों को अन्धे करने के तथाकथित मामलों की जाँच पड़ताल करने के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से कहा गया है।

(घ) तथा (ङ) : राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने इस संबंध में कुछ सिफारिशें की हैं जिन पर विचार किया जा रहा है।

(च) तीसरे दर्जे के साधन इस्तेमाल न करने और पुलिस कार्मिकों द्वारा तीसरे दर्जे के साधनों के तथा कथित प्रयोग के बारे में गंभीर रुख अपनाने के लिए राज्य सरकारों को अनुदेश जारी किए गए हैं।

बेरोजगार, स्नातक, वैज्ञानिक और इंजीनियर

6030. **श्री आर० के० महालगी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष में राज्यवार बेरोजगार स्नातक, वैज्ञानिक, और इंजीनियर कितने-कितने थे ;

(ख) उनमें महिलाएं कितनी हैं ;

(ग) उनमें से 31 दिसम्बर, 1980 के अंत तक कितने व्यक्तियों को रोजगार मिला ; और

(घ) उनको रोजगार प्रदान करने की क्या योजना है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) 1978, 1979 तथा 1980 के अन्त में रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर स्नातक नौकरी चाहने वाले व्यक्तियों की संख्या (इनमें अनिवार्यतः सभी बेरोजगार नहीं हैं), ये संबंधित उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण-1 में दी गई है।

(ख) सूचना संलग्न-विवरण-2 में दी गई है। (ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 2275/81)

(ग) सूचना संलग्न विवरण 3 और 4 में दी गई है। (ग्रंथालय में रखे गये, देखिये संख्या एल० टी० 2275/81)

(घ) छठी योजना दस्तावेज 1980-85 में जानशक्ति तथा रोजगार संबंधी अध्याय में शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन के लिए चलाए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के ब्यौरे दिए गए हैं। योजना में यह परिकल्पना की गई है कि विभिन्न क्षेत्रों के अन्तर्गत चलाए जाने वाले कार्यक्रमों को रोजगार देने के लिए पर्याप्त सम्भाव्यत प्रदान करेंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रमों, ऋण सुविधाएं बिपणन सुविधाएं तथा मार्गदर्शन प्रदान करने के स्वः नियोजित व्यक्तियों को एक पुर्नव्यवस्था प्रदान करने का प्रस्ताव है।

स्कूटरों की मांग तथा उत्पादन

6031. **श्री आर० के० महालगी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में विशेषकर, महाराष्ट्र के संदर्भ में स्कूटरों और कारों की वार्षिक आवश्यकता और उत्पादन कितना होता है ;

(ख) प्रत्येक के उत्पादन के कितने प्रतिशत का निर्यात किया जाता है ; और

(ग) कमी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (ग) 1979-80 में कारों तथा स्कूटरों का उत्पादन तथा निर्यात निम्न प्रकार हुआ था :---

	उत्पादन		निर्यात
	अखिल भारतीय आधार	महाराष्ट्र	
यात्री कारें	33,074	15,469	173*
स्कूटर	1,55,445	1,08,006	12,867*

*ये आंकड़े अप्रैल-दिसम्बर, 1979 की अवधि के हैं।

कारों की माँग लगभग इतनी ही थी। जहाँ तक स्कूटरों का संबंध है, अनुमानित मांग जिसके 1980-81 में लगभग 2,10,000 नग होने का अनुमान है, को पूरा करने के लिए विद्यमान क्षमताएं पर्याप्त हैं। किन्तु विशिष्ट मेक के स्कूटरों के संबंध में प्रतीक्षा सूची है। अतिरिक्त क्षमताएं उत्पन्न करने के लिए मंजूरी दी गई है और विद्यमान एककों की क्षमताओं के और अधिक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाये गये हैं।

पाकिस्तान की रासायनिक युद्ध क्षमता

6032. **श्री माधवराव सिंधिया :**

श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि पाकिस्तान ने रासायनिक युद्ध की समर्थता प्राप्त कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) इस आशय के कुछ समाचार देखे हैं।

(ख) इसके बारे में विवरण देना उचित नहीं होगा ।

नागालैंड-ससस्या सुलझाने के लिये फिजो की इच्छा

8033. **श्री माधवराव सिंधिया :**

श्री मती किशोरी सिन्हा :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागा विद्रोही नेता श्री फिजो (लंदन में) ने नागालैण्ड-समस्या के अन्तिम समाधान के लिए नई दिल्ली आने की इच्छा व्यक्त की है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) : बताया जाता है कि श्री फिजो ने नागालैंड से संबंधित मामले पर विचार विमर्श करने के लिए प्रधान मंत्री से मिलने की इच्छा व्यक्त की है ।

(ग) सरकार का विचार है कि ऐसे विचार विमर्श तभी लाभदायक हो सकते हैं जब श्री फिजो नागालैंड को भारत का अभिन्न अंग स्वीकार करलें ।

नेत्रहीनों को रोजगार के अवसर

6034. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय नेत्रहीन संघ के प्रतिनिधियों ने नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसरों में प्राथमिकता देने के बारे में प्रधान मंत्री के साथ बात चीत की थी; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में उपरोक्त संघ को दिए गये आश्वासन क्या हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी, हां ।

(ख) कोई नहीं ।

दिल्ली में डकैती की धमकियां

6035. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर पश्चिमी दिल्ली की कालोनी के कुछ निवासियों को फरवरी, 1981 में धमकी भरे पत्र मिले थे जिनमें उनके क्षेत्रों में पड़ने वाली डकैतियों की ओर संकेत किया गया था:

(ख) यदि हां, तो क्या पुलिस को यहां के निवासियों से ऐसी धमकियों के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

(गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना): (क) और (ख) : पंजाबी बाग के निवासी श्री हरीचन्द्र गुप्ता को 8.2.1981 को अज्ञात लेखक का एक पत्र मिला जिसमें 1000/-रु० की मांग की गई थी, जिसके न दिए जाने पर उसके घर में डकैती डालने की धमकी दी गई थीं। उसने मामले की सूचना पुलिस को दे दी थी।

(ग) 10.2.1981 से 16.2.1981 तक श्री हरीचन्द्र गुप्ता के घर पर रात दिन कड़ी निगरानी रखी गई थी लेकिन कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। रात दिन निगरानी रखने के लिए क्षेत्र में एक विशेष पुलिस दल को तैनात किया था।

परीक्षाओं में वस्तु परक प्रश्नों को रखा जाना

6036. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों के हाल में हुये सम्मेलन में यह आम राय व्यक्त की गई थी कि लिखित प्रश्न पत्रों के स्थान पर वस्तुपरक परीक्षाएं (ओबजेक्टिव टाइप टेस्ट) होने चाहिये जिससे परिक्षाएं लेने में सुविधा हो और उम्मीदवारों को अच्छे अवसर मिलें तथा अन्तिम परिणाण तैयार करने में विलम्ब न हो , जिसके तैयार करने में इस तमय लगभग एक वर्ष का समय लग जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सभी परिक्षाओं, चाहे वे खुली परीक्षायें हों अथवा सीमित विभागीय परीक्षायें हों, वस्तुपरक प्रश्न पत्रों को शुरू करने का है; और

(ग) यदि हां, तो कब से ?

(गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों के हाल ही में हुए सम्मेलन में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों के प्रयोग के बारे में केवल विचारों का सामान्य आदान प्रदान ही हुआ था।

(ख) इस समय ऐसा कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

हजारी बाग में गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोग

6037. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हजारी बाग की 90% से ज्यादा जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं

और यदि हां, तो क्या इन लोगों का जीवनस्तर ऊंचा उठाने के लिए कोई कार्यवाही की जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या आदिवासी बाहुल्य वाले क्षेत्रों के विकास के लिए तैयार की गई एम० ई० एस० ओ० योजना की तरह छोटा नागपुर के अन्य जिलों के लोगों का जीवनस्तर उठाने के लिए कोई योजन है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजन तथा श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) : बिहार के हजारीबाग जिले में गरीबी के स्तर से नीचे रहने वाली जनसंख्या से संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं है । तथापि 1977-78 के लिए राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के आंकड़ों से प्राप्त सूचना के आधार पर, बिहार में लगभग 57.5 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी के स्तर से नीचे रह रही थी ।

हजारीबाग में और छोटा नागपुर के अन्य जिलों में जीवन स्तर को उन्नत करने के लिए, सामान्य विकास कार्यक्रमों के अलावा, इस क्षेत्र में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, और अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना जैसे कुछ विशेष कार्यक्रम भी चल रहे हैं ।

पुलिस हिरासत में मृत्यु और बलात्कार के मामले

6038. **श्री ए० के० राय** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1980 के दौरान बिहार में, विशेषकर धनबाग जिले में पुलिस हिरासत में मृत्यु और बलात्कार के कितने मामले हुए हैं ;

(ख) विभिन्न संसद सदस्यो द्वारा इसी अवधि में ऐसे कितने मामले केन्द्रीय सरकार के ध्यान में लाये गये हैं ; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) : बिहार सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और इसके प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगीं ।

दिल्ली छावनी में दुकानों को अग्रेत्तर किराये पर दिया जाना

6039. **प्रो० अजित कुमार मेहता** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली छावनी बोर्ड के अधीन सदर बाजार; दिल्ली की दुकानें जो व्यक्तियों को किराये पर दी गई हैं, वे दुकानें किरायेदारों द्वारा उनका बंटवारा करके और आगे किराये पर दे दी गई हैं और ऐसा करने के लिए उन्हें किसी प्राधिकारी अथवा कानूनी स्वीकृति नहीं है ;

(ख) क्या इस तरह के विभाजित क्षेत्रों में किरायेदारों द्वारा दी गई किराया प्राप्तियों के आधार पर इस तरह के परिसर में सम्बद्ध अधिकारियों द्वारा उचित दर की दुकानें, आटा चक्की, मिट्टी के तेल, गेहूं, तेल आदि की दुकानें चलाने के लिए लाइसेंस जारी किये गये हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को कानूनी कार्यवाही करने के अलावा इस तरह गैरकानूनी ढंग से प्राप्त लाइसेंसों को रद्द करने, विभाजन को दूर करने के लिए दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही करने का विचार है ;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) अब तक इस तरह के कितने मामले हुये हैं और उनका ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी ०पाटिल) : (क) जी हां । ऐसे कुछ मामले दिल्ली छावनी बोर्ड के ध्यान में आए हैं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) और (घ) : छावनी बोर्ड ने छावनी अधिनियम 1924 की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत अप्रधिकृत निर्माण के दीवाल को हटाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है । उपर्युक्त भाग (ख) को देखते हुए लाइसेंस रद्द करने का प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) इस तरह के तीन मामले हैं जिनका विवरण इस प्रकार है :—

1. दूकान नम्बर 1/159, सदर बाजार, दिल्ली छावनी ।
2. दुकान नम्बर 1/166, सदर बाजार, दिल्ली छावनी ।
3. दुकान नन्बर 1/172, सदर बाजार, दिल्ली छावनी ।

"टिस्कों" के श्रमिकों द्वारा अपनी सेवा के नियमित करने के लिए हड़ताल

6040. **श्री रामवतार शास्त्री,**
श्री विजय कुमार यादव,
श्री के० लकप्पा,
श्री एच० एन० गौडा,

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न श्रमिक संघों ने जमशेदपुर स्थित "टिस्कों" के प्रबंधकों के साथ इस कारखाने के 10,000 ठेका श्रमिकों के बारे में किसी करार पर हस्ताक्षर किए थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस करार के अन्तर्गत स्थायी प्रकार के कार्य पर लगे हुए श्रमिकों को नियमित करने के लिए निर्णय किया गया था ;

(ग) यदि हां, तो क्या "टिस्कों" के प्रबंधकों ने इस करार को लागू करने से मना कर दिया है ;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ङ) क्या इस करार के कार्यान्वयन की मांग करते हुए 7000 आदिवासियों और 2,000 महिला श्रमिकों सहित 10,000 ठेका श्रमिक गत 11 फरवरी से हड़ताल पर थे और उन पर पुलिस ने निर्दयतापूवर्क लाठी चार्ज किया था जिसके परिणामस्वरूप लोकप्रिय और श्रमिक नेता केदार दास को चोटें आई थीं ;,

(च) क्या इस श्रमिक आन्दोलन का दमन करने के लिए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की सेवाओं का उपयोग किया जा रहा है ; और

(छ) यदि हां, तो इन श्रमिकों के हित में इस करार के प्रावधानों के कार्यान्वयन को सनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है और प्रवंधकों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (छ) विवरण सदन की मेज पर रख दिया है ।

विवरण

जमशेदपुर में औद्योगिक प्रतिष्ठानों में नियोजित ठेका श्रमिकों की समस्याओं पर 7-8-1979 को श्रमायुक्त, विहार के समक्ष त्रिपक्षीय वैठक में विचार-विमर्श किया गया, जिसमें विभिन्न प्रबन्धतन्त्रों और श्रमिक यूनियनों के प्रतिनिधि शामिल थे । इस बैठक में, अन्य वातों के साथ-साथ, यह स्वीकार किया गया कि ठेका श्रमिकों द्वारा स्थायी और वर्षानुवर्षी प्रकार के कार्यों में, ऐसे श्रमिकों को उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों पर नियमित किया जाए । विहार सरकार ने सूचित किया है कि वाद में टिस्को के प्रबन्धतन्त्र ने इस आधार पर अपने निर्णयों को कार्यान्वित करने में अपनी असमर्थता दिखाई :

(1) कि स्थायी और वर्षानुवर्षी प्रकार के कार्यों पर ठेका श्रम को समाप्त करने पर इस्पात उद्योग की राष्ट्रीय संयुक्त सलाहकार समिति द्वारा विचार किया जा रहा है ।

(2) कि कम्पनी के कार्य स्थायी आदेशों में अस्थाई और स्थायी दोनों नियोजन के लिए प्राथमिकताएँ निर्धारित हैं और यदि इनका पालन नहीं किया जाता तो यह स्थायी आदेशों का उल्लंघन होगा और यह उन श्रमिकों के हितों को भी प्रभावित करेगा, जो भर्ती में वरीयता के हकदार हैं ।

राज्य सरकार ने सूचित किया है कि टिस्को में हड़ताल से, जो 11 फरवरी, 1981 को शुरू हुई थी, लगभग पांच हजार ठेका श्रमिक प्रभावित हुए । बिहार सरकार ने यह भी सूचित किया है कि पुलिस और श्रमिकों के बीच कोई संघर्ष या कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ । राज्य सरकार ने यह सूचित किया है कि श्री केदार दास ने 18-2-1981 को 11.00 बजे सुवह अनिश्चितकालीन अनशन शुरू किया और वाद में शाम को श्री दास को थोड़ा बुखार हुआ तथा उन्होंने 4.15 बजे सायं अपना अनशन समाप्त कर दिया । 19-2-1981 को श्री दास वेहोश हो गये और उन्हें अस्प-

ताल ले जाया गया जहां 12.30 बजे उनका स्वर्गवास हो गया। डाक्टरों ने इसे मस्तिष्क रक्त-स्राव का मामला घोषित किया।

बिहार सरकार ने सूचित किया है कि यह सत्य नहीं है कि श्रमिक आन्दोलन को दबाने के लिए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की सेवाओं का उपयोग किया जा रहा है। इस पुलिस की सेवाओं का उपयोग जमशेदपुर नगर में कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिए किया जा रहा है।

टाटा लोहा और इस्पात कम्पनी लिमिटेड (टिस्को) जमशेदपुर के सम्बन्ध में ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 की धारा 2 (1) (क) और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 (क) के अधीन सम्बन्धित सरकार बिहार सरकार है। अतः यूनिट में ठेका श्रम पद्धति को नियमित/समाप्त करने तथा इससे उत्पन्न होने वाले किसी प्रकार के औद्योगिक विवादों को रोकने/निपटाने की जिम्मेदारी उस सरकार की है। चूंकि यह मामला स्पष्टतः राज्य क्षेत्र में आता है। इसलिए केन्द्रीय सरकार यूनिट के प्रबन्धतन्त्र और श्रमिकों के बीच औद्योगिक शान्ति और सद्भावपूर्ण सम्बन्धों को बढ़ावा देने के लिए सलाहकार की भूमिका अच्छे ढंग से निभा सकती है।

समस्या को हल करने के उद्देश्य से, राज्य सरकार ने 27-2-81 को अपने राज्य सलाहकार ठेका श्रम बोर्ड की एक बैठक बुलाई, ताकि समस्याओं पर विचार-विमर्श किया जा सके और उनकी सलाह के अनुसार आगे कार्यवाही की जा सके। बोर्ड ने अपनी बैठक में पहले से निर्दिष्ट निर्णयों के, जिन्हें 7-8-79 को हुई त्रिपक्षीय बैठक में लिया गया, कार्यान्वयन की सिफारिश की और सरकार को सलाह दी गई कि वह विचार-विमर्श के लिए टिस्को के प्रबन्धतन्त्र और मान्यता प्राप्त यूनियन के प्रतिनिधियों को बुलाये। बोर्ड ने यह भी सलाह दी कि वह ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 के अधीन टिस्को में स्थायी और वर्षानुवर्षी स्वरूप के कतिपय कार्यों में ठेका श्रमिकों के नियोजन को प्रतिषिद्ध करें और सम्बन्धित यूनियनों को हड़ताल वापिस लेने की सलाह दी। इस बोर्ड की सलाह पर राज्य सरकार विचार कर रही है।

केन्द्रीय कृषि के अधीन कृषि श्रमिकों की दैनिक मजूरी

6041. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के अधीन सरकारी कृषि संस्थानों के कृषि श्रमिकों की दैनिक मजूरी कितनी है ; और

(ख) विभिन्न राज्यों में सरकारी कृषि संस्थानों के लिए केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित की गई दैनिक मजूरी की दरें क्या हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही हैं और मेज पर रख दी जाएगी।

तथापि विवरण संलग्न है, जिसमें केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन निर्धारित अकुशल कृषि श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी दरें दी गई हैं।

विवरण

कृषि में न्यूनतम मजदूरी दरें (राज्य-वार) सम्बन्धी विवरण
(अकुशल श्रमिकों के लिए)

राज्य का नाम	लागू होने की तारीख	मजदूरी दरें
1	2	3
केन्द्रीय सरकार	15-9-1980	क्षेत्रों के अनुसार 5.10 रुपये से 7.50 रुपये
आन्ध्र प्रदेश	7-2-1981	जोनों के अनुसार 4.25 रुपये से 10.00 रुपये
असम	अक्तूबर; 1974	व्यवसाय के अनुसार 5.00 रुपये से 6.00 रुपये प्रति-प्रतिदिन वगैर भोजन के या 4.50 रुपये से 5.50 रुपये दिन-प्रतिदिन एक समय के भोजन के साथ ।
बिहार	जुलाई, 1975	*गैर-सिंचाई वाले क्षेत्रों में 4.50 रुपये प्रतिदिन व एक समय का खाना/नाश्ता और सिंचाई वाले क्षेत्रों में 5.00 रुपये और एक समय का खाना/नाश्ता ।
गुजरात	5-1-1976	5.50 रुपये प्रतिदिन ।
हरियाणा	2-1-1980	कार्य के अनुसार 7.50 रुपये से 10.00 रुपये प्रतिदिन भोजन के साथ या 9.00 रुपये से 12.00 प्रतिदिन ।
हिमाचल प्रदेश	1-1.1981	7.25 रुपये प्रतिदिन ।
जम्मू और कश्मीर	अभी तक कोई न्यूनतम मजदूरी दरें निर्धारित नहीं की गई हैं ।	
कर्नाटक	2-10-1975	संक्रिया की श्रेणी और भूमि के प्रकार के अनुसार 3.25 रुपये से 5.60 रुपये प्रति-दिन ।

*बिहार में न्यूनतम मजदूरी भूमि के प्रकार और क्षेत्रों के अनुसार निर्धारित की गई है, जहाँ मजदूरी नकद दी जाती है, वहाँ ये उपर्युक्त दर से कम नहीं होनी चाहिए ।

1	2	3
केरल	15-9-1975	आसान कार्य के लिए 6.50 रुपये प्रति-दिन और कठिन कार्य के लिए 8.00 रुपये प्रतिदिन ।
मध्य प्रदेश	5-5-1979	5.00 रुपये परम्परागत परिलब्धियों के साथ, यदि कोई हो ।
महाराष्ट्र	1-11-1978	4.00 रुपये से 5.50 रुपये प्रतिदिन क्षेत्रों के अनुसार ।
मणिपुर	1-3-1977	6.50 रुपये प्रतिदिन ।
मेघालय	1-3-1980	7.50 रुपये प्रतिदिन दोपहर के भोजन के साथ ।
नागालैण्ड	31-1-1978	8.00 रुपये प्रतिदिन ।
उड़ीसा	1-12-1980	5.00 रुपये प्रतिदिन ।
पंजाब	1-1-1979	*कण्डी क्षेत्र— 8.70 रुपये प्रतिदिन या 6.70 रुपये प्रतिदिन भोजन के साथ । अन्य क्षेत्र— 9.70 रुपये प्रतिदिन या 7.70 रुपये प्रतिदिन भोजन के साथ ।
राजस्थान	1-1-1980	क्षेत्र के अनुसार 6.25 रुपये से 8.00 रुपये ।
सिक्किम	इस राज्य में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 लागू नहीं किया गया ।	
तमिलनाडु	15-9-1979	5.00 रुपये से 7.00 रुपये संक्रियाओं के प्रकार के अनुसार, पूर्वी थंजावर को छोड़-कर, जहाँ मजदूरी दरें तमिलनाडु कृषि श्रमिक उचित मजदूरी अधिनियम 1969 के अनुसार निर्धारित की गई है ।

*कृषि में रोजगार में न्यूनतम मजदूरी-दरें श्रम-जीवी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से सम्बन्ध रखती है ।

1	2	3
त्रिपुरा	1-12-1979	7.00 रुपये प्रतिदिन।
उत्तर प्रदेश	23-10-1975	जोनों के अनुसार। 5.00 रुपये से 6.50 रुपये प्रतिदिन।
		प्रतिदिन दर (रुपयों में) मूल मंहगाई भत्ता कुल
पश्चिम बंगाल	30-9-1974 (नवम्बर, 1979 से मंहगाई भत्ता)	वयस्क 5.60 2.31 7.91 प्रतिदिन बालक 4.00 1.68 5.68 प्रतिदिन
अण्डमान तथा निकोवार द्वीप समूह	1-6-1976	5.50 रुपये प्रतिदिन।
अरुणाचल प्रदेश	न्यूनतम मजदूरी दरें अभी निर्धारित नहीं की गई हैं।	
चण्डीगढ़	28-4-1979	कार्य के अनुसार 7.70 रुपये से 9.00 रुपये प्रतिदिन भोजन के साथ या 9.70 रुपये से 11.00 रुपये प्रतिदिन।
दादर और नागर हवेली	15-4-1976	5.50 रुपये प्रतिदिन।
दिल्ली	1-1-1980	9.25 रुपये प्रतिदिन।
गोवा, दमन और दीव	25-2-1976	कार्य की श्रेणी के अनुसार 4.00 रुपये से 5.00 रुपये प्रतिदिन।
मिजोरम	कृषि में न्यूनतम मजदूरी का नियतन विचाराधीन है।	
पाण्डिचेरी	1-5-1976	कार्य की प्रकृति तथा क्षेत्रों के अनुसार 3.50 रुपये से 9.00 रुपये प्रतिदिन।
लक्षद्वीप	इस संघ शासित क्षेत्र में कोई भी कृषि श्रमिक नहीं है।	

जन स्वास्थ्य में परमाणु तकनीकें और प्रदूषण नियन्त्रण पर विचार गोष्ठी

6042. **डा० बसन्त कुमार पंडित :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भाभा परमाणु अनुसन्धान केन्द्र में फरवरी, 1981 में "जन स्वास्थ्य में परमाणु तकनीकें और प्रदूषण नियन्त्रण" विषय पर हुई विचार गोष्ठी की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो मल व्ययन, वायु-प्रदूषण तथा मनुष्यों को होने वाले अन्य खतरों के सम्बन्ध में परमाणु तकनीक का उपयोग करने के लिए क्या योजनाएँ बनाई गई हैं ; और

(ग) परमाणु ऊर्जा और तकनीक के विकास योजनाओं को गति प्रदान करने के लिए सरकार के विचाराधीन कौन-सी योजनाएँ हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा इलैक्ट्रानिकी और पर्यावरण विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जी, हाँ ।

(ख) बड़ौदा में गन्दे नालों के अवपंक का शोधन नाभिकीय तकनीकों से करने के लिए एक संयंत्र लगाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है । साफ किया गया अवपंक रोगजनक नहीं होगा तथा वह एक निरापद और उपयोगी उर्वरक रहेगा । वायु और पानी को प्रदूषित होने से रोकने के लिए नाभिकीय तकनीकों के कुछ अनुप्रयोगों पर भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में अनुसंधान तथा विकास कार्य किए जा रहे हैं ।

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना में तीन परमाणु बिजलीघरों का, जिनमें दो-दो यूनिट होंगे तथा प्रत्येक यूनिट की क्षमता 235 मेगावाट होगी, तथा तीन और भारी पानी संयंत्रों का निर्माण कार्य शुरू करने का प्रस्ताव है । इससे परमाणु बिजली के उत्पादन में 1410 मेगावाट की वृद्धि होगी । इसके अतिरिक्त, परमाणु ऊर्जा का उपयोग उद्योग धन्धों, आयुर्विज्ञान तथा कृषि में विभिन्न प्रयोजनों के लिए किया जा रहा है । ऐसे कार्यक्रम बनाए गए हैं, जिनके अन्तर्गत इन सभी क्षेत्रों में परमाणु ऊर्जा के विकास और उपयोग के लिए छठी योजना में देश की क्षमता को और अधिक काम में लाया जाएगा ।

नागालैंड में विस्फोटक स्थिति

6043. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत तीन-चार महीनों से नागालैंड में पैदा हो रही विस्फोटक स्थिति पर केन्द्रीय सरकार ने गम्भीर चिन्ता व्यक्त की है ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं ;

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जाएगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) (क) से (ग) नवम्बर, 1975 में शिलांग समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद राज्य हिंसा से प्रायः मुक्त रहा है । परन्तु हमारी सीमाओं के पार बर्मा में छिपे चीन से लौटे भूमिगत नागाओं के बीच मुठभेड़ें होती रहती हैं । तथापि, सरकार स्थिति पर कड़ी निगरानी रखे हुए है ।

अरुणाचल प्रदेश में धार्मिक स्वतन्त्रता

6044. **श्री जार्ज फर्नान्डीज :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अरुणाचल प्रदेश में धार्मिक स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में 18 अगस्त, 1980 को भारतीय केथोलिक विशपस कान्फ्रेंस से कोई ज्ञापन मिला है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार को किये गये अभ्यावेदन की प्रमुख बातें क्या हैं ; और

(ग) इन मामलों पर विचार करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) जी हाँ, श्रीमान्।

अभ्यावेदन मूलतः अरुणाचल प्रदेश धार्मिक स्वातन्त्र्य अधिनियम 1978 के खिलाफ था। आराधना की स्वतन्त्रता के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आरोप भी लगाए गए थे।

(ग) अरुणाचल प्रदेश सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि उनका धार्मिक स्वातन्त्र्य अधिनियम जैसा कि शीर्ष से पता चलता है, किसी भी धर्म या मत को मानने की स्वतन्त्रता की अनुमति देता है। केवल संदेहास्पद तरीकों से एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तित होने को वे रोकना चाहते हैं। उन्होंने आगे यह बताया कि संघ शासित क्षेत्र में पूर्ण रूप से धर्म निरपेक्षता और धार्मिक सहिष्णुता है।

प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी

6045. **श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उद्योगों के प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी की योजना को सांविधिक समर्थन देने के लिए विचार कर रही है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह योजना जो पिछली सरकार के विचाराधीन थी, अब तक गंभीरतापूर्वक कार्यान्वित नहीं की गई है : और

(ग) यदि हाँ, तो क्या अब सरकार ने योजना के कार्यान्वयन में सुधार लाने के लिए मांगों पर गंभीरता से विचार करने का निर्णय कर लिया है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) शाप फ्लोर/यूनिट और प्लांट/डिवीजन स्तरों पर श्रमिकों की सहभागिता की दो योजना : एक विनिर्माण और खनन उद्योगों तथा दूसरी सार्वजनिक क्षेत्र में वाणिज्यिक और सेवा संगठनों के लिए—पहले से ही प्रचलित हैं। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को परामर्श दिया गया है कि वे इन योजनाओं के कारगर कार्यान्वयन को सुनिश्चित करें। राज्य सरकारों से यह सुनिश्चित कराने के लिए भी अनुरोध किया गया है कि ये योजनाएं उनके राज्यों में सार्वजनिक

निजी और सहकारी क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित की जाती है। उपलब्ध सूचना के अनुसार बहुत से सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उपक्रम इन योजनाओं कों कार्यान्वित कर रहे हैं।

स्थगन प्रस्तावों के बारे में जारी

असम में संवैधानिक संकट उत्पन्न होने का समाचार

कुछ माननीय सदस्य : महोदय हमारे स्थगन प्रस्ताव का क्या हुआ ?

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय, मैं एक संवैधानिक प्रश्न उठना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : मैं एक-एक करके उन माननीय सदस्यों को पुकारूंगा जिन्होंने नोटिस दिए हैं। सबसे पहले मैं स्थगन प्रस्ताव को लूँगा जिस पर आप अपना संवैधानिक प्रश्न उठा सकते हैं। इसके अलावा मैं अन्य बातों को भी सुनूंगा।

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफफरपुर) : महोदय, क्या आप स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : पहले मैं आपकी बात सुनूंगा और उसके बाद यह निश्चय करूंगा कि मुझे क्या करना है। मैं अपने आप को सन्तुष्ट करना चाहता हूं और तब इसके बारे में निश्चय करूंगा तथा निर्णय दूंगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : कृपया स्थगन प्रस्ताव का पाठ पढ़ दीजिए।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : महोदय, कृपया स्थगन प्रस्ताव का पाठ पढ़ दीजिए।

गृह मंत्रालय और संसदय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : महोदय, यह मामला इससे पहले सदन के सामने आया था और उस समय के निर्देश के अनुसार स्थगन प्रस्ताव का पाठ नहीं पढ़ा जा सकता।

अध्यक्ष महोदय : मैं पढ़ नहीं रहा हूं। बल्कि सुन रहा हूँ। (**व्यवधान**) × आप क्या कर रहे हैं ? बिना मेरी अनुमति के ऐसा करने की इजाजत नहीं है। मैंने सभा को आश्वासन दिया था कि मैं असम के बारे में स्थगन प्रस्ताव के इस प्रश्न पर निश्चय करने के लिए दोनों बातों को सुनूंगा। इसलिए सबसे पहले मैं एक-एक करके उन सदस्यों के नाम पुकारूंगा जिन्होंने नोटिस दिए हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : कृपया स्थगन प्रस्ताव को पढिए।

अध्यक्ष महोदय : नहीं। वे कुछ स्पष्ट करना चाहते हैं। अब श्री बी० डी० सिंह बोलेंगे। मैं चाहता हूं कि वे स्पष्ट रूप से कहें।

श्री हरीकेश बहादुर : महोदय मैंने भी नियम 388 के अन्तर्गत सूचना दी है। हमें भी

× कार्यवाही वृतान्त में सम्मलित नहीं किया गया।

अपनी बात स्पष्ट करने की अनुमति दी जाए। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आपको इसकी अनुमति नहीं है। मैंने उसे अस्वीकार कर दिया है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : महोदय, यदि सरकार की ओर से कोई आपत्ति नहीं है तो इसे स्वीकार कीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात सुनने जा रहा हूं। मैं दोनों पक्षों को सुनूंगा।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, क्या उन्होंने चैम्बर में उस पर कोई आपत्ति की थी ?

अध्यक्ष महोदय : वह यहाँ पर आपत्ति कर रहे हैं।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बडागरा) : उन्होंने केवल पढ़ने के बारे में आपत्ति की है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात सुनना चाहता हूं तथा स्वयं को सन्तुष्ट करना चाहता हूं। (**व्यवधान**)।

श्री बीजू पटनायक (केन्द्रपाड़ा) : आप प्रस्ताव को उस स्थिति में नहीं पढ़ सकते जबकि आपको उसे अस्वीकार करना हो।

अध्यक्ष महोदय : मैं एक-एक करके सदस्यों के नाम पुकारूंगा। सूचना देने वाले सदस्यों की संख्या आठ है। जब वे इस पर बोलेंगे तो इस बात का उल्लेख करेंगे। जब वे बोलेंगे तो यह बात सामने आएगी। वे कुछ स्पष्ट किए बिना ऐसा नहीं कर सकते।

श्री बीजू पटनायक : यह एक व्यक्तिगत मामला नहीं है। यह सारे सदन का मामला है।

अध्यक्ष महोदय : वे अपने आप बोलने नहीं जा रहे हैं। वे किसी ऐसे विषय पर बोलेंगे जो कि सारे सदन के लिए है।

श्री बीजू पटनायक : स्थगन प्रस्ताव पढ़ा जाना चाहिए। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप अनावश्यक रूप से सदन का समय क्यों बेकार कर रहे हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : कृपया यह समझने का प्रयास कीजिए कि हम क्या कह रहे हैं। चूंकि आप स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करने के बारे में निर्णय देने के लिये दोनों पक्षों की राय जानना चाहते है, इसलिए प्रस्ताव को पढ़ने में क्या आपत्ति है।

अध्यक्ष महोदय : वह इसे स्पष्ट करेंगे श्री बी० डी० सिंह अब आप बोलिए। (**व्यवधान**) कृपया बैठ जाइए। मुझे पढ़ाने की कोशिश मत कीजिए।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : नियम 60 के पहले परन्तुक के अधीन मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। इसमें यह कहा गया है :

"परन्तु जब अध्यक्ष ने नियम 56 के अन्तर्गत अपनी सम्मति देने से इन्कार कर दिया हो।"

कोई भी यह मान सकता है कि आपने कोई निश्चय नहीं किया है —

"···या उस कर राय हो कि चर्चा के लिए प्रस्थापित विषय नियमानुकूल नहीं है।"

यहां पर भी मुझे विश्वास है कि आपने कोई निश्चय नहीं किया है। वह यदि आवश्यक समझे, उस प्रस्ताव की सूचना पढ़ कर सुना सकेगा और सम्मति देने से इन्कार करने के कारण बता सकेगा।

अध्यक्ष महोदय : किसने कहा कि मैं सम्मति देने से इन्कार कर रहा हूं।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मेरा यह निवेदन है कि चूंकि आप इस संबंध में निश्चय करना चाहते हैं और हमें, जिन्होंने नोटिस दिए हैं, अपनी बात कहने के लिए कहा गया है ताकि सदन निश्चय कर सके, इसलिए हम चाहते हैं कि आप इस प्रस्ताव को पढ़ें ताकि सदन को इस बात का पता चल सके कि प्रस्ताव की विषय वस्तु क्या है।

अध्यक्ष महोदय : नियम में कहा गया है कि "वह यदि आवश्यक समझे"। मैं इसे आवश्यक नहीं समझता। मैं अपना कर्तव्य जानता हूं। मुझे उसके बारे में बताए जाने की जरुरत नहीं। श्री बी० डी० सिंह। मैंने श्री बी० डी० सिंह को पुकारा है।

श्री के० पी० उन्नी कृष्णन : मैं नियम 25 के अन्तर्गत बोल रहा हूं। कृपया इसे पढ़िए। मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। हमें आज के लिए जो कार्य सूची दी गई है उसमें मदों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। अब मुझे यह पता नहीं है कि 12.00 बजे क्या कार्यवाही होने जा रही है। मैं नहीं जानता कि आपने किस मामले को सुनने का निश्चय किया है। मुझे तथा सदन को यह जानने का अधिकार है कि स्थगन प्रस्ताव का विषय क्या है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उसे पहले ही स्पष्ट कर दिया है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : क्या मैं यह जान सकता हूं कि प्रस्ताव क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : स्थगन प्रस्ताव है जिसकी सूचना श्री बी० डी० सिंह ने दी है। **(व्यवधान)** कृपया व्यवस्था बनाए रखिए। मेरा निर्णय यह है कि मैंने इसे अस्वीकार कर दिया है। **(व्यवधान)**** कृपया नियम 60 का दूसरा परन्तुक पढ़िए।

श्री हरिकेश बहादुर : आपने नियम 25 क्यों नहीं पढ़ा।

अध्यक्ष महोदय : कृपया नियम 60 का दूसरा परन्तुक पढ़िए।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव (पार्वतीपुरम्) : मुझे एक निवेदन करना है।

अध्यक्ष महोदय : कोई निवेदन करने की अनुमति नहीं है। श्री बी० डी० सिंह क्या आप अपने स्थगन प्रस्ताव के बारे में कुछ कह रहे हैं ?

श्री बी० डी० सिंह (फूलपूर) : अध्यक्ष जी, असम में संवैधानिक संकट पैदा हो गया है। वहां की सरकार ...

** कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : इस पर नियम 60 लागू होता है। क्या मैं सही हूं ?

अध्यक्ष महोदय : नियम 60 का दूसरा परन्तुक लागू होता है।

श्री बी० डी० सिंह : अध्यक्ष जी, अमम में...

अध्यक्ष महोदय : मैं सुन रहा हूं। (**व्यवधान**) ** आपको कोई तर्क नहीं देना है। आप अध्यक्ष नहीं हैं। अध्यक्ष मैं हूं। मैंने आपको इसकी अनुमति नहीं दी है। कृपया बैठ जाइए (**व्यवधान**)* श्री बी० डी० सिंह। कुछ भी कार्यवाही में शामिल नहीं किया जाएगा। (**व्यवधान**)**

श्री बी० डी० सिंह : अध्यक्ष जी मैंने जो नोटिस दिया है वह यह है कि असम में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है। पिछली 30 तारीख को कट पोशन पर वहां सरकार हार चुकी है। इसके बावजूद कल भी ऐप्रोप्रिएशन बिल वहां नहीं पास हो सका फिर पैसा कहां से आयेगा खर्च के लिये ? इसलिये वहां कोई सरकार नहीं रह गई है और जो सरकार वहां चल रही है वह असंवैधानिक है। इसलिये मैंने कार्यवाही रोक कर सदन में इस बात पर चर्चा करने की मांग की है।

अध्यक्ष महोदय : श्री चित्त वसु।

श्री चित्तबसु (बारसाट) : आसाम में एक संवैधानिक संकट पैदा हो गया है। इस बीच वहां कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे संवैधानिक संकट पैदा हुआ है।

आसाम में दल बदलकर सरकार स्थापित की गई। सरकार इस आशा से स्थापित की गई कि आसाम की कठिन समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इस में कोई सन्देह नहीं है कि सरकार मूलभूत समस्याओं, विशेषतया विदेशी राष्ट्रीकों के मामले में, के समाधान में असफल रही है। वहां विधान सभा की बैठक बुलाई गई और सभा का सत्र चला। परन्तु एक समय ऐसा आ गया जब सरकार को सदन में पराजय का सामना करना पड़ा। बाद में सभा अनिश्चित काल के लिये स्थगित कर दी गई। वित्त विधेयक पारित नहीं हुआ था और राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव भी पारित नहीं हुआ था। लेखानुदान भी स्वीकृत नहीं हुआ था। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार की स्थिति क्या है ? एक ऐसी स्थिति आ गई है जब हमें यह पता नहीं है कि सरकार की कानूनी स्थिति क्या है और वित्तीय कार्य आदि किस प्रकार से किये जायेंगे। एक संवैधानिक संकट पैदा हो गया है। इस संवैधानिक संकट से निपटने के लिये सरकार क्या कदम उठाना चाहती है। सरकार को एक वक्तव्य देना चाहिये। सरकार अब क्या करना चाहती है। आसाम की सरकार किस प्रकार चल रही है और वहां के विधान मण्डल की स्थिति क्या है। अतः मेरे विचार से सरकार एक वक्तव्य दे और स्थिति स्पष्ट करे।

श्री के० मायातेवर : (डिन्डीगुल) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार यदि राज्य में संवैधानिक संकट आता है अथवा यदि कोई ऐसा संकट आ गया है जब किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था समाप्त हो सकती है ऐसी स्थिति में भारत के राष्ट्रपति को सबसे पहले राज्य के राज्यपाल से रिपोर्ट प्राप्त करनी चाहिये। राज्यपाल से रिपोर्ट प्राप्त

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

करने के पश्चात ही राष्ट्रपति को भविष्य की कार्यवाही के बारे में निर्णय करना चाहिये। यहां आसाम के मामले में राज्यपाल से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई। अतः सदन में आसाम के बारे में चर्चा नहीं की जा सकती। आसाम की स्थिति पर चर्चा करने का अभी समय नहीं आया है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस: महोदय, कल हममें से कुछ सदस्योंने स्थगन प्रस्ताव दिये थे क्योंकि आसाम में संवैधानिक व्यवस्था समाप्त हो गई संविधान का अनुच्छेद 204 विनियोग विधेयकों से सम्बन्धित है। हमें इस तथ्य का पता है कि कल सभा को अनिश्चित काल के लिये स्थगित किया गया और बाद में विनियोग विधेयक पारित कराये बिना ही सभा का सत्रावसान कर दिया। अब एक स्थिति पैदा हो गई है जब एक कटौती प्रस्ताव को पराजित करने के प्रयास में स्वयं सरकार को पराजय का सामान करना पड़ा और इस प्रकार सरकार ने सत्ता में बने रहने का यदि कानूनी नहीं तो नैतिक अधिकार अवश्य खो दिया है। कुछ सदस्यों ने यह बात कल भी कही आप ने कहा था कि यह मामला नहीं उठाया जा सकता। क्योंकि अब एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि अनुच्छेद 204 का पूर्णतया उल्लंघन हुआ है। विनियोग विधेयक पारित नहीं हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : अनुच्छेद 213 के बारे में आपका क्या विचार है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मैं अनुच्छेद 213 पर भी आऊंगा। मेरे विचार से कल सरकार लेखानुदान पर स्वीकृति प्राप्त करने का प्रयास कर रही थी। विनियोग विधेयक लेखानुदान के बारे में था इसलिये अनुच्छेद 204, 205, 206 लागू होते हैं अब यह बात स्पष्ट है कि राज्य सरकार अपने वित्तीय दायित्वों और वित्तीय आश्वासनों के बारे कोई कार्य नहीं कर पायेगी। वास्तव में गत अर्धरात्रि और आज प्रातकाल तक, जब राज्यपाल ने अनुच्छेद 213 के अधीन अपनी शक्तियां लागू की, सरकार ने जो भी धनराशि व्यय की है वह पूर्णतया अप्राधिकृत है। यह इस कारण है कि गत अर्धरात्रि की वर्ष समाप्त हो गया। मुझे विश्वास है कि मेरे मान्य मित्र प्रो० रंगा इस तथ्य से अवगत होंगे। गत अर्धरात्रि और आज प्रातःकाल तक जब राज्यपाल ने अनुच्छेद 213 के अधीन अपनी शक्तियां लागू की, सरकार ने जो भी व्यय किया है उसके लिए कोई स्वीकृति नहीं दी और तथ्य यह है कि सरकार व्यय कर रही है और कार्य भी कर रही है।

अब हम अनुच्छेद 213 को लेते हैं। जो विधान मंडल के विश्रान्ति काल में राज्यपाल की अध्यादेश प्रख्यापन शक्ति के बारे में है। इसमें बताया गया है कि :

"उस समय को छोड़ कर जब कि राज्य की विधान सभा तथा विधान परिषद वाले राज्य में विधान-मंडल के दोनों सदन, सत्र में हैं, यदि किसी समय राज्यपाल को समाधान हो जाए कि तुरन्त कार्यवाही करने के लिए उसे बाधित करने वाली परिस्थितियाँ वर्तमान हैं तो वह ऐसे अध्यादेशों का प्रख्यापन कर सकेगा जो उसे परिस्थितियां क से अपेक्षित प्रतीत हो।"

इस मामले की परिस्थितियां क्या हैं ? परिस्थितियां यह है कि सरकार.....

अध्यक्ष महोदय : निर्णय के लिए उत्तरदायी कौन है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : प्रश्न यह नहीं है कि उत्तरदायी कौन है ? आसाम में मंत्रिमंडल था।

यदि आप को यह पता करना है कि उत्तरदायी कौन है तो जिसमें मंत्रिमंडल बनाया उसे विधायकों का बहुमत प्राप्त नहीं था वही इसके लिए उत्तरदायी है। मेरे विचार से मेरे सामने जो सज्जन बैठे हैं····· श्रीमती तो उपस्थित नहीं हैं···वही उत्तरदायी है। वास्तव में जब से उन्होंने सरकार बनाई और कल शाम तक उनमें से सभी न सभी अनैतिक और गैर-कानूनी उपायों का प्रयोग किया समाचार पत्रों में एक समाचार प्रकाशित हुआ है कि एक कनिष्ठ मंत्री श्री थुंगन उस समय अध्यक्ष दीर्घा में बैठे थे जब सभा में विनियोग विधेयक पर चर्चा चल रही थी और सरकार अपने वित्तीय कार्यों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही थी। इस प्रकार हर संभव प्रयास किया गया। उन प्रयासों के उपरांत भी कल शाम सरकार के लिये विनियोग विधेयक पारित कराना संभव नहीं हो सका और विधान सभा का सत्रावसान कर दिया गया। इसके पश्चात अनुच्छेद 213 के अन्तर्गत राज्यपाल की शक्तियां लागू करने के बारे में या मैं यही कह सकता हूँ कि यह संविधान का उल्लंघन है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप इसका अर्थ बतायेंगे कि "ऐसे अध्यादेशों का प्रख्यापन कर सकेगा जो उसे परिस्थियियों से अपेक्षित प्रतीत हों।"

श्री जार्ज फर्नान्डीस : विनियोग विधेयक सभा के सामने था। सभा में विधेयक स्वीकृत न हो सका। वास्तव में सभा का सत्रावसान प्रमुखतया इसलिये किया गया कि सभा विधेयक पारित कराने की स्थिति में नहीं थी। अतः संवैधानिक व्यवस्था समाप्त होने से भी पहले संविधान की भावना को बनाये रखने का प्रश्न पहले आता है। संविधान की भावना क्या है ? क्या राज्यपाल का शासन संविधान की भावना है ? अथवा लोगों द्वारा निर्वाचित विधान मंडल द्वारा निर्णय लिये जाना अथवा लोगों द्वारा निर्वाचित विधान मंडल द्वारा लोगों के लिए कानून बनाये जाना संविधान की भावना है ? हमारा संविधान गणतन्त्र के लिये है अथवा राज्यपाल के लिये। अतः मेरे विचार से अनुच्छेद 213 के अधीन अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति की शरण नहीं ली जानी चाहिये। इस मामले में राज्यपाल ने उसे अनुच्छेद 213 के अधीन दी गई शक्तियों का निश्चित रूप से दुरूपयोग किया है। विनियोग विधेयक के अतिरिक्ति एक और मामला भी है और वह है मेरे द्वारा दिया गया नोटिस। मैंने अपने नोटिस में इस तथ्य का उल्लेख किया है कि यह विधान मंडल राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव भी स्वीकृत नहीं करा सका। इससे खराब बात और क्या हो सकती है। राज्यपाल आकर सभा को सम्बोधित करते हैं आप मुझे उद्धहरण दे रहे हैं कि—

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं कुछ जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कर रहा हूं।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : अतः यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। राज्यपाल का अभिभाषण संविधान के अनुच्छेद 176 के अन्तर्गत आता है। अनुच्छेद 176 में कहा गया है :

(1) "विधानसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरम्भ में विधान सभा को, अथवा राज्य में विधान परिषद होने की अवस्था में साथ समवेत दोनों सदनों को राज्यपाल संबोधित करेगा तथा विधान मंडल को उस आह्वान का कारण बतायेगा ;"

राज्यपाल ने ऐसा किया ।

अनुच्छे में यह भी कहा गया है:

"सदन या किसी भी सदन की प्रक्रिया के विनियामक नियमों में ऐसे संबोधन में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के हेतु समय रखने के लिए उपबंध किया जाएगा।"

राज्यपाल आता है सभा को संबोधित करता है, और सभा के समक्ष अपने विचार रखता है। प्रक्रिया नियमों के अनुसार विधान सभा में इसके लिये अलग़से समय निर्धारित किया जाताहै। धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जाता है और विधान सभा स्थगित हो जाती है । राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित किये बिना ही विधान सभा का सत्रावसान हो जाता है। इसके पश्चात् अनुच्छेद 213 के अन्तर्गत राज्यपाल अपनी शक्तिया लागू करता है। इस प्रकार संविधान में शेष क्या रह जाता है । अतः मेरा अनुरोध है कि आप हमारा स्थगन प्रस्ताव स्वीकार करें और हमें देश के संविधान की रक्षा करने का जो कार्य सौंपा गया है उसमें आप हमारी सहायता करें ।

अध्यक्ष महोदय : श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री उपस्थित नहीं है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, ऐसा दिखाई देता है कि असम में एक नई संवैधानिक कहानी लिखी जा रही है । जिस संविधान के अनुसार हम आज तक चलते रहे उसे ताक पर रख कर असम में ऐसा प्रयत्न हो रहा है जो गणतंत्र की जड़ों पर कुठाराघात कर रहा है । दल-बदल के आधार पर बनी हुई सरकार जब राज्यपाल द्वारा सहारा लेकर असम में बनी, नैतिक अधिकार तो उस 'को तभी नहीं था, लेकिन अब उस ने' संवैधानिक अधिकार खो दिया ।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार ने असम के बारे में वहां के राज्यपाल से कोई रिपोर्ट मंगायी है या क्या राज्यपाल ने स्वयं कोई रिपोर्ट भेजी है ? अगर रिपोर्ट भेजी है तो उस के बासे में सदन को विश्वास मेंलिया जाय लेकिन आर्टिकल 356 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार स्वयं यह मूल्यांकन कर सकती है कि क्या सचमुच में असम में शासन संविधान के अन्तर्गत चल रहा है ? एप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं हुआ, कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलेगा...

कुछ माननीय सदस्य : मिलेगा ।

श्री अटल विहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, यह कर्मचारी बोल रहे हैं या पार्लियामेंट के मेम्बर बोल रहे हैं ?

विधान सभा की बैठक को अचानक स्थगित कर दिया गया । वहां के डिप्टी स्पीकर ने भी कहा कि अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है । मैं जानना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय ने जब अध्यादेश जारी किया तो संविधान कहता है कि अध्यादेश उस समय जारी होगा जब विधान सभा की बैठक नहीं होगी, संविधान यह नहीं कहता कि कोई सरकार सदन में गिरने के भय से विधान सभा की बैठक स्थगित कर दे और फिर राज्यपाल से कहे कि जो काम हम विधान सभा में नहीं कर सकते हैं वह आप अपने अधिकार से कर दीजिए... (**व्यवधान**)...

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : यह कानूनी मुद्दा है, वाजपेयी जी।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : जी हां, लेकिन यह सलाह वे दे रहे हैं जिनका कानून से दूर का भी वास्ता नहीं है। राज्यपाल ने अध्यादेश जारी करने के अपने अधिकार का दुरुपयोग किया है। यह संविधान के साथ मखौल किया गया है। अगर अध्यादेश जारी नहीं होता तब तो शासन चलने का वहां सवाल ही नहीं था लेकिन मेरा निवेदन है कि राज्यपाल महोदय को वापिस बुलाया जाना चाहिए। केन्द्रीय सरकार असम की परिस्थिति में हस्तक्षेप करने में असफल रही है इसलिए हम केन्द्रीय सरकार की निन्दा करना चाहते है। ये दिल्ली में बैठकर क्या कर रहे हैं ? अभी अभी गृह मन्त्री महोदय शिलांग गए थे, वहां दल बदल से बनी हुई सरकार की पीठ थपथपा कर आए हैं लेकिन अगर सरकार विधान सभा में नहीं टिक सकती तो नयी दिल्ली के भरोसे कोई भी सरकार टिकने वाली नहीं है। मेरा निवेदन है कि पार्टी के स्वार्थ के लिए संविधान के साथ मजाक मत करिए। असम की स्थिति पहले से ही गम्भीर है। अगर ऐसा दिखाई देता है कि कोई सरकार अनैतिक और असंवैधानिक तरीकों से असम पर थोपी जा रही है तो परिस्थिति काबू से बाहर हो जायेगी।

प्रो० मधु दंडवते : अध्यक्ष महोदय जब हममें से अनेक सदस्यों ने आपसे स्थगन प्रस्ताव का पाठ पढ़ने के लिए अनुरोध किया था तो आपने कहा कि यह बात मैं आप पर छोड़ता हूँ। इसलिए मैं पहले आपके निर्देश का पालन करूंगा और स्थगन प्रस्ताव का पाठ पढ़ूंगा। स्थगन प्रस्ताव इस प्रकार है :—

"विनियोग विधेयक, वित्त विधेयक और राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के पारित हुए बिना राज्य विधान सभा के सत्रावसान से असम में संवैधानिक संकट का उत्पन्न होना और असम मंत्रिमंडल के त्यागपत्र न देने पर केन्द्र द्वारा उसे बर्खास्त न करना।"

अध्यक्ष महोदय :—धन्यवाद। ये चौथी बार पढ़ा गया है।

प्रो० मधु दंडवते :—मैं हमेशा आपके निर्देश का पालन करूंगा।

अध्यक्ष महोदय :—आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।

प्रो०मधु दंडवते : जहां तक संविधानिक उपबन्धों का सम्बन्ध है वे बिल्कुल स्पष्ट हैं (व्यवधान) मेरे मित्र श्री जार्ज फर्नान्डीस ने अनुच्छेद पढ़ा है। अब मैं उसका संगत अंश पढ़ता हूं। अनुच्छेद 204(1) में यह व्यवस्था है कि :

"विधान सभा द्वारा अनुच्छेद 203 के अधीन अनुदान किए जाने के बाद यथासम्भवशीघ्र राज्य की संचित निधि में से पूर्ति के लिए अपेक्षित सब धनों के विनियोग के लिए विधेयक पुर स्थापित किया जायेगा।"

इस प्रकार इसमें कई मदे दी हुई हैं। यह अत्यन्त स्पष्ट है कि यदि संचित निधि में से धन दिया जाना है और सरकार को चलाना है तो ये अत्यावश्यक है कि विधान सभा में विनियोग विधेयक पारित किया जाये। वित्त विधेयक को स्वीकार किया जाये। प्रजातान्त्रिक परम्पराओं और मान

दण्डों की भी यही मांग है कि राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को स्वीकार किया जाये । मुझे खेद है कि न केवल अनुच्छेद 204 का उल्लंघन किया गया है बल्कि अनुछेच्द 213 की भी गलत व्याख्या की जा रही है और उसका दुरुपयोग किया जा रहा है ।

1947 से 1981 तक भारत के संसदीय प्रजातंत्र के इतिहास में अनुच्छेद 213 का कभी भी दुरुपयोग नहीं किया गया है । मुझे ये देखकर आघात पहुंचा है और आश्चर्य हुआ है कि वित्त विधेयकों को भी अनुच्छेद 213 के क्षेत्राधिकार में लाया जा रहा है । (व्यवधान) मेरे विचार से यह एक दूसरी शरारत है और यह सरकार की असफलता है ।

जहां तक अन्य पहलुओं का सम्बन्ध है स्थिति बहुत स्पष्ट है । (व्यवधान) यह स्पष्ट है कि राज्यपाल से ये आशा की जाती है कि राज्य में यदि संवैधानिक संकट हो तो वह अपनी रिपोर्ट भेजेगा । किन्तु अनेक अवसरों पर, और इसके पूर्व मैं उदाहरण देना चाहता हूं । वेशक कार्यवाही में शामिल किया जाये कि···हाल ही में नौ राज्य विधान सभाओं को सम्बन्धित राज्यों के राज्यपालों द्वारा दी गई रिपोर्टों की ओर ध्यान दिये बिना भंग किया गया था । गुजरात और मध्य प्रदेश के राज्यपालों ने न केवल अपनी रिपोर्ट भेजी थीं बल्कि सार्वजनिक रूप से बयान भी दिया था कि इन राज्यों में कोई संवैधानिक संकट नहीं है । कानून और व्यवस्था तंत्र असफल नहीं हुआ है । इसके बावजूद भी हमने देखा कि कुछ कदम उठाये गये थे । इस प्रकार हमें आशंका है कि सम्पूर्ण संवैधानिक उपबन्धों का दुरुपयोग किये जाने की कोशिश की जा रही है और कुछ उपबन्धों का उल्लंघन किया गया है । व्यवधान)

आप निश्चित रहिये । मेरी आवाज आप सभी की आवाज को मिलाकर भी ऊँची रहेगी ।

अत: मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संविधान के कुछ उपबन्धों का उल्लंघन किया गया और संविधान के कुछ अनुच्छेदों का दुरुपयोग किया जा रहा है । केन्द्र का यह अनिवार्य कर्तव्य था कि इन व्यवस्थाओं का पालन किया जाता । राज्यपाल की रिपोर्ट न आने पर भी भारत सरकार स्वयं अपने आप इस बारे में निर्णय ले सकती थी । कई अवसरों पर सरकार इस बात के लिए बहुत उत्सुक रही है कि वह राष्ट्रपति का शासन लागू करे और मामले में हस्तक्षेप करे । इस मामले में भी विधान सभा को भंग किए बिना; इसे निलंबित रखकर हस्तक्षेप करना संभव था । विगत में सरकार ने ऐसा किया है किन्तु यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस बार वह ऐसा करने से मना कर रही है और इसीलिए हम ये स्थगन प्रस्ताव लाये हैं । मैं ये कहकर समाप्त करता हूँ कि हम किसी अन्य नोटिस के स्थान पर स्थगन प्रस्ताव क्यों लाये हैं । कुछ वर्ष पहले श्रीनगर में अध्यक्ष सम्मेलन में यह बात स्वीकार की गई थी कि स्थगन प्रस्ताव में निन्दा का तत्व शामिल होता है और हम इस विषय पर सरकार की निन्दा करना चाहते हैं क्योंकि 1947 से 1981 तक यह सरकार की सबसे बड़ी असफलता है । इसलिए हम सरकार की निन्दा करना चाहते हैं और इसीलिए हमने आपसे स्थगन प्रस्ताव रखने की अनुमति मांगी है । हमारे मन में इस बारे में जरा भी सन्देह नहीं है कि विपक्षी सदस्यों द्वारा दिये गये वध तर्कों को सुनने के बाद तथा शासक दल के सदस्यों द्वारा चाहे कुछ भी कहा जाए आप हमें स्थगन प्रस्ताव रखने की अनुमति देने के लिए सहमत हो जायेंगे ।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ—31 मार्च कल खत्म हो गया है और आज हम लोग पहली अप्रैल यानी फूल-डे में चल रहे हैं। एप्रोप्रियेशन-बिल वहां पास नहीं हुआ और जिस आर्डिनेंस के सम्बन्ध में यहां चर्चा हुई—उसमें रूल बिलकुल साफ है कि गवर्नर को पावर नहीं है। अब यह प्रेजिडेन्ट का मामला है, उन पर भी यह सप्लाई करता है या नहीं, मैं नहीं कह सकता, लेकिन आर्टीकल 123, जब सेशन चलता हो, तो सेशन के बीच में वह भी नहीं कर सकते हैं। वहां पर जिस सरकार का जन्म हुआ था, वह भी इल्लीगल था, सरकार की पैदाइश गलत तरीके से की गई थी।

अब यह जो कांस्टीचूशनल क्रासिज उत्पन्न हो गया है, एक गलती के बाद दूसरी गलती करते जा रहे हैं—मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि उस सदन को क्यों स्थगित किया गया, इसको साइनेडाई स्थगित करना और उसका सत्रावसान करना पोलिटीकली-सोटिवेटेड था, सरकार के बचाने का एक ढंग था। मैं आपके माध्यम से साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि वहां की सरकार को डिस्मिस किया जाय और डिस्मिस करने के बाद जिसकी मैजोरिटी हो उसको सर कार बनाने का मौका दिया जाय, अपोजीशन को मौका दिया जाय। यह कोई नई परम्परा नहीं है। इस तरह से काम न किया जाय कि कांस्टीचूशन की आड़ में गलत ढंग से कानून को इन्टरप्रेट करके नई परम्परा शुरू की जाय। इसलिये आप असम के इस मामले को रोकिये, हस्क्षेप कीजिये मैं गृह मंत्रीजी, पार्लियामेन्ट तथा आपसे यह भी कहना चाहता हूं—यदि गलत काम करने से नहीं रोका गया तो हिन्दुस्तान में कांस्टीचूशन की मर्यादा नहीं रह जायगी और जिसको मौका मिलेगा—कांस्टी-चूशन को तोड़-मरोड़ कर सरकार के मन के लायक गलत इन्टरप्रेट करेगा। इसी लिये हमने यह कार्य-स्थगन प्रस्ताव दिया है, जिस पर आप बहस करवाइये।

श्री आर० के० महालगी (पुणें) : महोदय, मेरा प्रस्ताव कुल मिलाकर प्रो० दंडवते जैसा ही है। स्थगन प्रस्ताव के बारे में नियम 56, 57, 58 के उपबन्धों का पूरी तरह से पालन किया गया है। पहला यह कि यह एक निश्चित मामले को लेकर है। इस बारे में कोई विवाद नहीं होगा। दूसरा यह कि यह लोक-हित का मामला है। इस पर भी कोई विवाद नहीं होगा। तीसरा यह कि यह हाल में घटित मामला है। इस पर भी कोई विवाद नहीं हो सकता। यह एक संवैधानिक संकट का मामला है। मामले की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए, विशेषकर इन बातों को ध्यान में रखते हुए कि असम विधान सभा में धन्यवाद प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया है। दूसरे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के बारे में कटौती प्रस्ताव पर सरकार की हार हुई है। तीसरे, हालांकि लेखा-अनुदान 40 मतों के मुकाबले 52 मतों से पारित हुआ है, विधान सभा में विनियोग विधेयक पुरः स्थापित नहीं किया गया है। अनुच्छेद 204 में व्यवस्था है कि :

"विधान सभा द्वारा अनुच्छेद 203 के अधीन अनुदान किए जाने के बाद यथासम्भव शीघ्र एक विधेयक पुरःस्थापित किया जायेगा···"

शब्द "किया जायेगा" है। ऐसा कोई विधेयक विधान सभा में पुरःस्थापित नहीं किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : पुरःस्थापित किया गया किन्तु पारित नहीं किया गया।

श्री आर० के० महालगी : जी हाँ, एक ही बात है।

अगली बात यह है कि राज्य पाल ने एक अध्यादेश जारी किया है। इस सभा को बताया जाये कि अध्यादेश का जारी करने का सही समय क्या था, क्योंकि विधान सभा ने सरकार को 31 मार्च की रात के 12 बजे तक ही खर्च करने की स्वीकृति दी हुई है लेकिन अगले घंटे के पहले मिनट से ही विधान सभा की ऐसी कोई अनुमति नहीं है कि सरकार धन खर्च कर सकती है। मेरी सूचना के अनुसार अध्यादेश आज अल-सुबह जारी किया गया है। बीच के तीन-चार घंटे की अवधि का क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : यह बात पहले कही जा चुकी है और कोई नई बात हो तो कहिए।

श्री आर० के० महालगी : अतः इसको स्पष्ट किए जाने की आवश्यकता है। जब तक इसे स्पष्ट नहीं किया जाता असम के राज्यपाल ने जो भी कार्यवाही की है वह पूरी तरह से अवैध और अनैतिक है।

अध्यक्ष महोदय : विधि मंत्री।

श्री सतीश अग्रवाल : मैंने भी असम के संवैधानिक संकट के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव दिया है।

अध्यक्ष महोदय : यह विलम्ब से पहुंचा है।

श्री एन० के० शेजवलकर (ग्वालियर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या अब किसी और सदस्य को बोलने नहीं दिया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं।

श्री एन० के० शेजवलकर : मैं केवल दो मिनट के लिए बोलना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैंने केवल उन्हीं सदस्यों को अनुमति दी है जिन्होंने यह नोटिस दिया है।

श्री एन० के० शेजवलकर : विधि मंत्री को किस आधार पर अनुमति दी है ? यह अन्याय-पूर्ण है। मैं चिल्लाता नहीं हूं। मैं ऐसी कोई बात नहीं कहता जो संगत न हो।

अध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति नहीं दे सकता।

श्री एन० के० शेजवलकर : मैं केवल एक संवैधानिक मुद्दे के बारे में बोलना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, महोदय।

श्री एन० के० शेजवलकर : यह अन्यायपूर्ण है। या तो आप निर्णय दीजिए कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसने प्रस्ताव नहीं रखा है बोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिससे मैं सहमत हूं···

अध्यक्ष महोदय : मैंने यही कहा है ।

श्री एन० के० शेजवलकर : लेकिन विधि मंत्री ने प्रस्ताव नहीं रखा है ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने प्रस्ताव नहीं रखा है । लेकिन उन्हें उत्तर देना है ।

श्री एन० के० शेजवलकर : किस आधार पर उत्तर देना है ? गृह मंत्री को उत्तर देने दीजिए । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी को मजबूर नहीं कर रहा हूं···(व्यवधान) कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं की जाएगी । वह असंगत बोल रहे हैं । (व्यवधान)** मैंने सदन में यह आश्वासन दिया है कि मैं दोनों पक्षों को सुनूंगा और उसके बाद निर्णय लूंगा । मैंने स्पष्ट रूप से बता दिया है और अब मैं पीछे नहीं हटूंगा ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । कुछ सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव रखा है ।

श्री एन० के० शेजवलकर : यह किस नियम के अधीन बोल रहे हैं ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : आपने उन सदस्यों को अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने की अनुमति दी है । उन्होंने अपनी इस बात को अच्छी तरह से जतला दिया है कि असम सरकार ने अपना अधिकार और लोगों का समर्थन खो दिया है । वह एक अलग बात है । लेकिन आपने विधि मंत्री को किस नियम के अधीन उत्तर देने की अनुमति दी है । आपने स्थगन प्रस्ताव को रखने वाले सदस्यों को सुना है ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं नहीं, नियम है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : वह नियम लागू नहीं होता है । यह आप पर निर्भर है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने स्पष्ट रूप से सभा में आश्वासन दिया था कि मैं दोनों पक्षों के विचार सुनूंगा और उसके बाद अपना निर्णय दूंगा ।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसिरहाट) : यदि वह इसका विरोध कर रहे हैं तो आपको उन्हें एक अवसर देना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई बात नहीं । (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यदि सरकार को इस बारे में कोई आपत्ति नहीं है तो उसे सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे मंत्री महोदय का उत्तर सुनना होगा ।

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : नहीं, यदि सदस्य अपेक्षित संख्या में हैं तो आपको उन्हें अनुमति देनी होगी ।···(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : विगत में पहले भी कई बार सरकार ने यह कहा है कि उसे स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करने और उस पर चर्चा करने पर कोई आपत्ति नहीं है । ऐसी स्थिति में सरकार के विचार सुनना आवश्यक नहीं है । वे वाद-विवाद के दौरान बोल सकेंगे । क्या आपने पता लगा लिया है कि उन्हें स्थगन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति है या नहीं ? अन्यथा आप उन्हें बोलने के लिए क्यों कह रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने विधि मंत्री को बुलाया है । (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं अध्यक्ष महोदय से पूछ रहा हूं, विधि मंत्री से नहीं पूछ रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : आप पहले मेरी बात सुनिए । मैं विधि मंत्री से कह रहा हूं । मैंने आश्वासन दिया है ।

उस वक्त तो किसी ने एतराज नहीं किया, अब कैसे एतराज कर रहे हैं ।

श्री एन० के० शेजवलकर : महोदय, मैं अनुच्छेद 207 के अन्तर्गत एक व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं । आसाम में क्या हो रहा है । वहाँ की स्थिति के बारे में मैं कुछ नहीं कह रहा हूं । मेरा सीधा प्रश्न यह है कि अनुच्छेद 207 के अन्तर्गत···

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं देता हूं ।

श्री एन० के० शेजवलकर : आप एक मिनट मेरी बात सुनिए ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं । मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा ।

श्री एन० के० शेजवलकर : मैं यह प्रश्न उठा रहा हूं कि इस पर उच्च स्तर पर चर्चा की जाये ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसको पहले ही अस्वीकार कर दिया है ।

श्री एन० के० शेजवलकर : आपकी इजाजत के बगैर मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन आर्टीकिल 207 में यह है···

अध्यक्ष महोदय : नहीं मैं इसकी अनुमति नहीं देता हूं ।

श्री एन० के० शेजवलकर : यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

श्री एन० के० शेजवलकर : यह अनुचित है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। (**व्यवधान**) क्या आपको उससे भय है।

श्री हरिकेश बहादुर : महोदय, मैं व्यवस्था का एक प्रश्न उठाता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं देता हूं।

श्री हरिकेश बहादुर : आपको मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुनना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : नहीं मैं अनुमति नहीं दूंगा।

श्री हरिकेश बहादुर : मैं निवेदन करता हूं।...

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में कोई प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं है।

श्री हरिकेश बहादुर : कृपया मुझे एक मिनट का समय दीजिए। मैं इसकी व्याख्या करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं देता हूं।

श्री एन० के० शेजवलकर : वित्त विधेयक बिना सिफारिश के पारित नहीं किया जा सकता...

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। (**व्यवधान**)* आप कृपया बैठ जाइए। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं उनकी बात सुनूंगा। मैं सबके साथ उचित व्यवहार रखना चाहता हूं मैं प्रत्येक सदस्य की बात सुनता हूं।

श्री बीजू पटनायक : कोई भी सदस्य किसी समय भी व्यवस्था का प्रश्न उठा सकता है। आप किसी सदस्य को उसके अधिकार से वंचित नहीं कर सकते। यदि कोई सदस्य किसी समय व्यवस्था का प्रश्न उठाता है तो आप रोक नहीं सकते।

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाये। (**व्यवधान**)* वह मेरी अनुमति के बिना बोल रहे हैं। मैंने उनको अनुमति नहीं दी है। (**व्यवधान**)* वह किसी अन्य बात के सम्बन्ध में बोल रहे हैं। उन्होंने मेरी अनुमति भी प्राप्त नहीं की है। (**व्यवधान**)* मैंने अस्वीकार कर दिया है। (**व्यवधान**)* आपने मेरी अनुमति प्राप्त नहीं की है। (**व्यवधान**)* मैंने इसे अस्वीकार कर लिया है। (**व्यवधान**)

श्री बीजू पटनायक : आप इस सदन के सदस्यों का अधिकार नहीं छीन सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उनकी बात सुन ली है।

---

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री बीजू पटनायक : कोई भी सदस्य व्यवस्था का प्रश्न उठा सकता है। और आपको उसकी बात सुननी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उनकी बात सुनी और अस्वीकार कर दिया है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आपने उनकी बात नहीं सुनी है।

(व्यवधान)

श्री बापूसाहिब परुलेकर (रत्नगिरि) : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था का प्रश्न है। आपने कहा था···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : किसने कहा था।

श्री बापू साहिब परुलेकर : आपने कहा था।

अध्यक्ष महोदय : किसको कहा था ? (व्यवधान) मैंने कहा था कि व्यवस्था के प्रश्न को अनुमति नहीं दी है।

श्री बापूसाहिब परुलेकर : महोदय, यह जो पुस्तिका परिचालित की गई है उसमें लिखा है। (व्यवधान) कृपया सुनिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने सम्भवतः मेरी बात नहीं सुनी है। मैंने कहा था, "कि मैंने उनकी बात सुन ली है और व्यवस्था के प्रश्न को अस्वीकार कर दिया है और उसकी व्यवस्था के प्रश्न को अनुमति प्रदान नहीं की है।"

यह इतनी सरल बात है।

श्री बीजू पटनायक : आपने कहा था कि आप उनकी बात नहीं सुनना चाहते।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आपके और उनके बीच में कोई माइक्रो वेव चेनेल जरूर होगा इसलिए हम कुछ सुन नहीं पाए हैं।

अध्यक्ष महोदय : (व्यवधान) मैंने सभी सदस्यों की बात सुनी है। वह मुझसे कह रहे थे कि मुझे कुछ शब्द कहने की अनुमति प्रदान करें। मैंने इसकी अनुमति प्रदान नहीं की है। यह इतनी सरल बात है। (व्यवधान) आप सभी एक साथ क्यों बोल रहे हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : हम सभी मिलकर अपने अधिकारों की रक्षा करना चाहते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कहना चाहते हैं ? आप किस नियम के अधीन कहना चाहते हैं।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : मुझे यह आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है व्यवस्था का प्रश्न सदैव नियम 376 के अन्तर्गत उठाया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : उसकी हमेशा सुनवाई की जाती है ।

(व्यवधान)

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : मैं इस सदन में काफी समय से सदस्य हूं ।

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है । मैं देखना चाहता हूं ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : कृपया आप मुझसे यह प्रश्न न करें जैसा कि आप कुछ सदस्यों से पूछते हैं जिनको नियमों की जानकारी नहीं होती है । कृपया आप इस प्रकार के मुझसे प्रश्न न करें ।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं ?

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : इस सम्बन्ध में केवल एक ही नियम है···

अध्यक्ष महोदय : क्या आप व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : कृपया आप इतनी पूछताछ न करें । कृपया सुनिए । नियम 376(एक) में कहा गया है :

"औचित्य प्रश्न इन नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के, जिनसे सभा का कार्य विनियमित होता है, निर्वाचन या प्रवर्तन के सम्बन्ध में होगा···"

अब जब आपने यह प्रश्न पूछने की अनुमति प्रदान कर दी है, और जब भी कोई सदस्य व्यवस्था का प्रश्न उठाता है उसको कभी अस्वीकार नहीं किया जाता । आप इसको अस्वीकार कर सकते हैं किन्तु पहले आपको हमारी बात सुननी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं । मैंने इसको अस्वीकार कर दिया है ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : आपने इसको अस्वीकार कर दिया है । किन्तु हमें इस बात का हक प्राप्त है कि आप पहले हमारी बात सुनें ।

अध्यक्ष महोदय : किन्तु आपका प्रश्न क्या है ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : आपका पद संविधान के द्वारा बनाया गया है और आपको इन नियमों के अन्तर्गत ही कार्य करना चाहिए । आप उनका उल्लंघन नहीं कर सकते ।

अध्यक्ष महोदय : इस सम्बन्ध में मेरा कर्त्तव्य ही नहीं है । इसके सम्बन्ध में आपके भी दायित्व हैं ।

श्री परुलेकर, आप क्या कहना चाहते हैं । क्या आपका कोई व्यवस्था का कोई प्रश्न है ।

श्री बापूसाहिब परुलेकर : हाँ मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : वह प्रश्न क्या है।

श्री बापूसाहिब परुलेकर : महोदय, वह प्रश्न यह है। श्री हरिकेश बहादुर ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहा था। आपने उसको "अस्वीकार" कर दिया। मैं आपका ध्यान इस पुस्तिका की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो हमको बाँटी गयी है।

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं।

श्री बापूसाहिब परुलेकर : यह मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि व्यवस्था का प्रश्न एक असाधारण प्रक्रिया होती है और उसे जब उठाया जाता है तो उसे सदन की सारी कार्यवाही रोक दी जाती है। इसलिए जब कोई सदस्य व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता है तो उसे आपको सुनना चाहिए। (व्यवधान) सारी कार्यवाही रोक दी जाती है और उसका यह अधिकार होता है कि उसकी बात सुनी जाये। आप उसको रोक नहीं सकते।

अध्यक्ष महोदय : मैं उसको रोक नहीं रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : हम अपने अधिकारों के लिए प्रत्येक कदम पर संघर्ष करेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री शेजवलकर, आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है?

श्री एन० के० शेजवलकर : तीसरा प्रश्न यह है कि···

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आप अपना व्यवस्था का प्रश्न पूछिए।

श्री एन० के० शेजवलकर : मैं संविधान के अनुच्छेद 207 के उपबन्ध की व्याख्या कर रहा हूं। (व्यवधान) मुझे अपनी बात पूरी कहने दीजिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। (व्यवधान) आप बीच में क्यों बोल रहे हैं। मुझे पहले उनकी बात सुनने दीजिए। आप हमारे बीच में क्यों बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री एन० के० शेजवलकर : आपके इसके पश्चात इसे "अस्वीकार" कर सकते हैं। और मैं शीघ्र बैठ जाऊंगा। उपबन्ध यह है कि :

"जिस विधेयक के अधिनियमित किए जाने और प्रवर्तन में लाए जाने पर राज्य की संचित निधि से व्यय करना पड़ेगा वह विधेयक राज्य के विधान मण्डल के किसी सदन द्वारा तब तक पारित न किया जायेगा जब तक कि ऐसे विधेयक पर विचार करने के लिए उस सदन से राज्यपाल ने सिफारिश न की हो।"

यह अनुच्छेद 204 के क्रमशः आगे है। अध्यादेश को पास करने वाला तथा उसकी सिफारिश करने वाला एक ही व्यक्ति दोनों प्राधिकारी नहीं हो सकता। वे दोनों शक्तियाँ एक के पास नहीं हो सकतीं। इसलिए राज्यपाल के पास अध्यादेश को अधिनियमित करने की शक्ति नहीं है। यही मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अब आप इस पर निर्णय लें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : विधेयक को पुरःस्थापित किया जा चुका है। हम तब भी·····सुनेंगे। (व्यवधान) श्री वेंकट सुब्बैया क्या आपका कोई व्यवस्था का प्रश्न है ? (व्यवधान) आपके लिए यह व्यवस्था का प्रश्न है और उनके लिए क्या यह नहीं है।

श्री पी० वेंकट सुब्बैया : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है···(व्यवधान) एक व्यवस्था का प्रश्न विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं होता है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं देता हूं।

श्री पी० वेंकट सुब्बैया : जब तक अध्यक्ष उसे व्यवस्था का प्रश्न प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता···

अध्यक्ष महोदय : हम ऐसा ही करते हैं (व्यवधान) यह ठीक है (व्यवधान)

श्री पी० वेंकट सुब्बैया : कृपया मेरी बात सुनें। (व्यवधान)

श्री उन्नीकृष्णन् ने कहा है कि जब कभी कोई सदस्य व्यवस्था का प्रश्न उठाता है तो आप-को उसे सुनना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति नहीं देता हूं।

श्री पी० वेंकट सुब्बैया : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : आप किस नियम को उल्लेख कर रहे हैं।

श्री पी० वेंकट सुब्बैया : नियम 376 (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीस : उनसे कहिए कि वह नियम को पढ़ें। उन्होंने नियम को नहीं पढ़ा है।

श्री पी० वेंकट सुब्बैया : मैंने नियन को पढ़ा है।

अध्यक्ष महोदय : वह समझ गये हैं। (व्यवधान) श्री उन्नीकृष्णन् आप नियमों को पढ़िए। (व्यवधान) इसकी क्या आवश्यकता है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : "परन्तु अध्यक्ष किसी सदस्य को कार्य की एक मद समाप्त होने और दूसरी के प्रारम्भ होने के बीच की अन्तरावधि में औचित्य प्रश्न उठाने की अनुमति दे सकेगा यदि वह व्यवस्था बनाये रखने या सभा के समक्ष कार्य विन्यास के सम्बन्ध में हैं।"

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने यही कहा है। (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीस : इसमें हमारे अधिकारों का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : जो भी नियमों में कहा गया है, उन्होंने इस नियम का उल्लेख किया है।

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीस : इस समय यह सदन के सामने है।

नियम 376 (2) इस प्रकार है।

"औचित्य प्रश्न तत्समय सभा के समक्ष कार्य के संबंध में उठाया जा सकेगा।"

यह मेरा अधिकार है। यदि कार्य की दो मदों के बीच में कोई मद न हो तो अध्यक्ष महोदय अनुमति दे सकते हैं···

अध्यक्ष महोदय : यह मेरी स्वीकृति से हो सकता है। (**व्यवधान**)

श्री जार्ज फर्नान्डीस : आपको अधिकार है।

अध्यक्ष महोदय : वही मैं कर रहा हूँ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : पहला अधिकार मेरा है। संसदीय कार्य मंत्री ने यह नियम नहीं पढ़ा है।

अध्यक्ष महोदय : उनका कहना है "यह विशेषाधिकार नहीं है" यह मेरी स्वीकृति से ही हो सकता है।

श्री हरिकेष बहादुर : मैं आपका ध्यान नियम संख्या 58(3) की ओर दिलाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात जारी रखिये।

श्री हरिकेष बहादुर : कृपया देखिये नियम 56 और 58(3) जो कि इस प्रकार है :—

नियम 56—"···अविलम्बनीय लोक महत्व के किसी निश्चित विषय की चर्चा के प्रयोजन से सभा के कार्य को स्थगित करने का प्रस्ताव···"

नियम 58(तीन)—"प्रस्ताव हाल ही में घटित किसी विशिष्ट विषय तक सीमित रहेगा।"

इन दोनों बातों के संबंध में मैं यह कहना चाहूंगा कि संविधान का उल्लंघन हुआ है। संवैधानिक व्यवस्था समाप्त हो गयी है···

अध्यक्ष महोदय : इस विषय में क्या कहा गया है ?

श्री हरिकेष बहादुर : विनियोग विधेयक और इसी प्रकार ये···

अध्यक्ष महोदय : यह बात बीच में कैसे आ गयी। मैं इस मुद्दे को अस्वीकृत करता हूँ।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री प्री० शिवशंकर) : अध्यक्ष महोदय, जब मैं सभा के सामने खड़ा हूं···

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : यह आंध्र प्रदेश में उन मुकदमों पर बहस करने और जीतने के लिए प्रसिद्ध हैं जिनके बारे में कोई आशा नहीं होती। आप उन्हें बोलने की अनुमति क्यों देते हैं।

अध्यक्ष महोदय : वे हमेशा जीतते हैं। इसका सही अर्थ क्या है ? क्या इससे इनकी सफलता का पता चलता है। यह महत्वपूर्ण निष्कर्ष है

आपकी दोस्ती लगती है सतीश जी।

श्री पी० शिव शंकर : उन्होंने मुझे जो लैफ्ट हैन्डेड बधाई दी है मैं कमसे कम उसके लिए उनका एक बार धन्यवाद करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : उनका दायां हाथ आगे था।

श्री बापू साहिब परुलेकर : जब कोई विषय नहीं होता तब हमेशा वे सबसे अच्छा बोलते हैं। बिना विषय के।

श्री पी० शिवशंकर : जैसा कि नियम 60 के उपनियम 1 के दूसरे परन्तुक में व्यवस्था है, श्रीमन्, मैंने उसी के अनुसार आपसे मुझे सरकार की स्थिति स्पष्ट करने की अनुमति देने का अनुरोध किया है। क्योंकि आपके पास पूरे आंकड़े नहीं हैं इसीलिये मैंने आपसे अनुमति माँगी है। इस समय जिस बात पर बल दिया गया है वह यह है कि संवैधानिक व्यवस्था समाप्त हो गयी है। विपक्ष से कमसे कम एक बार इस प्रकार की बात सुनना अत्यंत रोचक है कि किसी राज्य के मंत्रि मंडल को बरखास्त कर दिया जाय या वहीं पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए····· (व्यवधान)

श्री हरिकेश बहादुर : हमने यह बात नहीं कही।

श्री पी० शिवशंकर : में कह रहा हूँ कि विपक्ष से कमसे कम एक बार इन शब्दों को सुनना बहुत रोचक बात होगी···

श्री जार्ज फर्नान्डीस : ऐसा किसने कहा है।

श्री पी० शिवशंकर : तर्क दिये गये हैं···

श्री जार्ज फर्नान्डीस : हम में से किसी ने ऐसा नहीं कहा।

श्री आर० के० महालगी : हम चाहते हैं कि वह सरकार त्यागपत्र दे।

श्री पी० शिवशंकर : जो प्रस्ताव रखा गया है उसमें मंत्रिमंडल को बरखास्त करने का अनुरोध किया गया है। मैं केवल उनके अपने शब्दों पर निर्भर करने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं उनका अपना यह प्रस्ताव पढ़ रहा हूँ। जहाँ तक इस प्रश्न का संबंध है कि क्या संवैधानिक व्यवस्था समाप्त हो गयी है जिसका कि मैं विरोध करूंगा अपने उस थोड़े से कानूनी ज्ञान के आधार पर जो कुछ मेरे पास है मैं इस प्रश्न के बारे में निवेदन करने से पूर्व मैं कुछ तथ्त स्पष्ट करना चाहूंगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी (आदवपुर) : नीम-हकीक खतरे जान।

श्री पी० शिवशंकर : सदन को मालूम है कि आसाम विधान मंडल की बैठक 19 मार्च, 1981 को हुई थी जिसमें एक अविश्वास प्रस्ताव रखा गया था जो कि 24 मार्च, 1981 को बहुमत द्वारा स्वीकृत कर दिया गया था। मैं उन तथ्यों की बात नहीं करूंगा। वास्तव में उस दिन हुआ यह था कि 30 मार्च, 1981 को पूरक बजट पास किया गया था। उस दिन ब्यौरे की विस्तृत जांच किये बिना ही एक कटौती प्रस्ताव रखा गया था।···

श्री एन० के० शेजवलकर: यह कटौती प्रस्ताव क्या है।

श्री पी० शिवशंकर : क्या आप उसे सुनना चाहेंगे ? मैं तो पढ़ दूंगा। यदि आप सुनना चाहेंगे तो मुझे पढ़ने में कोई परेशानी नहीं है। यह कटौती प्रस्ताव जेलों से संबंधित व्यय आदि के बारे में रखी गयी माँग संख्या 4 के संबंध में था।

एक माननीय सदस्य : राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम।

श्री पी० शिवशंकर : यदि आपमें सूनने का धैर्य नहीं है तो वहुत मुश्किल होगी। आप मुझे स्थिति स्पष्ट करने का मौका तो दीजिये।

अध्यक्ष महोदय : लाइये, यह तथ्य मुझे दे दीजिये। आप उनके बीच में क्यों बोल रहे हैं?

श्री पी० शिव शंकर : मुझे यकीन है कि मैं जो कुछ बोलूंगा आप मेरे इस हर शब्द का विरोध नहीं करेंगे।

माननीय गृह मंत्री महोदय ने माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त भावनाओं को ध्यान में रखते हुए 50 हजार रुपये की मांग वापस लेने का प्रस्ताव रखा था।

श्री आर० के० महालगी : क्या कभी ऐसा किया गया है (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप फिर अनावश्वक रूप से बोल रहे हैं।

श्री पी० शिव शंकर : लगता है ये कभी ठीक नहीं होंगे।

सभा को दस मिनट के लिये स्थगित कर दिया गया। विपक्ष के सदस्यों ने जो कि जनता पार्टी, असम जनता और कांग्रेस (अर्स) से संबंधित थे उन्होंने इस मांग को वापस लिये जाने पर आपत्ति की। माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने सभा को दस मिनट के लिये स्थगित कर दिया क्योंकि गड़बड़ी के कारण कार्यवाही चलाना मुश्किल हो गया था। दस मिनट के बाद सभा की बैठक फिर से हुई लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय को पुनः दस मिनट के लिए सभा को स्थगित कर देना पड़ा और अंत में सभा की बैठक 30 मार्च, के सवेरे दस बजे तक के लिये स्थगित कर दी गई। 30 मार्च को माननीय अध्यक्ष महोदय ने उपर्युक्त सदस्यों में से एक सदस्य द्वारा उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न पर अपना विनिर्णय दिया फिर भी बार-बार व्यवधान जारी रहे। सभा ने कटोती प्रस्ताव पास कर दिया क्योंकि सरकारी पक्ष ने उसे स्वीकार कर लिया था और उसका विरोध नहीं किया था यह एक प्रस्ताव था।

श्री रवीन्द्र वर्मा (बंबई उत्तर) ये कौन से कागज से पढ रहे हैं ? क्या यह राज्यपाल की रिपोर्ट है ?

अध्यक्ष महोदय : जो आपने पूछा है।

प्रो० मधु दंडवते : क्या यह राज्यपाल की रिपोर्ट है ?

श्री पी० शिव शंकर : आपने कुछ आंकड़े मांगे थे मैं वही पेश कर रहा हूं। यदि आप नहीं चाहते तो मैं चुप हो जाता हूं। आपने इच्छा की थी कि ये तथ्य बताये जायें। अब मैं आपको अपने

तैयार किये गये नोटस से ये तथ्य बता रहा हूं। यदि आप चाहते ही हैं तो आपकी जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि ये मैंने खुद के नोट्स तैयार किये हैं।

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : ये तथ्यात्मक स्थिति बता रहे हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप हमेशा ज्ञान प्रदान करते रहते हैं।

श्री पी० शिव शंकर : लेकिन आप जैसे लोगों को नहीं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह तो उलटे बाँस बरेली को ले जाने वाली बात हुई।

श्री पी० शिव शंकर : फिर भी व्यवधान होना जारी रहा सभा ने कटौती प्रस्ताव पास कर दिया क्यों कि सरकारी पक्ष ने उसे स्वीकार कर लिया था और उसका विरोध नहीं किया था। यह प्रस्ताव मामूली कटौती का था। कटौती प्रस्ताव पास हो जाने के बाद गृह मंत्री जी ने सभा की अनुमति से मांग संख्या 4 वापस ले ली और इस मांग को छोड़ कर विनियोग विधेयक निरंतर हो रही गड़बड़ी में ही पास कर दिया गया।

प्रश्न यह है कि जहां तक पूरक बजट का संबंध है जो कि कटौती प्रस्ताव से संबंधित है वह पास कर दिया गया और यिनियोग विधेयक भी पास कर दिया गया और जहां तक हमारे नियमों का संबंध है और आसाम विधान मंडल के नियमों का संबंध है जो कि हमारे नियमों के समान ही हैं वहां कटौती प्रस्ताव द्वारा अपनी शिकायत बताने के तीन तरीके हैं। एक तो यह है कि जब मांग की राशि को कम करके एक रुपया किया जाता है तो उस नीति का अनुमोदन न किया जाये। दूसरा तरीका आर्थिक प्रस्ताव में कटौती करने का है और तीसरा तरीका केवल किसी विशिष्ट शिकायत को प्रकट करने के लिए उस समय अपनाया जा सकता है जब कि यह प्रस्ताव किया जाता है कि मांग की राशि में 100 रू० की कमी की जाये। यह स्पष्टतः कटौती प्रस्ताव में अन्तर्निहित ही है और यह व्यवस्था केवल किसी विशिष्ट शिकायत को व्यक्त करने के लिये ही की गई है। अब जहां तक सरकार का संबंध है सरकार मांग वापस लेना चाहती थी और जैसा कि मैंने कहा है कि कुछ माननीय सदस्य यह नहीं चाहते थे कि ये वापस ली जाये अतः सरकार ने उसे स्वीकृत करने का निर्णय किया और अंततः सम्पूर्ण मांग वापस ले ली।

श्री बीजू पटनायक : हार जाने के बाद।

श्री पी० शिव शंकर : यह हार की बात नहीं है। अब बात यह है कि संसद के इतिहास में ऐसा कोई भी मामला नहीं हुआ है जब कि इस प्रकार का कोई कटौती प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकार कर लिए जाने पर भी किसी मंत्री ने त्यागपत्र दिया हो। इस प्रकार की कोई बात नहीं है...। यहां भी यह कटौती प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने का मामला नहीं है इसके विपरीत सरकार ने सभा की राय को ध्यान में रखते हुए स्वयं ही कटौती प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया और उसी पक्ष में अपना मत दिया...

श्री रवीन्द्र वर्मा : सरकार ने कटौती प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वे यही बात कह रहे हैं।

श्री पी० शिव शंकर : सरकार ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया।

श्री रवीन्द्र वर्मा : क्या कोई सरकार किसी कटौती प्रस्ताव को स्वीकार कर सकती है, क्या ऐसा कभी हुआ है।

श्री पी० शिव शंकर : हाँ सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया। कृपया मेरे माननीय मित्र मुझे बोलने दें। आपके बोलने का लाभ क्या है (व्यवधान)

श्री रवीन्द्र वर्मा : क्या सरकार ने कटौती प्रस्ताव स्वीकार किया।

श्री पी० शिव शंकर : हम कर सकते हैं। इस बारे में संसदीय पूर्वोदाहरण हैं। आपके इस तरह बात करने का क्या मतलब है?

श्री रवीन्द्र वर्मा : मैं चुनौती नहीं दे रहा हूं। मैं असलियत जानना चाहता हूं। क्या सरकार ने कटौती प्रस्ताव स्वीकार कर लिया।

श्री पी० शिव शंकर : मैं यही कह रहा हूं। मैं यहां तक चुका हूं कि यदि यह कटौती प्रस्ताव स्वीकृत होने का मामला होता तब भी संसद के इतिहास में ऐसा कोई पूर्वोदाहरण नहीं है जब कि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाने पर किसी मंत्री ने त्यागपत्र दिया हो। मैं यह बात पूरे अधिकार के साथ कह रहा हूं। (व्यवधान)

श्री बीजू पटनायक : क्या पहले का ऐसा कोई उदाहरण है जब कि कटौती प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया हो?

प्रो० मधु दंडवते : संसद में इस प्रकार का कोई कटौती प्रस्ताव कभी स्वीकार नहीं किया गया है।

श्री चार्ज फर्नान्डीस : अल्पमत सरकारों को कभी सहारा नहीं दिया गया.....(व्यवधान)

श्री पी० शिवशंकर : श्री फर्नान्डीस, मैं नहीं चाहता कि किसी बात की उपेक्षा की जाये जब मैं एक विषय पर बोल रहा हूं आप दूसरे मामले पर तर्क करना चाहते हैं। मैं आपको उड़ीसा का उदाहरण दे सकता हूं लेकिन मैं अब इन सब बातों पर नहीं जाना चाहूंगा। (व्यवधान) मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि ऐसा कोई मामला नहीं हुआ है जब कि किसी मंत्री ने त्यागपत्र दिया हो इसके विपरीत प्रस्तुत मामले में.....(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या भारतीय संसद अथवा अन्य किसी विधान मंडल के इतिहास में कभी कोई कटौती प्रस्ताव स्वीकार किया गया है।

श्री पी० शिव शंकर : मैं जो बोलना चाहता हूं आप मुझे बोलने नहीं देंगे। कृपया बैठ जाइये ताकि मैं अपनी बात कह सकूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह कोई गलत बात नहीं कह रहे हैं।

श्री बीजू पटनायक : वह कह रहे हैं कि भारत के इतिहास में किसी सरकार ने कभी त्याग-पत्र नहीं दिया है...

अध्यक्ष महोदय : यदि कहीं भी कुछ बात गलत हो तो आप उसका खण्डन कर सकते हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। कौल तथा शकधर द्वारा लिखित **'प्रेक्टिस एण्ड प्रोसीजर आफ पार्लियामेंट'** नामक पुस्तक मेरे पास इस समय मौजूद है। हर समय इसका उल्लेख किया गया है। मैं इसमें से एक वाक्य उद्धृत करना चाहता हूं। यह वाक्य खण्ड दो, पृष्ठ 603 पर इस प्रकार है :

कटौती प्रस्ताव

"अनुदान की माँगों पर चर्चा के दौरान, किसी माँग की राशि को घटाने का प्रस्ताव किया जा सकता है। ऐसे प्रस्ताव को कटौती प्रस्ताव कहा जाता है। यह किसी माँग पर चर्चा प्रारम्भ करने का एक रूप मात्र है, जिससे सभा का ध्यान ऐसे प्रस्ताव में निर्दिष्ट विषय की ओर आकृष्ट किया जा सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि चर्चा किसी कटौती प्रस्ताव पर हो प्रारम्भ हो और न ही इस के कारण किसी सदस्य को यह अधिकार मिल जाता है कि वह अपना कटौती प्रस्ताव पेश करने पर आग्रह करे। कटौती प्रस्तावों की सूचना केवल विरोधी पक्ष के सदस्यों द्वारा ही दी जाती है। सरकारी दल के सदस्य सामान्यतया ऐसी सूचनाएँ नहीं देते। यह तो मंत्री परिषद की निन्दा या अप्रत्यक्ष रूप से उसमें 'अविश्वास' का प्रस्ताव रखने वाली बात होगी।"

(व्यवधान)

श्री बीजू पटनायक : विधि मंत्री ने यह स्वीकार किया है कि सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया है। सरकार ने अपनी निन्दा का प्रस्ताव स्वीकार किया है।

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया अब बैठ जाइए···(**व्यवधान**) कृपया हमें सुनने दो। आप··· के पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहे हो। (व्यवधान) नहीं, नहीं। मैंने वह भी देखा है।

श्री पी० शिव शंकर : अब ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे लिए हर प्रश्न का उत्तर देना कठिन होगा···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप फिर बोल रहे हैं। जब कोई और बोलता है, तो आपको बड़ी तकलीफ होती है।

श्री पी० शिव शंकर : श्री पटनायक, सभी लोगों में से आपके द्वारा किए जाने वाले निरन्तर व्यवधान पर मुझे वास्तव में आपत्ति है—

आप उस सरकार में थे, जिसने कभी भी सदन का सामना नहीं किया···(**व्यवधान**) आप छः महीने तक सरकार में रहे। आप किस हैसियत से हमें बोलने से रोक रहे हैं ?···(**व्यवधान**) यह बहुत अनुचित बात है।

श्री बीजू पटनायक : कृपया आप पीठासन को सम्बोधित करें, मुझे नहीं।

श्री पी० शिव शंकर : मैं केवल अध्यक्ष के माध्यम से ही आपसे बात कर रहा हूं।

महोदय, जहाँ तक हमारा सम्बन्ध है, जब वे बोल रहे थे तब हम चुप बैठे रहे तथा उनकी बातें सुनते रहे। परन्तु जब हम स्थिति को स्पष्ट करने की चेष्टा कर रहे हैं, तो क्या उन्हें, विशेष रूप से एक वरिष्ठ सदस्य को, अनावश्यक रूप से हो-हल्ला मचाना चाहिए? उन्हें मुझे अपनी बात कहने देनी चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : महोदय, आप बैठ क्यों नहीं जाते? आपको मंत्री महोदय बोल रहे हैं।

श्री पी० शिव शंकर : जैसा कि मैं कह रहा था, इस मामले के तथ्य उस उदाहरण से कहीं अच्छे हैं, जो मैंने दिया था तथा स्पष्ट रूप से यह कहा था कि संसदीय इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। श्रीमन्, कल जो कुछ हुआ था, उसके बारे में कुछ तथ्य मैं देना चाहूंगा जो कि मैंने प्रकाशित प्रेस वक्तव्य में से नोट किए हैं। मैंने केवल मुख्य बातों को नोट किया था तथा मैं तथ्यों के बारे में बताना चाहूंगा।

विधान सभा···

श्री रवीन्द्र वर्मा : वक्तव्य किसके द्वारा जारी किया गया था? इन्होंने कहा है कि एक वक्तव्य जारी किया गया था। वक्तव्य किसके द्वारा जारी किया गया था···(यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप उन्हें वोलने दीजिए। उन्हें सुन लीजिए। आपको पता चल जायेगा कि किसका स्टेटमेंट है। (व्यवधान)

इस स्थिति में यही अच्छा होगा कि मैं अपने कक्ष में उनकी बात सुनूं, जो वो कहना चाहते हैं···(व्यवधान)

वरना आप उन्हें बोलने दीजिए। आप इनके बोलने में बाधा क्यों डाल रहे हैं? आप इन्हें बोलने नहीं देते···(व्यवधान)

श्री रवीन्द्र वर्मा : मैं यह पूछ रहा हूं कि वक्तव्य किसके द्वारा जारी किया गया था?

अध्यक्ष महोदय : वे स्वयं हमें यह बता देंगे।

श्री रवीन्द्र वर्मा : महोदय, मुझे खेद है कि आप आवेश में आ रहे हैं। मैं उपयुक्त प्रश्न पूछना चाहता था। इन्होंने कहा है 'वक्तव्य जारी किया गया था— मैं पूछना चाहता था कि किसके द्वारा जारी किया गया है?

अध्यक्ष महोदय : आप इन्हें कुछ भी कहने नहीं दे रहे हैं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कोई भी सदस्य कुछ भी सुनने का इच्छुक नहीं है। आप इन्हें कहने दीजिए। वे बतायेंगे कि वे किनकी बात का उद्धरण दे रहे हैं।

श्री पी० शिव शंकर : यही बात मैंने भी कही है।

अध्यक्ष महोदय : आप इन्हें बोलने नहीं देते। मैं आवेश में नहीं आता।

रवीन्द्रजी, मेरा कहना यह है कि आप इन्हें बोलने दें। मैं आपसे यही निवेदन कर रहा हूं।

आप इस बात की चिन्ता न करें कि यह वक्तव्य किसके द्वारा जारी किया गया था। आप इन्हें कहने दें।

श्री पी० शिव शंकर : महोदय, मैंने कहा था कि मैंने अपनी टिप्पणियाँ तैयार की थीं। क्या ये मुझे अपनी टिप्पणियों के आधार पर नहीं बोलने देंगे ? (व्यवधान) मैंने कहा था कि प्रेस वक्तव्य जारी किया गया था, उसके आधार पर मैंने अपनी टिप्पणियां तैयार की थीं। यह मेरे शब्द हैं...

कुछ माननीय सदस्य : वक्तव्य किसके द्वारा जारी किया गया था ?

श्री पी० शिव शंकर : निश्चय ही असम सरकार द्वारा। मैं यह बात दृढ़तापूर्वक कहता हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : वहां कोई सरकार नहीं है। उनके पास कुछ भी पैसा नहीं है। असम में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है।

श्री पी० शिव शंकर : यदि ये वक्तव्य किए जाने वाले विचारों को नहीं सुनना चाहते··· (व्यवधान) यदि ये व्यवधानों द्वारा प्राप्त की गई अपनी सत्यानाशी जीत से सन्तुष्ट हैं तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : हम आपकी मदद करना चाहते हैं।

श्री पी० शिव शंकर : आप मुझे बोलने का मौका दें। यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो उसे बाद में कह सकते हैं। आपको बोलने का अधिकार तो है, परन्तु मुझको इस प्रकार प्रत्येक वाक्य अथवा शब्द पर टोकने का अधिकार नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यह हो सकता है कि आपको कुछ बातें कहनी हों। आपको कुछ बातें भी अवश्य सुननी चाहिएँ।

श्री पी० शिव शंकर : महोदय, कल सत्र के दौरान विधान सभा ने वर्ष 1981 के प्रथम चार महीनों के लिए लेखानुदान को 41 मतों के विरुद्ध 52 मतों से पारित किया। लेखानुदान से संबंधित विनियोग विधेयक भी पुरःस्थापित कर दिया गया है।

शोर-गुल हो जाने के कारण अध्यक्ष महोदय ने विधान सभा को दस मिनट के लिए स्थगित कर दिया था। तथापि विधान सभा के पुनःसमवेत होने पर उपाध्यक्ष महोदय ने विधान सभा को सदन का अभिमत ज्ञात किए बिना ही यह कहते हुए अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दिया था कि सदन में अभूतपूर्व स्थिति विद्यमान थी।

श्री ज्योतिर्मय बसु : उपाध्यक्ष महोदय पर यह एक आक्षेप लगाया जा रहा है।

श्री पी० शिव शंकर : मुझे तथ्यों का पूरा ब्यौरा देने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीस : यही वास्तविक मुद्दा है, हम यही कहना चाहते हैं।

श्री पी० शिव शंकर : मैं आपके कानूनी मुद्दों का भी उत्तर दूंगा।

उपाध्यक्ष ने कहा था कि स्थिति अभूतपूर्व थी। विनियोग विधेयक को पारित नहीं किया जा सका था। यद्यपि लेखानुदान पारित किया जा चुका था, केवल इसी कारणवश असम वित्त विधेयक, 1981 को पारित नहीं किया जा सका।

इसके पश्चात इस मामले पर तथा विधेयक के पारित न होने से उत्पन्न स्थिति पर भी मंत्री परिषद् द्वारा विचार किया गया चूंकि सदन के स्थगन से 1 अप्रैल 1981 से सभी अदायगियों का भुगतान तथा राजस्व की कुछ श्रेणियों की वसूली रुक जाने से सरकार के लिये गम्भीर वित्तीय संकट उत्पन्न हो जाता, अतः मंत्रिपरिषद ने असम के राज्यपाल से अध्यादेश जारी करने का अनुरोध किया ताकि राज्य की संचित विधि में से सदन द्वारा पूर्व-स्वीकृति विधेयक में उल्लिखित धनराशि तक के भुगतान की व्यवस्था की जा सके।

अतः अध्यादेश को जारी करना एक संवैधनिक जरूरत थी सदन के स्थगन के पश्चात तथा स्थगन-आदेश को राजपत्र में प्रकाशित करने के पश्चात असम के राज्यपाल ने असम लेखानुदान विनियोग अध्यादेश, 1981 जारी कर दिया। यह याद होगा कि···

श्री आर० के० महालगी : किस समय ?

श्री पी० शिव शंकर : 31 मार्च तथा 1अप्रै के बीच की रात में।

श्री आर० के० महालगी : हम बिल्कुल सही समय जानना चाहते है।

(व्यवधान)

श्री पी० शिव शंकर : महोदय, जैसा कि मैंने कहा है, यह मामला वर्ष 1981 के पहले चार महीनों के लिये लेखानुदान का मामला था। अनुदान की मांगें पारित की जा चुकी थीं। जहाँ तक विनियोग विधेयक का सम्बन्ध है, जिस स्थिति का मैंने उल्लेख किया है, उसके कारण उसे प्रस्तुत किए जाने के बावजूद पारित नहीं किया जा सका। अब प्रश्न यह है : इस स्थिति के बारे में कानून क्या है, जिससे संबंध में दूसरे पक्ष की ओर से बहुत कुछ जा चुका है ? मुझे विद है कि इनमें से अनेक लोगों ने संविधान के उपबन्धों के प्रति अपनी अनभिज्ञता को प्रकट किया है।

महोदय, मामले की स्थिति तथा तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि यह लेखानुदान का एक मामला है, सबसे प्रारम्भ में ही मैं यह कहना चाहता हूं कि अनुच्छेद 204, जिस पर ये अपने तर्क अवलम्बित कर रहे हैं, बिल्कुल लागू नहीं होता। यदि ये अनुच्छेद 204(3) को देखें, इसमें कहा गया है, अनुच्छेद 205 तथा 206 के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए, अतएव, अनुच्छेद 204 को संविधान के अन्य अनुच्छेदों, यथा, अनुच्छेद 205 तथा 206 के अध्यधीन किया गया है तथा लेखानुदान पर अनुच्छेद 206 के अन्तर्गत विचार किया गया है। अनुच्छेद 206 के खण्ड एक में कहा गया है :

"इस अध्याय के पूर्वगामी उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी, किसी राज्य की विधान-सभा को—(क) किसी वित्तीय वर्ष के भाग के लिए प्राक्कलित व्यय के बारे में किसी अनुदान को, उस अनुदान के लिए मतदान करने के लिए अनुच्छेद 203 में विहित प्रक्रिया की पूर्ति लम्बित रहने तक तथा उस व्यय के सम्बन्ध में अनुच्छेद 204 के उपबन्धों के अनुसार विधि के पारण के लम्बित रहने तक, पेशगी देने की ; "

श्री जार्ज फर्नान्डीस : यही बात हम भी कह रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री पी० शिव शंकर : महोदय, मैं माननीय सदस्य श्री जार्ज फर्नान्डीस को सन्तुष्ट करने के लिए यह मान सकता हूं कि उनका कानूनी ज्ञान मुझसे ज्यादा हो सकता है, परन्तु उन्हें मुझको अपनी बात कहने देनी चाहिए। इन्हें किसी शब्द विशेष पर आपत्ति नहीं करनी चाहिए। मुझे अपनी बात कहने का अवसर दीजिए। (व्यवधान) यह उनकी सन्तुष्टि के लिए ही है। बात यह है कि अनुच्छेद 206 के द्वारा अनुच्छेद 204 में उल्लिखित प्रक्रिया को पूरी तरह से निष्प्रभावी कर दिया गया है।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : कृपया उप-खण्ड 2 पढ़िए।

(व्यवधान)

श्री पी० शिव शंकर : कृपया मेरी बात सुनिए। मेरे विचार से यह अनुच्छेद एक स्वतः पर्याप्त अनुच्छेद है तथा यदि लेखानुदान का मामला हो तो उस पर इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अन्तर्गत ही विचार करना होगा। आपको अनुच्छेद 204 को देखने की आवश्यकता नहीं है।

श्री सतीश अग्रवाल : उपधारा 2 के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे ?

श्री पी० शिव शंकर : महोदय, वास्तव में अभूतपूर्व स्थिति उत्पन्न कर दी गई है जिसकी कोई मिसाल नहीं है···(व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय, मैं नियम 60(1) के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठारा हूं···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्हें अपनी बात समाप्त करने दीजिए।

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय, इस नियम में उपबन्ध हैं :

"परन्तु यह भी कि यदि अध्यक्ष उसमें उल्लिखित मामले के बारे में पूर्ण तथ्यों से अवगत न हो तो वह अपनी सम्मति देने या इन्कार करने से पूर्व उस प्रस्ताव की सूचना को पढ़कर सुना सकेगा और सम्बन्धित मंत्री और/या सदस्यों से तथ्यों पर संक्षिप्त विवरण सुना सकेगा···"

महोदय, क्या यह एक संक्षिप्त विवरण है।

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था के प्रश्न को मैं अस्वीकार करता हूं ।

(व्यवधान)

श्री पी० शिव शंकर : महोदय सदन में अभूतपूर्व स्थिति उत्पन्न कर दी गई है जिसकी कोई मिसाल नहीं है ।

(व्यवधान)

महोदय, जहाँ तक इस अनुच्छेद का सम्बन्ध है, स्थिति यह है इसमें विधेयक पर आगे कार्यवाही किए जाने के सम्बन्ध में कोई निश्चित प्रक्रिया नहीं दी गई । जैसा कि मैं बता चुका हूं कि परिस्थिति दूसरी तरह की थी । सदन का सत्रावसान हो चुका था ; प्रश्न यह है कि जब कि एक संचित निधि है, जिसमें से व्यय की राशि स्वीकृत की जा चुकी है तो क्या विनियोग विधेयक के बिना उसमें से राशि निकाली जा सकती है ? मुद्दा यह है । जहाँ तक संचित निधि का प्रश्न है, अनुदान माँगें पास की जा चुकी हैं ।

श्री बीजू पटनायक : इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता ।

श्री पी० शिव शंकर : जहाँ तक विनियोग का सम्बन्ध है, मैं यह कहना चाहूंगा, कि एक बार सदन का सत्रावसान हो जाने के बाद, राज्यपाल अनुच्छेद 205 के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है । मैं **कौल** और **शकधर** की पुस्तक से एक वाक्य पढ़कर सुनाता हूं । इसमें कहा गया है :

"संचित निधि में से किसी राशि का विनियोग करने के लिए अध्यादेश अवैध होगा यदि सम्बन्धित अनुदान माँगें लोक सभा के समक्ष नहीं रखी गई हैं, उन पर विचार नहीं किया गया है और स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है ।"

ऐसे मामले में जहाँ सम्बन्धित अनुदान माँगों को लोक-सभा के सामने नहीं रखा गया है और उसे लोक-सभा द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया है वहाँ विनियोग सम्बन्धी अध्यादेश गैर-कानूनी होगा। इसके विपरीत स्थिति में इसका अर्थ यह होगा कि विनियोग हेतु अध्यादेश वैध होगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

श्री सतीश अग्रवाल : आपतो व्याख्या कर रहे हैं ।

श्री पी० शिव शंकर : और हो भी क्या सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : क्या बिना कुछ कहे ही किसी बात की व्याख्या की जा सकती है ? **(व्यवधान)** मैंने यह नहीं कहा कि यह सही है या गलत परन्तु क्या इस बात का स्पष्टीकरण बिना कुछ कहे किया जा सकता है ?

श्री पी० शिव शंकर : मैं यह महसूस करता हूं कि अब जयपुर के हमारे माननीय सदस्य का संसद सदस्य बनने के उपरान्त से कानून पर से नियंत्रण समाप्त होता जा रहा है। मैं एक अवतरण पढ़कर सुनाता हूं जो तीन बातों के संबंध में है। यह अध्यादेश विनियोग से संबंधित है। इसके दूसरे भाग में कहा गया है कि यदि सदन द्वारा मांगों को पारित नहीं किया गया है तो विनियोग संबंधी अध्यादेश गैर-कानूनी होगा। इसकी व्याख्या मैं सरल भाषा में पहले ही प्रस्तुत कर चुका हूं। यदि सदन ने मांगों को पास कर दिया है, तो विनियोग के लिए अध्यादेश जारी किया जा सकता था। इसलिए, मैं नहीं समझता कि जब तक कुछ माननीय विपक्षी सदस्यों के मस्तिष्क में कोई भ्रम न हो भाषा के कारण कोई भ्रान्ति पैदा हो सकती है। अतः अनुच्छेद 213 के बारे में स्थिति इस प्रकार है। इस शक्ति का प्रयोग असाधारण परिस्थितियों में किया जाता है। वे यह भी कह सकते हैं कि अध्यादेश ही गैर कानूनी है। वह एक नितांत अलग मामला है। वास्तव में, मैं वर्ष 1950 में मद्रास उच्च न्यायालय के एक मामले से सदन को अवगत कराना चाहता हूं। तब केवल अध्यादेश जारी करने की खातिर ही सदन का सत्रावसान किया गया था। ऐसा 1950 में हुआ था। यह ऐसा मामला है जो पहले प्रकाशित हो चुका है। अतः स्थिति इस प्रकार है। (व्यवधान) उस समय डा० अम्बेडकर कानून मंत्री थे। (व्यवधान) मैं यह बिल्कुल भी गलत नहीं बता रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि यह घटना 1950 में घटित हुई थी। यह मामला पहले प्रकाशित भी हो चुका है। हवाले के लिए आप देख सकते हैं। यदि आप चाहें तो मैं आपको इसका संदर्भ बता सकता हूं। यह है : वीरबद्रीह, आकाशवाणी 1950, मद्रास, पृष्ठ 253।

श्री बीजू पटनायक : यह फैसला कब हुआ था ?

श्री पी० शिव शंकर : मैं आपको संदर्भ बता रहा हूं। (व्यवधान)

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : वे सदन को गुमराह नहीं कर सकते।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : यह बात संविधान लागू होने से पूर्व हुई थी।

श्री पी० शिव शंकर : आपको कुछ भी कहने का विशेषाधिकारी है। आप कहते हैं संविधान लागू होने से पूर्व। यह आपका विशेषाधिकार है मैं हमेशा प्रसंगानुसार बात कहता हूं। अब प्रश्न यह है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, आपकी अनुमति से, मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा। यदि इस प्रश्न पर विशुद्ध रूप से संविधान की व्याख्यानुसार ही निर्णय किया जाना है तो इस पर पूरी बहस किये जाने की आवश्यकता है क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण मामला है।

(व्यवधान)

श्री पी० शिवशंकर : मैं अपनी बात संक्षेप में कह चुका होता परन्तु चूंकि श्री ज्योतिर्मय बसु चाहते हैं कि मैं इन सब पहलुओं को स्पष्ट करूं.....(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह गलत है। (व्यवधान) मेरा नम्र निवेदन है कि यदि इस पर निर्णय केवल संविधान की व्याख्यानुसार ही किया जाना है तब इस पर पूरी बहस किये जाने की आवश्यकता है क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण मामला है।

(व्यवधान)

श्री पी० शिव शंकर : कठिनाई यह है कि यदि मुझे बिना किसी व्यवधान के अपनी बात कहने दी जाती तो मैं अब तक अवश्य ही अपनी बात कह चुका होता। परन्तु मेरे भाषण के दौरान निरन्तर व्यवधान डाला जा रहा है। यहाँ तक की जब मैं स्पष्ट निर्णयों का उल्लेख कर रहा हूं तब भी उन्होंने व्यवधान डालना शुरू कर दिया है। मैं क्या कर सकता हूं? इसलिए मुझे स्थिति स्पष्ट करने का एक मौका मिलना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय, वह पिछले 45 मिन्ट से बोल रहे हैं। उनके संक्षिप्त भाषण का अभिप्राय यह नहीं है कि वह 45 मिन्ट तक बोल सकते हैं। इस प्रकार की कोई पूर्व परम्परा नहीं है। आप पूछिये कि क्या इस स्थगन प्रस्ताव का समर्थन करने वालों की संख्या 50 है। महोदय, यह आपका दायित्व है कि आप हमसे यह पूछें और उन्हें उत्तर देने की अनुमति न दें। वह ये सब बातें स्थगन प्रस्ताव के उत्तर में कह सकते हैं जब सदन इस पर बहस करें। ऐसा इस सदन में पहले कभी नहीं हुआ। आप ऐसे कार्य कर रहे हैं जो पहले कभी नहीं किए गए।

(व्यवधान)

श्री पी० शिव शंकर : अतः मेरा निवेदन है...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रक्रिया से बाहर कार्य नहीं करता हूं। मैं नियम नहीं तोड़ता हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय, उन्होंने कहा है कि वह एक संक्षिप्त वक्तव्य देंगे। क्या यह संक्षिप्त वक्तव्य है? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या इसी कारण से आपने उन्हें बोलने नहीं दिया। अन्यथा वह काफी समय पूर्व अपनी बात कह चुके होते। उन्होंने अधिक से अधिक 7 या 10 मिन्ट का समय ही लिया होता। (व्यवधान)

मैं हिसाब लगाकर आपको बता सकता हूं कि उन्होंने कितना समय लिया था।

श्री पी० शिवशंकर : मैं यह कहना चाहता हूं कि राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 213 की शक्तियों का वैधानिक एवं उचित प्रयोग किया जा सकता था जो कि पूर्णतया वैधानिक होगा। मेरे विचार से इस संबंध में, यही कहना उचित है। धन्यवाद प्रस्ताव पारित किये जाने के संबंध में भी मुद्दा उठाया गया है। मैं इसकी गहराई में नहीं जाना चाहता। मैं केवल पटना उच्च न्यायालय के निर्णय से जहाँ यह मामला उठाया गया था सदन को अवगत कराना चाहता हूँ।

श्री सतीश अग्रवाल : इस मामले को नहीं उठाया गया।

श्री पी० शिव शकर : यह मामला उठाया गया है। (व्यवधान) महोदय जिन आधारों पर सरकार को बरखास्त करने की माँग की गई उनमें से एक माँग यह है कि असेम्बली में विनि-

योग विधेयक पारित नहीं किया है । मैं इस बात की गहराई में नहीं जाना चाहता।

(व्यवधान)

श्री के० मायातेवर : आपको उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का हवाला देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि संसद ही सर्वोपरि है ।

श्री पी० शिव शंकर : वित्त विधेयक के संबंध में ये केवल बिक्री कर अधिनियम तथा कृषि आय-कर अधिनियम के उपबन्ध की ही बात करते हैं । कई ऐसे राज्य हैं जहाँ वित्त विधेयक के अधीन ही दर निश्चित की जाती है । इन दो तथ्यों, बिक्री कर तथा कृषि आय-कर के संबंध में, असम राज्य में दरें वित्त विधेयक के तहत ही निर्धारित ही की जाएगी । यह एक सामान्य विधायी प्रकिया है । यदि असेम्बली ने इसे पारित नहीं किया है तो इसका यह अभिप्राय नहीं है कि अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता । वित्त विधेयक के प्रश्न पर कोई विशेष बात सामने नहीं आती क्योंकि विधेयक केवल बिक्री-कर और कृषि आय-कर तक ही सीमित है । अन्त में मैं यह कहना चाहूँगा···

श्री एन० के० शेजवलकर : अनुच्छेद 207 के अन्तर्गत मैंने जो मुद्दा उठाया था, उसके संबंध में क्या कहना चाहेंगे ?

श्री पी० शिव शंकर : जहां तक ग्वालियर के मेरे माननीय मित्र द्वारा उठाये गये मुद्दे का संबंध है, मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि अनुच्छेद 207 केवल विधेयकों पर ही लागू होता है, न कि अध्यादेशों पर । उसमें दी गई भाषा बहुत सरल है । भाषा को तोड़ने-मरोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है । और मुझे विश्वास है कि मेरे माननीय मित्र अध्यादेश और विधेयक के अन्तर को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं । मैं केवल यही कहूँगा···(व्यवधान)

मैं अन्त में यही निवेदन करता हूं कि जब एक बार अविश्वास प्रस्ताव अस्वीकार हो चुका हैं तो मंत्रिमण्डल को काम करते रहने का हर नैतिक और कानूनी अधिकार है।

तत् पश्चात् लोकसभा 2 बजकर 35 मिनट म०प० तक के लिए स्थगित हुई ।

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2 बजकर 37 मिनट पर पुनः समवेत हुई ।

अध्यक्ष महोदय : पीठासीन हुए ।

प्रो० मधु दंडवते : नमस्कार महोदय !

अध्यक्ष महोदय : नमस्कार ! मैंने माननीय सदस्य सर्वश्री बी० डी० सिंह, चित्त बसु, जार्ज फर्नान्डीस, अटल बिहारी वाजपेयी, मधु दण्डवते, रामविलास पासवान और आर० के० महालगी तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री को सुना है ।

सभा में दिए गए तथ्यों से पता चलता है कि असम विधान सभा ने बहस के पश्चात अनुदान मांगों को पारित कर दिया था लेकिन पुरः स्थापित किया गया विनियोग विधेयक पारित नहीं हो सका था। राज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद 174(2) के अधीन राज्य की

विधान सभा का सत्रावसान कर दिया था । राज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन एक अध्यादेश जारी किया था। अनुच्छेद 213 के अधीन विनियोग विधेयक या वित्त विधेयक के संबंध में कोई सीमा नहीं लगाई गई है । इसलिए विचाराधीन अध्यादेश से अनुच्छेद 213 में दिए गए उपबन्धों का उल्लंघन नहीं हुआ है। इसलिए मैं लोकसभा के कार्य प्रक्रिया संबंधी नियमों के नियम 56 के अधीन स्थगन प्रस्ताव रखने की अनुमति नहीं दे सकता ।

लेकिन फिर भी विषय के महत्व को देखते हुए सदस्य यदि चाहें तो विचार-विमर्श के लिए इस संबंध में सूचना दे सकते हैं यद्यपि मैं समझता हूं कि गृह मंत्रालय की अनुदान मांगों पर होने वाली चर्चा के समय इस विषय पर भी विचार-विमर्श किया जा सकता है । मैं उसे स्वीकार करूंगा ।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, हम आपके विनिर्णय की कद्र करते हैं, हम उसका विरोध नहीं कर सकते । लेकिन हम सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विरोध करते हैं और सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विरोध प्रकट करने के उद्देश्य से हम सब सदन से वहिर्गमन करते हैं ।

(तत्पश्चात् प्रो० मधु दण्डवते और कुछ अन्य माननीय सदस्य सदन से उठकर चले गए)

———

सभा पटल पर रखे गये पत्र

निर्यात नीति अप्रैल, 1981—मार्च, 1982 और हिन्दी संस्करण साथ-साथ सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला विवरण।

वाणिज्य और इस्पात तथा खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : मैं निम्नलिखित सभा पटल पर रखता हूं :

(1) निर्यात नीति, अप्रैल, 1981—मार्च, 1982 की एक प्रति।

(2) अप्रैल, 1981—मार्च, 1982 के लिए निर्यात नीति का हिन्दी संस्करण साथ-साथ सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अँग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 2245/81]

श्री देवराज अर्स और अन्य के विरुद्ध आरोपों की जांच करने के लिए गठित किए गये ग्रोवर जांच आयोग का अन्तिम प्रतिवेदन।

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बैया) : मैं जांच आयोग अधिनियम, 1982 की धारा 3 की उपधारा (4) के अन्तर्गत कर्नाटक के मुख्य मंत्री श्री डी० देवराज़ अर्स और अन्य मंत्रियों के विरुद्ध कतिपय आरोपों की जांच करने के लिए गठित किये गये ग्रोवर जांच आयोग के अन्तिम प्रतिवेदन (हिन्दी* संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2246/81]

सभा पटल पर रखे गये पत्रों के बारे में

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफ्फरपुर) : महोदय, मेरा यह सं० 2 के बारे में व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसा बाद में कर सकते हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : नहीं श्रीमन्। मेरा व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न है। मैं पटल पर इन पत्रों के रखे जाने का विरोध करता हूं। मेरा व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न है। आप उस यह को देखिए। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये लोग प्रतिदिन हर तरह से संविधान की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। मेरा व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न है। कृपया यह सं० 2 को देखें। इसमें कहा गया है :

"श्री प्रणव कुमार मुखर्जी सभा-पटल पर निम्नलिखित पत्र रखेंगे :

(1) निर्यात नीति, अप्रैल, 1981—मार्च, 1982 की एक प्रति।

(2) अप्रैल, 1981—मार्च, 1982 के लिए निर्यात नीति का हिन्दी संस्करण साथ-साथ सभा-पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी व अंग्रेजी संस्करण)।

मैं संविधान के अनुच्छेद 343 और अनुच्छेद 120 के अधीन व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न उठा रहा हूं।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : आप पहले तो सदन से बहिर्गमन करिए और फिर आकर यह प्रश्न उठाइए।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मैं जानता हूं। व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न उठाने के बाद मैं सदन से बहिर्गमन कर जाऊँगा। अनुच्छेद 343 संघ की सरकारी भाषा के बारे में है। इसमें कहा गया है :

---

*रिपोर्ट का अंग्रेजी संस्करण और की गई कार्यवाही सम्बन्धी ज्ञापन के हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा-पटल पर 9 मई, 1979 को रखे गये।

(1) "संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी।"

अनुच्छेद 120 संसद में उपयोग में लाई जाने वाली भाषा के सम्बन्ध में है। इसमें कहा गया है :

(1) "भाग—(17) में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु अनुच्छेद 348 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए संसद में कार्य हिन्दी में या अंग्रेजी में किया जाएगा।"

आर्टिकल 343 में दिया गया है कि हमारी राष्ट्र-भाषा हिन्दी है। मैं सरकार की दिक्कत को समझ सकता हूं, कुछ दिनों के लिए मैं भी वहां पर था। क्या-क्या दिक्कतें हैं, इसकी मुझे जानकारी है। दिक्कतें हैं, यह मैं मानता हूं। मेरा कहना यह है कि इंपोर्ट पालिसी वाली बात है और राष्ट्र के बुनियादी मसले पर बुनियादी नीति सदन के सामने पेश करने का सवाल आ गया है और यहां पर नीति को सिर्फ अंग्रेजी भाषा में रखा जाता है और एक बयान हिन्दी और अंग्रेजी भाषा में रख दिया जाता है कि हम इसको हिन्दी में क्यों नहीं रख रहे हैं। मंत्री महोदय का क्या कहना है, इसका मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे एक बात स्पष्ट रूप से कहनी है कि आर्टिकल 343 का संपूर्णतः उल्लंघन कर रहे हैं और राष्ट्र भाषा के प्रति सरकार की जो भावनाएं हैं, वास्तव में जो सद्भावनाएं नहीं हैं, उनको व्यक्त करने का काम वो कर रहे हैं।

श्री जी० लक्ष्मनन् (मद्रास उत्तर) :मैं श्री जार्ज फर्नान्डीस द्वारा उठाए गए व्यवस्था संबंधी प्रश्न पर एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूँ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : व्यवस्था संबंधी प्रश्न ?

श्री जी० लक्ष्मनन् : आपने जो प्रश्न उठाया है उस पर व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न उठाना चाहता हूँ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : वे मेरे व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न पर प्रश्न कर सकते हैं। वे उपाध्यक्ष हैं।

श्री बाबू साहिब परुलेकर (रत्नगिरी) : उपाध्यक्ष महोदय ने बहुत ही बढ़िया मिसाल कायम की है जब वे पीठासन होंगे तो हम ऐसा कर सकेंगे।

श्री जी० लक्ष्मनन् : जब मैं यहाँ बैठा हूं तो मैं एक संसद सयस्य हूं।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : वे व्यवस्था संबंधी प्रश्न पर व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा सकते। मैं समझता हूं कि जब वे यहाँ बैठकर यह प्रश्न कर रहे हैं तो उसे मिसाल के रूप में नहीं लिया जा सकता।

मेरा इतना ही कहना है कि इस काग़ज को सदन में रखने पर रोक लगाएं और सरकार से कहा जाए कि वह इसको हिन्दी में रखे, उसके बाद ही इसे यहां पर पेश करने का काम करे। एक दिन बाद अगर आ जाएगा तो इसमें कोई नुकसान होने वाला नहीं है, लेकिन राष्ट्रभाषा के साथ

जो व्यवहार कर रहे हैं उस पर रोक लगेगी । मंत्री महोदय को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि वे भी मुझ से सहमत हैं, मेरी प्रार्थना है कि इस कागज को रखने पर रोक लगाएं ।

श्री जी० लक्ष्मनन् : गैर हिन्दी भाषी क्षेत्रों के लोगों को यह आश्वासन दिया गया है कि जब तक गैर हिन्दी भाषी लोग अंग्रेजी चाहेंगे तब तक अंग्रेजी राजभाषा बनी रहेगी ऐसा आश्वासन भारत के गैर-हिन्दी भाषी लोगों के लिए संविधान में दी गई गारन्टी के समान है इसलिए जब यह "हिन्दी और अंग्रेजी" में है तो संविधान की दृष्टि से यह ठीक है । यही मैंने कहना है ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मैं उपाध्यक्ष महोदय की गलत-फहमी में सुधार करूँगा । श्री लक्ष्मनन् ने आर्डर पत्र पढ़ा नहीं है । इसमें कहा गया है :

"हिन्दी संस्करण सभा-पटल पर अंग्रेजी संस्करण के साथ न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाला विवरण···"

मैं यह कह रहा हूं कि हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण साथ-साथ रखे जाने चाहिए । वे केवल अंग्रेजी संस्करण रख रहे हैं । हिन्दी संस्करण नहीं रख रहे ।

श्री जी० लक्ष्मनन् : मैं यह कह रहा हूं कि यदि यह केवल अंग्रेजी में रखा गया है तो यह समझना चाहिए कि यह हिन्दी में भी रख दिया गया है क्योंकि हिन्दी और अंग्रेजी दोनों राज-भाषाएँ हैं ।

(व्यवधान)

श्री मलिक एम० एम० ए० खां (एटा) : मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है ।

अध्यक्ष महोदय : आपकी बात भी सुनता हूं ।

श्री मलिक एम० एम० ए० खां : जो सवाल उठाया है उसमें क्या सही है और क्या गलत है इसका फैसला तो आप ही करेंगे । लेकिन उधर से कहा गया है कि जो पालिसी अंग्रेजी में इण्ट्रोड्यूस की गई है या अंग्रेजी में रखी गई है वह हिन्दी में भी रखनी चाहिए थी और इस पर डिप्टी स्पीकर साहब ने जो रुख अपनाया है वह बड़ा ऑब्जैक्शनेबल है । हमें एतराज यह नहीं था कि अंग्रेजी में क्यों पेश किया है । एतराज यह है कि हिन्दी में भी पेश होना चाहिए था इसको ताकि हिन्दी स्पीकिंग एरिया के लोग भी इसको समझ सकते ।

अध्यक्ष महोदय : कोई एतराज वाली बात नहीं होंने देंगे । जो भावनाएं हैं उनको दुखित नहीं होने दिया जाएगा । इंग्लिश और हिन्दी दोनों में चलाएंगे ।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : कहाँ दोनों चलती हैं । मैंने लिखकर दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : अब इन्होंने एग्जैम्पशन ले ली है । आफिशल लैंगुएज कमीशन की भी ले ली गई है । पहले भी होता रहा है ।

इनकी दोनों वर्शज साथ-साथ आनी चाहिए ताकि किसी को भी तकलीफ न हो। अब इन्होंने एग्जैम्पशन ले ली थी।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : हर बार हिन्दी भाषा के साथ यही होता है।

श्री रामविलास पासवान : इसी सदन में 1978 में स्पीकर का रूलिंग है कि कोई भी चीज हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में पेश की जाएगी। ऐसा नहीं होगा तो उसको पेश करने से रोक दिया जाएगा। इसलिए आप इसको रोक दें।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : आज के लिए रोकिए। कुछ बिगड़ नहीं जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : आइन्दा ऐसा नहीं करेंगे।

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : हिन्दी में पहले आनी चाहिए थी।

अध्यक्ष महोदय : जिसका पता नहीं हो वह नहीं करनी चाहिए। आप बैठें।

श्री रामविलास पासवान : आप मालिक हैं।

अध्यक्ष महोदय : नौकर हूं।

श्री रामविलास पासवान : आजादी के 33 वर्ष के बाद भी यहाँ इस सदन में अंग्रेजी में रखी जाए चीज और हिन्दी की उपेक्षा की जाए तो इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। यह हमेशा होता है। हम लोग जो हिन्दी में देते हैं उसको अंग्रेजी में ट्रांस्लेट किया जाएगा और फिर अंग्रेजी से उसको हिन्दी में ट्रांस्लेट किया जाएगा—

अध्यक्ष महोदय : देखूंगा आइन्दा ऐसा न हो।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : इस पर हमें आपत्ति है।

अध्यक्ष महोदय : आपकी आपत्ति को बिल्कुल सिरहन तौर पर पूरा वजन दे रहा हूं।

श्री रामावतार शास्त्री : हिन्दी की बहुत उपेक्षा होती है।

अध्यक्ष महोदय : हम नहीं करते हैं। बिल्कुल उपेक्षा नहीं होने देंगे।

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : मैं माननीय सदस्य की भावनाओं को समझता हूं। श्री जार्ज फर्नान्डीस आपके समय में भी कभी-कभी ऐसी स्थिति पैदा हुई थी; कभी-कभी हमें छपी हुई प्रतियाँ नहीं मिल पातीं। मैंने राजभाषा आयोग से अनुमति ले ली है और मैं आपकी अनुमति चाहता हूं! उन्होंने हमें निदेश दिया है! हम इसे एक साथ रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन यदा-कदा हिन्दी संस्करण की प्रतियाँ न मिल पाने के कारण ऐसा हो जाता है। (व्यवधान) मुझे सांविधानिक अधिकार प्राप्त है। मैंने राजभाषा आयोग से अनुमति ले ली थी! मैंने अध्यक्ष

महोदय से भी अनुमति ले ली थी तथा मैंने हिन्दी रूपान्तर सभा-पटल पर रख दिया था।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं कुछ कहना चाहूंगा।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : एक तो पाप करते हैं और फिर उसके समर्थन में बोल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात सुनिए।

श्री हरिकेश बहादुर : मेरे पास डैफिनिट इनफॉरमेशन है कि कॉमर्स मिनिस्ट्री में, इनकी मिनिस्ट्री में अफसरों में मारपीट हो रही है और वहाँ कोई काम नहीं हो रहा है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप देख नहीं रहे हैं कि मैं कुछ बोल रहा हूं।

मैं सबको कहना चाहता हूं स्पेशली गवर्नमेंट से भी कहना चाहता हूं कि साइमलटेनियसली आना चाहिए। किसी को कोई एतराज का टाइम नहीं मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। शिकायत का मौका ही क्यों दिया जाए ? (व्यवधान)

श्री रामावतार शास्त्री : यह संविधान की दृष्टि से अनिवार्य है। (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीस : महोदय, अब मैं आसाम के प्रश्न पर सदन से बहिर्गमन कर रहा हूं।

(तत्पश्चात् श्री जार्ज फर्नान्डीस सदन से उठकर चले गये।)

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

बीसवाँ प्रतिवेदन

श्री जी० लक्ष्मन (मद्रास उत्तर) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का बीसवाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

ग्यारहवाँ प्रतिवेदन

श्री बंसीलाल (भिवानी) : मैं एयर इन्डिया के बारे में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति (छठी लोक सभा) के बावनवें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का ग्यारहवाँ प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

जे० जे० कालोनी, दिल्ली में पानी की टंकी टूटकर गिर जाने का समाचार

श्री बापू साहिब परुलेकर (रत्नागिरि) : मैं निर्माण और आवास मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर आकर्षित करता हूं और अनुरोध करता हूं कि वे इस बारे में एक वक्तव्य दें।

"जे० जे० कालौनी हस्त साल दिल्ली में 50,000 गेलन क्षमता के पानी की ऊपरी टंकी के कथित गिरने से एक बालक की मृत्यु होने तथा कुछ अन्य के जख्मी होने तथा सरकार द्वारा इस मामले में की गई कार्यवाही।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्मनारायण सिंह) : मान्यवर मैं आपकी अनुमति से हिन्दी में ही ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब देना चाहता हूं।

हस्तसाल, जे० जे० कालौनी, नई दिल्ली में 28 मार्च, 1981 लगभग 10 बजे प्रातः को 50,000 गैलन क्षमता की एक ऊपरी टंकी अचानक ढह गई, इससे लगभग 5 वर्ष के एक घालक की मृत्यु हो गई तथा 10 व्यक्ति घायल हुए, घायल व्यक्तियों में से चार को अस्पताल में दाखिल करवाया गया और उपचार के बाद डिस्चार्च कर दिया गया था।

2. इस टंकी का रचनात्मक भाग किसी समय 1976 में तैयार किया गया था। यह सूचित किया गया है कि 1980 तक थोड़ा और कार्य किया गया था, अन्तिम रूप देने, पाइप लाइन लगाने तथा कन्कशन देने का कार्य पूरा करने के पश्चात, यह टंकी फरवरी, 1981 के पूर्वार्ध में चालू की गई थी।

3. दिल्ली बिकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि निम्नलिखित मुख्य कार्यवाही की गई/या की जा रही है।

(1) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने मृतक बालक के परिवार को 5,000 रुपये तथा प्रत्येक घायल व्यक्ति को 1,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की हैं।

(2) घायल व्यक्तियों को अपेक्षित चिकित्सा सहायता, दवाई आदि देने के लिये दिल्ली-विकास प्राधिकरण ने प्रबन्ध किये थे। उनके यातायात का भी प्रबन्ध किया गया था।

(3) दिल्ली विकास प्राधिकरण पास पड़ौस में क्षतिग्रस्त, परिसम्पत्तियों, भवन इत्यादि की उचित मरम्मत भी कर रहा है।

4. दुर्घटना के कारणों की विस्तृत जांच करने तथा लापरवाही का यदि कोई मामला हो, उसका उत्तरदायित्व नियम करने के लिए दिल्ली के उप-राज्यपाल के आदेशों के अन्तर्गत एक जांच समिति का गठन किया गया है। समिति ने 29 मार्च, 1981 से काम करना आरम्भ कर दिया है और सात दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देनी है।

5. पुलिस ने एक मामला दर्ज कर लिया है और अलग से मामले की जाँच कर रही हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण के दो अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया था और उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया है।

श्रीबापू साहिब परुलेकर : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस प्रकार की एक गम्भीर घटना में जिसमें एक मासूम जिन्दगी की बलि चढ़ गई और लगभग 10 व्यक्ति गम्भीर रूप से घायल हो गये उसे निर्माण और आवासमंत्रालय ने बहुत ही साधारण घटना के रूप में लिया है। अब मंत्री महोदय ने एक विवरण पढ़ा है। इस विवरण से यह पता चलता है कि जो कुछ यह प्रकट करता है उससे कहीं अधिक यह छिपाता है। मंत्री महोदय द्वारा एक आम किस्म का विवरण पढ़ दिया गया है और यह दिखाई देता है कि सरकार या मंत्रालय महसूस करते हैं कि जब शोकग्रस्त परिवारों को अनुगृह राशि देदी गई है अथवा घायल व्यक्तियों को कुछ क्षतिपूर्ति करदी गई है अथवा कार्य-उपेक्षा के लिए केवल कोई जांच का आदेश दे दिया गया है विवरण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है, तो सरकार का कर्त्तव्य समाप्त हो जाता है। मैं नहीं जानता कि इस किस्म का विवरण किसने तैयार किया है ; लेकिन बड़े दुःख के साथ मैं कह सकता हूं कि जिस व्यक्ति ने भी इसको तैयार किया है उसके पास हृदय नाम की कोई चीज नहीं है और हृदयहीन तरीके से उसने इसे तैयर किया है। मेरे लिए यहां उन तथ्यों का उल्लेख करते हुए कुछ कहना आवश्यक हो जाता है जिनसे यह पता चलेगा कि इस निर्माण विशेष का बड़ा रंगीन इतिहास है जिसके बारे में मंत्री महोदय द्वारा कोई चर्चा नहीं की गई है। मैं नहीं समझता क्यों ?

इस टंकी का निर्माण 1972 में शुरू हुआ था। अब 1981 है। इसका कहीं उल्लेख नहीं किया गया है और इसका कारण स्पष्ट है। ये टंकी एक ऐसे क्षेत्र में बनाई गई थी जिस क्षेत्र को मूल रूप से बच्चों के पार्क बनाने के लिए आरक्षित किया गया था। यह क्षेत्र एक ऐसे स्थान पर स्थित है जो झुग्गी-झोपड़ी कालोनी है क्योंकि कालौनी शब्द का प्रयोग किया गया है ताकि हम यह महसूस करें कि यह कालोनी बड़े लोगों की है। इस निर्माण के दोनों तरफ 15-20 कदम के फासले पर मकान बने हुए हैं। यह निर्माण 1972 में शुरू किया गया था। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता

हूँ कि क्या यह सच है अथवा नहीं कि 1972 में जब इसकी शुरूआत ही हुई थी और जब इसका निर्माण शुरू किया गया था, कालोनी के लोगों ने इस डर की वजह से इसका विरोध किया था कि बस्ती के बीच में इस प्रकार का निर्माण करना बहुत ही खतरनाक है। केवल इतना ही नहीं एक जबानी अनुरोध भी किया गया था और उस समय लिखित रूप में एक प्रतिवेदन भी दिया गया था। मैं मंत्री महोदय से यह चाहूंगा कि वो इस सदन को बताएं कि क्या यह सच है या नहीं। यह 50,000 गैलन की ऊपरी टंकी, आप इस बात को सुनकर आश्चर्य करेंगे, कि एक ही खम्भे पर खड़ी हुई थी। मुझे नहीं मालूम कि इसका आर्कीटैक्ट कौन है, उस खम्भे की ऊंचाई 52 फुट थी और वह विशेष खम्भा जिसको सीमेंट से बनाये जाने की आशा थी तारकोल पाउडर से मिश्रित गारे से बनाया गया और उस पर केवल 1/10 से०मी० सीमेंट का प्लास्टर किया गया था। इसका उद्-घाटन 12 फरवरी को दिल्ली के उप-राज्यपाल द्वारा किया गया था और उसके डेढ़ माह के भीतर ही यह गिर गया। मुझे आशा थी कि मंत्री महोदय अपने बयान में उस ठेकेदार का नाम बतायेंगे जिसको मूल रूप से इसे बनाने का ठेका दिया गया था। उस ठेकेदार का नाम था श्री कृपाराम। मुझे नहीं मालूम कि क्या हुआ लेकिन उस ठेकेदार को इस निर्माण कार्य को छोड़ना पड़ा। उसने केवल ठेका ही नहीं छोड़ा बल्कि उसने देश भी छोड़ दिया और विदेश चला गया। इस निर्माण को बिना उस सामग्री की जांच किए हुए जो ठेकेदार श्री कृपाराम ने लगायी थी नगर-निगम को अन्त-रित कर दिया गया था। 1972 से 1980 तक यह विशेष परियोजना अधर में लटकी रही और 1980 में अर्थात 8 साल बाद इसे फिर से दिल्ली विकास प्राधिकरण को सौंप दिया गया था। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या यह सच है कि 8 साल बाद 1980 में यह विशेष निर्माण कार्य दिल्ली विकास प्राधिकरण को सौंपा गया था या नहीं। क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या उस समय दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने इस निर्माण की जाँच की थी। क्या उन्होंने इसमें प्रयोग की गई सामग्री की जांच की थी, जो 52 फुट ऊंचा खम्भा बनाया गया था क्या उसकी जांच की गई थी? क्या उस खम्भे की मजबूती की जांच की गई थी जिस पर 50,000 गैलन पानी वाली टंकी का भार संभालने की क्षमता थीं? निर्माण के समय यह स्थिति थी।

दूसरे चरण में जब दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा इस मामले को अपने हाथ में ले लिया गया था तो बहुत सी शिकायतें कुछ जबानी और कुछ लिखित रूप में लोगों द्वारा की गई थी। प्रमुख व परेशानी की शिकायत जनवरी, 1981 में की गई थी अर्थात निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद यह खास टंकी जो 52 फुट ऊँचे खम्भे पर बनी हुई थी, वो खम्भा 9 इंच तक एक तरफ को झुक गया था। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है या नहीं। क्या आपके कार्यालय के पास किसी मोर्चे ने पहुंच की थी अथवा नहीं और यदि हां तो आपने जनवरी से अब तक क्या किया जबकि आप को यह विशेष प्रतिवेदन मिल चुका था जिसमें इस विशेष टंकी की मरम्मत करने की मांग की गई थी। महोदय, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इसकी मरम्मत करने के बजाय उन्होंने इसमें पानी भरना शुरू कर दिया। जरा उस पानी की टंकी की स्थिति के बारे में कल्पना करिये जिसमें 50,000 गैलन पानी भरा जाना है जो 50 फुट से भी ऊंचे खम्भे पर टिकी है और एक तरफ 9 इंच झुकी हुई है जिसके दोनों तरफ झुग्गी झोपाड़ियां हैं और उस सूरत में भी इसकी मरम्मत करने के बजाय उन्होंने इस टंकी में पानी भरना शुरू कर दिया।

इसका कारण स्पष्ट था यह घटना 11 फरवरी को हुई थी। 12 फरवरी को दिल्ली के उपराज्यपाल श्री जगमोहन द्वारा इसका उद्घाटन किया जाना था। जब इसमें पानी भरना शुरू किया गया तो जैसे ही इसमें लगभग 3 फुट पानी भरा गया तो सारा पानी इस टंकी से पाइपों में लीक होना शुरू हो गया। उन्होंने टंकी में पानी भरना बन्द कर दिया लेकिन क्योंकि कर्यक्रम की घोषणा हो चुकी थी इसलिए श्री जगमोहन आए और उन्होंने केवल स्विच को खोला और बन्द किया। और यह सारा उद्घाटन कार्यक्रम केवल 7 मिनट में समाप्त हो गया।

वहां रहने वाले लोगों ने श्री जगमोहन से मिलना चाहा और इसके खतरे के बारे में उन्हें बताना चाहा लेकिन उन्हें उनसे मिलने ही नहीं दिया गया। न केवल इतना ही कि श्री मंगलराम जो इस निर्माण कार्य का एक टुकड़ा उन्हें दिखाना चाहते थे उन्हें भी पुलिस द्वारा धक्के देकर निकाल दिया गया। पुलिस और दिल्ली प्राधिकरण के अधिकारियों ने उसे उप-राज्यपाल से मिलने ही नहीं दिया। यदि उपराज्यपाल को इसका पता चल जाता तो शायद यह दुःखद घटना टल सकती थी। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह बात सही है या नहीं।

उद्घाटन समारोह के पश्चात् लगभग 14-15 दिनों तक इसमें प्रत्यक्ष कारणों से पानी नहीं भरा गया। क्योंकि इंजीनियर अथवा ठेकेदार मुझे नहीं मालूम कि वे कौन हैं, इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते थे कि इसमें पानी नहीं भरा जा सकता है। इस दुर्घटना के एक दिन पहले उन्होंने इसमें पानी भरना शुरू कर दिया। पानी लीक होना शुरू हो गया। उस आदमी से जो इस पम्प पर काम कर रहा था, पम्प पर काम करने के लिए मना किया गया, और इस टंकी में पानी भरने से उसे रोका गया। लेकिन उसने यह जवाब दिया "कि मुझे मेरे वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश हैं, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता और मुझे यह काम करना है।" जब पानी भरने का यह काम चल रहा था और इस टंकी में पानी भरा जा रहा था उस समय यह सारी की सारी टंकी गिर पड़ी।

उस माँ की आह और दुःखों की कल्पना कीजिए, जिसका लाल उस मलबे के नीचे दब गया था। उस बच्चे का मृत शरीर उस मलबे से निकाला गया था। पूरे तीन घन्टे तक वह मां चीखती चिल्लाती उस मलबे के पास बैठी रही। इसके लिए माननीय मंत्री महोदय से जो उत्तर हमें मिल रहा है वह केवल यह है कि हम 5,000 रुपये की अनुग्रह राशि अदा कर रहे हैं। एक महत्वपूर्ण बात जिस पर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ वह यह है कि इस मामले की जाँच करने के लिए कि इसमें किसकी तरफ से उपेक्षा बरतीं गई है, केवल मजिस्ट्रेट की नियुक्ति ही काफी नहीं है।

इस दुखद घटना का कारण घटिया स्तर की सामग्री का प्रयोग किया जाना है। परसों मैं मंत्री महोदय से मिला था और उन्हें मलबे का एक टुकड़ा दिया था। मेरे पास दो और टुकड़े हैं। क्योंकि मैंने उस स्थान विशेष को देखा है। आपको यह देखकर आश्चर्य होगा कि यह टंकी विशेष जिसमें 50,000 गैलन पानी भरा जाना था केवल रेत और तारकोल पाउडर से बनायी गयी थी और इस पर केवल 1/10 से० मी० मोटा सीमेंट का प्लास्टर किया गया था।

महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि इस निर्माण विशेष पर कितनी राशि खर्च को गयी थी। इस पर कुल कितना सीमेंट लगाया गया था। क्या आप हमें यह बतायेंगे कि क्या यह सच है कि 80 प्रतिशत सीमेंट जो इस विशेष कार्य के लिए दिया गया था, काले बाजार में बेच दिया गया था और केवल 20 प्रतिशत ही इस विशेष निर्माण स्थल पर पहुंचा था। यहां तक कि वह 20 प्रतिशत सीमेंट भी इसमें प्रयोग नहीं किया गया और यह दुखान्त घटना हो गई, जो हमें इस समय पता चली है।

महोदय, टंकी ढह जाने के बाद सभी वहां से भाग लिए। पम्प वाला जिसे पानी भरने से मना किया गया था; दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारी और इन्जीनियर सभी भाग लिए और रह गए बेचारे झुग्गी झोंपड़ी वाले गरीब।

अब जैसे हमें इस वक्तव्य से पता चला है, दो आदमियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 304क के अन्तर्गत मुकद्मा चलाया गया। क्या आप धारा 304 क के अधीन अधिकतम सजा के बारे में जानते हैं? इसमें केवल दो सालों की जेल है। यदि लाखों रुपया जो इस परियोजना में खर्च किया जाना था इस में घटिया दर्जे का सामान प्रयोग करके, इसका गवन करके ये लोग बहुत ही खुश होंगे, क्योंकि वे कह सकते हैं दो सालों की जेल की कीमत पर कुछ लाख रुपये हड़प जाना कोई बुरा सौदा नहीं है। अतः मैं यह अनुरोध करूंगा कि उन्हें गृह मंत्रालय से इस मामने पर बातचीत करनी चाहिए ताकि इस प्रकार के मामले में यदि धारा 304 के अधीन व्यक्तियों पर मुकद्मा चलाया जाना हो तो सजा और कठोर होनी चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ यह बात कह कर ही सन्तुष्ट नहीं हूं कि ऐसे लोगों के मामले में जो जीवन का पुरजोर आनन्द लेते हैं, जिनके पास मर्सिडीज कारें हैं और सभी सुख सुविधा के सामान मौजूद हैं और वह भी गरीब ग्रामीणों की कीमत पर। यदि आप उन्हें कोई सबक सिखाना चाहते हैं तो इस प्रकार का दण्ड तलाश करिए कि वे व्यक्ति जिन्होंने गरीबों की कीमत पर अपने जीवन को सम्पन्न बनाया है, उन्हें नंगा करके सड़कों पर घुमाया जाये। प्रत्यक्षतः यह बात आदि युग की सी लगती है लेकिन अब आपने इन अधिकारियों को और इस प्रकार के निर्माण में लगे हुए उन कर्मचारियों को सही करना है तो केवल यही उनके लिए दंड है क्योंकि ये लोग इससे बहुत लाभ कमाते हैं इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह अनुरोध करता हूं कि वह इस धारा 304 क को संशोधित करने के लिए समुचित उपाय करें और यह देखें कि इस में और भी सख्त कार्यवाही की जाये। वक्तव्य में बताया गया है कि इस दुर्घटना में जांच के आदेश दिए जा रहे हैं। मैं यह नहीं जानता कि किस किस्म के जांच के आदेश दिए जा रहे हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की समिति द्वारा की गयी जांच पर्याप्त नहीं है। इसमें तो न्यायिक जांच होनी आवश्यक है। इसलिए मैं यह मांग करता हूं कि इस मामले में एक अमूल्य जीवन समाप्त हो गया और कितने ही लोग घायल हो गये तथा लाखों रुपये खर्च हो गए हैं उसमें जिला मजिस्ट्रेट की अथवा अधिकारियों की एक समिति द्वारा जांच करना पर्याप्त नहीं है। इसमें बहुत ही वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों द्वारा एक विस्तृत न्यायिक जांच की आवश्यकता है। अतः मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगा कि वह इन 5-6 प्रश्नों का उत्तर दें जो मैंने किए हैं और यह जरूरी नहीं है कि मैं इन प्रश्नों को फिर से दोहराऊं क्योंकि जब मैं अपना निवेदन कर रहा था उसी समय मैंने अपने प्रश्न बता दिए थे। **धन्यवाद।**

श्री भीष्म नारायण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस दुर्घटना का सवाल है जितना दुख श्री परूलेकर जी को है उस से कम दुःख मुझे भी नहीं है। इस दुर्घटना के कारण एक मासूम बच्चे की जान गई और इसी वजह से आपने देखा कि जिस दिन यह दुर्घटना हुई उसी दिन डी० डी० ए० ने आवश्यक कार्यवाही की और वहां लोगों ने जाकर सिर्फ एक्स-ग्रेशिया ही नहीं दिया बल्कि जो भी और संभव सहायता हो सकती है अस्पताल ले जाने की और इलाज वगैरह की, उस का प्रबन्ध किया।

आप की चिन्ता इस बात में है कि शायद किसी मैजिस्ट्रेट या डिस्ट्रक्ट मैजिस्ट्रेट की जांच ठीक नहीं होगी। यह बात ठीक है, इसीलिए हम ने किसी डिस्ट्रक्ट मजिस्ट्रेट को इस की जांच नहीं दी है क्योंकि आपने मुझे भी वह डैब्रिश का टुकड़ा दिखाया था। वह जब हमने देखा तो हम सब लोगों का ऐसा विचार हुआ कि इसमें कोई टेकनिकल कमेटी जांच के लिए बैठाएं और उसमें सिर्फ डी० डी० ए० के लोगों को ही न रखें क्योंकि यह ही डी० डी० ए० से ही सम्बन्धित योजना रही है।

डी० डी० ए० के ही लोग अगर इसमें होते तो हमको सन्देह हो सकता था कि शायद रिपोर्ट ठीक आए या न आए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि न्यायसंगत रिपोर्ट सामने आए, श्री बी० एस० मजुमदार, चीफ इन्जीनियर, पी० डब्ल्यू० डी०, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, को इस जांच समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। उनके अलावा इसके सदस्य हैं श्री के० डिसूजा, अडीशनल चीफ इन्जीनियर (वर्क्स), म्युनिसिपल कार्पोरेशन, दिल्ली। ये भी डी० डी० ए० के नहीं हैं। इनके अलावा श्री बी० चक्रवर्ती, डायरेक्टर (स्लम्स) हैं। चूंकि यह झुग्गी झोंपड़ी कालोनी से मामला सम्बन्धित है इसलिए उनका रहना जरूरी है। इनके अलावा श्री वी० बी० ठाकुर, एडीशनल चीफ इन्जीनियर, डी० डी० ए० को रखा गया है। इन लोगों को मिलाकर यह समिति बनाई गई है और इस समिति के बारे में जैसा मैंने आपको बताया।

(व्यवधान)

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) : चार में से दो दिल्ली विकास प्राधिकरण के हैं।

श्री भीष्म नारायण सिंह : अगर डी० डी० ए० के कुछ लोग नहीं होंगे तो फैक्ट्स कौन देगा ? जो दो लोग और हैं वे तो डी० डी० ए० के नहीं हैं और चीफ इन्जीनियर को इस समिति का चेयरमैन बनाया गया है। इस तरह से इस बात पर पूरा ध्यान रखा गया है कि सही प्रतिवेदन सामने आए और समय पर प्रतिवेदन आए तथा आइन्दा इस प्रकार की दुर्घटना न होने पाए—इस बात को ध्यान में रखकर ही कार्यवाही करने की चेष्टा की जा रही है।

इसी प्रसंग में मैं आपको सरकार की ओर से यह बात स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि कोई भी नेग्लिजेन्स या सब-स्टैण्डर्ड काम की बात सामने आयेगी तो उसको कभी बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। सरकारी कार्य में जो लोग भी लगे हैं उनके विरुद्ध हम नहीं हैं लेकिन अगर काम में नेग्लिजेन्स या किसी तरह की लापरवाही की बात सामने आयेगी तो हम उसको कभी बरदाश्त नहीं करेंगे। कोई ठेकेदार हो या सरकारी एजेन्सी के द्वारा कोई कार्य हो रहा हो उसमें अगर सब-

स्टैण्डर्ड काम होने की कोई रिपोर्ट मिलेगी तो हम किसी को भी स्पेयर नहीं करेंगे ।

आपने जानना चाहा राम कृपाल ठेकेदार के बारे में तो उसका बहुत पुराना केस है । इस क्रम में सरकार को कन्टिनुइटी देखनी होती है । पिछली सरकार के बाद यह सरकार आ गई है । सरकार तो कन्टिन्यू कर रही है लेकिन यह बहुत पुराना मामला है और जैसा कि मुझे बताया गया है यह ठेकेदार देश ही छोड़कर भाग गया है । वह यहां है ही नहीं ।

आपने लागत की बात पूछी है । जो सूचना अभी मुझे दी गई है उसके मुताबिक लगभग 30 हजार रुपये की लागत पूरी टंकी के निर्माण पर आयेगी । तो जैसी आपको चिन्ता है मैं भी चिन्तित हूं···

श्री बापू साहिब परुलेकर : क्या संपूर्ण राशि का भुगतान कर दिया गया है ?

श्री भीष्म नारायण सिंह : इनकी जानकारी अभी पूरी तरह से नहीं है लेकिन 30 हजार की योजना थी । कुछ थोड़ा बहुत सिक्योरिटी मनी उसका होगा तो होगा लेकिन अभी पूरी सूचना मेरे पास नहीं है अन्यथा मैं आपको जरूर दे देता ।

श्री हरिकेश बहादुर : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो जवाब दिया है···

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया केवल नये मुद्दे ही प्रश्न के रूप में रखें । (**व्यवधान**) अपने केवल दो मुद्दे रखे हैं जो श्री परुलेकर द्वारा नहीं उठाये गये हैं ।

श्री हरिकेश बहादुर : समस्या यही है कि जो कुछ मैं कहना चाहता था, उन्होंने कह दिया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अर्थात् आप उनका सिर्फ आनुमोदन करते हैं ।

(व्यवधान)

श्री हरिकेश बहादुर : मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसे दोहराना न पड़े । लेकिन उन्होंने सभी कुछ कह दिया है ।

मुझे यह निवेदन करना है कि माननीय मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है उसमें पहली बात यह कही गई है कि जो बालक मरा है उसके बाप को 5 हजार रुपए दिए गए हैं । यह धनराशि बहुत ही कम है । मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि इस धनराशि को बढ़ाकर कम से कम 50 हजार रुपये किया जाय, क्योंकि यह गरीब परिवार का बच्चा मरा है जो भविष्य में उस परिवार के लाभ के लिए अधिक पैसा भी कमा सकता था । इस समय केवल 5 हजार रुपये देकर उस परिवार को सान्त्वना देना चाहते हैं—यह बिलकुल नाकाफी है । आज यदि कोई आदमी रेल से मरे या हवाई जहाज से मरे तो उसको बहुत पैसा दिया जाता है, तो फिर क्या वजह है कि इसको केवल 5 हजार रुपये दिये जा रहे हैं ? इसलिए इसकी राशि को अवश्य बढ़ाया जाय ।

दूसरी बात—डी० डी० ए० ने 6 वर्ष पहले 1975-76 में इस टेंक को बनाया था। डी० डी० ए० उस समय बनाने का काम नहीं कर रही थी, तोड़ने का काम कर रही थी। जो कंस्ट्रक्शन किया गया की गई वह इस नीयत से किया गया कि वह बनाये न रखी जाय, टूट जाय। जगमोहन जो उस समय तुड़वाने का काम कर रहे थे और उन्होंने ही कुछ दिन पहले इसका उद्घाटन किया। जो तोड़ने का काम कर रहे थे वही उद्घाटन कर रहे थे और यह उस पीरियड में बनाई गई जिस पीरियड में तोड़ने का काम हो रहा था—इससे स्पष्ट है कि टूटने की नीयत से ही बनाई गई थी, इस नीयत से नहीं बनाई गई थी कि वहां के रहने वालों को इससे लाभ हो। सबसे दुखद बात यह हुई है कि इससे एक बच्चे की मृत्यु हुई। यह सरकार भी हृदयहीन है और इनका प्रशासन भी हृदयहीन है, उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं है, मुझे तो सन्देह है कि इसमें कोई उपयुक्त कार्य-वाही हो सकेगी। मैं चाहता हूं कि जो एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है, उसे किसी जज की अध्यक्षता में बनाया जाय, उसमें ब्यूरोक्रैसी का मैजिस्ट्रेट भी रखा जाय और इन्जीनियर्स भी रखे जांय। जब तक सभी तरह के लोग इसमें नहीं होंगे तब तक सही बात सामने नहीं आयेगी, क्योंकि इन्जीनियर्स तो इन्जीनियर्स का समर्थन करेंगे। इसलिए मैं मांग करता हूं कि जो जांच समिति बनाई गई है उस में सभी तरह के लोगों को रखा जाय और एक जज की अध्यक्षता में बनाई जाय।

अभी जैसा पारुलेकर साहब ने कहा कि इसमें जो मैटीरियल इस्तेमाल हुआ है वह सब-स्टैण्डर्ड था। ये सब चीजें जांच के बाद सामने आयेंगी लेकिन सवाल इस बात का है कि जिस समय इसको बनाये जाने की योजना थी उस समय वहां के निवासियों ने इस पर ऐतराज किया था और कहा था कि उसको वहां पर नहीं बनाया जाना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि उसको वहां पर क्यों बनने दिया गया। बह तो तत्कालीन सरकार की अदूरदर्शिता का बहुत बड़ा परिचायक है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार सारी बातों के बारे में स्पष्टरूप से हमको बताए, इस सदन को अपने विश्वास में ले ताकि हम महसूस कर सकें कि जो एन्क्वायरी हो रही है उसमें ये सारी बातें प्रकाश में आयेंगी और यह भी प्रकाश में आयेगा कि उस समय के प्रशासन के समय में यह सारी गड़बड़ी हुई है।

श्री भीष्म नारायण सिंह : मान्यवर, हरिकेश बहादुर भी इस बात को भूल गए कि अगर तत्कालीन सरकार की भर्त्सना करूंगा तो उनकी सरकार भी ढाई-तीन साल तक यहाँ पर रही, उसकी भी भर्त्सना हो जाएगी, क्योंकि उस सरकार ने भी उस समय कोई रोक-थाम नहीं की और जो योजना उस समय चल रही थी, वह चलती रही, बल्कि इस सरकार के समय में पूरी हुई—यह बात सही है। मैंने शुरू में कहा है कि सरकार तो लगातार बनी रहती है, पार्टियां आती हैं और चली जाती हैं। इसी लिए मैं अपनी सरकार की तरफ से आप की सरकार की कोई भर्त्सना नहीं करना चाहता था।

आपने अनुग्रह राशि को बढ़ाने की बात कही है और रेलवे से इसकी तुलना की है। रेलवे एक अलग विभाग है जिसका बजट यहां पर पेश होता है, एक बहुत बड़ा पब्लिक-सेवा करने का माध्यम है, डी० डी० ए० उसका मुकाबला नहीं कर सकता है। लेकिन यह बात जरूर है—चूंकि हमारी सरकार हृदयवाली सरकार है इस लिए 5 हजार रुपये की जो अनुग्रह राशि दी गई है उस

को बढ़ाकर 10 हजार रुपये जरूर कर देंगे···

श्री रामावतार शास्त्री : इससे हृदयहीनता दूर नहीं कर सकते हैं···

श्री रामविलास पासवान : प्लेन की दुर्घटना में 1 लाख रुपये दिए जाते हैं।

श्री भीष्म नारायण सिंह : कहां इण्डियन एयरलाइन्स, कहां रेलवे से आप तुलना कर रहे हैं, इनसे तुलना नहीं की जा सकती है। फिर भी मैंने जो कहा है उसको जरूर कर देंगे। जो बातें मैंने इस सम्बन्ध में बतलाई हैं उन से ज्यादा मुझे नहीं कहना है।

श्री बसन्त कुमार पंडित : मुझे अत्यन्त खेद है कि माननीय मंत्री महोदय ने आज बहुत ही मामूली-सा घड़ा-घड़ाया विवरण दिया है। सम्भवतः, यह सम्पूर्ण विवरण समाचार पत्रों की कतरनों से छाँटा गया है जो हमने सुना है। इस विवरण से हमें किसी नई बात का पता नहीं चलता और यह सभी कुछ हम समाचार पत्रों में पढ़ चुके हैं। मुझे यह आशा थी कि मंत्री महोदय हम लोगों को विश्वास में लेकर इस मामले में कुछ और ब्यौरा देंगे।

मनुष्य के कार्य की यह एक अकेली मिसाल है। यह भगवान का काम नहीं है। इससे भीषण मानवीय उपेक्षा का आभास होता है। और इसीलिए, केवल अधिकारियों की समिति से ही इस मामले के तथ्यों को प्रकाश में नहीं लाया जा सकता। हम सभी इस बात को जानते हैं कि दिल्ली विकास प्राधिकरण का एक गिरोह है जो इन निर्माण ठेकों में कार्यरत है। वे इसे दबाने में एक-दूसरे का साथ देंगे। रिपोर्ट के लिए वे लोग एक दो कर्मचारियों को बलि का बकरा बना सकते हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण का सारा का सारा कार्य व्यवहार ही संदेहजनक है।

शुरू में ही इस टंकी में दरार पड़ गई थी। हमें सूचित किया गया था कि टंकी का परीक्षण करने के लिए इसमें केवल 3 फुट पानी भरा जा रहा है। इतने पर भी पानी लीक होना शुरू हो गया। इसके बावजूद फिर भी टंकी में पानी भरने का प्रयास किया गया।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस निर्माण का कार्य श्री कृपाराम द्वारा किया गया था जो भाग गया है। कृपाराम के रहने तक इसका किस सीमा तक निर्माण हुआ था और नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा जब हस्तक्षेप किया गया तब कितना निर्माण कार्य पूरा हुआ था तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कितना निर्माण कार्य कराया ?

इस परियोजना के लिए कितना सीमेंट आवंटित किया गया अथवा उठाया गया और इसमें से कितना सीमेंट काले बाजार में बेचा गया और कितना सीमेंट सही अर्थों में इसमें लगाया गया।

मलवे को फोरेंजिक विज्ञान प्रयोगशाला में भेजा गया है और अधिकारियों से कहा गया है कि वे हमें इसकी रिपोर्ट सात दिन के भीतर दे दें। इसलिए, क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि क्या आप फोरेंजिक विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट की सहायता से कर्मचारियों के विरुद्ध जांच करेंगे। इस मलवे को तो वास्तव में रासायनिक विश्लेषक के पास भेजा जाना चाहिए था ताकि

इसमें सीमेंट, रेत, गारे और राख की मात्रा का पता चल सके । इसलिए, यह मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री महोदय को हमें निम्नलिखित ब्यौरा देना चाहिए :

(1) उस इंजीनियर और आर्किटेक्ट का नाम जिसने इस टंकी का डिजायन तैयार किया;

(2) उस ठेकेदार का नाम जिसने इस टंकी को अन्तिम रूप से बनाया;

(3) उस पर्यवेक्षक का नाम जिसने इस टंकी के निर्माण का पर्यवेक्षण किया; ये सभी लोग दिल्ली विकास प्राधिकरण के गिरोह में शामिल हैं ।

(4) दिल्ली विकास प्राधिकरण का वह कर्मचारी जिसके पास यह शिकायत आई थी कि यह टंकी लीक कर रही है । उसने उस शिकायत पर कार्यवाही क्यों नहीं की ?

(5) इस दस वर्षीय परियोजना में झुग्गी झोंपड़ी कालोनी में एक टंकी बनाने की ऐसी क्या जल्दी थी ?

मुझे संदेह है कि क्योंकि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने समाचार पत्रों में एक वक्तव्य पहले ही दे दिया था कि इसकी नींव ही कमजोर है । शेष सभी चीज बिल्कुल ठीक हैं । डिजायन ठीक है, निर्माण कार्य ठीक है । केवल इसकी नींव ही कमजोर है । उस सूरत में किसी न किसी को तो निर्माण के लिए ऐसा स्थान चुनने का जिम्मेदार तो ठहराया जाना चाहिए था । वह व्यक्ति कौन था जिसने इस स्थान को चयन किया और नींव बनाने सम्बन्धी निर्माण कार्य का निरीक्षण किया था ।

ये सभी तथ्य तभी सामने आ सकते हैं जबकि या तो एक न्यायिक जांच हो अथवा पूर्णरूप से स्वतंत्र जांच हो । दिल्ली में ऐसे आर्किटेक्टों इंजीनियरों एवं विशेषज्ञों की कमी नहीं है जो सरकारी विभागों से सम्बन्धित नहीं है । इसलिए, यह जांच तो केवल उस सम्पूर्ण लापरवाही से भरपूर कार्य पर लीपापोती कर देगी ।

और, इसलिए, मैं मंत्री महोदय से यह अपील करूंगा कि यदि यह दुर्घटना भविष्य के लिए अवरोधक के रूप में सिद्ध होती है, यदि इस दुर्घटना को मनुष्य की भीषण लापरवाही की अन्तिम दुर्घटना बनाना है तो अधिकारियों की इस समिति को रद्द किया जाय और उस अधिकारी समिति की रिपर्ट को भी रद्द किया जाये । सरकारी अधिकारियों को अलग हटाकर बाहर से लिए गये विशेषज्ञों की एक समिति बनाई जाये और तब दे···(**व्यवधान**)

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता ।

प्रो० के० के० तिवारी : उन्हें केवल दो मिनट बोलना था और उन्हें केवल सम्बन्धित प्रश्नों को ही उठाया था । यह कोई वादविवाद नहीं है । (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यह जानता हूं कि यह वाद विवाद नहीं है । प्रो० तिवारी, आपको थोड़ा और पहले उठना चाहिए था । वह तो प्रश्न अब कर रहे हैं ।

डा० वसन्त कुमार पंडित : यदि माननीय मंत्री महोदय, विशेषज्ञों की कोई स्वतन्त्र समिति नियुक्त करना चाहते हैं तो सात दिनों के भीतर जो भी रिपोर्ट अधिकारियों की समिति द्वारा दी जायेगी, चाहे वह फौरेंसिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट के संदर्भ में हो अथवा नहीं, उसे सदन के सभा पटल पर रखा जाना चाहिये । हमें उन सभी तथ्यों की जानकारी चाहिये जो इस जाँच के परिणाम-स्वरूप सामने आयें । यह मेरा निवेदन है कि वे सभी कार्य जो दोषी पाये जायें ब्जैक लिस्ट कर दिये जायें ताकि उन्हें किसी भी प्रकार का सरकारी ठेका आदि न मिल सके और उन कर्मचारियों तथा ठेकेदारों को भी सवक सिखाना जरूरी है जो आपस में साँठ गाँठ किये हुए हैं और आम जनता के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं ।

मुझे भी वही आशंका है जो श्री परुलेकर ने एशियाइ सम्बन्धी निर्माण कार्यों में की जा रही जल्दी के बारे में व्यक्त की है। इसमें अति शीघ्रता बरती जा रही है । कोई पर्यवेक्षक नहीं किया जा रहा है; और अब इसके लिए समय भी नहीं बचा है । इस प्रकार का घटिया दर्जे का निर्माण हमारी प्रतिष्ठा को धूल में मिला देगा और दिल्ली वासियों के लिये एक भयंकर खतरा भी साबित होगा ।

इसलिए क्या मैं माननीय मंत्री महौदय से यह अपील कर सकता हूं कि अभी भी समय है कि ऐसे व्यक्तियों की एक समिति बनाई जाये जो संदेह की परिधि से परे है । जिसमें निर्माण आर्धटेक्चर डिजाइन, ठेके आदि के कार्यों में विशेषज्ञ हों ।

मैं मंत्री महोदय से उन सभी बातों का ब्यौरा भी जानना चाहूंगा जो मैंने पूछी हैं ।

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : मान्यवर, सबसे पहले मैं डा० वसन्तकुमार पंडित जी को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सदन को मैं हमेशा हर बात में विश्वास में लेकर चलने की चेष्टा करता हूं । यही प्रयास मेरा रहेगा । इसी दृष्टिकोण से इंक्वायरी करने के लिए समिति बनायी गई है, जाँच करने के लिए समिति बनाई गई है । यह डी०डी०ए० ने नहीं बनाई है । जैसा मैंने शुरू में बताया है कि श्री मजुमदार दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के हैं ।

मैंने यह भी बताया कि सरकार इसके बारे में इतनी चिंतित है कि उसने दृढ़ता से इस पर कार्यवाही की और जल्दी से जल्दी इसका प्रतिवेदन आ जाये, इसके लिए कार्यवाही की । सात दिन के अन्दर ही इसका प्रतिवेदन आ जाए, ऐसी सरकार की कोशिश होगी ।

जहाँ तक मुकद्मे का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में दो-दो अधिकारी गिरफ्तार हुए हैं और जितना शीघ्रातिशीघ्र इसमें कार्यवाही हो सकती थी वह करने की चेष्टा की गई है ।

श्री आर० के० महालगी (पुणे) : क्या इसे सभा पटल पर रखा जायेगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : श्री महालगी, आप इसे नहीं पूछ सकते···

श्री भीष्म नारायण सिंह : प्रश्न यह है कि महालगी साहब के प्रश्न का उत्तर कैसे मैं दे सकता हूं क्योंकि यह नियम नहीं है । मैं नियम के अनुसार पंडितजी के प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूं ।

मैं सदन के सम्माननीय सदस्यों को विश्वास में लेकर चलने की चेष्टा करता हूं और इस सम्बन्ध में जो भी प्रयास हो सकते हैं वे किये जा रहे हैं।

श्री सुभाषचन्द्र यादव (खारगोन) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत तत्परता से इस सम्बन्ध में कार्यवाही की। इस सम्बन्ध में जाँच समिति बिठाने में जितनी तत्परता हो सकती थी उतनी तत्परता से उन्होंने कार्यवाही की।

मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि जो समिति आपने बनायीं है और जितनी तेजी से बिठायी है, उतनी तेजी से ही उस समिति के निष्कर्षों को क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। साथ ही जैसा कि मेरे मित्र ने कहा—जो लोग हवाई जहाज से यात्रा करते हैं उनको मुआवजा मिलता है, इसलिए मेरा भी मंत्री महोदय से निवेदन है कि मुआवजे की राशि जितनी अधिक से अधिक हो सके, दी जाए, यह स्वागत-योग्य बात होगी।

श्री भीष्म नारायण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है, मैंने पहले ही सब बात बता दी है। डी० डी० ए० ने 5000 रुपया एक्सग्रेशिया देने का निश्चय किया था, हमने उसे 10000 रुपये कर दिये हैं। डी० डी० ए० दिल्ली के विकास के लिए एक स्टेचुटरी वाडी है, रेलवे या इंडियन एयर लाइंस की तुलना तो इससे नहीं की जा सकती, सीमित साधन हैं, लेकिन सिसिअरिटी की बात है जो भावना की बात है, वह अवश्य है और हम 10000 रुपए की धनराशि एक्सग्रेशिया के रूप में देंगे और सुभाषजी व अन्य माननीय सदस्यों द्वारा दी गई राय का आदर करते हैं।

समितियों के लिये निर्वाचन

(एक) प्राक्कलन समिति

श्री एस० बी० पी० पट्टाभिरामा राव : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 311 के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से, 1 मई, 1981 से आरंभ होने वाले और 30 अप्रैल, 1982 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए प्राक्कलन समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से 30 सदस्य निर्वाचित करें।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 311 के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से, 1 मई, 1981 से आरंभ होने वाले और 30 अप्रैल, 1982 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए प्राक्कलन समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से 30 सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

(दो) लोक लेखा समिति

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 309 के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से, 1 मई, 1981 से आरंभ होने वाले और 30 अप्रैल, 1982 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए लोक लेखा समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से 15 सदस्य निर्वाचित करें।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 309 के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से, 1 मई, 1981 से आरंभ होने वाले और 30 अप्रैल, 1982 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए लोक लेखा समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से 15 सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 1 मई, 1981 से आरंभ होने वाले और 30 अप्रैल, 1982 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए इस सभा की लोक-लेखा समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा से 7 सदस्य नाम निर्दिष्ट करने के लिए सहमत हों और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नाम निर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 1 मई, 1981 से आरंभ होने वाले और 30 अप्रैल, 1982 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए इस सभा के लोक लेखा समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा से 7 सदस्य नाम निर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नाम निर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

(तीन) सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

श्री बंसीलाल : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 312 (ख) के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से, 1 मई, 1981 से आरंभ होने वाले

और 30 अप्रैल, 1982 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिये सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से 15 सदस्य निर्वाचित करे।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 312 ख के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से, 1 मई, 1981 से आरंभ होने वाले और 30 अप्रैल, 1982 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से 15 सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री बंसीलाल : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 1 मई, 1981 से आरंभ होने वाले और 30 अप्रैल, 1982 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए इस सभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा से 7 सदस्य नाम निर्दिष्ट करने के लिये सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नाम निर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 1 मई, 1981 से आरंभ होने वाले और 30 अप्रैल, 1982 को ममाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए इस सभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा से 7 सदस्य नाम निर्दिष्ट करने के लिये सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नाम तिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

(चार) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति

श्री आर० आर० भोले : (बम्बई दक्षिण-मध्य) महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

" कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के निमय 331 ख के उपनियमम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से, 1 मई, 1981 से आरम्भ होने वाले और 30 अप्रैल, 1982 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिये अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से 20 सदस्य निर्वाचित करें।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है ;

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 331 ख के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से, 1 मई, 1981 से आरम्भ होने वाले और 30 अप्रैल, 1982 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से 20 सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री आर० आर० भोले : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 1 मई, 1981 से आरंभ होने वाले और 30 अप्रैल, 1982 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिये इस सभा की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा से 10 सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिये सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नाम-निर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 1 मई, 1981 से आरंभ होने वाले और 30 अप्रैल, 1982 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिये इस सभा की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा से 10 सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिये सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन नियम 377 के अन्तर्गत मामलों पर विचार करेगा।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : (मुजफ्फरपुर) इससे पहले कि आप अगले विषय पर विचार आरम्भ करें मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। महोदय, मैं औपचारिक सूचना नहीं दे सका क्योंकि मुझे इसकी जानकारी तब मिली जब मैं आज सुबह सदन में आया।.....

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है। आपको नोटिस अवश्य देना चाहिए। आपको मेरी सहायता अवश्य करनी चाहिए। मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा। मैं कार्यसूची अनुसार ही चलूंगा। मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं।

उसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित किया गया

(श्री चन्द्रजीत यादव पीठासीन हुए)

श्री जार्ज फर्नान्डीस : यह बहुत गम्भीर मामला है सभापति जी। मैं मानता हूं कि रूल 377 के तहत पहले नोटिस देना पड़ता है। हम लोग सुबह जब सदन में आए तो पता लगा कि दाम काफी बढ़ा दिए गए हैं। अभी जब दोपहर को काफी पीने गए तो हमारे साथ मंत्री महोदय भी थे। दोनों एक साथ वहाँ बैठे थे।

सभापति महोदय : उसकी अदायगी किसने की।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मैंने पे किया, आप पूछ लें। आज सुबह आते ही यहाँ के कर्मचारियों ने मुझसे शिकायत की कि काफी बोर्ड और टी बोर्ड ने जो यहाँ चल रहे हैं उन्होंने दाम बढ़ा दिए हैं। लोक सभा सचिवालय के कर्मचारी, पत्रकार तथा दूसरे लोग भी वहाँ काफी पीने पहुंच जाते हैं। जो दाम बढ़ा दिए गए हैं वे बहुत ज्यादा हैं। कॉफी जो पचास पैसे की थी कप में वह सत्तर पैसे की कर दी गई है और इस तरह से चालीस परसेंट काफी के दाम बढ़ा दिए गये हैं। हाट कॉफी इन सैट जो साठ पैसे की मिलती थी उसके 85 पैसे कर दिए गये हैं। 45 परसेंट बढ़ा दिए गये हैं। क्रेडिट सेल में जो दी जाती थी उसके दाम 75 पैसे से बढ़ाकर एक रुपया कर दिया गया है। वैजीटेबल सैंडविचिज जिनकी कीमत एक रुपया थी उसको बढ़ाकर एक रुपया पिचहत्तर पैसे कर दिया गया है यानी 75 परसेंट इसके दाम बढ़ा दिए गये हैं। चीज सैंडविचिज के 1 रुपया 80 पैसे से बढ़ाकर 2 रुपया 75 पैसे कर दिए गये हैं। एग सैंडविचिज के 1-50 से बढ़ाकर 2-25 कर दिए गये हैं। बटर टोस्ट के 60 पैसे से बढ़ाकर 1-10 कर दिए गये हैं। सवाल सिर्फ संसद सदस्यों का नहीं है। सैक्रेटेरियेट के तमाम कर्मचारी भी कॉफी आदि पीते हैं। उनके वेतनों में ऐसी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, पचास या सौ प्रतिशत बढ़ोतरी नहीं हुई है। उनकी भी समस्या है। पत्रकारों की भी है। पालेकर एवार्ड को लागू करने के लिये हम लोगों को लड़ना पड़ रहा है।

सभापति महोदय : आप चाहते क्या हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : आप मंत्री महोदय को कहें कि वे बताएं कि इसका औचित्य क्या है?

सभापति महोदय : अब आप सभा की जानकारी में यह बात ला चुके हैं। कल आप औपचारिक नोटिस दे सकते हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मुझे यह सवाल उठाना पड़ेगा।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : औचित्य क्या है, यह तो इनको बताना चाहिये।

गृह मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बैया) : महोदय, उपाध्यक्ष महोदय ने पहले एक निर्णय दिया था कि जब तक कि वह नोटिस नहीं देते वह ऐसी बातें सदन में नहीं उठा सकते।

श्री रामावतार शास्त्री : आप लोगों की तनख्वाह बढ़ा दें, नहीं तो लोग खा नहीं सकेंगे।

श्री पी० वेंकट सुब्बैया : जो कुछ उन्होंने कहा है उसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : क्यों महोदय, यह रिकार्ड का ही अंग है।

सभापति महोदय : मैंने यह नहीं कहा कि यह कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मंत्री महोदय को इतना घमंडी नहीं होना चाहिये कि अध्यक्ष की शक्तियां वे ही सम्भाल लें।

सभापति महोदय : कृपया शान्त रहिये। मैंने श्री जयपाल सिंह कश्यप को पुकारा है।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) आंवला लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा कराने के लिए उद्योगों की स्थापना के लिए कार्यवाही

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला) : आंवला लोक सभा चुनाव क्षेत्र जिसमें बदायूं जिले के दातागंज व बिनावर चुनाव क्षेत्र आते हैं और बरेली जिले के आंवला सुमहा एवं फरीदपुर चुनाव क्षेत्र आते हैं। ये कुछ छोटे से कस्बों को छोड़कर 15 लाख की आबादी वाला क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा हुआ है जिस क्षेत्र में एक भी कारखाना, उद्योग धंधा व रोजगार दिलाने के अन्य साधन उपलब्ध नहीं हैं। इस क्षेत्र में कृषि ही मुख्य धंधा है, परन्तु आवागमन के साधन व राहत की समुचित व्यवस्था न होने के कारण लोगों को अपने उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। इस क्षेत्र के लोगों की सदैव से मांग रही है कि उनको कुछ महत्वपूर्ण उद्योग धंधे स्थापित किये जायें। चापट एक ऐसा स्थान है जिसमें कोई कृषि फसल उत्पन्न नहीं होती। छोटी और बड़ी रेलवे लाइन के मध्य और रामगंगा और अरैल नदी के मध्य स्थित है, जहाँ पर रासायनिक खाद का कारखाना स्थापित करके यहाँ के लोगों को रोजगार दिलाया जा सकता है और इस क्षेत्र का उत्थान हो सकता है।

इसके अतिरिक्त बिनावर व दातागंज, फरीदपुर में व आलमपुर जाफराबाद में चीनी मिलों की स्थापना आवश्यक है। इसके अलावा कताई कारखाने भी आसानी से चलाये जा सकते हैं और डिग्री कॉलेज व मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज भी स्थापित होना आवश्यक है। मैं इस क्षेत्र के नागरिकों की उपरोक्त माँगों और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस पर अविलम्ब उचित कार्यवाही करें।

(दो) उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों में पीने के पानी की समस्या

श्री हरीशचन्द्र सिंह रावत (अल्मोड़ा) : उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जनपदों में पेयजल की स्थिति दिन-प्रतिदिन विकट होती जा रही है। स्थानीय ग्रामवासियों को 4,5 किलोमीटर तक की दूरी पानी लाने के लिए तय करनी पड़ती है जिसमें उनका अधिकांश समय व्यतीत हो जाता है। इस जटिल समस्या के निदान के लिये शासन को तत्काल निम्न कदम उठाने चाहिये :

1. उत्तर प्रदेश शासन को एक अरब रुपये इस क्षेत्र में पेयजल की समस्या के समाधान हेतु उपलब्ध करवाया जाये। इस कार्य में वर्ल्ड बैंक व जीवन बीमा निगम आदि ऋण उपलब्ध करवाने वाली संस्थाओं का सहयोग भी लिया जाये।

2. पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु जिस अभियंत्रण सेवा को उपयोग में लाया जाता है योजना की सफलता के लिए उसका उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाये क्योंकि वर्तमान समय में इस अभियन्त्रण सेवा के पास न तो पर्याप्त अभियन्ता हैं और न उनके अभियन्ताओं में सार्वजनिक हित के लिए समर्पण की भावना है।

3. यहाँ अधिकांश क्षेत्रों में पेयजल समस्या के समानार्थ योजनाएँ लिफ्ट पेयजल योजनाओं का निर्माण करना पड़ता है जिनके लिये सतत् विद्युत की आवश्यकता पड़ती है जो कि इन योजनाओं को उपलब्ध नहीं हो पाती है। अतः पर्वतीय क्षेत्रों को विद्युत कटौती से मुक्त रखने हेतु प्रान्त सरकार को कहा जाये तथा दीर्घकालीन उपाय के रूप में इस क्षेत्र में उपलब्ध अपरिमित जल विद्युत सम्भावनाओं को योजनाबद्ध कर उपयोग में लाया जाये।

4. सिद्धरघाटी योजना के क्रियान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश शासन को कहा जाय तथा जल समस्या और अधिक विकट न हो इस हेतु पर्वतीय क्षेत्रों में वनों के कटान पर पूर्णतः रोक लगा दी जानी आवश्यक है व सामाजिक वानिकी के अन्तर्गत इस क्षेत्र में चौड़ी पत्ती वाले जल संचक वृक्षों का रोपण किया जाना आवश्यक है।

अतः माननीय योजना मंत्री जी से उपरोक्त हिन्दुओं पर तत्काल कार्यवाही करने का अनुरोध करता हूं।

(तीन) कोटा (राजस्थान) में रेल के ऊपरी पुल के निकट बाई-पास का निर्माण करने की आवश्यकता

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : सभापति महोदय, मैं रेल मंत्रालय का ध्यान कोटा राजस्थान में निर्माणाधीन ओवर ब्रिज की तरफ दिलाना चाहूंगी। इस ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य सन् 1977 से आरम्भ हुआ। इस ओवर ब्रिज के निर्माण कार्य आरम्भ करने के साथ ही बाई-पास भी रेल मंत्रालय द्वारा बनवाया जाना चाहिये था, परन्तु बाई-पास न बनने से तीव्र वाहनों को 20 या 25 किलोमीटर की दूरी अतिरिक्त तय करनी पड़ती है। इससे 2 तरह के नुकसान हो रहे हैं।

आज देश में पैट्रोलियम पदार्थ की पहले ही कमी है, 20,25 किलोमीटर अनावश्यक दूरी पार करने से कितनी अतिरिक्त हानि पैट्रोलियम पदार्थ की हो रही है, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। गरीब बैलगाड़ी वाले तथा छकड़ा गाड़ी वालों को अनावश्यक दूरी पार करने में कितना समय तथा श्रम लगाना पड़ रहा है।

कोटा राजस्थान की जनता इससे अत्यधिक परेशान है। औद्योगिक नगर कोटा के व्यक्तियों को कितनी श्रम तथा धन की हानि हो रही है, इसका अंदाजा लगाकर रेल मंत्रालय तुरन्त कार्यवाही करे। इस निर्माणाधीन ओवर ब्रिज के पास ही बाई-पास अवश्य बनवा दें या फिर संबंधित विभागों को आदेश देकर इस समस्या का समाधान करें। औद्योगिक नगर कोटा के व्यक्तियों की कठिनाई का ध्यान रख कर तुरन्त कार्यवाही कराई जाये।

(चार) उड़ीसा के कालाहांडी जिले में बाल कल्याण कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने की आवश्यकता

श्री रास बिहारी बहेरा (कालाहांड़ी) : केंद्रीय सरकार के एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम के अधीन बच्चों को पौष्टिक आहार दिया जाता है। इस उद्देश्य के लिए देश के विभिन्न स्थानों पर बाल सेविका केन्द्र खोले गए हैं। इसी कार्यक्रम के अधीन गर्भवती माताओं को भी पौष्टिक आहार दिया जाता है। बच्चों की उचित देखरेख के लिए माताओं को शिक्षा भी दी जाती है।

उड़ीसा के कालाहांडी जिले में माताओं और शिशुओं के लिए पौष्टिक आहार की काफी कमी है और बहुत से बच्चों की तो इस कारण मौत हो जाती है। इस जिले की 18 लाख आबादी में से 20 हजार से भी अधिक बच्चे कुपोसण और शिशु आहार की कमी के कारण रोगग्रस्त रहते हैं। अगर उनकी और अवहेलना की गई तो उनका शारीरिक और मानसिक विकास होना सम्भव नहीं है। विकास खण्डों के माध्यम से समाज कल्याण विभाग द्वारा सप्लाई किया जा रहा शिशु आहार काफी अपर्याप्त है। कालाहांड़ी जिले के गोलामुंडा खण्ड में शिशु आहार के गम्भीर दुरुपयोग की कुछ शिकायतें भी हैं।

उचित शिक्षा की कमी के कारण निर्धन समुदायों से सम्बन्धित मातायें अपने बच्चों की उचित देखभाल करने में असमर्थ हैं। वे इस जिले में चल रही सरकार की बाल कल्याण योजनाओं के बारे में अनभिज्ञ हैं। इसलिए मेरा सरकार से आग्रह है कि कालाहांड़ी जिले के सभी 16 ब्लाकों में बड़ी संख्या में 'बाल सेविका' केन्द्र खोले जायें ताकि माताओं को उनके बच्चों की देखभाल करने में प्रशिक्षण तथा शिक्षा दी जा सके और सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं का प्रयोग किया जा सके। समाज कल्याण विभाग को जिले भर में बाल कल्याण कार्यक्रमों को प्रभावशाली ढंग से लागू करना चाहिए। पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक आहार देकर बच्चों को असमय होने वाली मौत से बचाने के लिए कदम उठाये जाने चाहिए। शिशु आहार का दुरुपयोग रोकने के लिए राज्य सरकार को आवश्यक मार्ग निर्देश दिए जाने चाहिए।

(पाँच) खाड़ी के देशों में भारतीय अप्रवासियों की माँगों पर विचार करने की आवश्यकता

श्री के० ए० राजन (त्रिचूर) : कुवैत, युनाइटेड अरब अमीरात और कातार में केरल मुस्लिम सांस्कृतिक केन्द्रों के प्रतिनिधियों ने केरल के राज्यपाल के माध्यम से केन्द्र को भेजे गए एक ज्ञापन में सहानुभूति पूर्वक विचार के लिए निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की हैं :

(1) उनकी समस्याओं पर शीघ्रता से विचार करने के लिये केन्द्र में अलग से एक मंत्रालय का गठन किया जाए ।

(2) खाड़ी क्षेत्र के प्रत्येक भारतीय दूतावास में सांस्कृतिक केन्द्र खोले जाऐं ।

(3) अप्रवासी कामागारों की समस्याओं, जैसे ठेके को समाप्त करने और दुर्घटनाओं, के हल करने के लिये स्थानीय सरकार और नियोक्ताओं से सम्पर्क करने की शक्तियां दूतावासों को देना ।

(4) प्रत्येक दूतावास में मलयालम जानने वाला एक कर्मचारी होना ।

(5) विमान किराये कम किए जाऐं तथा कोजीकोड में एक अन्तर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन की स्थापना की जाए ।

(6) सीमा शुल्क 320 प्रतिशत से घटा कर 120 प्रतिशत कर दिया जाय और माल पर भाड़ा 2000/- रु० तक बढ़ा दिया जाये ।

(7) निर्वाचित कर्मचारियों को अपनी बचतें भारतीय बैंकों में लगाने के लिए अनुकूल शर्तें हों ।

(8) विदेशी भारतीयों के परिवारों के लिए आवासीय कालोनियों का निर्माण किया जाये ।

(9) विदेशी मुद्रा में भुगतान करने पर सीमेंट का प्राथमिकता के आधार पर आवंटन किया जाए ।

(10) उनके बच्चों के लिए शिक्षण संस्थानों में स्थान आरक्षित किए जाएं ।

मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि खाड़ी देशों में प्रवासी उन भारतीयों के मामले पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये जिनके द्वारा प्रतिवर्ष धनराशि भेजने से देश की बिगड़ती हुई विदेशी मुद्रा के रक्षित भंडार को सहायता मिलती है ।

(छः) महाराष्ट्र में भण्डारा रोड से जवाहर नगर डिफेंस फैक्टरी के बीच स्थानीय रेल गाड़ी चलाने की आवश्यकता

श्री केशव राव पारधी (भंडारा) : सभापति महोदय, महाराष्ट्र राज्य से जिला भण्डारा में जवाहर नगर (सर्वत्रनगर) में डिफेन्स फैक्टरी स्थापित है । जवाहर नगर तक भंडारा रोड से एक रेल

लाइन पहले से ही बिछाई हुई है, किन्तु इस लाइन पर अभी तक एक भी लोकल ट्रेन नहीं चलती है, जिसके कारण डिफेन्स फैक्टरी के कर्मचारियों को बहुत अधिक असुविधा का सामना करना पड़ता है। डिफेन्स फैक्टरी के कर्मचारियों की तथा भण्डारा जिले के निवासियों की काफी दिनों से लगातार माँग चली आ रही है कि भण्डारा रोड से जवाहर नगर डिफेन्स फैक्टरी तक एक लोकल ट्रेन चलाई जाए, जिससे कि प्रतिदिन आने-जाने वाले यात्रियों को परेशानी न हो। इस सम्बन्ध में मैं पहले कई बार रेल मंत्री जी, एवं रेलवे विभाग को कई पत्र लिख चुका, किन्तु दुःख है कि अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। भूतपूर्व रेल मंत्री ने अपने पत्र में लिखा था कि भंडारा रोड से जवाहर नगर के लिए बस सेवा चालू है, जिसके द्वारा समस्त कर्मचारी उससे आ-जा सकते हैं। यहां की जनता बहुत ही गरीब एवं पिछड़े वर्ग की है। बस का किराया अधिक होने के कारण, यहाँ की गरीब जनता उस किराये का बोझ उठाने के लिये असमर्थ है, यदि एक लोकल ट्रेन आरम्भ कर दी जाती है तो यहां की जनता का कम किराये में काम चल सकता है। भंडारा शहर की आवादी एक लाख से भी अधिक है, जिसका फायदा यहां के निवासियों को भी मिलेगा।

मैं माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह भंडारा रोड से जवाहर नगर डिफेन्स फैक्टरी तक एक लोकल ट्रेन चलाने के लिये अविलम्ब आवश्यक कदम उठाने का कष्ट करें जिससे कि यहाँ की जनता को राहत मिल सके।

(सात) राष्ट्रीय महत्व के विषयों के समाचारों को आकाशवाणी से प्रसारित किया जाना

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : समापति महोदय, बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि राष्ट्रीय मसलों पर आकाशवाणी का रवैया सही नहीं है।

देश में जनमत कायम करने में आकाशवाणी का सबसे बड़ा हाथ है। लेकिन अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के आरक्षण के प्रश्न पर आकाशवाणी का जो रवैया रहा है, उसे निष्पक्ष नहीं कहा जा सकता। यदि आप आकाशवाणी के समाचार बुलिटेनों को देखें, तो जब से गुजरात में आरक्षण-विरोधी आन्दोलन शुरू हुआ, तब से आकाशवाणी ने आरक्षण के समर्थन में दिये गये वक्तव्यों को कम, लेकिन आरक्षण-विरोधी वक्तव्यों को अधिक उजागर किया है। दिनाँक 30-3-81 रात्रि में कुछ संविधान निर्माताओं का नाम लेकर आरक्षण के विरोध में जो नहीं प्रसारण करना चाहिए, वह भी प्रसारित कर दिया गया। यहां तक कह डाला गया कि इन लोगों ने माँग की है कि न सिर्फ सरकारी नौकरियों में बल्कि विधायिका क्षेत्रों में भी आरक्षण को तुरन्त खत्म कर देना चाहिए। लेकिन जब उस वक्तव्य की निन्दा करते हुए पांच संसद-सदस्यों ने आरक्षण के पक्ष में वक्तव्य दिया, तो उसकी बिलकुल उपेक्षा कर दी गई।

इसके पहले भी सदन में गृह राज्य मंत्री द्वारा आन्दोलन में एक राजनीतिक पार्टी का हाथ होने का आरोप लगाया गया था, लेकिन इस पार्टी के एक दर्जन से अधिक संसद्-सदस्यों एवं नेताओं ने जब उसका प्रतिवाद किया और आरक्षण के पक्ष में वक्तव्य दिया, तो उसे प्रसारित नहीं किया गया।

आरक्षण का सवाल इतना नाजुक है कि आकाशवाणी की थोड़ी सी भूल विस्फोट कर सकती है। राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा पैदा हो सकता है। संसद् ने एक स्वर से आरक्षण के पक्ष में प्रस्ताव पास किया है। ऐसी स्थिति में आकाशवाणी द्वारा जान-बूझ कर ऐसा प्रसारण नहीं करना चाहिए, जिससे आन्दोलनकारियों एवं समाज-विरोधी तत्वों को बल मिले। चूँकि आकाशवाणी सरकार के नियंत्रण में है, इस लिए सरकार पर भी दायित्व है कि वह ऐसे प्रसारण पर नजर रखे।

अनुदानों की मांगें, 1981-82

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय—जारी

समापति महोदय : अब सदन मिनिस्ट्री आफ पैट्रोलियम, केमिकल्ज एंड फर्टिलाइजर्ज की मांगों पर डिसकशन को जारी रखेगा।

श्री मोहन लाल सुखाडिया।

श्री मोहन लाल सुखाडिया (उदयपुर) : समापति महोदय, मैं मिनिस्ट्री आफ पेट्रोलियम, केमिकल्ज एंड फर्टिलाइजर्ज की डिमांड्ज का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मैं समझता हूं कि सभी माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि हमारे देश ने स्वावलम्बन प्राप्त करने की जो नीति निर्धारित की है, उसके अन्तर्गत जहाँ तक कृषि का सवाल है, खास तौर से खाद्यान्नों का, दुनिया के कई मुल्क इस काम को नहीं कर पाए हैं, लेकिन भारत ने पिछले 32, 33 वर्षों में स्वावलम्बन के लक्ष्य पर पहुंचने में कामयाबी हासिल की है। आज जिस प्रकार से किसी भी देश के स्वावलम्बन के लिए खाद्यान्न अत्यन्त आवश्यक है उसी प्रकार दुनिया की आज की परिस्थिति को देखते हुए पेट्रोलियम और पेट्रोलियम प्राडक्ट्स भी उतना ही महत्व रखने वाले पदार्थ हैं। आज अन्तर्राष्ट्रीय जगत में जो स्थिति है, विशेष तौर से पिछले दो वर्ष से जो संघर्षमय स्थिति बनती चली जा रही है, उसमें किसी भी देश का-और भारत जैसे विशाल देश का सारा आर्थिक ढाँचा उथल-पुथल हो सकता है, अगर उसे बाहर से पेट्रोलियम और पेट्रोलियम प्राडक्ट्स समय पर न मिलें।

ईराक और इरान की लड़ाई की वजह से हम लोगों को जबर्दस्त आघात लगा। हम बराबर पिछले दो वर्षों से देखते आ रहे हैं कि कीमतों के बढ़ने की वजह से हम जो भी योजना तैयार करें या जो भी बजट प्रस्तुत करें, इनफ्लेशन पर जा कर तेलका क्या होगा, क्या नहीं, वह हमारे हाथ में नहीं रहा है। आज इम्पोर्टिड, इनफ्लेशन खास तौर से आयल प्राइसिज, हमारी सारी आर्थिक स्थिति को इधर से उधर करने में बहुत बड़ा हाथ बंटा रही हैं। इस बात की सख्त आवश्यकता है कि हम जल्दी से जल्दी इस सम्बन्ध में स्वावलम्बी बनें और यह खुशी की बात है कि इस मंत्रालय के अन्तर्गत काम करने वाले अलग अलग विभागों ने पिछले वर्षों के अंदर जो कुछ खोज की और प्रयत्न किए उस से यह बात आउट आफ रीच नहीं मालूम होती बल्कि ऐसा मालूम होता है कि आने वाले पाँच सात वर्षों के अंदर अगर पूरे तौर से इस को लिया जाय और मुझे पूरी उम्मीद

है कि इस के लिए आवश्यक धन प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध किया जायगा, उस हालत के अंदर यह आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा सकती है। उस को प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार की कमी रख कर नहीं चलना चाहिए क्यों कि वह हमारे लिए बहुत ही खतरनाक चीज साबित हो सकती है।

यह बात सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि करीब 5600 करोड़ की विदेशी मुद्रा 80-81 के अंदर आयल एंड प्रोडक्ट्स को इम्पोर्ट करने में इस देश को खर्च करनी पड़ी और आने वाले साल के अंदर वित्त मंत्री के भाषण में जो ट्रेड के अंदर डेफिसिट की बात कही गई है, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में जो अंतर रहेगा उसका जो कारण है उसमें यह आयल अपना बहुत बड़ा पार्ट अदा करता है। अगर वही चीज हम बचा सके तो हमारे देश के अंदर जो आवश्यक विकास के साधन हैं उनको जुटाने के अंदर हम कामयाब होंगे और उस चीज से हम बहुत कुछ अपनी विकास की मंजिल को बढ़ा सकते हैं।

इस सारे काम के लिए जहां अलग अलग प्रयत्न किए जा रहे हैं वहां इस बात की टीका यहां की गई थी कि विदेशी सहयोग इस मामले में क्यों प्राप्त किया जा रहा है। हम विदेशों से तेल मंगवा-कर विदेशों पर इस बात के लिए आधारित रहें कि तेल वे देंगे तो काम चलेगा इस के मुकाबिले में रीजनेवल टर्म्स के ऊपर और जो नेशनल इंटेरेस्ट के खिलाफ न हो उस आधार को सामने रखते हुए मैं समझता हूं कि जो नीति भारत सरकार ने और मंत्रालय ने अख्त्यार की है कि हम विशेष क्षेत्रों के अंदर विदेशों के कोलेबोरेशन से भी अपने उत्पादन की गति और जो पता लगाने का काम है उसको आगे बढ़ा सकते हैं तो आजकी हालात के अंदर वह एक प्रशंसनीय और आवश्यक कदम होगा। मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि हम विदेशियों को जबर्दस्ती अपने यहां पाँव जमाने के लिए या और किसी चीज के लिए आमंत्रित करें, लेकिन मेरी यह निश्चित मान्यता है कि बजाय इस के कि हम खुद तेल के लिए विदेशों पर आधारित रहें इस के मुकाबिले में वह हमारी धरती पर आ कर काम करेंगे तो हमारा कहीं ज्यादा कंट्रोल उन पर होगा और उसमें देश के हित का नुकसान नहीं होने वाला है क्यों कि मालिक तो उस के हम ही होंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा नेशनल इंटरेस्ट और दूसरी बातों को ध्यान में रखते हुए इस चीज को किया जाय और यह तो निश्चित ही बात है कि जो सारी आयल की इंडस्ट्री है उसके अंदर प्रीडामिनेट पोजीशन तो पब्लिक सेक्टर की होगी। हर हालत के अंदर, जो भी कागज सर्कुलेट किए गए हैं, उससे यही पता चलता है कि नीति में परिवर्त्तन करने के बाद भी पब्लिक सेकट्रट मुख्य रहेगा तो इसको लक्ष्य में रखते हुए हम आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी जहां भी हम इस मामले में कार्यवाही कर सकते हैं, वह करेंगे और यह ठीक ही कहा है कि एक तरह से टू प्रोन्ग्ड अप्रोच इसके सम्बन्ध में रख कर चला जा रहा है। यह ठीक ही मालूम पड़ता है।

हमारे राजस्थान के अंदर आपको मालूम होगा कि बहुत पहले ही जब बाम्बे हाई से गैस उपलब्ध नहीं हुई थी और जब और कई जगहों से तेल का पता नहीं लगा था उसी समय मारी और सुई गैस पाकिस्तान का जो क्षेत्र जैसलमेर की सीमा से मिला हुआ था, उसके अंदर उपलब्ध हुई थी, इसलिए राजस्थान के अंदर बीस वर्ष से भी पहले उसकी शोध का कार्यक्रम चालू हुआ। लेकिन मैं यह बताना चाहूंगा कि जब 1965 के अंदर पाकिस्तान की लड़ाई प्रारम्भ हुई तो उस मौके पर

जो विदेशी वहाँ पर काम कर रहे थे वे भी छोड़ कर चले गए और उसके बाद उस काम को कम महत्व दिया जाने लगा।

करीब साल भर पहले श्री वीरेन्द्र पाटिल ने श्री वृद्धिचन्द्र जैन जो कि उस क्षेत्र से आते हैं, उनको लिखकर भेजा था कि पहले की रिपोर्ट के मुताबिक वहां पर एक्सप्लायटेशन की, वायबल पासिबिलिटी नहीं थी इसलिए उसकी फिर से जांच की जा रही है। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि आपको उत्तर दिए हुए वर्ष भर से ऊपर हो चुका है लेकिन अभी भी वहां पर कोई विशेष प्रगति नजर नहीं आती है इसलिए उस क्षेत्र के लिए क्या कार्यक्रम है और किस प्रकार से उस क्षेत्र में इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए आप कार्यवाही करना चाहते हैं ?

एक चीज मैं और निवेदन करूंगा कि डीजल का कोटा आप अलग अलग स्टेट्स को देते हैं। उसमें पिछले वर्ष कितनी खपत हुई और अब क्या स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए आप कोटा देते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि आप राजस्थान को ही लें, इस वर्ष वहां पर भयंकर अकाल है। इस मौके पर न सिर्फ खेती के लिए वल्कि कई लोगों ने जो कैप्टिव यूनिट्स लगा रखी हैं उनसे भी कहा जाता है कि जो स्टेट का एलाटेड कोटा है उसमें दिया जाए। अगर उसी में से शेयर करना है तब या तो एग्रीकल्चर में कमी होगी या किसी अन्य क्षेत्र में कमी होगी या कैप्टिव यूनिट्स को नहीं मिल पायेगा। इसलिए मेरा खयाल है कि जब राजस्थान में पिछले दो तीन साल से बिजली की इतनी भारी कमी है तब कैप्टिव यूनिट्स के बारे में साफ तौर से मिनिस्ट्री को यह कह कर चलना चाहिए कि जो कैप्टिव यूनिट्स लगायेंगे उनको डीजल उपलब्ध हो जायेगा ताकि लोगों को बेरोजगारी का मुकाबला न करना पड़े। आज वहां पर एनर्जी की इतनी शार्टेज है कि कारखाने एक एक शिफ्ट भी नहीं चल पाते हैं, 90-100 प्रतिशत तक कटौती की स्थिति आ जाती है।

फर्टिलाइजर के सम्बन्ध में यहां पर जो पुस्तिका सर्कुलेट की गई है उसको मैंने देखा है। मैं मंत्रीजी की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि जो सलादीपुरा पायरइट्स हैं उसके बारे में कम से कम 15 साल पहले पता चला था जबकि मैं वहां पर मुख्य मंत्री था और उस मौके पर कई प्राइवेड पार्टीज इस बात केलिए सामने आ रही थीं कि जल्दी से जल्दी उन माइन्स का एक्सपैंशन करके इण्डस्ट्री लगा देंगे।

लेकिन भारत सरकार की ओर से इस बात पर जोर दिया गया था कि वह बहुत महत्वपूर्ण डिपाजिट्स हैं इसलिए गवर्नमेन्ट आफ इंडिया को उसका माईनिंग लीज दिया जाना चाहिए। और उसका माईनिंग लीज गर्वमेन्ट आफ इंडिया की मिनिस्ट्री को दिया गया। आज 15 साल से ऊपर हो गए हैं इसके बावजूद राक फास्फेट, जिसके देश में बिगेस्ट डिपाजिट्स राजस्थान के झाबर कोटला में हैं, फास्फेटिक फर्टिलाइजर्स के सबसे महत्वपूर्ण डिपाजिट्स राजस्थान में उपलब्ध होते हुए भी या तो राक फास्फेट को शेष में बाहर भेजने की बात होती है या फिर थोड़ा बहुत सुपर फास्फेट बनाने के लिए छोटे छोटे कारखानों में काम होता है लेकिन जो वहां पर फास्फेटिक फर्टिलाइजर के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट स्थापित किया जा सकता है वह अभी तक नहीं हो पाया है। आपको मालूम है राजस्थान, मध्य प्रदेश और कुछ दूसरे प्रदेश हैं जहां पर पिछले 30-32 साल में सबसे कम इन्वेस्टमेंट पब्लिक सेक्टर में हुआ है वहां पर एकोनामिक रीजन्स पर और रा-मटीरियल की

उपलब्धता के आधार पर कारखाने स्थापित करने की पासिबिलिटीज हैं उसके सम्बन्ध में अविलम्ब कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता है। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि ऐसा न हो कि सलादीपुरा में सल्फूरिक एसिड और सल्फर पैदा करके फिर उसको बाहर भेजने लग जायें जैसे कि राक फास्फेट भेजते हैं। राक फास्फेट का बेनिफ़िशिएशन का कुछ काम किया जा रहा है, उसके लिए अगर वहां पर कुछ टेक्निकल और फाइनेंशियल असिस्टेंस को जरूरत हो तो उसको भी मिनिस्ट्री देख ले। आपने कहा है कि छठी योजना में प्रावधान किया गया है लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि छठी योजना में प्रावधान रखने का परिणाम यह भी हो सकता है कि योजना के अन्त में जाकर कुछ कार्य शुरू करदें और कह दें कि छठी योजना में कार्य शुरू हो गया, छठी योजना के एक वर्ष हो चुका है और इस दूसरे वर्ष के लिए कोई प्रावधान न हो। अभी फर्टिलाइजर के संबंध में जो आपकी स्कीम है उसकी योजना आपके पास आ चुकी है। आप उसको एक्जामिन कर रहे हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि उसके ऊपर आप जल्दी से जल्दी निश्चय करें कि आप इसको कहां करने वाले हैं।

(श्री के० राजामल्लू पीठासीन हुए)

सभापति जी, कहा गया है कि राजस्थान के अन्दर बाम्बे-हाई की गैस पर आधारित फर्टिलाइजर प्लांट लगायेंगे। लेकिन वह कब लगायेंगे ? राजस्थान के विकास के लिए तीन बड़ी चीजें पब्लिक सैक्टर में हो सकती हैं। एक तो बाम्बे-हाई की गैस पर आधारित फर्टिलाइजर प्लांट, दूसरे झामरकोटला की राक-फास्फेट और सलादीपुरा के पायराइट्स पर आधारित फास्फेटिक फर्टिलाइजर का कारखाना और तीसरे—सुपर जिंक स्मेल्टर, जो राजस्थान में काफी मात्रा में उपलब्ध हुआ है जिसकी देश को सख्त आवश्यकता है। मैं समझता हूँ—राजस्थान के विकास के ये तीन बड़े केन्द्र बिन्दु हैं। इनमें दो आपके हाथ में हैं जिनको आप हाथ में लेकर शीघ्र कार्यान्वित कर सकते हैं। मेरा यह भी निवेदन है कि जहाँ पर आप दो-दो फर्टिलाइजर के कारखाने लगाने वाले हैं, जैसे बम्बई और गुजरात में, वहाँ आप पहले एक-एक लगायें और एक मध्य प्रदेश में और एक राजस्थान में लगायें। दूसरा कारखाना बाद में खोला जा सकता है, इस सरह से आपके सामने ट्रांसपोर्ट की भी कोई प्रावलम पैदा नहीं होगी। इसी तरह से पाइपलाइन से गैस ट्रांसफर करने में भी कोई समस्या ट्रांसपोर्ट की पैदा नहीं होगी। पैट्रोलियम कैमिकल इन्डस्ट्रीज एक ही जगह पर कन्सेन्ट्रेट होने से यह समस्या पैदा हो सकती है। इस लिये मैं जानना चाहता हूँ कि इसके सम्बन्ध में आप किस तरह से कदम उठाने वाले हैं जिस से कि हम आश्वस्त हो सकें कि 6ठी पंच वर्षीय योजना में वास्ताविक रूप से यह चीज हो सकेगी।

जैसा मैंने शुरू में कहा था—मुझे इस बात की बहुत खुशी है और विशेष रूप से मैं इस बात के लिए प्रधान मंत्री जी को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा—असम की समस्या को जिस प्रकार से सुलझाने का, खास तौर से तेल कीं समस्या को सुलझाने का, पिछले अर्से में प्रयत्न किया गया। उस से हमारी कुछ समस्या तो कम हुई, लेकिन उसके साथ-साथ जो-जो चीजें आपके सामने आ चुकी हैं, जो कोटेन्शल्ज हमें मालूम हो चुके हैं—उनके एक्सप्लायटेशन के लिये जल्द से जल्द कार्यवाही की जाय, जिससे विदेशों की तरफ देखने का काम कम से कम हो और वास्तविक रूप में हम लोग अपनी स्वतन्त्रता को अक्षुण रखने में अधिक से अधिक कामयाब हों, क्योंकि जब खाने को नहीं होता

है तो दूसरे का मुंह देखना पड़ता है। आज आयल भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है, अगर हमारे पास न हो तो दूसरे की तरफ देखने की जरुरत पड़ती है। इससे हमारे ऊपर कई प्रकार के असर पड़ सकते हैं—इसलिये आवश्यक है कि इसके महत्व को समझते हुए जल्दी से जल्दी इसको पूरा करें।

इन शब्दों के साथ जो माँग यहाँ पर प्रस्तुत की गई है मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्रीमती संयोगिता राणे (पाणाजी) : सभापति महोदय मैं नियम 349 के अधीन एक व्यवस्था का प्रश्न उठा रही हूं जो इस प्रकार है :—

"जब सभा की बैठक हो रही हो तो कोई सदस्य (1) ऐसी पुस्तक, समाचार-पत्र या पत्र नहीं पढ़ेगा, जिसका सभा की कार्यवाही से संबंध न हो।" जब कि श्री शेजवल्कर जी अखबार पढ़ रहे हैं।

श्री एन० के० शेजवलकर (ग्वालियर) : मैं अखबार नहीं पढ़ रहा हूं, बल्कि अभी अपने भाषण में जो मैं अखबार से पढ़कर सुनाने वाला हूं उसका अध्ययन कर रहा हूं।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : मैं पैट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अन्तर्गत अनुदान की मांगों के समर्थन में बोलना चाहता हूं। हमारा देश तेल उद्योग के विकास में अब तीसरे दशक में प्रवेश कर गया है। इन वर्षों के दौरान, हमारे देश के तेल उद्योग को प्रारम्भ में विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा पैदा की गई कठिनाइयों के बावजूद काफी सफलता प्राप्त हुई है।

यहां हम, प्रारम्भिक वर्षों में, जब हम तेल की खोज कर रहे थे और जब विदेशी हितों, अधिकतर पश्चिमी देशों ने हमें मदद न देने के लिए हस्तक्षेप किया था, सोवियत संघ द्वारा दी गई सहायता की याद करते हैं। तेल उद्योग के विकास में, तीन दशकों के बाद, तेल उद्योग में कुल निवेश 31 मार्च, 1980 को, सार्वजनिक व निजी क्षेत्र दोनों को मिलाकर, लगभग 1500 करोड़ रुपया होता है।

और छठी योजना में हमने 2,873 करोड़ रुपए का तेल की खोज और तेल उद्योग में एक रूपता लाने के लिए निवेश किया गया था ताकि हम प्रौद्योगिकी और आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर हो सकें। पिछले तीन दशकों के दौरान जो उपलब्धि हुई है वह वास्तव में द्रष्टव्य है। अब हमें अपने आप से ही पूछना होगा कि इनका निवेश किए जाने के बाद भी प्रत्येक योजना में अशोधित तेल और पैट्रोलियम पदार्थों का आयात क्यों बढ़ाया जाता रहा है।

हमारी तेल शोधन श्री अधिष्ठापित क्षमता आज 318 लाख टन है किन्तु अपने देश में अशोधित तेल के उत्पादन का जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया है, उसे हम अभी तक पूरा नहीं कर पाए हैं, मेरे विचार से 1984-85 तक हमने अपने देश में 216 लाख टन अशोधित तेल के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया था, और 1981-82 में यह लक्ष्य 205 लाख टन था। किन्तु अभी तक हमने केवल 90 लाख टन तेल का ही उत्पादन किया है, वर्ष 1980-81 में हमारे तेल शोधक कारखानों में केवल 94 लाख टन तेल का उत्पादन हुआ था। इसीलिए मैं माननीय मंत्री से यह

निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार तेल संकट का सामना करने पर विशेष ध्यान दे रही है, जिसका कि हम पिछले चार या पांच वर्षों से सामना कर रहे हैं। मैंने 1971 में इसी सभा में कहा था कि तेल का मूल्य बढ़ने वाला है और यदि हमने व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया होता और एक उचित ईंधन नीति अपनाई होती, तो हमें उन कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता जिनका सामना अब करना पड़ रहा है। इसीलिए हमें शीघ्रातिशीघ्र एक उचित ईंधन नीति की आवश्यकता है, और मुझे इस बात की खुशी है कि हमने एक आयोग गठित किया है और यह आयोग समग्र ईंधन नीति में ताल-मेल बैठाएगा जिसके लिए तेल, कोयला, जल और ज्वार संबंधी स्रोतों पर भी ध्यान दिया जाएगा।

आयोग इन सभी बातों पर विचार कर रहा है। किन्तु तेल उत्पादक देशों द्वारा तेल के मूल्य में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए आतंकित हुए बिना हमारी एक समान ऊर्जा नीति होनी चाहिए। मुझे खुशी है कि बंबई हाई में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की सहायता से हमने विशेषज्ञता प्राप्त करली है। अनेक वर्ष पहले जब पंडित नेहरू ने तेल की खोज का कार्य शुरू करवाया था और जब सभा में इसकी घोषणा की गई थी, तो उस समय आनन्दोल्लास की लहर दौड़ गई थी, और करतल ध्वनि की गूंज से इसका स्वागत किया गया था, और समय-समय पर इसी सभा में तेल की खोज में मिलनेवाली सफलताओं की घोषणा की जाती रही है, और इसका करतल ध्वनि से स्वागत किया जाता रहा है। इस दिशा में यह जीवंतता तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के द्वारा लायी गयी है और पिछले तीन दशकों में इससे संबंधित सुविज्ञता का विकास किया गया है। मान लीजिए कि तेल के मूल्य बढ़ते जा रहे हैं और हमारी मांगें भी बढ़ती जा रही हैं, और हम अपनी मांगें पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या हम दूसरे देशों को अपने द्वारा खोजे गए तेल के क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने के लिए सहायता के लिए आमंत्रित कर सकते हैं?

यदि हम बिना किसी विदेशी सहायता के समुद्र में तेल खोज सकते हैं तो बेहतर होगा। बंबई हाई में हम तेल की खोज कर चुके हैं, और तेल के क्षेत्र में हमने काफी भारी मात्रा में धनराशि का निवेश किया है। जब तेल और प्राकृतिक गैस आयोग बंबई हाई से प्रतिवर्ष 120 लाख टन अशोधित तेल निकालने में समर्थ है, तब हम इसे 120 से 170 लाख टन तक बढ़ाने के लिए पहले से ही खोजे गए क्षेत्र में विदेशी फर्मों से क्यों सहायता लें? और यदि वे बंबई हाई में उत्पादित अशोधित तेल में हिस्सा चाहते हों तो मंत्री महोदय को चाहिए कि वे इसके बारे में गंभीरता से विचार करें। आप जानते ही होंगे कि अगले 20 वर्षों में तेल की कीमत बढ़कर प्रति बैरल 200 डालर तक हो जाएगी। यदि हम उन्हें 10 प्रतिशत हिस्सा देंगे तो क्या होगा? आज जब हम आगामी 20 वर्षों के लिए अपने देश की मांग को देखते हुए तर्कसंगत ऊर्जा नीति बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में क्या हमें वर्षों में प्राप्त हुई अपनी आत्मनिर्भरता और सुविज्ञता को अपमानित करना चाहिए, और आतंक में आकर विदेशी तत्वों को आमंत्रित करना चाहिए? वे धन का निवेश कर सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं किन्तु उत्पादन में से हिस्सा लेने वाली बात पर मंत्री महोदय को गंभीरता से विचार करना चाहिए, कि इसके लिए किस सीमा तक अनुमति दी जानी चाहिए।

श्री नवल किशोर शर्मा (दौसा) : आपकी क्या राय है ? आप साफ-साफ क्यों नहीं कहते ?

श्री चिन्तामणी पाणिग्रही : मेरी राय है कि उत्पादन में उनको साझेदार न बनाया जाए। हमें तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा प्रतिष्ठित सुविज्ञता पर विश्वास होना चाहिए। मैं जानता हूं कि मार्ग में बहुत सी कठिनाइयां और अड़चनें आएंगी। मैंने उसका अध्ययन किया है। मैं प्राक्कलन समिति में था और मैंने तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के प्रत्येक पहलू का अध्ययन किया था। फिर भी हमें तेल और प्राकृतिक गैस आयोग पर गर्व है, जो कि एक सरकारी उपक्रम है। पंडित नेहरू को इस आयोग से बहुत आशाएं थीं। आइए हम उस पूरी विशेषज्ञता का भरपूर उपयोग करें जितनी हम अधिस्थापित कर पाए हैं। यदि कोई दोष हो तो हमें उसे दूर करना चाहिए। मेरा विचार है कि जहां तक उत्पादन में साझेदारी का संबंध है, उससे हमें कोई लाभ नहीं है। संभव है कि अस्थायी तौर पर आप पांच या दस वर्ष के लिए आप बंबई हाई से और अधिक तेल निकालना चाहते हों इसलिए विदेशी फर्मों की सहायता चाहते हों। संभव है कि इससे अस्थायी लाभ हो सके। किन्तु हमें अगले 20 या 25 वर्षों के लिए ऊर्जा नीति बनानी होगी। सभी पश्चिमी देश नए सिरे से सोचने लगे हैं—'क्लब ऑफ रोम" वहां विकास को सीमित कर देने का सिद्धांत बना रहा है, वे वहां और विकास होने देने का प्रयास कर रहे हैं, और वे चाहते हैं कि वे अपनी अतिरिक्त पूंजी का निवेश हमारे जैसे विकासशील देशों में करें। पिछले कुछ वर्षों में हम अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा कुछ अन्य देशों से ऋण लेते रहे हैं। पंडित नेहरू ने जो उद्देश्य हमारे समक्ष प्रस्तुत किया था, वह यह था कि हम अपने देश को आत्म-निर्भर बनाएं हमें आत्म-निर्भरता को ही मजबूत करना है।

सोवियत रूस में जब उन्होंने अपने राष्ट्र का निर्माण शुरू किया था, तो कोई भी पूंजीवादी देश उनकी मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ा था, जो बाड़ पर बांध उन्होंने बनाया था उसके लिए टरबाइन तक भी किसी अन्य देश ने नहीं दिया था। फिर भी रूसी वासियों ने कहा " हम इस चुनौती को स्वीकार करते हैं और हम खुद इसे तैयार करेंगे।" उन्होंने इसे तैयार कर दिखाया और इसके लिए वे एक डालर के लिए भी निर्भर न रहे। सोवियत संघ का यही आदर्श था, उन दिनों में सोवियत रूस के युवावर्ग ने विदेशी हस्तक्षेप का बड़ी वीरता से जवाब दिया था, और 60 वर्षों की अवधि में सोवियत संघ अमरीका से भी आगे बढ़ गया। छोटे से वियतनाम देश का ही उदाहरण लें। अमरीका उस पर हजारों बम गिराता ही रहा। जितने बम द्वितीय महायुद्ध में गिराए गये होंगे, उतने ही बम वियतनाम वासियों पर गिराये गये। किन्तु उन्होंने कहा, "हम आत्मसमर्पण नहीं करेंगे।" इसलिये आत्मनिर्भरता हमारा लक्ष्य होना चाहिये। आत्म निर्भरता का कोई विकल्प नहीं है। संभव है कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में आजकल आसानी से ऋण मिल जाता हो, और वे विभिन्न देशों को और भी ऋण देने के इच्छुक हों। किन्तु आत्मनिर्भरता का कोई विकल्प नहीं है। हमें इसके लिये बलिदान करना ही होगा। हमें तेल उद्योग में निवेश और बढ़ाने जा रहे हैं। हमारे रास्ते में जो कठिनाइयां आएंगी उनका हमें सामना करना होगा। हमें अपनी खपत पर नियंत्रण करना होगा। उनका कहना है कि 1984-85 तक मांग 450 लाख टन तक बढ़ सकती है। किन्तु मेरा निवेदन है कि हम इसे 330 लाख टन तक सीमित कर दें क्योंकि हमारी तेल शोधन-क्षमता लगभग 318 लाख टन है और हमारी उत्पादन क्षमता भी 230 या 240 लाख टन तक बढ़ने जा रही है। आजकल हम 6000 करोड़ रुपए मूल्य का तेल आयात कर रहे हैं। और अगले दो वर्षों में हम 10,000 करोड़

रुपए मूल्य का तेल आयात करने लगेंगे। मेरे विचार से इसे 5000 करोड़ रुपये तक सीमित कर देना चाहिये। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि वे उसे 4500 करोड़ रुपये तक सीमित करने पर विचार कर रहे हैं। यह अच्छी बात है। हमें चाहिये कि कोयले की ऊर्जा का अधिकाधिक इस्तेमाल कर इसमें और कमी लाएं। कुछ समय पहले हमने 2400 लाख टन कोयले के उत्पादन के बारे में विचार किया था। किन्तु इस समय वास्तविक उत्पादन 1130 लाख टन ही है। हमने इसमें काफी बड़ी राशि का निवेश किया है हमारे पास 1,20,000 लाख टन के विशाल भंडार हैं। जापान का उदाहरण लीजिए। वे क्या करते हैं ? इसलिए ऊर्जा के क्षेत्र में हमें कोयले को बिजली में बदलना होगा। हम कोयला बिहार से बम्बई नहीं ले जा सकते, किन्तु बिजली तो ले जा सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि हम परमाणु ऊर्जा केन्द्रों का भी निर्माण कर रहे हैं। आइए, हम आने वाले 20 से 25 वर्षों में अपनी ईंधन नीति में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करें, ताकि हम तेल के लिए अन्य देशों पर कम-से-कम निर्भर रहें। मुझे आशा है कि जहां तक तेल का संबंध है अन्तर-राष्ट्रीय बाजार में यह बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध हो जायेगा। यदि ईरान और इराक के बीच संघर्ष जारी रहा और तीसरा विश्व-युद्ध 1984-85 के दौरान शुरू हो गया, जैसा कि विनाश की भविष्यवाणी करने वालों ने बताया है, तो तेल की कमी हो जाएगी, किन्तु इस तरह की बातें करने वालों का यही स्वार्थ होता है कि इस प्रकार आतंक फैला कर प्रतिवर्ष मूल्य बढ़ाते चले जायें। इसलिए आतंकित नहीं होना चाहिए।

उर्वरक के लिए हमने लगभग 2,000 करोड़ रुपये से 3,000 करोड़ रुपये तक का निवेश किया है। हमारी कुल उत्पादन क्षमता 52 लाख टन है। किन्तु हम केवल 18 लाख टन का ही उत्पादन कर रहे हैं। क्या हम अपनी अधिष्ठापित क्षमता प्राप्त किये बिना इस तरह से इतनी बड़ी राशि का निवेश करते जायेंगे ? इन निवेशों से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे निहित स्वार्थी हैं जो चाहते हैं कि हम उर्वरकों का आयात बढ़ाते ही जायें। उनका इसमें स्वार्थ निहित है। मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता। अन्यथा ऐसा कैसे संभव था कि जितना ही हम निवेश करते हैं उतना ही हमें ज्यादा आयात करना पड़ता है। हम कम-से-कम 40 लाख टन उर्वरक का ही उत्पादन क्यों नहीं कर पाते जबकि हमारी उत्पादन क्षमता 52 लाख टन है। 1971 में हमने 200 करोड़ रुपये मूल्य का उर्वरक आयात किया था। इस वर्ष हमने 700 करोड़ रुपए मूल्य का उर्वरक आयात किया है। यदि हम इसी तरह आयात करते रहे, तो आने वाले वर्षों में हमें संभवत: 1,000 करोड़ रुपये मूल्य के उर्वरकों का आयात करना पड़ेगा। इसलिए मैं माननीय मंत्री से निवेदन करता हूं कि विश्व में और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में जो गतिविधियां चल रही हैं, हमें चाहिए कि हम उन मूल्य आदर्शों पर अटल रहें जो पंडित नेहरू ने घोषित किए थे कि हमें कितना भी बलि-दान करना पड़े फिर भी हमें आत्मनिर्भर बनना ही चाहिए। माननीय मंत्री से मेरा निवेदन है कि वे एक तर्क संगत ईंधन नीति विकसित करने का प्रयास करें, जिसके किसी अन्य देश पर निर्भर हुए बिना हमारा देश अधिकाधिक स्वदेशी क्षमता पर निर्भर रह सके।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूँ।

श्री एन. के. शेजवलकर (ग्वालियर) : अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं जानता कि पैट्रोलियम,

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के कार्य-निष्पादन के बारे में मुझे क्या कहना चाहिए । वास्तव में जहां तक इस देश की उन्नति का संबंध है, यह मंत्रालय अत्यधिक महत्वपूर्ण है । किन्तु इसका जो दृष्टिकोण है, जैसा कार्य-निष्पादन है और जो परियोजानयें लागू हैं तथा जिस तरह कार्यवाही की जाती है और निर्णय लिये जाते हैं, वह सब बहुत निराशाजनक हैं ।

जितना थोड़ा समय मुझे मिला है उसमें मैं सभी विषयों पर चर्चा नहीं कर सकता। मैं केवल दो या तीन विषयों पर ही चर्चा कर सकता हूं ।

अगर हम उद्योगीकृत देशों, विकासशील देशों, तेल निर्यात करने वाले देशों और सुनियोजित के जनसंख्या अनुपात, उत्पादन अनुपात और ऊर्जा की खपत की तुलना करें तो बहुत ही रोचक परिणाम सामने आयेंगे । उद्योगीकृत राष्ट्रों में जनसंख्या का अनुपात 15.2 प्रतिशत, उत्पादन का अनुपात 36.6 प्रतिशत, ऊर्जा खपत का अनुपात 57.3 प्रतिशत है; विकासशील देशों में जनसंख्या का अनुपात 52·2 प्रतिशत, उत्पादकता का अनुपात 30.9 प्रतिशत और ऊर्जा की खपत केवल 13.8 प्रतिशत है । तेल निर्यात करने वाले राष्ट्रों में जनसंख्या का अनुपात 0.3 प्रतिशत, उत्पादन का अनुपात 12.7 प्रतिशत और ऊर्जा की खपत 0.7 प्रतिशत है । सुनियोजित अर्थव्यवस्था वाले राष्ट्रों में जनसंख्या का अनुपात 31.3 प्रतिशत उत्पादन का अनुपात 29.8 प्रतिशत तथा ऊर्जा की खपत 8.2 प्रतिशत है । इससे पता चलता है कि विकासशील देश, विशेषरूप से भारत काफी पीछे रह गया है ।

परसों ही की बात है, मुझे जयपुर के पास बीकानेर जाने का अवसर मिला । उनके पास बहुत सी वस्तुओं—उनकी किस्म, संकर नस्ल आदि तैयार करने के क्या प्रभाव होंगे आदि आदि की जांच करने के लिए परिष्कृत उपकरण हैं । लेकिन उनके पास पर्याप्त मात्रा में बिजली नहीं है; वहां बिजली की कमी है । उन्होंने यह शिकायत की कि कभी कभी तो 17 घंटों तक बिजली की सप्लाई नहीं की जाती । असल में तो, बिजली की कमी सारे भारत में आमतौर पर है ही ।

केवल बिजली की ही कमी नहीं है अपितु डीजल और पैट्रोल उत्पादों की भी कमी है । इस पृष्ठभूमि में यह स्पष्ट नही है कि हमने किस प्रकार की समेकित योजना तैयार करने के बारे में सोच रहे हैं । बहुत बार ऐसा लगता है कि हम ऊर्जा के अन्य स्रोतों के इस्तेमाल में लाए जाने को गंभीरतापूर्वक नहीं ले रहे हैं जबकि अन्य अनेक देशों ने हाल ही में, इस बारे में काफी प्रगति की है, पिछले सप्ताह मैंने एक चित्र देखा था जिससे यह पता चलता है कि थाइलैंड जैसा छोटा देश भी इस बारे में प्रयोग कर रहा है तथा इसने पहले ही एक संयंत्र का निर्माण कर लिया है जिससे एक भू-तापीय विद्युत केन्द्र द्वारा 300 कि. वा. बिजली का उत्पादन होगा । इस बारे में हमारी स्थिति क्या है, मुझे नहीं पता । इसमें कोई शक नहीं है कि इस पर विचार किया गया है, लेकिन उसमें से कितना अमल में लाया गया, यह नहीं पता ।

श्री सेठी और मंत्रीमंडल में उनके सहयोगियों द्वारा इस बारे में बहुत कुछ कहा गया है कि वे मट्टी तेल के स्थान पर कोयला तथा कम गति के वाहन लाए जाने के पक्ष में हैं, जिससे कार्य कुशलता बढ़ाई जा सके । वे स्टाप वारों के इस्तेमाल में मितव्ययता के पक्ष में हैं, सुधरे किस्म के

विकस्टोव की बात भी उन्होंने की है तथा रक्षा मंत्रालय द्वारा ईंधन में 3 करोड़ की बचत करने के लिए पहले ही प्रयोग किए हैं। जहां तक परमाणु ऊर्जा का संबंध है, अभी भी इस बारे में प्रगति नहीं हुई है। यह बहुत मंहगी है। इसके अलावा इसकी जस्टेशन अवधि अभी पूरी नहीं हुई है। इस बारे में अभी जांच की जानी है कि रेडियो-एक्टोविटी और इसी प्रकार की अन्य वस्तुओं के क्या परिणाम होंगे ?

एक और बात हम कर सकते हैं। जंगलों से मेथिल तैयार की जा सकती है। इसके अलावा सौर ऊर्जा भी है। एरिड जोन लैबोरेट्री और रुड़की में प्रयोग किए जाने के बावजूद हमने अब तक सौर ऊर्जा से चलने वाले हीटरों का प्रयोग नहीं किया है। अगर हम उनका प्रयोग करें तो हम कम से कम कुछ प्रतिशत बिजली अथवा उपयोग में लाये जा रहे अन्य ऊर्जा स्रोतों की बचत कर सकते हैं।

इसी प्रकार ज्वारीय तरंगों के बारे में भी कहा गया है। शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो प्रधान मंत्री या श्री महाजन ने अपने भाषण में यह बताया था कि वे टाइडल वेव्स (ज्वारीय तरंगों) के बारे में फ्रांस की सहायता से परीक्षण करना चाहते हैं। लेकिन, इस बारे में स्थिति क्या है, मुझे नहीं पता। मैंने भू-तापीय विद्युत केन्द्रों का जिक्र किया था। श्री विक्रम महाजन ने केवल एक घाटी के बारे में बताया लेकिन सारे भारत में इस बारे में क्या संभावना हैं, वह नहीं बता पाए। क्योंकि, ये नए परीक्षण अभी जारी रहेंगे अत: उनको विन्यास के लिए पूंजीगत सहायता देनी होगी। लेकिन इस बारे में कोई भी विचार नही बनाया गया जान पड़ता।

महोदय, इसके अलावा कि हम उस स्थिति पर पहुंच गए हैं जहां पन-बिजली उत्पादन की विचाराधीन योजनाएं जल्दी से पूरी नहीं की जा रहीं, बहुत से कारणों से वे वैसी की वैसी पड़ी हैं तथा उनकी लागत बढ़ रही है। मैंने समाचारपत्रों में पढ़ा है एवं सभा की जानकारी के लिए मैं यह बताना चाहूंगा कि तोकियो में बर्फ से ऊर्जा स्रोत प्राप्त करने के लिए परीक्षण किया जा रहा है, ऊर्जा का स्रोत तैयार करने के लिए तापमान की भिन्नता को काम में लाया जाएगा। संसार में यह सब हो रहा है लेकिन ऐसा लगता है कि हम इस समस्या को गंभीरतापूर्वक नहीं ले रहे।

महोदय, रेलों के लिए हम पर्याप्त मात्रा से अधिक डीजल काम में ला रहे हैं। अगर हम इन अन्य विविध तरीकों से ऊर्जा उत्पन्न करके तथा बिजली बचाकर अथवा बहुत सी वस्तुओं के लिए बिजली का इस्तेमाल कम कर दें तो वह ऊर्जा बिजली से गाड़ियां चलाने के काम में लाई जा सकती है और इस प्रकार हम डीजल बचा सकते हैं। जैसा कि ठीक ही बताया गया था, विदेशों को 5,600 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। और इस बारे में हम कुछ भी नहीं कर सके। दूसरे, जैसा कि मैंने बताया था, हमारी नीति क्या है ? कुछ भी स्पष्ट नहीं है।

तेल भंडार के बारे में पहले की जनता सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि बम्बई हाई में तेल की खोज का कार्य न किया जाये, उसके पश्चात 1 करोड़ टन से भी ज्यादा तेल नहीं निकाला जा सका। बाद में जब आपकी पार्टी सत्ता में आयी तब सरकार ने इसके लिए 'हामी भरी और

कहा कि इसे बढ़ाकर 1 करोड़ 20 लाख टन कर दिया जाये।' **(व्यवधान)** यह उसके बिल्कुल विपरीत है प्रस्ताव तेल निकालने का है न कि उसे जमा करने का।

विभिन्न स्थानों पर खोज का काम होना है। सर्वेक्षण किए गये हैं और ऐसे 27 स्थान हैं जहाँ यह सर्वेक्षण किया जाएगा और इन सभी कम्पनियों को ठेका दिया जा सकता है। लेकिन, मुझे ऐसा लगता है कि 'उसका पालन नहीं किया गया तथा फ्रान्सीसी कम्पनी की सलाह पर केवल 17,000 अथवा 18,000 टन तेल बम्बई हाई से निकाला गया तथा वे भारत के सभी तटों पर और तट दूर तथा समुद्र के बीच गम्भीरतापूर्वक परीक्षण नहीं कर रहे हैं।

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री एन० के० शेजवलकर : हां, मुझे समय की चिन्ता है।

महोदय, अब मैं उर्वरकों के बारे में उल्लेख करूंगा। उर्वरकों पर भारतीय उर्वरक निगम को 97 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है तथा यह केवल 33 प्रतिशत क्षमता पर काम कर रहा है। महोदय, प्रतिवेदन के अनुबन्ध तीन में बताया गया है कि किस प्रकार बाकी कम्पनियाँ भी कार्य कर रही हैं तथा पिछली बार भी सदस्यों ने यह कह कर आपत्ति उठाई थी कि ये सभी यूनिटें क्षमता अनुसार कार्य नहीं कर रहीं। मुझे नहीं पता कि ये अपनी अनुकूलतम-क्षमता अनुसार कार्य क्यों नहीं कर रहीं। उत्पादन कितना कम है और फिर भी घाटा होता जा रहा है, निश्चय ही यह हर किसी के लिए चिन्ता की बात है। इतना तो नहीं, मैं यह बताना चाहूंगा कि पिछले सत्र में भी उर्वरक पर चर्चा की गई थी। यह थाल वैशेत और हजारिया में अमोनिया के बारे में थी। अमरीकी कम्पनी से ठेका लेकर किसी दूसरी कम्पनी को दिया गया था। यह तकनीकी सलाह के विपरीत किया गया और इस पर प्रतिवर्ष लगातार 55 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। यह सभी निर्धारित सिद्धान्तों के विरुद्ध किया गया यहाँ तक कि विश्व बैंक, जिसके द्वारा हमें उदार शर्तों पर ऋण दिया जाना था, की अप्रसन्नता के बावजूद ऐसा किया गया था। ऐसा क्यों किया गया, यह स्पष्ट नहीं है। मैं, माननीय मंत्री की जानकारी में पेट्रोलियम उत्पादों और एल० पी० जी० आदि की बिक्री की क्या स्थिति है यह लाना चाहता हूं।

यह सभी को मालूम है कि पेट्रोल पम्प की एजेंसी दिए जाने के लिए कितना गोलमाल चल रहा है। एक एजेंसी प्राप्त करने के लिए हजारों रुपये दिए जाते हैं। गैस का प्रबन्ध नहीं किया जा रहा है। उनका कहना यह है कि प्रतीक्षा सूची में कुल 37 लाख व्यक्तियों का नाम है। उन्हें जनवरी में 50,000 गैस कनेक्शन देने थे तथा बाद के महीनों में हर महीने एक लाख कनेक्शन दिए जाने थे। उन्हें 11 लाख 50 हजार कनेक्शन देने हैं। लेकिन उस समय तक प्रतीक्षा सूची बढ़कर 60 लाख पर पहुंच जाएगी। क्या आपकी कोई नीति है ? आज क्या हो रहा है ? इस बारे में मैंने 8 जनवरी, 1981 को एक पत्र श्री सेठी को लिखा था। पत्र स्वीकृति की सूचना दे दी गई। मैं उनका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। लेकिन अब तक कुछ भी नहीं किया गया। मैंने बताया था कि ग्वालियर में गैस के कनेक्शनों के मामले में हम तीन महीने पीछे चल रहे हैं। मेरे पत्र पर क्या कार्यवाही की गई इसकी जानकारी मुझे नहीं दी गई।

कल ही की बात है, मेरे एक मित्र ने बताया कि आगरा में गैस के कनेक्शन दिये जाने के मामले में हम दो महीने पीछे चल रहे हैं। इसका मतलब है उत्तर प्रदेश में भी यही स्थिति है।

मैंने एक समाचार पत्र में एक लेख पढ़ा था। शायद 'अमृत वाजार पत्रिका' में मुझे पत्र का नाम ठीक से याद नहीं है। कलकत्ता में आप 50 रुपये, 70 रुपये, 90 रुपये और 100 रुपये देकर काला बाजार में सिलेंडर प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी बंगाली 50 रुपये में, गैर बंगाली 70 रुपये में, मारवाड़ी 90 रुपये में तथा उद्योगपति 100 रुपये में सिलेंडर ले सकता है। यहाँ भी, हमें पता चला है कि काला बाजार में आप जितने चाहें सिलेंडर ले सकते हैं। यह सब क्या है ? क्यों नहीं हम इस सब को रोक पाते ? कहाँ कमी है, मेरी समझ में नहीं आता। हम और कनेक्शन दिये जाने की योजना कर रहे हैं। मुझे डर है कि इससे मुसीवत खड़ी हो जाएगी। मैं यह नहीं कहता कि कनेक्शन नहीं दिए जाने चाहिए। ये तो अवश्य दिए जाएं। एक तरफ तो आप चाहते हैं कि जंगलों से ईंधन नहीं लिया जाए, पेड़ नहीं काटे जाएं जंगलों को संरक्षण दिया जाए। आखिरकार आप आम आदमी को कुछ न कुछ ईंधन तो उपलब्ध कराऐंगे ही। लोगों को कोयला भी नहीं मिल रहा। क्या किया जाए। (व्यवधान)। मैंने श्री सेठी को एक पत्र लिखा है।

यही बात दो साल पहले हुई थी। उस समय श्री वहुगुणा पेट्रोलियम मंत्री थे। मैंने उन्हें एक पत्र लिखा था। उन्हें अधिकारियों ने बताया था कि गैस कनेक्शन के मामले में हम 10 दिन पीछे हैं। मैंने उन्हें फोन पर वताया था कि हम 70 दिन पीछे हैं। उन्होंने स्वयं ही एक अधिकारी ग्वालियर भेजा तथा उसे यह अनुदेश दिये गए थे कि वह मुझसे मिले। उसने वताया कि ठेकेदार उसे नहीं दे रहा। विशेष गाड़ी भेजी गई। दस दिन के अन्दर सब कुछ ठीक हो गया (व्यवधान) ग्वालियर में ही नहीं अपितु सभी स्थानों पर इस सम्वंध में सुधार किया गया है। आपका अधिकारियों पर कोई नियन्त्रण नहीं है। (व्यवधान) यहाँ पार्टी का सवाल नहीं है। दल के लिए नहीं। मेरा दल आगरे में नहीं है। आप आगरे में ऐसा करें, ग्वालियर में ऐसा मत करिए। मैं यह कहता हूं कि वहाँ कुप्रबन्ध हैं, प्राधिकरणों पर कोई नियन्त्रण नहीं है वहाँ सुव्यवस्था नहीं है तथा कोई दिशा भी नहीं है। मैं नहीं जानता कि इन परिस्थितियों में उनका भविष्य क्या होगा।

श्री प्रताप भानु शर्मा (विदिशा) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय की मांगों के समर्थन में अपने विचार रखना चाहता हूं।

आज विश्व में दिन-प्रतिदिन ऊर्जा का संकट वढ़ता चला जा रहा है। मध्यपूर्व में जब से युद्ध के वादल मंडरा रहे हैं, तब से क्रूड आयल एवं पेट्रोलियम पदार्थों का संकट विश्वव्यापी हो गया है। इतना ही नहीं, इनकी वढ़ती हुई कीमतों से विकासशील देशों की प्रगति एवं अर्थ-व्यवस्था पर गंभीर असर पड़ा है। इन परिस्थितियों में केन्द्र सरकार की प्रगति एवं संकल्प से ऐसा लगता है कि हम कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस तथा पेट्रोलियम पदार्थों के सम्बन्ध में देश को आज आत्म-निर्भर बनाने की दिशा में तेजी से कार्य कर रहे हैं और विश्वासपूर्वक निर्धारित समय में अपने उद्देश्यों को प्राप्त करेंगे।

हाल के अनुमानों के अनुसार देश में कच्चे तेल का उत्पादन 1980-81 में 94.9 लाख मेट्रिक टन से बढ़ कर 1981-82 में 137 लाख मैट्रिक टन होने की संभावना व्यक्त की गई है और प्राकृतिक गैस का उत्पादन 11,770 लाख घन-मीटर प्रति-वर्ष से बढ़ कर 14,880 लाख घन-मीटर हो जाने की आशा है। ओ एन जी सी द्वारा किये गये नये सर्वे और अध्ययन द्वारा अनुमान लगाया गया है कि उत्तरी क्षेत्र में लगभग 30 से 40 लाख मेट्रिक टन आयल और प्राप्त किया जा सकता है।

एक लंबे समय से इस बात की आवश्यकता महसूस की जा रही है कि हमारा राष्ट्र आयल एवं पेट्रोलियम के सम्बन्ध में आत्म-निर्भर हो। हमारे देश की नेता, प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने संदेश में देशवासियों से भारत को आत्मनिर्भर तथा शक्तिशाली बनाने की अपील की है। इस दिशा में ओ एन जी सी, अर्थात् तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, की भूमिका सराहनीय है। छठी पंच-वर्षीय योजना में ओ एन जी सी ने बम्बई हाई से आयल उत्पादन का लक्ष्य 120 लाख मेट्रिक टन से बढ़ाकर 170 लाख मेट्रिक टन करने का जो निश्चय किया है, वह स्वागत-योग्य है। उसने संकल्प किया है कि अगली पंच-वर्षीय योजना के अंत तक हमारा देश लगभग 600 लाख मेट्रिक टन कच्चे तेलका उत्पादन करेगा, परन्तु यह मात्रा हमारी आवश्यकता के सिर्फ 25 से 30 प्रतिशत की पूर्ति करती है। इस लिए अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमें तेल के उत्पादन में वृद्धि करनी होगी और ओ एन जी सी के कार्यक्षेत्र को बढ़ाना होगा। देश के विभिन्न हिस्सों में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज के काम को तेजी से आगे बढ़ाना चाहिए।

अभी हाल में देश के विभिन्न भागों में आन-शोर और आफ शोर ड्रिलिंग के लिए 32 ब्लाक निर्धारित किये गये हैं और इस सम्बन्ध में कई विदेशी तेल कंपनियों से प्रस्ताव आमंत्रित किये गये हैं। मेरा सुझाव है कि सरकार को इस बारे में शीघ्र निर्णय लेना चाहिए, जिससे हम सभी उपलब्ध हाइड्रो-कार्बन्ज का पूरा-पूरा दोहन राष्ट्र के विकास के लिए कर सकें। इसके साथ ही ओ. एन. जी सी को भी अपनी तकनीकी और वैज्ञानिक क्षमता का बिकास करना चाहिए।

ओ एन जी सी के लिए इस वर्ष के बजट में लगभग 670-18 करोड़ रुपये प्लान आउटले से स्वीकृत किए गए हैं और स्वयं के आन्तरिक संसाधनों से 317.89 करोड़ रुपये प्राप्त होनें की आशा व्यक्त की गई है। इस प्रकार सहयोग के अन्य स्रोत मिला कर ओ एन जी सी को विकास एवं खोज कार्य के लिए कुल 1142.36 करोड़ रुपयें देने का प्रावधान किया गया हैं जो कि बहुत कम है। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि ओ एन जी सी की उपयोगिता और इसके राष्ट्रीय महत्व को देखते हुए यह राशि हर वर्ष के लिए कम से कम 1500 करोड़ रुपये की की जानी चाहिए और आगे आने वाले वर्षों में इस राशि को दुगुना कर देना चाहिए जिससे कि हम समय के अंदर अपने निर्धारित लक्ष्यों को सफलता से प्राप्त कर सकें।

इस वर्ष आयल एवं विभिन्न पेट्रोलियम पदार्थों के आयात पर लगभग 6 हजार करोड़ विदेशी मुद्रा का व्यय हुआ है जब कि 1985 तक इसके 15 हजार करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। अतः स्वदेशी तेल का उत्पादन बढ़ाना बहुत आवश्यक है, यह समय की आवश्यकता है।

प्रति दिन लगभग 300 लाख घनमीटर प्राकृतिक गैस भी बम्बई हाई और आस पास के

रिजर्व स्रोतों से हमें प्राप्त हो सकती है जिसका उपयोग हम ऊर्जा के विकास और ऊर्जा के उत्पादन के लिए कर सकते हैं जिस से लगभग 100 लाख टन आयल की बचत प्रति वर्ष हो सकती है। परन्तु आज भी लाखों घनमीटर गैस प्रति दिन या तो जलायी जा रही है या वायुमंडल में बेकार जा रही है। इस गैस पर आधारित खाद कारखानों का निर्माण-कार्य शीघ्र प्रारम्भ किया जाना चाहिए जिस से हम खाद की बढ़ती हुई आवश्यकता की पूर्ति कर सकें।

रिफाइनरीज जो हमारे देश के विभिन्न स्थानों पर स्थापित है उनके सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि उनकी इन्स्टाल्ड कैपेसिटी जो 318 लाख मेट्रिक टन की है वह हमारी आवश्यकता को देखते हुए बहुत कम है। अतः उसका भी बराबर विस्तार किया जाना चाहिए। साथ ही इन आयल रिफाइनरीज में इस समय जो स्टोरेज क्षमता है कच्चे तेल स्टोर करने की, उस क्षमता को बढ़ाना भी जरूरी है। अभी 30 दिन का फीड स्टाक हमारी रिफाइनरीज में स्टोर करने की क्षमता है जब कि अन्तर्राष्ट्रीय अन्य रिफाइनरीज में यह क्षमता कम से कम 90 दिन की होती है। यदि अभी हम 90 दिन इसे न बढा सकें तो कम से कम 60 दिन के फीड स्टाक की क्षमता तो हमारी आयल रिफाइनरीज में होनी ही चाहिए।

नयी रिफाइनरीज का जो नया कॉसेप्ट इस समय वर्तमान में हमारे पेट्रोलियम एवं रसायन मंत्रालय में है उस के अन्तर्गत मैंगलोर एवं कर्नाल में ग्रास रूप रिफाइनरीज बनाने की योजना भी सरकार के विचाराधीन है। मैं इस बात का स्वागत करता हूं, साथ साथ यह आग्रह करता हूं कि मध्य प्रदेश देश का एक सबसे ज्यादा क्षेत्रफल का एवं पिछड़ा हुआ प्रदेश है, यहां आज तक न तो किसी पेट्रो केमिकल काम्प्लेक्स का विकास हुआ है न ही पब्लिक सेक्टर के खाद के कारखाने वहां लगे हैं, ऐसी स्थिति में इस प्रदेश की आवश्यकता की पूर्ति एवं औद्योगिक विकास की दृष्टि से यह आवश्यक हो गया है कि मध्य प्रदेश में कम से कम दो ग्रास रूट रिफाइनरीज की स्थापना की जाय, साथ ही मथुरा रिफाइनरी जो कि मध्यप्रदेश की सीमा से लगी हुई है उस पर आधारित जो हमारे प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र है जिसे हम चम्बल वैली के नाम से जानते हैं उसमें पेट्रो-केमिकल काम्पलेक्स का विकास किया जाय। ऐसा करने से मेरी मान्यता है कि एक ओर जहां पर मध्य प्रदेश में पेट्रो-केमिकल काम्पलेक्स का विकास होगा वहीं दूसरी ओर चम्बल घाटी में डाकुओं की गंभीर समस्या बनी हुई है उससे भी छुटकारा मिलने की पूरी पूरी संभावना है। क्यों कि चम्बल के आस-पास जो बीहड़ क्षेत्र है जिसमें डाकू लोग छिपते हैं, यदि उस का समतलीकरण किया गया तो निश्चित रूप से उसमें कृषि योग्य भूमि निकलेगी और वहीं पर औद्योगीकरण उस इलाके में बढ़ेगा। पेट्रोलियम मंत्री जो स्वयं जानते हैं, जब वह मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने उस क्षेत्र में डाकू समस्या से निपटने के लिए कारगर कदम उठाए थे और उसमें सफलता भी मिली थी लेकिन वह सफलता स्थायी नहीं रह सकी। अतः यह बहुत आवश्यक हो गया है कि हम इस क्षेत्र में मथुरा रिफाइनरी पर आधारित औद्योगिक काम्पलेक्स का जो विस्तार कर सकते हैं वह किया जाय।

साथ ही साथ खाद के बारे में बात हुई। अभी हाल में मध्य प्रदेश में खाद के कारखाने का एक सर्वे हुआ जिसमें गैस पर आधारित खाद का कारखाना बनाने के लिये स्थान का चयन करने के लिये केन्द्रीय सरकार की एक तकनीकी कमेटी वहां गई थी और मुझे पूरा विश्वास है कि उसने

अपनी रिपोर्ट निश्चित रूप से सरकार को दे दी होगी । परन्तु इस सम्बन्ध में भी अभी सरकार का निर्णय प्रतीक्षित है । मध्य प्रदेश में खाद की आवश्यकता इतनी है कि आज भी हजारों लाखों टन खाद दूसरे प्रदेशों से मंगानी पड़ती है जिस पर ट्रांस्पोटेशन के मद में लाखों रुपया व्यय हो जाता है । फिर भी खाद के कारखाने जो अभी निर्माणाधीन हैं, जैसे कोरबा में कोयले पर आधारित कारखाना बन रहा है, उसकी गति इतनी धीमी है कि दस साल के बाद भी उत्पादन प्रारम्भ नहीं हो पाया है । उसका काम तेज किया जाना चाहिये । साथ ही गैस पर आधारित कारखाने के निर्माण की जो बात है उसके काम में भी तेजी लानी चाहिये । हमारे मध्य प्रदेश में राक-फास्फेट सागर और झाबुआ क्षेत्र के आस पास काफी तादाद में है, उसका लाभ प्रदेश के बहार के उद्योगपतियों को मिलता है, परन्तु हमारे प्रदेश में उस पर आधारित कोई भी कारखाना स्थापित नहीं हुआ है । इस सम्बन्ध में मैं मांग करना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में दो या तीन सुपर-फास्फेट के कारखाने या राक फास्फेट पर आधारित खाद के कारखाने बनाये जांय ।

जहां तक राष्ट्र की अन्य समस्याओं का सवाल है जो पैट्रोलियम, रसायन और तेल से जुड़ी हुई हैं—वे किसी से भी छुपी नही हैं । आज विश्व भर में ऊर्जा संकट बढ़ता जा रहा है । इस बढ़ते हुए संकट को हम घटते हुए तेल भण्डारों को सामने रख कर देखें तो स्वीकार करना होगा कि पैट्रोलियम की खोज और उसका विकास कुछ वर्षों के लिये तो राहत दे सकता है, लेकिन हमेशा के लिये नहीं । इसलिए तेल की खोज को प्राथमिकता देने के साथ-साथ हमें ऊर्जा के अन्य स्रोतों का विकास करने का प्रयास भी करना होगा । इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि भारत का भविष्य कोयले और सौर-ऊर्जा पर आधारित करना चाहिये और हमारे पैट्रोलियम और रसायन विभाग को अन्य विभागों के सहयोग से ऐसी राष्ट्रीय नीति बनानी चाहिये, ऐसी इन्टीग्रेटेड स्कीम्ज लागू करनी चाहिये, जिन से ऊर्जा के विकल्प के रूप में जो स्रोत हमारे देश में उपलब्ध हैं उनका पूरे क्वार्डिनेशन के साथ विकास किया जाय । विश्व में जो नई तकनीक बन रही है और ऊर्जा के नये स्रोतों और साधनों का विकाश हो रहा है—उसका पूरा-पूरा लाभ हमारे देश को भी मिले इस प्रकार की ऊर्जा नीति हमारे पैट्रोलियम रसायन विभाग को बनानी चाहिये । मुझे पूरा विश्वास है—जो कार्यक्षेत्र इसमें प्रस्तावित किये गये हैं वे हमारे राष्ट्र के निर्माण में और ऊर्जा संकट को हल करने में निश्चित रूप से सफल होंगे और हमार देश इन नई उपलब्धियों और इन नई खोंजों के आधार पर निश्चित रूप से आने वाले वर्षों में आत्म-निर्भर होगा ।

इसी विश्वास के साथ मैं पुनः पैट्रोलियम और रसायन विभाग की मांगों का समर्थन करता हूं ओर आशा करता हूं कि जो सुझाव मैंने दिये हैं उन को मंत्रीजी लागू करने का पूरा प्रयास करेंगे ।

श्री सी० डी० पटेल (सूरत) : सभापति महोदय, मैं इस एक मंत्रालय की नीति तथा उसके कार्यकरण के सम्बन्ध में कुछ ठोस तथा महत्वपूर्ण सुझाव देने के लिए खड़ा हुआ हूं । लेकिन सुझाव देने से पहले मैं यह स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि मैं इस मंत्रालय की अनुदान माँगों का समर्थन करता हूं ।

जहाँ तक पिछले वर्ष लगभग 5600 करोड़ रुपये के तेल आयात बिल का सम्बन्ध है मैं उस

सम्बन्ध में इसलिए कुछ कहना नहीं चाहूंगा क्योंकि मेरे साथियों ने उस विषय में पहले ही काफी कुछ कह दिया है। इस सम्बन्ध में तो मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि विद्यमान आंकड़ों, नीतियों व कार्यक्रमों को देखने से पता चलता है कि इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की जो आशा हमने हृदय में संजो रखी थी वह हमारा भुलावा था और मैं समझता हूं कि निकट भविष्य में भी हम इसे प्राप्त नहीं कर सकेंगे। मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरी यह बात गलत सिद्ध हो। लेकिन कटु सत्य तो यही कहते हैं। इसलिए मैं कुछ ठोस और गम्भीर सुझाव दूंगा तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज तथा उन्हें निकालने के काम में तेजी लानी होगी। ऊर्जा पैदा करने के कठोर उपाय तथा नये स्रोतों का पता लगाना होगा। इस समय तेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की कोई गुंजाइश नहीं है।

सतीश चन्द्र समिति द्वारा दिए गये सुझावों के अनुसार सरकार ने लोवराज नामक एक समिति नियुक्त की थी। उस समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है और सरकार ने उस रिपोर्ट को सहर्ष स्वीकार कर लिया है। मैं सरकार का आभारी हूं कि उसने उक्त रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। लेकिन मैं तो यह कहूंगा कि चूंकि बम्बई हाई से गुजरात तथा अन्य राज्यों को गैस सप्लाई या भेजने के लिए पाइप बिछाने सम्बन्धी योजना बनाई जा चुकी है और इस प्रयोजन के लिए स्थान भी चुन लिया गया है इसलिए हमें इस योजना में तेजी लानी चाहिए।

इसका दूसरा पहलू यह है कि हाल ही में पिछले माह—मार्च के महीने में मंत्रालय ने कच्चे तेल की रॉयल्टी के सम्बन्ध में एक निर्णय दिया है। मैं तो यह कहूंगा कि इस निर्णय में गुजरात के साथ बड़ा अन्याय किया गया है। यह स्पष्टतः एकदम अनुचित है। समय की कमी के कारण मैं इसकी विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा? लेकिन हमें कच्चे माल की रॉयल्टी का निर्धारण करते समय इसकी पृष्ठभूमि, सिद्धान्तों तथा सम्बन्धित परिनियम। कानून को ध्यान में रखना होगा। जहां तक सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारों का सम्बन्ध है वे सम्बन्धित राज्यों में निहित है। प्राकृतिक संसाधनों के सम्बन्ध में यह बात स्वीकार की गई है कि तेल निकालने का अधिकार केन्द्रीय सरकार को है। प्रतिपूर्ति करने का अधिकार भी केन्द्रीय सरकार को दिया गया है। ये दोनों अधिकार एक ही प्राधिकरण को दिए गये हैं और वह प्राधिकरण किसी अन्य से परामर्श किए बिना निर्णय ले लेता है।

वर्ष 1962, 1968, 1972, 1976 और 1981 में पाँच पंचाट दिए गय थे। वर्ष 1962 में दिए गये पंचाट को नेहरू पंचाट और 1968 में दिए गये पंचाट को इन्दिरा गांधी पंचाट के नाम से जाना जाता है। इन दोनों पंचाटों में मूलभूत तथा मुख्य सिद्धान्त निर्धारित किए गये थे। कच्चे माल का वास्तविक मूल्य उसका बाजार मूल्य होना चाहिए न कि कुएँ से निकलते समय का वह मूल्य जिस पर तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम द्वारा इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन को कच्चा तेल बेचा जाता है। यह तो अवास्तविक मूल्य है—केवल कागजी व्यवहार है। इस कागजी व्यवहार मूल्य को रॉयल्टी निश्चित करने के लिए लिया जाता है।

यहाँ प्रसंगवश यह बताना चाहूंगा कि राज्य के 50 प्रतिशत तेल संसाधनों का उपयोग किया जा चुका है। जहाँ तक अंकलेश्वर का सम्बन्ध है वहाँ का कच्चा तेल सबसे बढ़िया किस्म का होता है

तथा वहाँ से लगभग 70 प्रतिशत कच्चा तेल निकाला जा चुका है। हर जगह सम्पत्ति के अधिकार राज्यों को निहित है। यह देखने के लिए कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं कि ये दोनों अधिकार एक ही प्राधिकरण को क्यों दिए गये हैं। भारत सरकार को इस प्राधिकरण का उपयोग उचित रूप से करना चाहिए उसे इसका उपयोग अपने लाभ के लिये राज्य सरकार को हानि पहुंचा कर नहीं करना चाहिए ? वर्ष 1962 से 1981 में रॉयल्टी इस प्रकार थी। यह वर्ष 1962 में 7.50 रुपये प्रति मी० टन 1968 में 10 रुपये प्रति मी० टन 1972 में 15 रुपये प्रति मी० टन और 1976 में 42 रुपये प्रति मी० टन थी। मैं अपनी बात को उदाहरण देकर स्पष्ट करूंगा। वर्ष 1976 में 42 रुपये प्रति मी० टन की रॉयल्टी का निर्धारण करते समय इस मानदण्ड को ध्यान में रखा गया था कि राज्यों को दी जाने वाली रॉयल्टी निश्चित करने के लिए 275 रुपये प्रति मी० टन मूल्य लिया जाए। लेकिन महोदय, जहां तक अन्य पहलु का संबंध है सभी मामलों में भिन्न-भिन्न मूल्यों पर विचार किया गया है। इस संबंध में मेरा निवेदन यह है कि मूल्यों का निर्धारण मनमाने ढंग से न करके आयल फील्ड रेगूलेशन एक्ट, 1948 के अनुसार किया जाना चाहिए। यही उपयुक्त अधिनियम है तथा समय-समय पर उसके परिनियमों में संशोधन किये गए हैं और उनके अधीन नियम बनाये गए हैं लेकिन यह सब करते समय पिछले निर्णय में निर्धारित किए गए सिद्धान्तों की अवज्ञा की गई है। महोदय उन्हें परिनियमों में संशोधन करते समय केवल उनसे परामर्श ही नहीं लेना चाहिए अपितु रॉयल्टी का निर्धारण करते समय भी सम्बन्धित राज्य सरकारों से परामर्श करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। महोदय मैं जानता हूं कि मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में क्या उत्तर देंगे ? वे तो यही कहेंगे कि तेल मूल्य समिति ने इस मूल्य की सिफारिश की है। लेकिन सच तो यह है कि तेल मूल्य समिति ने मुख्य सिद्धान्तों तथा कानून के उपबन्धों की अवज्ञा की है।

आइये अब हम देखेंगे कि इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के दावे और दलीलें क्या हैं ? हमेशा चार वर्ष के पश्चात मूल्य निश्चित किए जाते हैं वे हमेशा नये प्रस्ताव रखते हैं। लम्बे विचार-विमर्श और पत्र व्यवहार होता है। तत्पश्चात वे मूल्य निश्चित करते हैं और सम्बन्धित राज्यों को हानि होती है। महोदय, क्या हम कोई स्थायी पद्धति तथा फार्मूला नहीं अपना सकते ? मूल्य में कोई वास्तविक वृद्धि होने पर रॉयल्टी में भी साथ-साथ वृद्धि की जानी चाहिए। राज्य सरकार ने मांग की है कि रॉयल्टी की राशि मध्य पूर्व से समान किस्म के कच्चे तेल की भार औसत के दर्ज मूल्य के 20 प्रतिशत तथा 1-1-76 से उस पर 4 प्रतिशत बिक्री कर की राशि के कुल योग के बराबर होना चाहिए। इस मांग को स्वीकार किया जाए।

भेषज नीति के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहूंगा कि भेषज सम्बन्धी विवरण तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री श्री एच० एन० बहुगुणा द्वारा 29 मार्च, 1978 को सदन के पटल पर रखा गया था। क्या हम उस विवरण को इसलिये पूर्णतः स्वीकार कर रहे हैं क्योंकि वह हाथी समिति की रिपोर्ट से भिन्न था। सरकार ने हाथी समिति की रिपोर्ट को कार्यान्वित नहीं किया है। मैं यह जानना चाहूंगा कि अब तक उसका कितना कार्यान्वयन किया गया है। क्या हमने उसमें दिए गये सुझावों को अमल में लाने के लिये कोई कार्यवाही की है। महोदय हाथी समिति की रिपोर्ट हाथी की ही भांति बड़ी थी लेकिन हमने तो उसमें से चींटी बराबर सिफारिशों को भी कार्यान्वित नहीं किया। मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान पैरा-12 के उप-पैरा 13 की ओर दिलाना चाहूंगा। मैं इसे उद्धृत करता हूं :

"इस प्रश्न की समीक्षा एक वर्ष बाद की जाएगी कि क्या देशी बल्क ड्रग्स के उपभोग पर आधारित भारतीय कंपनियों को अपनी फार्मूलेशन क्षमता मुक्त रूप से बढ़ाने की अनुमति दे दी जाए और क्या फार्मूलेशन क्षमता बढ़ाने पर प्रतिबन्ध केवल उसी अवस्था में लगाया जाए जहां भारतीय कम्पनियों को आयातीत बल्क ड्रग्स की जरूरत पड़ती हो।"

(श्री चिन्तामणि पाणिग्रही पीठासन हुए)

यह 1978 में हुआ था। क्या तबसे कोई समिति नियुक्त की गई है? मैं समझता हूं कि कोई अन्य समिति नियुक्त नहीं की गई है।

अब मैं रिपोर्ट के पैरा 16.1 का उल्लेख करूंगा जो नीति सम्बन्धी विषय से सम्बन्धित है। मैं इसे उद्धृत करता हूं :

"चूंकि विदेशी कम्पनियों द्वारा अनुचित रूप से अधिक लाभ कमाने के बारे में बार-बार आरोप लगाए गए हैं इसलिए सरकार ने इस सम्बन्ध में जांच करने और विदेशी कम्पनियों के लाभ को विनियमित करने के लिए यथावश्यक उपाय सुझाने हेतु एक समिति स्थापित करने का निर्णय किया है।"

यह विदेशी कम्पनियों की परिसम्पत्तियों को कम करने के बारे में है। इस सम्बन्ध में मेरा केवल इतना ही निवेदन है कि हाथी समिति के निर्णयों को जनता सरकार ने प्रभावहीन बना दिया था तथा श्री जगजीवन राम की अध्यक्षता वाली मन्त्रिमंडल की कुछ समिति ने जो कुछ निर्णय लिए भी थे उन्हें अधिकारियों ने मन्त्रिमंडल के सम्मुख रखने से पूर्व प्रभावहीन बना दिया था। हाथी समिति के निर्णयों को पटल पर रखे गए विवरण ने और अधिक प्रभावहीन बना दिया था। मैं चाहूंगा कि माननीय मन्त्री महोदय इस सम्बन्ध में एक आश्वासन दें कि वे इन सभी पहलुओं पर विचार करेंगे और वे प्रौद्योगिकविध उन्मुख औषध एककों के विकास के लिए, जिनका अभी तक बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने विकास रोका हुआ था, 100 प्रतिशत सहायता दी जाएगी।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री सी० डी० पटेल : जहां तक गुजरात सरकार का सम्बन्ध है उसने ब्रोच के निकट एक गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्र स्थापित करने हेतु आवेदन दिया था। तट से दूर गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्र स्थापित करने सम्बन्धी विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर दी गई है। इस संयंत्र में 1350 मी० टन अमोनिया और 1800 मी० टन यूरिया प्रतिदिन का उत्पादन किया जाएगा। यह संयंत्र गुजरात नर्मदा घाटी उर्वरक कम्पनी लिमिटेड, ब्रोच के निकट स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। सतीश चन्द्र समिति ने 10 उर्वरक संयंत्रों की स्वीकृति दी थी तथा जिनमें से दो संयंत्र गुजरात में स्थापित किए जाने हैं। गुजरात में पेट्रो-केमिकल्स कम्प्लेक्स स्थापित करने के सम्बन्ध में गुजरात सरकार ने राज्य में गैस पर आधारित पेट्रो-केमिकल्स कम्प्लेक्स स्थापित करने हेतु आशय-पत्र जारी किए जाने के लिए वर्ष 1978 में एक आवेदन दिया था। गुजरात सरकार ने गुजरात राज्य पेट्रो-केमिकल निगम लिमिटेड की स्थापना कर दी है। इस सम्बन्धी में पर्याप्त

प्रारम्भिक कार्य किये जा चुके हैं। व्यवहार्यता अध्ययन के सम्बन्ध में भी काफी कार्य हो चुका है। हमारे पास काफी तकनीकी दक्षता मौजूद है और चूंकि इसमें राज्य सरकार पर्याप्त इक्विटी पूंजी लगाएगी इसलिए राज्य क्षेत्र और केन्द्रीय क्षेत्र के बीच अच्छी प्रतिस्पर्धा होगी। यह राज्य क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। केन्द्रीय राजकोष पर इसके कारण कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। इसलिए इन परियोजना को स्वीकृति दी जानी चाहिए और इस सम्बन्ध में तुरन्त कार्यवाई की जानी चाहिए। अंकलेश्वर और ब्रोच के समीप बहुत ही बढ़िया किस्म की गैस और तेल पाया गया है। इन क्षेत्रों में कुकिंग गैस उपलब्ध कराई जानी चाहिए। बड़ौदा में तो कुकिंग गैस की सुविधा उपलब्ध है लेकिन इन स्थानों पर कुकिंग गैस की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसलिए मैं माननीय मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे इस मामले पर विचार करें और आवश्यक कार्यवाई करें। मैं मन्त्री महोदय से यह भी अनुरोध करूंगा कि वे अंकलेश्वर और ब्रोच के क्षेत्रों की सड़कों की ओर भी ध्यान दें।

ये सड़कें आपेक्षित स्तर की नहीं हैं और उनका रख-रखाव भी सही ढंग से नहीं किया जा रहा है। ये सड़कें जिला परिषदों को सौंप दी जानी चाहिए अन्यथा इनके रख-रखाव के लिए सही कदम उठाये जाने चाहिए।

डा० वी० कुलनदईवेलु (चिदम्बरम) : सभापति महोदय, डी० एम० के० पार्टी की ओर से मैं पैट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मन्त्रालय की अनुदान माँगों पर चल रही चर्चा में भाग लेना चाहता हूं।

पैट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मन्त्रालय सभी दृष्टिकोक से प्रशंसा का पात्र है। यदि मैं शोषित अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए इस मन्त्रालय द्वारा अपनाई जाने वाली आरक्षण नीति का उल्लेख नहीं करता हूं तो इसका अर्थ होगा कि मैं अपने कर्तव्य को पूरा करने में असफल रहा हूं। जबकि असामाजिक तत्वों का एक छोटा सा वर्ग समूचे देश में अव्यवस्था फैलाने का प्रयास कर रहा है। पैट्रोलियम रसायन तथा उर्वरक मन्त्रालय ने विशेष अनुदेश जारी किए हैं कि भविष्य में 50 प्रतिशत पद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए जाएं ताकि पिछले वर्षों के रिक्त पड़े आरक्षित पदों को शीघ्र भरा जा सके। ये आदेश इस मन्त्रालय के अधीन सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लागू किए जा रहे हैं।

इस बात से भी प्रसन्नता होती है कि शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए भी आरक्षण किया जा रहा है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि हमारे प्रसिद्ध नेता और पद-दलितों के उद्धारक शंथाई पेरियर ई० वी० आर० के सपनों को हमारे देश में साकार किया जा रहा है। और इसे हमारे प्रतिष्ठित नेता डा० केलैजनर करुणानिधि ने तमिलनाडू में अपने शासन काल के दौरान सुनिश्चित किया था।

इस सम्बन्ध में मैं चाहता हूं कि विकलांगों के लिए किया गया आरक्षण बहुत ही कम है। यह वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इस पावन कर्म की महित्ता एवं इसके साथ जुड़ी भावनाओं को सम्मान देते हुए, क्या मैं माननीय मन्त्री जी से विकलांगों के लिये आरक्षण बढ़ाने का अनुरोध कर सकता हूं?

हमारी सरकार शोषित एवं पद-दलित वर्गों के उत्थान हेतु वचनबद्ध है, तो मैं अन्य मन्त्रालयों से भी पैट्रोलियम; रसायन तथा उर्वरक मन्त्रालय के पद चिन्हों पर चलने का अनुरोध करता हूं ताकि कम से कम आगामी दशक में देश में सामाजिक आर्थिक समानता को सुनिश्चित किया जा सके।

अब मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि तमिलनाडू में पैट्रोलियम उत्पादों की सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भारी अनियमितताएं, धोखाधड़ी तथा भ्रष्टाचार व्याप्त है। ग्रामीण जनता को मिट्टी का तेल नहीं मिलता। बेचारे गरीब किसानों को सिंचाई कार्यों के लिए डिजल नहीं मिलता। तमिलनाडू में पैट्रोलियम उत्पादों में भारी मिलावट की जा रही है। ज्ञात हुआ है कि दोषी व्यक्ति सत्तारूढ़ दल के व्यक्तियों तथा आल इंडिया अन्ना डी० एम० के. सरकार की छत्र छाया में रह रहे हैं। जबकि आल इंडिया अन्ना डी. एम. के की सरकार जमाखोरों तथा चोरबाजारी को प्रोत्साहन दे रही है, सत्तारूढ़ दल के लोग केन्द्र सरकार पर दोषारोपण कर रहे हैं। हमें ज्ञात हुआ है कि 'इन्डाने' गैस कनेक्शन के मामले में भी अनियमितताएं व्याप्त हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के कई वर्ष बाद भी, तमिलनाडु में बहुत से व्यक्तियों को कनैक्शन नहीं मिल पाये हैं। डाक्टर, जो कि प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो प्राथमिकता दिए जाने की मांग कर रहे हैं। निस्सन्देह उनकी मांग की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। परन्तु माननीय मन्त्री जी से मेरा एक सुझाव और अनुरोध है कि प्राइवेट अस्पतालों और क्लीनिक प्रयोगशालाओं को इंडाने गैस कनेक्शन के मामले में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे किसानों को उचित मूल्य पर सरलता से उर्वरक उपलब्ध हों।

महोदय हमें ज्ञात हुआ है कि कावेरी और गोदावरी नदियों के तलों पर पैट्रोलियम पदार्थों के भण्डार हैं। अतः मैं माननीय मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि वे उन क्षेत्रों का शीघ्र ही सर्वेक्षण कराके तेल के स्रोतों का पता लगाएं और इस सम्बन्ध में कोई योजना तैयार करें। महोदय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारी प्रगति हुई है। हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। यदि पर्याप्त मात्रा में पैट्रोलियम उत्पादों के आयात में बाधाएं आती हैं तो हमें इसका कोई विकल्प तलाश करना चाहिए।

महोदय, मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि हम कम से कम अगले दशक में दवाओं के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएंगे। हमारे लिए अभी भी यह चिन्ता एवं उत्सुकता का विषय है कि क्या हम इस क्षेत्र में विकसित देशों के समकक्ष आ सकेंगे। हमें याद रखना चाहिए कि दवाओं का इस्तेमाल वर्षों के परीक्षण एवं गहन अध्ययन के पश्चात ही शुरू किया जाता है। जब कभी भी किसी दवाई का प्रयोग किसी विकसित देश में शुरू किया जाता है, तो एक दशक उपरान्त अथवा जबकि उससे बेहतर और उन्नत किस्म की दवाई किसी अन्य स्थान पर तैयार कर ली गई होगी हमें इसकी उपयोगिता का लाभ उठाने का सौभाग्य प्राप्त होगा।

उदाहरणतया पौप्टिक अल्सर के इलाज के लिए कार्बनेक्यालोन और सिमेटिडाइन जैसी दवाईयाँ भारत में हाल ही में उपलब्ध हो पायी हैं, वह है कम मात्रा में। तथा इन दवाईयों के मूल्य भी बहुत अधिक हैं जोकि निर्धन लोगों की पहुंच के बाहर हैं। इसी प्रकार से जहां तक हमारी

जनता का सम्बन्ध है, उनके लिए मिरगी, मधुमेह, उच्चरक्तचाप, दमा, कैंसर इत्यादि रोगों के लिए नई दवाईयां केवल कागजों पर ही दें। अतः हमारी सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अगले वर्षों में इस देश में भी दूसरे देशों के ही समान नई दवाईयों का उत्पादन किया जाए। आवश्यकता पड़ने पर हमें बाहर से तकनीकी जानकारी प्राप्त करने तथा आवश्यक सामग्री का आयात करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

महोदय, हमारा कटु अनुभव यह रहा है कि कम मूल्य वाली दवाईयाँ, विशेषतौर पर "डेपसोन" जो कि कुष्ठ रोगी के लिए एक प्राथमिक औषधि है, का निरन्तर भारी अभाव ही रहता है। इसी प्रकार कम मूल्य वाली दूसरी दवाईयाँ भी उपलब्ध नहीं होती हैं। तमिलनाडू में डाक्टरों को हस्पतालों और क्लीनिक प्रयोगशालाओं के लिए स्प्रिट भी उपलब्ध नहीं होती है। मुझे विश्वास है कि स्प्रिट की सप्लाई के मामले में जहां तक तमिलनाडू और केरल सरकारों के सम्बन्ध का प्रश्न है आप मौजूद स्थिति की गम्भीरता को महसूस करेंगे।

अनेक दवाईयों को करों और शुल्कों से छूट अथवा रियायत दी गई है। मैं इस बात का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि सरकार का दृष्टिकोण इसी प्रकार से रहे। मैं यह कहना चाहता हूं कि कई जीवनदायिनी औषधियों के मूल्यों को और कम करने की आवश्यकता है। कई दवाईयों के मामले में आर्थिक सहायता दिये जाने की आवश्यकता है। उदाहरण के तौर पर, जीवन-दायी इन्जैक्शनों स्टीरोइज्ज, एन्टिबायोटिक्स, इन्सूलिन्ज, एन्टिएस्थामैटिक्स, इलैक्ट्रोलाइट्स, फ्ल्यूड्ज एन्टिएपिलेप्टिक्स के खुदरा मूल्यों में कमी की जानी चाहिये और इन्हें करों से छूट दी जानी चाहिए।

इसी प्रकार जब दवाईयां जीवन पर्यन्त चलनी हों अथवा काफी समय तक जारी रखनी हों, जैसे कि मिरगी, मधुमेह, उच्च रक्त चाप, हृदय रोग, कुष्ठरोग, तपेदिक इत्यादि जैसे रोगों में होता है, तो उन रोगियों को आर्थिक सहायता दी जानी चाहिये।

मन्त्रालय द्वारा निभाई गई भारी भूमिका को ध्यान में रखते हुये, और अधिक धन राशि का इस मन्त्रालय को आवंटन किया जाना चाहिये।

इन शब्दों के साथ, मैं इस मन्त्रालय की अनुदान माँगों का समर्थन करता हूं।

पैट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक-मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : सभापति महोदय, मैं अपने भाषण में इस मन्त्रालय से सम्बन्धित कुछेक विषयों पर प्रकाश डालूंगा। यह एक बड़ा मन्त्रालय है जो मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री पी० सी० सेठी के प्रभावी नेतृत्व में हमारे निष्ठावान सचिवों सर्वश्री लवराज कुमार तथा रामानाथन एवं दूसरे अधिकारीगण के सहयोग से कार्य कर रहा है।

सभापति महोदय : क्या अधिकारियों के नामों का उल्लेख करना आवश्यक है।

श्री दलबीर सिंह : हो सकता है नामों का उल्लेख करना जरूरी न हो परन्तु वे अत्यन्त *निष्ठावान हैं...*

श्री बापूसाहिब परुलेकर (रत्नागिरी) : इसका अभिप्राय यह हुआ कि दूसरे सभी अधिकारीगण निष्ठावान नहीं हैं।

श्री दलबीर सिंह : दूसरे सभी अधिकारीगण भी निष्ठावान हैं। हमारे देश में औषध एवं भेषज उद्योग ने सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उत्पादन किया है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय, देश में कुल मिलाकर 10 करोड़ रुपये मूल्य की औषधों एवं भेषजों का उत्पादन किया जाता था। 1950 के प्रारम्भ में यह बढ़कर 34 करोड़ रुपये हो गया। 1980-81 तक, मूल औषधियों का उत्पादन ही 340 करोड़ रुपये का था तथा उनसे 120 करोड़ रुपये मूल्य की औषधियां तैयार की गई थीं। विकासशील देशों में, भेषज उद्योग भारत में सबसे बड़ा और अत्यन्त आधुनिक है।

तथापि, मैं यह कहूंगा कि हमारी जनता को उचित स्वास्थ्य देख रेख की व्यवस्था करने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से मौजूद उत्पादन में भारी वृद्धि करनी होगी। अतः सरकार औद्योगिक लाइसेंस जारी करने से सम्बन्धित आवेदनों को शीघ्र निपटा कर औषधों के उत्पादन को अधिकतम सीमा तक पहुंचाने पर अपना ध्यान केन्द्रित किये है। 1980 के दौरान कार्य जारी रखने के 3 लाइसेंसों के अतिरिक्त 55 औद्योगिक लाइसेंस और 77 आशय-पत्र जारी किये गये थे।

पैट्रोलियम उत्पादों में हुई मूल्य वृद्धि आदि जैसी सामान्य बाधाओं के बावजूद गत वर्ष के उत्पादन की तुलना में पैनिसीलिन, टेट्रासाईक्लीन; ऑक्सीटेट्रासाईक्लीन, एम्पिसिलीन, एरथ्रो-माइसीन, सल्फा ड्रग्ज, कोर्टिकोस्ट्राइड्ज इत्यादि जैसी अनेक आवश्यक एवं जीवन दायिनी औषधियों के उत्पादन में वृद्धि हुई है।

1978-79 में 95.35 करोड़ रुपये तथा 1979-80 में 93-81 करोड़ रुपये की लागत बीमा मूल्य की औषधों एवं भेषजों का आयात किया गया था। अप्रैल से अक्तूबर 1980 की अवधि के दौरान 34.6 करोड़ रुपये का आयात किया गया। माननीय सदस्यगण इस बात को स्वीकार करेंगे कि गत दो वर्षों के दौरान औषधों एवं भेषजों का आयात लगभग स्थिर हो गया है। सरकार का लक्ष्य देश को औषधों एवं भेषजों के मामले में आत्मनिर्भर बनाना है। जबकि मोटे तौर पर आत्मनिर्भरता प्राप्त करना सम्भव है, परन्तु उत्पादन में वृद्धि हो जाने के पश्चात् भी आयात किया जाएगा ही। माननीय सदस्यगण इस बात को स्वीकार करेंगे कि विश्व में नई-नई औषधियों की खोज हो रही है और भारत को सभी तकनीकें तुरन्त उपलब्ध नही होंगी। इन नवीन आविष्कारों का लाभ उठाने के लिये, देश में इन औषधियों के उत्पादन से पूर्व, इनका आयात आवश्यक होगा।

कुछ ऐसी भी औषधियाँ हैं, जिनकी माँग देश में इतनी ज्यादा नहीं है जिनके लिए निर्माण क्षमता स्थापित करना आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद नहीं रहेगा। जब तक कि पर्याप्त मात्रा में मांग नहीं होगी, तब तक तो इनका आयात ही करवाना पड़ेगा। इसके अलावा, जहाँ पर्याप्त देशीय क्षमता स्थापित की गई है, वहाँ भी ऐसे अवसर हुए हैं, जहाँ बिजली की कटौती अथवा उद्योगों में हड़ताल आदि या आवश्यक कच्चे माल आदि की कमी, जैसे अवरोधों के कारण उत्पादन में गिरावट आई।

ऐसे अवसरों पर पूरक आयात करके उपभोक्ताओं का ध्यान रखा गया है। अतः आयात पूरी तरह से परिहार्य नहीं माना जा सकता।

पिछले पाँच वर्षों में औषध और भेषज के निर्यात में निरन्तर वृद्धि हुई है अर्थात् यह वर्ष 1975-76 में 42.27 करोड़ रु० से बढ़कर वर्ष 1979-80 में 71.06 करोड़ रु० तक हो गया। अप्रैल 1980 से जनवरी 1981 की अवधि में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में निर्यात में 12 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

औषध नीति में यह बताया गया है कि औषध और भेषज के उत्पादन और वितरण में सार्वजनिक क्षेत्र को प्रमुख स्थान दिया जाएगा तथा इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त खर्च किया जाएगा। दूसरा उद्देश्य यह है कि सार्वजनिक क्षेत्र की यूनिटें जन स्वास्थ्य सेवाओं की प्रमुख मांगों को पूरा करने के लिये योजना बनाएंगी।

बंगाल कैमिकल्स एण्ड फर्मास्यूटिकल्स का 1980-81 में राष्ट्रीयकरण किया जाना सार्वजनिक क्षेत्र और विशेष रूप से पूर्वी क्षेत्र के लिए बहुत महत्व की बात थी। सार्वजनिक क्षेत्र के चार एकक आई. डी. पी. एल., एच. ए. एल., एस. एस. पी. एल. और बी. सी. पी. डब्ल्यू. अनेक एण्टीबायोटिक और सिंथेटिक दवाइयाँ तथा मूल दवाओं से इण्टरमीडियेट (मिश्रण) का निर्माण करते हैं सरकार ने 1978 की औषध नीति के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र की यूनिटों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिये उन्हें सशक्त बनाने के लिये कदम उठाये हैं। 1980 में सार्वजनिक क्षेत्र/संयुक्त क्षेत्र की यूनिटों को 14 औद्योगिक लाइसेंस और 13 आशय पत्र जारी किए गये। 1980-81 में सार्वजनिक क्षेत्र की यूनिटों द्वारा लगभग 63 करोड़ रुपये के बल्क औषध और लगभग 80 करोड़ रुपये की फार्मूलेशनों का उत्पादन किए जाने का अनुमान है। इस बारे में सार्वजनिक क्षेत्र की यूनिटों को कार्य में पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष सुधार हुआ है। सार्वजनिक क्षेत्र में निम्नलिखित औषधों के उत्पादन में पिछले वर्ष की अपेक्षा वृद्धि हुई :—

पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लीन, आक्सीटेट्रासाइक्लीन, विटामिन, जैसे फोलिकएसिड और विटामिन बी, मेट्रोनिडाजोल, पाइपराजाइन हाइड्रेट, सल्फाक्वीनडाइन और सल्फा-फेनाजोल तथा विविध फार्मूलेशन।

सार्वजनिक क्षेत्र की यूनिटों के कार्य सम्पादन में और अधिक सुधार करने के लिए अनवरत प्रयास किए जा रहे हैं। यह आशा की जाती है कि छठी योजना अवधि के अन्त तक सार्वजनिक क्षेत्र देश की 815 करोड़ रुपये की बल्क औषध तथा 2450 करोड़ रु० मूल्य के फार्मूलेशंस की अनुमानित आवश्यकता के मुकाबले 215 करोड़ रु० मूल्य के बल्क औषध तथा 330 करोड़ रु० मूल्य के फार्मूलेशंस तैयार करने लगेगा। 1980-81 में सरकार ने प्लान योजना के अध्यधीन सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों को 30 करोड़ रु० दिये। छठी योजना अवधि में, योजनाओं की अनिवार्यता तथा तकनीकी की आर्थिक व्यवहार्यताओं को देखते हुए पर्याप्त राशि दी जाएगी। सार्वजनिक क्षेत्र की सभी यूनिटों के विस्तार और विविधीकरण की योजना है। उदाहरण के तौर पर इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आई. डी. पी. एल.) ऋषिकेष में एण्टीबायोटिक्स का उत्पादन बढ़ाने तथा

नये एण्टी-बायोटिक्स के लिए क्षमता बना रहा है । आई. डी. पी. एल. के हैदराबाद स्थित सिंथेटिक ड्रग्स प्लांट को सल्फा ड्रग्स, विटामिन और एनाल्जीसिक्स के लिए विस्तार किए जाने की योजना है ।

इसके अलावा राज्य विकास निगमों की सहायता से आई. डी. पी. एल. पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में संयुक्त क्षेत्र में संयंत्र खोल रहा है । साथ ही और भी बहुत से राज्यों में संयुक्त क्षेत्र में संयंत्र लगाए जाने पर विचार हो रहा है। हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लिमिटेड (एच. ए. एल.) स्ट्रैप्टोमाइसिन का उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ पिंपरी में अपनी फार्मुलेशन क्षमता बढ़ा रहा है । यह महाराष्ट्र, गोआ और कर्नाटक में भी संयुक्त क्षेत्र में संयंत्र लगा रहा है । इसके विस्तार की अन्य योजनाओं में डेक्सट्रोज, पैनसिलीन आदि का उत्पादन भी शामिल है । स्मिथ स्टानिस्ट्रीट फामास्युटिकल्स लिमिटेड (एस. एस. पी. एल.) फार्मुलेशन उत्पादन बढ़ाने के अलावा बल्कड्रग्स का उत्पादन भी करेगा । बंगाल इम्यूनिटी कम्पनी लिमिटेड (बी. आई. सी. एल) क्लोरोक्विन फास्फेट के लिए एक संयंत्र स्थापित कर रहा है तथा वैक्सीन्स और एंपीसिलीन के बनाने की सम्भावनाओं की जांच कर रहे हैं । बंगाल केमिकल एण्ड फार्मास्यूटिकल वर्क्स लिमिटेड (बी. सी. पी. डब्ल्यू) अपनी फेरिक एलम और सल्फ्यूटिक एसिड की सुविधायें बढ़ा रहे हैं तथा वे कैफीन और डैपसोन के उत्पादन के लिये अपनी प्रौद्योगिकी और क्षमता में सुधार कर रहे हैं ।

छठी योजना अवधि में बल्क ड्रग्स के उत्पादन पर 275 करोड़ रुपया और फार्मुलेशंस के उत्पादन पर 50 करोड़ रुपया खर्च किये जाने का अनुमान है । इस राशि में सार्वजनिक क्षेत्र का हिस्सा बल्क ड्रग्स के लिये 140 करोड़ रुपया तथा फार्मूलेशंस के लिये 20 करोड़ रुपया होगा । बाकी राशि संगठित क्षेत्र और लघु उद्योग क्षेत्र की भारतीय कम्पनियों तथा एफ. ई. आर. ए. कम्पनियों द्वारा लगाये जाने की सम्भावना है ।

जैसाकि माननीय सदस्यों को पता ही है, कि सरकार का उद्देश्य जनता को आवश्यक और जीवन रक्षक औषधियां उचित दामों पर उपलब्ध कराना ही है । ऐसी औषधियों के मूल्य नियन्त्रित किए जाते हैं । अनेक वर्षों से सरकार ने ऐसी औषधियों के मूल्यों में संशोधन नहीं किया है । 1978 की औषधी नीति में विशेष रूप से, मूल्य स्थिर कर दिये गये थे । इस स्थिरता में मार्च 1979 में ढील आई जब सरकार ने औषध (मूल्य नियन्त्रण) आदेश, 1979 जारी किया । इसके पश्चात, पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि होने के कारण उपदानों (इनपुट्स) की लागत में काफी वृद्धि हो गई । औषधियों के निर्माता और विभिन्न संगठन तुरन्त ही मूल्यों में संशोधिन करना चाहते थे। सरकार ने अगस्त 1980 में नये मूल्य नियन्त्रण आदेश के आधार पर मूल्यों का समायोजन करते समय सरकार द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई जानी थी उसके बारे में निर्णय लिया गया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ लागत में हुई वृद्धि को भी ध्यान में रखा गया ।

112 बल्क औषधों और बहुत से फार्मुलेशनों के मूल्य अब तक संशोधित किए जा चुके हैं । इन संशोधनों से कुछ औषधियों के मूल्य बढ़े हैं और कुछ के कम हुए हैं । सरकार यह चाहती है कि एक तो यह सुनिश्चत किया जाए कि आवश्यक औषधियां उचित दामों पर मिलती रहें तथा दूसरे निर्माताओं को भी उचित लाभ मिले जिससे उत्पादन और विस्तार के लिये प्रोत्साहन मिले ।

सभी वस्तुओं के औसत दामों की तुलना में औषधियों और दवाइयों स्थिर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर अगर 1970-71 को आधार वर्ष मानें तो सभी वस्तुओं को 1979-80 में औसत थोक भाव सूचकांक 217.6 था। औषधों और दवाइयों का सूचकांक 135·2 था। अप्रैल 1980 से फरवरी 1981 की अवधि में सभी वस्तुओं का औसत थोक भाव सूचकांक 225.5 था जबकि औषधों और दवाइयों का 137.2 था।

आवश्यक और जीवन रक्षक दवाएं उपलब्ध हैं अथवा नहीं इस की जांच सरकार हर सप्ताह व्यवस्थित ढंग से करती है। जैसाकि माननीय सदस्यों को शायद विदित ही हो कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स से विभाग में एक निगरानी कक्ष का गठन किया गया है तथा एक अधिकारी को भी पद नामित किया गया है जिससे जनता औषधियों के उपलब्ध न होने पर सीधे संघर्ष कर सकती है। कमी के बारे में प्राप्त रिपोर्टों तथा कमी को दूर करने के लिये जो उपाय किये जाते हैं उन्हें प्रभारी मन्त्री और मैं नियम से देखता हूं।

जिस उत्पाद की कमी बताई जाती है उनके निर्माताओं तथा उसीके समकक्ष उत्पादों के निर्माताओं को सरकार यह कहती है कि वे जिस इलाके से कमी की सूचना मिले उस इलाके में तुरन्त ही सप्लाई पहुंचाएं। किसी विशिष्ट क्षेत्र में किसी विशेष दवाई की अवाधिक कमी हो जाती है। लेकिन आमतौर पर उसके समकक्ष दूसरी दवाई उपलब्ध होती है। देश में बिकने वाली बहुसंख्यक फार्मुलेशनों को ध्यान में रखें तो कोई एक फार्मुलेशन देश के किसी विशेष क्षेत्र में कम मात्रा में अनुपलब्ध हो सकता है। इसके अनेक कारण हो सकते हैं जैसे कि आयातित औषधियों की कमी अथवा परिवहन संबंधी समस्याएं अथवा श्रमिकों की हड़ताल आदि अथवा उत्पादन केन्द्रों में बिजली की कटौती। ऐसा होने पर आमतौर पर दूसरे निर्माताओं के ब्रांड उपलब्ध होते हैं। मूल निर्माता अथवा उसके समकक्ष निर्माता अक्सर सम्बन्धित क्षेत्र में स्टाक भिजवा देता है। इस पर निरन्तर निगरानी रखी जाती है तथा निगरानी कक्ष भी इसकी जांच रखता है।

जैसा कि माननीय सदस्य जानते ही हैं कि आधुनिक दवाओं से देश में ज्यादातर लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं तथा औषधियों की प्रति व्यक्ति वार्षिक खपत अब भी कम है। सरकार इन दो उद्देश्यों—(एक) आवश्यक और जीवन रक्षक दवाएं लोगों को उचित दामों पर अधिक से अधिक उपलब्ध कराना। और (दो) औषधियों और दवाईयों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना—के लिए हम कृत संकल्प हैं—इस दिशा में सरकार निरन्तर प्रयास कर रही है।

महोदय, मैं उर्वरकों के उत्पादन के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा।

वर्ष 1980-81 के आरम्भ में नाइट्रोजन उर्वरक की क्षमता 38.91 लाख टन और फासफोरस पेंटा आक्साइड की क्षमता 12.72 टन थी ताल्चेर, रामगुन्डम और फुलपर स्थिति तीन नये संयंत्र आरम्भ किये जाने के कारण नाइट्रोजन की क्षमता बढ़कर 47.75 लाख टन हो गई जब कि एक नये छोटे सुपरफास्फेट संयंत्र से उत्पादन आरम्भ होने के कारण फासफोरस पेंट्रा आक्साइड की क्षमता थोड़ी सी बढ़कर 12·82 लाख टन हो गई।

इस समय 33 उर्वरक संयत्रों में सीधे नाइट्रोजन और फास्फेट उर्वरक एवं विभिन्न श्रेणियों

के सम्मिश्रिण तैयार किये जा रहे हैं। इन में से 22 संयंत्र सार्वजनिक क्षेत्र में हैं 9 निजी क्षेत्र में और 2 सहकारी क्षेत्र में हैं।

बिजली की कटौती, फीड स्टाक सम्बन्धी समस्याओं और निवेश की समस्याओं के कारण 1980-81 में उर्वरक संयंत्रों, विशेष रूप से नाइट्रोजन उर्वरक संयंत्रों में उत्पादन में काफी गिरावट आई। 1979 के भयंकर सूखे को देखते हुए ज्यादातर राज्य सरकारों ने बिजली में कटौती की थी। मंगलौर, कानपुर, गोरखपुर, कोटा, विशाखापट्टनम, राउरकेला और पानीपत के संयंत्रों को बिजली की भारी कमी का सामना करना पड़ा।

ताल्चेर और रामगुंडम स्थित संयंत्र, इन राज्यों में बिजली की कटौती के कारण लगभग छः महीनों तक शुरू नहीं किये जा सके। जुलाई 1980 तक स्थिति में सुधार हुआ। लेकिन मैं यह अवश्य ही स्वीकार करूंगा कि एक बार फिर इसमें अस्थिरता आ रही है। पानीपत के संयंत्रों को जनवरी में 15 दिन के लिये तथा दोबारा फिर फरवरी के मध्य से बिजली की कमी के कारण बन्द करना पड़ा। तमिलनाडू में भी बिजली की कटौती की गई। राज्य सरकारों के लिये यह आवश्यक है कि वे उर्वरक उद्योग को जितनी प्राथमिकता दे सकते हैं अवश्य दें तथा साथ ही उर्वरक संयंत्रों के लिये बिजली की कटौती न की जाये। 1980-81 के बारे में विचार करें तो दूसरी प्रमुख बाधा फीड स्टाक सम्बन्धी समस्याओं के कारण उत्पन्न हुई। नामरूप एक्सपेंशन, बरौनी, सिमेरी माडर्नाइजेशन, कानपुर और नांगल एक्सपेंशन संयंत्र कई कई बार बन्द करने पड़े क्योंकि असम आन्दोलन के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिणामों के कारण फीडस्टाक उपलब्ध नहीं हो सका।

फीड स्टाक की सप्लाई उत्पन्न हुये अवरोध को दूर करने के लिये सरकार ने बहुत से कदम उठाये। सप्लाई के पुराने तरीकों के स्थान पर दूसरे साधनों से फीड स्टाक भेजे जाने के प्रबन्ध किये गये चाहे इसके लिये ज्यादा ढुलाई तथा रेलवे पर ज्यादा बोझ ही क्यों न पड़ा हो। अन्य बाधा जिसकी वजह से और विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा के संयंत्र प्रभावित हुये, वह थी कोयले की सप्लाई में कमी। यहाँ भी सप्लाई बढ़ाने के सतत प्रयास किये गये तथा साल की अन्तिम तिमाही में सप्लाई की स्थिति, काफी सन्तोषजनक रही। इस स्थिति में मैं रेलवे के प्रयासों के प्रति आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होंने फीडस्टाक और कोयले की सप्लाई में हमारी सहायता की। सरकार द्वारा उठाये गये इन विशेष उपायों के परिणामस्वरूप अगस्त 1980 से नाइट्रोजन उर्वरक के उत्पादन में सुधार आरम्भ हुआ तथा दिसम्बर 1980 में उत्पादन सबसे अधिक—अर्थात 2.25 लाख टन तक पहुंच गया। तथापि, 1980-81 में नाइट्रोजन उर्वरक का कुल उत्पादन 27.5 लाख टन के लक्ष्य की तुलना में लगभग 21.3 लाख टन होने की आशा है, फिर भी उत्पादन में उपरोक्त कारणों से गिरावट आई है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि फास्फोरिक उर्वरकों का उत्पादन पिछले वर्ष की अपेक्षा अधिक रहा है। आशा की जाती है कि फासफोरस पेंटा आक्साइड के 8.5 लाख टन उत्पादन लक्ष्य की अपेक्षा 8.3 लाख टन ही होगा तथा पिछले वर्ष इसका उत्पादन 7.56 लाख टन हुआ था।

कुछ उर्वरक संयंत्रों विशेष रूप से दुर्गापुर, कोचीन-एक और-दो नामरूप एक्सपेंशन, बरौनी, ट्राम्बे-चार और सिन्दरी रैशनलाइजेशन, में···खराबियों को दूर करने के लिए सुधार की कार्यवाही

की गई है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि कोचीन-एक और बरोनी संयंत्रों के कार्य सम्पादन में पहले ही काफी सुधार हुआ है तथा अन्य संयंत्रों के कार्य सम्पादन में 1981-82 तक सुधार आ जाएगा।

वर्ष के दौरान कोयले से चलने वाले भारत के पहले दो संयंत्रों—तालचेर और रामगुंडम में वाणिज्यिक उत्पादन हुआ। यद्यपि इन संयंत्रों के चलने के शुरू के कुछ महीनों में आरंभिक समस्याएं आईं किन्तु अब उनमें सुधार होने की आशा है तथा 1981-82 में इनमें निरंतर उत्पादन होने लगेगा।

नेवेली उर्वरक संयंत्र का कार्य सम्पादन वर्ष के दौरान बहुत ही अच्छा रहा तथा इससे 85% क्षमता का उपयोग किया जा सका। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि फीडस्टाक को ईंधन तेल में बदलने के पश्चात, संयंत्र में पहली बार सारे वर्ष भर उत्पादन हुआ है। यह कार्य सम्पादन निश्चय ही प्रशंसनीय है। साधारणतया, ईंधन तेल पर आधारित संयंत्रों को जब भी फीडस्टाक और उपादान की पर्याप्त सप्लाई की गई तभी उनका कार्य काफी संतोषप्रद रहा दि मद्रास फर्टिलाइजर लिमिटेड संयंत्र की सुरक्षा के श्रेष्ठतम रिकार्ड में और सुधार हुआ है। इसकी क्षमता उपयोग इसकी अधिष्ठापित क्षमता से कुछ अधिक है। दि इण्डियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिक लिमिटेड में 1980-81 के दौरान इसकी निर्धारित क्षमता से अधिक कार्य हुआ। फुलपुर स्थित इसके नए संयंत्र में 1980-81 के अन्त में वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ हुआ तथा 1981-82 में भी अच्छा उत्पादन होने की आशा है।

वर्ष 1980-81 के दौरान उर्वरक के उत्पादन और विशेष रूप से नाइट्रोजन उर्वरक के उत्पादन में आई गिरावट के बावजूद भारत में 1981-82 के दौरान उर्वरकों के उत्पादन की संभावनायें बहुत ही अच्छी हैं। पांच नए संयंत्र—अर्थात ट्राम्बे-पाँच में राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स के संयंत्र, हल्दिया में हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कार्पोरेशन का भरूच में गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर कम्पनी का इन्डियन फार्मर्स फर्टिलाइजर को-आपरेटिव लिमिटेड का काँडला एक्सपेंशन संयंत्र तथा इन्डियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड का कानपुर एक्सपेंशन संयंत्र अगले वर्ष के दौरान चलाए जाएँगे तथा नाइट्रोजन उर्वरक की अधिष्ठापित क्षमता 1-4-1981 को 45.75 लाख टन से बढ़कर मार्च 1982 तक 52.02 लाख टन हो जाएगी।

सभापति महोदय : श्री टी० आर० रामन्ना।

श्री बापू साहिब परुलेकर : अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं माननीय मन्त्री से एक स्पष्टीकरण जानना चाहूँगा।

सभापति महोदय : कल जब मन्त्री महोदय जवाव देंगे···(व्यवधान)

श्री टी० आर० रामन्ना (बंगलौर दक्षिण) : मुझे वहुत खुशी है कि आज की चर्चा में मैं भाग ले सका। यह मन्त्रालय महत्वपूर्ण मन्त्रालयों में से एक है। यह मन्त्रालय पैट्रौल से सम्वन्धित है जिसका कि देश की परिवहन प्रणाली से सीधा सम्बन्ध है। दूसरे इसका उर्वरकों के बारे में भी

सम्बन्ध हैं जिनका कृषि उत्पादों के उत्पादन से सीधा सम्पर्क है और यह गरीब और मध्यम श्रेणी के लोगों से भी सम्बन्धित है, क्योंकि उनके घरों में प्रकाश तथा स्टोव जलाने के लिए मिट्टी का तेल प्रयोग किया जाता है। इस सबके अलावा इस विभाग को औषधियों के उत्पादन और वितरण का कार्य भी सौंपा गया है तथा इन सब महत्वपूर्ण बातों को देखते हुए मैं माननीय मन्त्रीजी से यह आशा करता हूं कि सबसे पहला कार्य वह यह करें कि इनका मूल्य जितना कम हो सके किया जाए तथा गरीब लोगों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली तथा देश के औद्योगिक विकास में काम आने वाली वस्तुओं के मूल्य विशेष रूप से कम किए जाने चाहिएँ। इसके अलावा किसी भी हालत में इनके स्तर में गिरावट नहीं आनी चाहिए। मिलावट की जाँच की जाए तथा मिलावट वाले खाद्य पदार्थों को बाजार में नहीं बिकने दिए जाएँ। इसके अलावा नकली दवाइयाँ बिकने नहीं दी जाएँ। इस सबके अलावा वितरण प्रणाली पर अवश्य ही ठोस नियन्त्रण होना चाहिए।

आज पेट्रोल संसार में चर्चा का विषय है। संसार के प्रत्येक भाग में इसकी महत्ता स्पष्ट है तथा प्रत्येक देश इस कोशिश में है कि वह वर्तमान स्थिति से किस प्रकार सबसे अच्छे ढँग से निपट सकता है। हमारा देश हर साल 5000 से 6000 करोड़ रुपये का भार वहन नहीं कर सकता। कोई ऐसा उपाय ढूंढ़ना चाहिए जिससे कि हम इस पर यथासम्भव कमसे कम खर्च करें। ये सब उपाय एक साथ काम में लाए जाएँ। सबसे पहले हम पैट्रोल का उपयोग बहुत कम कर दें तथा पैट्रोल के बजाए या तो अल्कोहल अथवा बिजली अथवा कोयला, गैस अथवा वनस्पति तेल अथवा कोई और वस्तु प्रयोग में लाएँ। मैं यह सुझाव भी दूँगा कि अगर इसका राशन किया जाए तो पैट्रोल की खपत कम करने में काफी सहायता मिलेगी। इस बात के लिए तुरन्त कार्यवाही की जाए कि हर हालत में खपत में 25% को कटौती की जाए हाँ, सेना जैसे आवश्यक कार्यों के लिए छूट दी जा सकती है। मैं यह भी चाहता हूँ कि इसके लिए बफर स्टाक बनाया जाए ताकि आवश्यकता पड़ने पर अर्थात हड़ताल अथवा परिवहन व्यवस्था में रुकावट आने पर प्रयोग में लाया जा सके, अन्यथा बाद में इसे ठीक करना कठिन होगा।

किसी वैकल्पिक साधन के उपयोग किए जाने में मैंने अल्कोहल का जिक्र भी किया है। इस बारे में तमिलनाडु और केरल में पहले ही एक बड़ा स्पिरिट काँड हुआ है। यहाँ मैं यह भी बताना चाहूँगा कि कर्नाटक में भी इसी प्रकार की बात हुई है। मेरे पास यहाँ इसके विवरण मौजूद हैं लेकिन चूंकि ये इन मन्त्री महोदय से सम्बन्धित नहीं हैं अतः मैं इन्हें यहाँ प्रस्तुत नहीं करूँगा। चूंकि स्पिरिट दवाइयों के उपयोग में लाई जाती है, उसका मैं यहाँ जिक्र करूँगा। बहुत सी फर्मों को स्पिरिट का आवंटन विशेषतया एथिल एशीटेट का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। इसके लिये बहुत सी फर्मों को लाइसेंस दिये गये हैं। ऐसी बहुत सी फर्में हैं लेकिन मैं एक फर्म का ही उदाहरण दूंगा। बँगलौर की एक फर्म को दवाइयां बनाने के लिए हर महीने 40,000 लिटर स्पिरिट दी जाती है। इसके लिए स्पिरिट का मूल्य 1.25 रु० प्रति लिटर है। 40,000 लिटर के लिए यह राशि 50,000 रु० होगी। इस पर उत्पाद शुल्क आयुक्त के कार्यालय में 40,000 रु० खर्च होते हैं। कारखाने में इस पर 2 रु० प्रति लिटर के हिसाब से खर्च आता है अर्थात कुल 80000 रु०। इस प्रकार 40,000 लिटर पर कुल मिलाकर 2.13 लाख रुपये खर्च होते हैं। पानी में मिलाने के बाद 25 रु० प्रति लिटर के हिसाब से बेचने पर उन्हें लगभग 10 लाख रु० मिलेंगे। इसमें से अगर

2 लाख रुपये कम कर दिए जाएँ तो हर महीने लगभग 8 लाख रु० का लाभ होगा। इसका अर्थ है कि एक फर्म को हर साल 1 करोड़ रु० का मुनाफा हो रहा है तथा यह राशि न केवल उन लोगों को बाँटी जाती है जिनका इस कारोबार से सम्बन्ध है अपितु उन लोगों को भी बाँठी जाती है जो सम्बन्धित कार्यालय में काम करते हैं। ऐसी अन्य बहुत सी फर्में हैं। इस प्रकार काफी मात्रा में अल्कोहल अनुचित रूप से बेकार हो जाता है। मैं यह चाहता हूँ कि इसका उपयोग लाभकारी कार्यों के लिए विशेष रूप से पेट्रोल के विकल्प के रूप में हो।

यहाँ सारे विवरण दिए गए हैं तथा मैं यह कर्नाटक सरकार के समक्ष रखूंगा कि ऐसी कौन-कौन सी फर्में हैं तथा उन्हें किस भाव पर स्प्रिट दी जाती है तथा किस-किस को इसे बेचते हैं आदि। जहाँ तक इन मन्त्री का सम्बन्ध है मैं उनकी जानकारी में यह लाना चाहता हूँ कि इस बात का ध्यान रखा जाए कि दवाई आदि के लिए जो भी सामग्री दी जाए उसका इस प्रकार दुरुपयोग न हो।

उर्वरकों के बारे में मुझे यह बताया गया है कि इनमें काफी मिलावट है। इनमें राख और अन्य वस्तुएँ मिलाई जाती हैं। इसका ध्यान रखा जाए।

जहाँ तक दवाओं का सम्बन्ध है उनके भाव प्रति वर्ष बढ़ रहे हैं। मूल्य असाधारण रूप से अधिक हैं। बाजार में काफी मात्रा में नकली दवाइयाँ भी मिल रही हैं। मैं सरकार से पुरजोर आग्रह करता हूँ कि इन फार्मास्यूटिकल्स उद्योगों का यथा शीघ्र राष्ट्रीय करण किया जाए जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि न केवल अच्छे किस्म की दवाइयाँ उपलब्ध हों अपितु वे उचित दामों पर भी मिलें। मैं यह आशा करता हूँ कि अपने कार्यकाल में माननीय मंत्री फार्मास्यूटिकल्स उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने में निर्भीक कदम उठायेंगे जिससे देश में अच्छी किस्म की दवाइयां सस्ते दामों पर मिल सकें। सैकड़ों दवाइयाँ विभिन्न नामों से तैयार की जाती हैं तथा कमीशन के रूप में काफी मात्रा में धन की बरबादी की जाती है। अगर दवाई का स्तर बानकीकृत कर दिया जाए तो इससे लोगों को सहायता मिलेगी। अतः मैं माननीय मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि वे कम से कम अपने कार्यकाल में फार्मास्यूटिकल्स उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दें।

मुझे यह बताया गया है कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग और भारतीय तेल निगम में सब कुछ ठीक नहीं हो रहा। मुझे यह भी बताया गया हैं कि वहां काफी गुटबन्दी है तथा उचित तालमेल भी नहीं है। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को ठीक से देखेंगे और इसे और अधिक प्रभावकारी बनाएँगे।

मुझे यह बताया गया है कि सरकार द्वारा जारी की गई औषध नीति अधिसूचना में काफी अनियमितताएँ हैं। मैं मन्त्री जी से यह अनुरोध करता हूँ कि वे औषध नियंत्रण अधिनियम की जाँच करने के लिए कार्यवाही करें और यदि आवश्यक हो तो नई अधिसूचना जारी करें जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दवाइयों की किस्म और मूल्य काफी मात्रा में नियंत्रित किए गए हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय है तथा इसमें औषध और दवाइयां विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। मुझे आशा है कि मन्त्री महोदय अच्छी किस्म की दवाइयाँ सस्ते दामों पर उपलब्ध कराने के लिए कदम उठायेंगे जिससे कि आम आदमी को फायदा हो सके।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : सभापति महोदय, मैं पैट्रोलियम और कैमिकल्स मिनिस्ट्री की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हूं ।

देश में यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही, जब 1977-80 तक जनता पार्टी का शासन इस देश में आया । अगर जनता पार्टी का शासन न आया होता तो निश्चित तरीके से हम पैट्रोलियम पदार्थों में और फर्टिलाइजर्स के उत्पादन में ज्यादा से ज्यादा इस्टेबलिश करने में और कैमिकल्स के मामले में आत्मनिर्भरता के रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे और उसमें हमें निश्चित तरीके से कायमाबी मिलती । हमारे देश का दुर्भाग्य यह है कि जनता पार्टी का शासन आया, जिसकी वजह से सारा उत्पादन ठप्प पड़ गया और देश प्रगति की ओर अग्रसर नहीं हो सका । लेकिन जब से हमारा शासन आया और हमारे सेठी जी के हाथ में जब से यह डिपार्टमेंट आया, तो निश्चित तरीके से इस डिपार्टमेंट में और तीन-चार और विभागों में काफी प्रगति नजर आ रही है । छठी पंचर्षीय योजन से भी यह महसूस होता है कि हम पैट्रोलियम पदार्थों के अन्दर काफी आत्मनिर्भरता के रास्ते पर पहुंच जायेंगे और हम काफी सफलता प्राप्त करेंगे-इस प्रकार की स्थिति हमको नजर आती है । फिर भी मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस संबंध में ज्यादा से ज्यादा काम कीजिए, ताकि जितना पैसा हम को फॉरन-एक्सचेंज पर खर्चकरना पड़ता है, वह हमारा बच सके और वह पैसा हम दूसरी ओर अपने देश की प्रगति के लिए लगा सकें । इस प्रकार की व्यवस्था की आज आवश्यकता है ।

खाद के मामले में भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमने काफी प्रगति की है, लेकिन खास तौर से मैं अपने स्टेट के मामले में आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि, जैसा सुखाडिया साहब ने भी कहा है, रक्रॉस फास्फैट और पाइराइट का हमारे यहां बहुत बड़ा भण्डार है, जो कि झामर कोटला और सलादीपुरा में हैं । मैं यह कहना चाहता हूं कि इसके ऊपर बेसड खाद का कारखाना निश्चित तरीके से राजस्थान के अन्दर लगाना चाहिए । राजस्थान बहुत पिछड़ा हुआ प्रान्त है, जहां पर कि भारत सरकार ने आज तक दो परसेंट से ज्यादा पैसा पब्लिक सैक्टर में नहीं लगाया है । इस की वजह से वहां की प्रगति रुकी हुई है । वहां की प्रगति तेज करने के लिये यह आवश्यक है कि वहां पर खाद के कारखाने स्थापति किये जाँय ताकि उन के जरिये हमारी एग्रीकल्चर प्रोडयूस बढ़े और गरीब काश्तकारों की आर्थिक हालत में सुधार हो । गैस पर आधारित जो आप खाद का कारखाना लगाने की व्यवस्था कर रहे हैं-हमारी माँग है कि राजस्थान में निश्चित तरीके से गैस पर आधारित खाद का कारखाना लगाना चाहिये, जिस से राजस्थान भी तेजी से प्रगति के रास्ते पर बढ़े सके ।

आप जानते हैं हमारे यहाँ जिंक का बहुत बड़ा भण्डार भीलवाडा जिले के आगूचा गांव में मिला है । उन भण्डारों का जब हम दोहन करेंगे तो उन से जो रसायन प्राप्त होंगे, चाहे सोडाएश हो या अन्य प्रकार के रसायन हों, उन पर आधारित कारखाने भीलवाड़ा जिले में स्थापित होने चाहिये वहां पर जिंक का इतना बड़ा भण्डार मिला है जितना शायद एशिया में कहीं नहीं है । इस तरफ विशेष ध्यान दिया जाय तथा शीघ्रसे शीघ्र वे कारखाने स्थापित हों ताकि वह क्षेत्रभी आगे बढ़ सके ।

मेरा निवेदन है कि डीजल का एलाटमेन्ट राजस्थान के लिए बहुत कम हो रहा है । हमारे यहां पिछले दो सालों से अकाल की स्थिति बनी हुई है, पानी भी कम बरसा है, बिजली का उत्पादन

बहुत कम हुआ है। पंजाब और हरियाणा बिजली के मामले में हमको बहुत परेशान कर रहे हैं। मध्यप्रदेश भी हमारे बिजली के मामले में बहुत गड़बड़ करता है। इस लिए व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें डीजल का ज्यादा एलाटमेन्ट दिया जाना चाहिए ताकि उसके जरिये एग्रीकल्चर के प्रोड्यूस को बढ़ा सकें। हमारे यहाँ जिन कारखानों ने अपने जैनरैटिंग सैट्स लगा रखे हैं उनको ठीक प्रकार से डीजल दिया जाय तो हमारा उत्पादन बढ़ सकता है—इस तरफ भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये।

अब मैं अपने जिले के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। पिछले साल हमने आप से कुछ पैट्रोल पम्प्स देने के लिए निवेदन किया था तथा आपने दो पैट्रोल पम्प्स दिये—जिसके लिए हम आपके आभारी हैं। हमारे यहाँ अभी भी चार स्थान ऐसे हैं जो तहसील हैडक्वार्टर्स हैं लेकिन वहां पैट्रोल पम्प नहीं हैं। जैसे गुलाब पुरे में पैट्रोल पम्प नहीं हैं। हमने आप को लिखा था, लेकिन आप कहते हैं विजय नगर में पैट्रोल पम्प है इस लिये गुलाबपुरे में नहीं दिया जा सकता। विजय नगर अजमेर डिस्ट्रिक्ट में है और गुलाबपुरा भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में हैं। वहाँ पर दो टैक्स-टाइल मिलें लगी हुई हैं, अन्य कई इण्डस्ट्रीज लगी हुई हैं, सब-डिवीजन का हैडक्वार्टर है, दो-तीन तहसीलें साथ में लगती हैं। जब वहां पर डीजल और पैट्रोल की कमी हो जाती है तो उन सब लोगों को बहुत खटकता है और 55 मील दूर मॉडल जाकर डीजल लाना पड़ता है। इस लिये वहां पर डीजल और पैट्रोल पम्प अवश्य लगा दीजिये जिस से वहाँ के काश्तकारों और इण्डस्ट्रीज को लाभ होगा। आशा हैं मंत्री जी इस पर अवश्य ध्यान देंगे।

शाहपुरे में एक पैट्रोल पम्प है जिसे जनता पार्टी के शासन के लोगों ने एक जांगिया-पल्टन वाले को दे दिया था। उस जांगिया पल्टनवाले ने पिछले दिनों क्या किया कि जितने कांग्रेस (आई)के लोग थे या दूसरी संस्थाओं में विश्वाग करने वाले थे, उनको अभाव के समय, जब उसकी कमी थी, एक बून्द भी नहीं दिया, लेकिनजितने जांगिया पल्टन के लोग थे उन को चुन-चुन कर पैट्रोल और डीजल दिया। इस तरह की स्थिति उसने वहां पर पैदा कर रखी है। हमने विभाग को लिखा, मंत्री महोदय को लिखा कि आर० एस० एस० के लोगों को पैट्रोल पम्प दे दिया गया है जिस से शाहपूरे के सारे सब-डिवीजन में, जो एक बहुत बड़ी नगरपालिका भी है, बड़ी दिक्कत पैदा हो गई है। वे वहां के लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं। वे लोग ब्लैक भी करते हैं, कालाबाजारी करते हैं—इस प्रकार की अव्यवस्था उस ने फैला रखी है। मैं चाहता हूं कि उस की जांच की जाय तथा माननीय मंत्रीजी से अनुरोध करूंगा कि शाहपूरे में एक और पैट्रोल-पम्प की व्यवस्था की जाय ताकि वहां के गरीब काश्तकारों को ठीक तरह से पैट्रोल और डीजल उपलब्ध हो सके और राहत मिल सके।

इसी तरह से हमारे यहां कोटड़ी, रायपुर और बिजौलिया—ये तीन तहसील हैडक्वार्टर्स हैं जहां पैट्रोल पम्पों का होना निहायत आवश्यक है। आप पिछड़े क्षेत्रों पर बहुत कृपा करते हैं—ये भी पिछड़े क्षेत्र हैं—इसलिये मैंने जिन स्थानों के नाम दिये हैं उन पर भी कृपा कीजिये।

बहुत बड़ी मात्रा में वहां पर काश्तकारों के लिए और इंडस्ट्रीज के लिए डीजल की जरूरत होती है और उस की खपत वहां पर है। इसलिए मैं आशा करता हूं कि निश्चित तरीके से आप वहां

पर पैट्रोल पम्प स्थापित करने की व्यवस्था करेगें। भीलवाड़ा शहर जो है, उसकी आवादी सन् 1981 की जनगणना में 1,25,000 हो गई है और आप ने यहां पर घोषणा की थी कि जहाँ की आवादी 1 लाख हो जाएगी, वहां पर हम गैस की एजेन्सी देगें। इसलिए मेरा आप से निवेदन है कि वह एक इंडस्ट्रियल एरिया है और वहाँ पर काफी इंडस्ट्रीज हैं और वह एक डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर भी है, वहां पर आप को निश्चित तरीके से गैस की एजेन्सी देनी चाहिए ताकि वहां के लोगों को सुविधा मिल सके। मुझे आशा है कि वहां पर आप अवश्य एक गैस की एजेन्सी स्थापित करने में मदद करेगें।

एक और निवेदन मेरा दवाइयों के सम्बन्ध में हैं। दवाइयों के बारे में अभी हमारे राज्य मंत्री महोदय ने एक लम्बा-चौड़ा स्टेटमेंट दिया है मगर हमारा यह अनुभव है कि जीवन के लिए जो आवश्यक दवाइयां हैं, वे या तो मिलती ही नहीं हैं और अगर मिलती हैं, तो काला-बाजार में मिलती हैं। इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए कि वे दवाइयाँ काला-बाजार मे न मिलें। जहां पर आप की कोआपरेटिव सोसाइटियां खुली हुई हैं, वहां पर तो दवाइयों की व्यवस्था ठीक प्रकार से हो जाती है या जहां पर सरकारी व्यवस्था है, वहां पर भी दवाइयाँ मिल जाती हैं लेकिन जहां पर सरकारी व्यवस्था नहीं है, वहां पर दवाइयां काला-बाजार में मिलती हैं। ऐसी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए कि दवाइयाँ काला-बाजार में न मिलें।

इसी सम्बन्ध में मेरा दूसरा निवेदन यह है कि जो लोग नकली दवाइयाँ बनाते हैं या दवाइयों में मिलावट करते हैं, उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए और जो लोग दोषी पाए जांए, उन को प्राण दंड देना चाहिए। मैं चाहता हूं कि इस प्रकार की व्यवस्था निश्चित रूप से होनी चाहिए और मेरा मंत्री जी से यह निवेदन है कि वे इस सम्बन्ध में सख्त कदम उठाएँ। जो लोग इस देश में नकली दवाएं बनाते हैं या जो लोग दवाइयों में मिलावट करते हैं, मैं यह समझता हूं कि उन को इस देश में जिन्दा रहने का कोई हक नहीं है और वे देश के गद्दार हैं और उन को निश्चित रूप से सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि दूसरे लोगों को इबरत मिल सके और आगे कोई ऐसी गड़बड़ न कर सके।

मुझे आशा है कि आप हमारी बातों पर ध्यान देकर और हमारे सुझावों पर गौर करके, उन को पूरा करने की कोशिश करेगें।

इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं और निवेदन करता हूं कि आप ने हमारी बातों को पहले भी सुना है और अब भी सुनेगें और उनको पूरा करेंगें।

सभा पटल पर रखे गये पत्र—जारी

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत अधिसूचना

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : मैं सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत विमान के अतिरिक्त पुर्जों को विमान की मरम्मत करने के लिए, मूल्यानुसार 3 प्रतिशत से अधिक मूल सीमा-शुल्क से और सम्पूर्ण अतिरिक्त और उपसंगी सीमा-शुल्क से छूट

देने सम्बन्धी अधिसूचना संख्या 99-सीमा-शुल्क और 100-सीमा-शुल्क / सा० सां० नि० 261 (ङ) और 262 (ङ) / (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति जो दिनांक 1 अप्रैल, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन सभा पटल पर रखता हूं। (ग्रन्थालय में रखा गया देखिए, संख्या एल० टी० 2261/81)

आधे घन्टे की चर्चा

मैसर्स इण्डिया पेपर पल्प कम्पनी लिमिटेड, हाजीनगर, पश्चिम बंगाल का बन्द होना

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : सभापति जी, आज जब सारे देश में कागज का भयंकर अभाव हो गया है या यों कहें कि इसका एक बहुत बड़ा अकाल है, तो ऐसी परिस्थिति में हमारे देश के अन्दर ही जो कागज का कारखाना, मैसर्स इंडिया पेपर पल्प कम्पनी लिमिटेड, हाजीनगर, 24 परगणा, वेस्ट बंगाल में है, वह बन्द हो गया है। उसमें 1500 स्थायी कर्मचारी हैं और 300 से 500 तक अस्थायी या दैनिक मजदूर, केजुअल लेवर के रूप में वहाँ काम करते रहे हैं और उस कारखाने में करीब 10 लाख रुपये प्रति माह वेतन के रूप में भुगतान किया जाता था। 1968 से यह कारखाना रुग्ण हो गया है और इसका कारण यह है कि वहाँ की जो मशीनरी है, वह पुरानी है, अऊट-डेटेड है, आऊट-मोडेड है और मजदूरों का इस में कोई दोष नहीं है। मजदूरों की तरफ से कोई हड़ताल हुई हो या उन की तरफ से कोई हंगामा हुआ हो, जिस के कारण वह बन्द हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए मेरा यह कहना है कि इस कारखाने को चलाने के लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए था और इसको टेक-ओवर करना चाहिए था। यह कारखाना एक प्राइवेट फर्म एंड्रयू यूले एण्ड कं० द्वारा चालू किया गया था। इसमें 60 से 70 टन प्रतिदिन उत्पादन होता था। यह एक बहुत बड़ा कारखाना है। हमारे देश में 14 लाख टन पेपर चाहिए लेकिन उसकी जगह पर इसका उत्पादन केवल 9 लाख टन होता है। सरकार उस दिशा में सचेष्ट होगी और पेपर का उत्पादन बढ़ाने के लिए वह प्रयास करेगी, ऐसी आशा है। अगर इस दृष्टि से भी विचार किया जाए तो भी इस कारखाने का चलाना बहुत जरूरी है।

यह कारखाना बहुत समय से बंद है। जब जनता सरकार 1977 में आयी थी तो उसने भी इसके लिए प्रयास किया था। उसके बाद पिछले वर्ष काफी पत्र-व्यवहार हुआ और मंत्री जी ने बी०एम०एस० के सेक्रेट्री को सूचित किया कि एक एक्सपर्ट ग्रुप को नियुक्त किया गया है जो कि यह देखेगा कि यह कारखाना कैसे चलाया जा सकता है, इसमें मशीनरी और मेटेरियल का वह जायजा लेगा और इसमें क्या दोष हैं उसको वह देखेगा। उस कमेटी ने एक रिपोर्ट भी दी है लेकिन वह किधर पड़ी हुई है, विचाराधीन है या नहीं यह पता नहीं। बाद में इसके क्रेडिटर्स ने कोर्ट में केस किया और कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक तरह से इसके लिविवडेशन का आर्डर दे दिया। उसके बाद 12 फरवरी, 1981 को यह कारखाना सील कर दिया गया। लेकिन बंगाल गवर्नमेंट के रिलीफ इन्टरवेंशन से वह अवएंस में रखा गया, परिवीक्षा में रखा गया जिससे कि इस मामले पर विचार

किया जा सके क्योंकि 15 सौ मजदूर बेकार हो जाते हैं और दो हजार पाँच सौ केजुअल लेबरर बेकार हो जाते हैं। इस में इतने लोगों की रोजी का ही सवाल नहीं है, बल्कि राष्ट्र के हित का भी सवाल है जबकि सर्वत्र सारे देश में पेपर की कमी के बारे में हल्ला मचा हुआ है। बच्चों की पढ़ाई के लिए और छोटे-छोटे अखबारों को कागज नहीं मिल रहा है। कागज का उत्पादन बढ़ाने का सरकार को हर प्रयास करना चाहिए। लेकिन सरकार की तरफ से इस दिशा में उदासीनता दिखायी दे रही है। इसलिए आज मंत्री जी यह बताएं कि वे इसके लिए क्या निश्चित कदम उठा रहे हैं ? उनकी तरफ से अभी तक किसी निश्चितता का प्रमाण नहीं मिला है। मैं मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि वे इस दिशा में विशेष रुचि ले कर इस कारखाने को चलाने का प्रयास करें।

ले आफ करने का भी श्रमिकों ने केस कोर्ट में फाइल किया हुआ है। उसका डिसीजन बता दिया गया हे कि यह कानूनी आधार पर नहीं है क्योंकि मजदूरों का जो भुगतान होना चाहिए वह पूरा नहीं हुआ है और इसके बावजूद भी ले आफ किया गया।

एक त्रिपक्षीय समझौता भी हुआ था। जिसमें श्रमिक यूनियन वालों ने सरकार को यह बताया था कि, अगर यह कारखाना चलाया जाएगा तो हमारा जो बकाया है उसको हम छोड़ सकते हैं क्योंकि यह राष्ट्रीय महत्व का कारखाना है। वे कहते थे कि अगर इस कारखाने को चलाने के लिए उनका पेमेंट नहीं होता हो तो उसको भी वे छोड़ सकते हैं जिससे कि कारखाने की स्थिति सुधरे।

दिनांक 12.9.79 को इस प्रकार का एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ था जहां तक मजदूरों के बकाया का सवाल है, 2 महीने 10 दिन का उनका कंपसेशन 12 लाख होता है, प्राविडेंट फन्ड का कंट्रीब्यूशन जो जमा नहीं हुआ है वह 21 लाख है 1978-79 का बोनस 10 लाख रुपए, ई० एस० आई० का कंट्रीब्यूशन 22 लाख रुपए, फैमली पेंशन का 8 लाख रुपए, इस प्रकार कुल 73 लाख रुपए मजदूरों के बाकी हैं। ग्रेच्युटी और अन्य प्रकार की सुविधाओं की राशि भी बाकी है। यह बहुत अन्याय है। क्रेडिटर्स के लिए लिक्वीडेशन हो जाता है और मजदूर बेकार हो जाते हैं। क्रेडिटर्स लिक्वीडेशन में चलाकर अपना लाभ तो पूरा कर लेंगे, लेकिन मजदूर बेकार हो जाते हैं। एक तो उनकी सर्विस चली जाती है और दूसरा बकाया मजदूरी भी रह जाती है। इस प्रकार की विकट समस्या है। अभी तक लिक्वीडेशन एक्ट एप्लाई नहीं हुआ है, इसलिए सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और इस कारखाने को चलाना चाहिए। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि (क) एक्सपर्ट ग्रुप के कौन-कौन से सुझाव हैं और उन पर अमल करने का कहाँ तक प्रयास हुआ है (ख) 73 लाख रुपए जो बकाया हैं, उनके भुगतान की क्या गारंटी होगी, (ग) सेवा मुक्त 1500 अस्थायी कर्मचारियों के पुनर्नियोजन के लिए क्या-क्या उपाय किए जायेंगे, (घ) जनता सरकार द्वारा प्रदत्त 6 करोड़ 64 लाख रुपया खर्च हुआ या नहीं हुआ और यदि नहीं हुआ तो उसमें कौन से अधिकारी दोषी हैं और अंत में मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस भयंकर परिस्थिति में इस कारखाने को फिर से चलाने के लिए क्या मंत्री महोदय आश्वासन देंगे ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य महोदय का यह कहना बिल्कुल सही है कि इस कारखाने में सभी मशीनें बहुत पुरानी पड़ गयी हैं।

इनका यह कहना बिल्कुल सही है कि यह कारखाना लाभप्रद न रहने के लिए कर्मचारी बिल्कुल भी दोषी नहीं हैं। मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि इस प्रश्न पर विचार करने के पीछे सरकार की वास्तविक अभिलाषा यही है कि इन कर्मचारियों को रोजगार देकर इनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाये। हमारे लिए भी यही बात अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

जहां तक यूनिक की आर्थिक क्षमता का सम्बन्ध है, किसी कागज कारखाने को चलाने के लिए आवश्यक है कि पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल उपलब्ध हो। मैं आपसे सहमत हूं कि हमारे यहां कागज की आवश्यकता है। जहां तक कागज के उत्पादन का सम्बन्ध है, हम कागज का उत्पादन बढ़ाने के काम को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं ताकि हम देश में कागज की आवश्यकता को पूरा कर सकें तथा हमें कागज का आयात न करना पड़े। माननीय सदस्य इससे सहमत होंगे कि कागज का उत्पादन करने के लिए पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल प्राप्त करना आवश्यक है। इस कारखाने को चलाने में सबसे बड़ी रुकावट पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल न मिलने की है कारखाने को चलाना एक बात है तथा कर्मचारियों का पुनर्वास करना दूसरी बात है। माननीय सदस्य इस बात को स्वीकार करेंगे कि जब तक कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित न हो जाये, कारखाने को चलाना कल्पना मात्र ही होगा।

18,150 टन कागज के वार्षिक उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में 33,900 टन बांस और 14,500 टन पक्की लकड़ी की आवश्यकता पड़ने का अनुमान है। वन्य संसाधनों के निवेश पूर्व सर्वेक्षण की समीक्षा से यह पता चलता है कि जबकि बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र से 44,000 टन बांस प्राप्त किया जा सकता है, वास्तव में केवल 28,000 टन बांस प्राप्त किए जाने की ही सम्भावना है। अतएव, वास्तव में, 44000 तथा 28000 के बीच बहुत अन्तर है। इस अन्तर को पूरा करने के लिए हम बिहार सरकार पर दबाव डालने का प्रयास कर रहे हैं।

हमने बिहार सरकार से यह बताने के लिए कहा है कि वह इस कारखाने को कितना कच्चा माल सुलभ करा सकती है।

हमने अन्य राज्य सरकारों तथा वन-विभाग से भी यह पूछा है कि उनके पास पर्याप्त कच्चा माल उपलब्ध है अथवा नहीं।

पर्याप्त कच्चा माल उपलब्ध कराये जाने के सारे मामले पर विचार किया जा रहा है।

दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा, जो कि वस्तुतः सबसे अहममुद्दा है, कारखाने के मजदूरों को रोजगार देने का है तथा चूंकि इस कारखाने की मशीनें पुरानी पड़ गयी हैं अतः इस कारखाने की संयंत्र क्षमता की मरम्मत करना अथवा उसे ठीक करने जैसा अत्यन्त आवश्यक कार्य करना होगा। इस कारखाने पर 12.20 करोड़ रुपये का मूल पूंजी निवेश करना होगा तथा इसके अलावा 12.75 करोड़ रुपये की जो देयताएं हैं, उन्हें पूरा करने के लिए धन सुलभ कराना होगा। इस प्रकार इस कारखाने पर 25 करोड़ रुपये के लगभग पूंजी लगाने की आवश्यकता है। परन्तु इसमें माननीय सदस्य महोदय द्वारा इस प्रश्न विशेष के सम्बन्ध में उठाये गये सभी मुद्दों को सम्मिलित किया गया है।

कारखाने को आर्थिक दृष्टि से चलाने में तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा कारखाने को पर्याप्त बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। वर्ष 1981-82 में 100 के० वी० ए० तक तथा 1982-83 में 1,000 के० वी० ए० तक की बिजली की बिना रुकावट सप्लाई की गारंटी आवश्यक है तथा माननीय सदस्य महोदय यह जानते हैं कि बिजली की कमी से कारखाने की अर्थक्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अब हम यह देखने का प्रयास कर रहे हैं कि इस कारखाने के सम्बन्ध में यह संभाव्यता अर्थक्षम है अथवा नहीं।

क्षमता का 73 प्रतिशत से कम उपयोग होने पर यह योजना अर्थक्षम नहीं होगी जो कि कच्चे माल की उपलब्धता, संयंत्र को ठीक करना तथा पर्याप्त बिजली को उपलब्धता से सम्बद्ध है। क्षमता के 80 प्रतिशत तक के उपयोग से भी यह आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होगी यदि आदान लागत में 10 प्रतिशत तक की वृद्धि होती है अथवा बांस की कमी को पल्प के आयात से पूरा किया जाता है। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिन पड़ोसी राज्यों से कच्चा माल आ रहा है, उनसे किये गये समझौते की शर्तों के अनुसार उसे समाप्त भी किया जा सकता है तथा सम्भवतः एक समझौता तो समाप्त भी हो चुका है।

जहां तक श्रमशक्ति का सम्बन्ध है, हमारे पास सम्पूर्ण कारखाने की संयंत्र क्षमता को ठीक करने की योजनाएं हैं, जिनमें श्रमशक्ति का समुचित उपयोग भी सम्मिलित है।

मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि मार्च, 1980 के अन्त तक, जिसके बाद मजदूरों को जबरन छुट्टी पर भेजा गया था, इसके कर्मचारियों की संख्या 1477 थी तथा 252 नैमित्तिक कर्मचारी थे। अधिकतर तकनीकी तथा गैर-तकनीकी, पर्यवेक्षक तथा प्रबन्धकीय कर्मचारियों ने कारखाना छोड़ दिया है। प्रतिदिन 60 टन कागज़ के उत्पादन के लिए लगभग 1400 कर्मचारी तथा 75 टन दैनिक उत्पादन के लिए 1500 कर्मचारी लगाना आवश्यक है। इसके अलावा निरीक्षण अधिकारी और क्लर्क कर्मचारियों के रूप में 248 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। श्रमिकों की आवश्यकता को युक्तिसंगत बनाने के लिए निरीक्षण अधिकारी लोगों को हटाकर उपयुक्त व्यक्ति भर्ती करने होंगे।

जहां तक मजदूरों का सम्बन्ध है, नैमित्तिक मजदूरों को हमें हटाना होगा। अब मैं माननीय सदस्य द्वारा विशेष रूप से उठाये गये प्रश्नों के उत्तर दूंगा।

माननीय सदस्य ने पहला प्रश्न विशेषज्ञ दल के बारे में पूछा है। सदस्य महोदय को यह जानकर खुशी होगी कि उन्होंने जिस विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट तथा प्राक्कलनों का उल्लेख किया है, उनका उपयोग नहीं किया गया तथा समय बीतने के साथ-साथ वे पुराने पड़ गये। इसलिये सरकार ने औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो से इस प्रश्न की जांच करने के लिए कहा है कि इस मिल को आर्थिक दृष्टि से कैसे सक्षम बनाया जाये।

ये सभी मुद्दों पर जिनका मैंने आपसे उल्लेख किया है—कच्चे माल की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता, [illegible] बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करना, श्रमशक्ति का समुचित उपयोग तथा कारखाने को अर्थक्षम बनाने के लिए 25 करोड़ के लगभग पूंजी निवेश—औद्योगिक लागत और

मूल्य ब्यूरो द्वारा किये गये अध्ययन में विचार किया गया है, जो कि इस विषय पर नवीनतम विशेषज्ञ रिपोर्ट है। अतएव, माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये पुनर्नियोजन तथा 73 लाख रुपयों की अदायगी सम्बन्धी प्रश्न उस रिपोर्ट विशेष के अपनाने से सम्बन्धित हैं। सरकार समूचे मामले पर विचार कर रही है। हम सारे मामले की जांच कर रहे हैं। माननीय सदस्य ने जिन प्रश्नों को उठाया है, उन सभी पर विचार किया जा रहा है। मामले का निर्णय करते समय हम निश्चय ही इन सभी पर विचार करेंगे।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मुझे खुशी है कि माननीय मंत्री महोदय ने सरकार के सम्मुख प्रस्तुत कुछ समस्याओं के बारे में बताया है। उनके अनुसार ये समस्याएं हैं—कच्चे माल की अनुपलब्धता, बिजली की सप्लाई तथा धन की समस्याएं हैं। प्रमुख समस्याओं के रूप में उन्होंने इन समस्याओं का उल्लेख किया है।

आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि पश्चिम वंगाल सरकार इस कारखाने के बारे में बहुत अधिक उत्सुक है, क्योंकि इसके साथ 1500 से भी अधिक मजदूरों का भाग्य जुड़ा हुआ है। पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार को बिजली की सप्लाई के बारे में भी कुछ सुझाव दिये थे तथा सरकार ने कुछ रियायतें भी दी थी। पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री को इस देश की प्रधानमंत्री ने सूचित किया था कि इस कारखाने के सम्बन्ध में केवल एकमात्र समस्या कच्चे माल की उपलब्धता की समस्या है। पश्चिम बंगाल सरकार ने बिहार सरकार के साथ बातचीत की थी तथा दोनों सरकारों ने इस कारखाने विशेष के बारे में बांस अथवा अन्य कच्चे माल की उपलब्धता के सम्बन्ध में कुछ समझौता किया था।

जहां तक धन का सम्बन्ध है, इसके लिए वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त किया जा सकता है। जहां तक मुझे जानकारी है, जहां तक मुझे बताया गया है, बैंकों से ऋण प्राप्त किया जा सकता है। अन्य वित्तीय संस्थाओं ने ऋण देने से इन्कार नहीं किया है। अतएव, इन्होंने जिन समस्याओं का उल्लेख किया है···

सभापति महोदय : आप उनसे किस प्रकार का स्पष्टीकरण चाहते हैं ?

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : ऐसा प्रतीत होता है कि मंत्री महोदय को अधूरी जानकारी है। (**व्यवधान**)

श्री चित्त बसु : मैं उनसे जो स्पष्टीकरण चाहता हूं, वह इस प्रकार है कि उन्हें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि कच्चे माल की उपलब्धता का प्रश्न कोई समस्या नहीं है क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार तथा बिहार सरकार के द्वारा इस समस्या को सुलझा लिया गया है। उन्होंने इस सदन को गुमराह किया है।

जहां तक बिजली की सप्लाई की समस्या का सम्बन्ध है, पश्चिम बंगाल सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि आवश्यक बिजली की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए हर सम्भव उपाय किये जायेंगे।

जहां तक धन उपलब्ध कराने का सम्बन्ध है, मेरी जानकारी के अनुसार, वित्तीय संस्थाओं ने वित्तीय सहायता देने सम्बन्धी किसी प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं किया है। तब सरकार द्वारा प्रबन्ध को अपने हाथ में लेने में क्या बाधा है ?

प्रश्न यह है कि कम्पनी आपके नियंत्रण में थी। वह भी एक केन्द्रीव सरकार का उपक्रम है। यह उनकी कम्पनी है। हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन एक अन्य सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है। इसे पहले की कम्पनी की प्रबन्धकीय विशेषज्ञता प्राप्त है। दोनों कम्पनियाँ सरकारी क्षेत्र की कम्पनियाँ अर्थात भारत सरकार के उपक्रम हैं। इस संयंत्र विशेष को पुनर्जीवित करने के लिए आवश्यक वित्त तथा अन्य आवश्यक सामग्री की व्यवस्थाकी जानी है। सरकार ने ऐसा कोई कारण नहीं दिया है कि इस कम्पनी को अपने अधिकार में क्यों नहीं लिया जा सकता।

अतः यह प्रश्न उठता है कि जब सारी शर्तें पूरी हो रही हैं तो कम्पनी के प्रवन्ध को अपने हाथ में न लेने के क्या कारण हैं ? क्या यह एक राजनीतिक बात है ? क्या इस सभा की वह धारणा है कि चूंकि यह कम्पनी पश्चिम बंगाल में स्थित है, इसलिए भारत सरकार यह नहीं देखना चाहती कि वह संयंत्र विशेष पुनः स्थापित हो और 1500 से अधिक मजदूरों का रोजगार सुनिश्चित हो ?

अब मैं एक सीधा प्रश्न पूछता हूं। क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दी गई रियायतों, वचनबद्धताओं अथवा आश्वासनों और कम्पनी में नियुक्त मजदूरों द्वारा उत्पादकता के मानदण्डों के सम्बन्ध में दिये गये आश्वासनों को ध्यान में रखते हुए सरकार के सामने संयंत्र को अपने अधिकार में लेने के मामले में क्या अड़चन आ रही है ?

सभापति महोदय : श्री रामावतार शास्त्री। कृपया संक्षेप में कहिए।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सभापति महोदय, यह वहुत ही आश्चर्य की बात है कि हमारे देश में कागज की इतनी भारी कमी है, उसके बावजूद सरकार एक कागज मिल को बन्द होते देखना चाहती है। अभी उसका कारोबार ठप्प है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या विहार और पश्चिम बंगाल के बीच में कोई समझौता या वार्तालाप हुई है ? यदि हुई है तो वह क्या है, सरकार को उसके बारे में कुछ बताना चाहिये।

हम बिहार की बात तो ज्यादा जानते हैं वहां बांस और लकड़ी की कमी नहीं है क्योंकि जंगल ही जंगल छोटा नागपुर और बिहार में है, बगासे से वहुत होता है, ईख के छिलके और सवई घास की कमी नहीं है, फिर भी यह दो राज्य मिलकर एक कारखाने को न चला सकें, यह सचमुच में आश्चर्य की वात है। असल में इसमें कुछ और बात है। बिजली की कमी या कच्चे माल की कमी है, यह सरकार का बहाना है, असल में इस बहाने के पीछे कुछ और राज है, जिसे सरकार को छिपाना नहीं चाहिये। ईमानदारी की बात वही है कि सारी बातें देश के सामने रखी जायें कि इन कारणों से हम इसको नहीं करते हैं।

फर्ज कीजिये आपने तय कर लिया कि कारखाना बन्द कर दिया जाये तो डेढ़ हजार से अधिक मजदूरों की जो विभिन्न बकाया रकम है, जिसकी चार्चा हमारे माननीय सदस्य श्री वर्मा जी ने की और कहा कि 73 लाख रुपये मजदूरों के वकाया हैं, क्या सरकार मजदूरों को वह रुपया दिलवाना चारती है या नहीं, अगर दिलवाना चाहती है, तो किस प्रकार से ? इस कारखाने को बन्द नहीं करना चाहिए

था, लेकिन अगर सरकार उसको बन्द करने पर आमादा है, तो उसके पास इस रुपये को मजदूरों को दिलवाने की क्या योजना है, इस बात की भी सफाई होनी चाहिए ।

मंत्री महोदय ने कहा है कि इस कारखाने को पुनर्जीवित करने के सम्बन्ध में एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी । उस कमेटी की रिपोर्ट सरकार को मिल गई है । उसने क्या रिपोर्ट दी है ? सरकार उसको छिपा कर क्यों रखे हुए है ? कमेटी की सिफारिशें क्या हैं, इसके बारे में सदन और देश को जानकारी दी जानी चाहिए ।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : सभापति महोदय, मुझे यह कहते हुए बहुत खेद है कि मंत्री महोदय के अब तक के उत्तर में गम्भीरता, ईमानदारी और निष्पक्षता का अभाव है । जहां तक इस यूनिट का सम्बन्ध है, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, इसमें 1500 मजदूरों का भाग्य जुड़ा हुआ है । यह कहा गया है कि कागज उद्योग को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जानी है क्योंकि देश में कागज की कमी है और हमें अधिक उत्पादन करने की आवश्यकता है किन्तु इस यूनिट को फिर खोलने के लिए जितने भी प्रयास किये गये हैं उन्हें अब तक भारत सरकार ने निष्फल किया है। यह आरोप मैं लगा रहा हूँ ।

महोदय, हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन, जो कि भारत सरकार का उपक्रम है, को 1976 में इस यूनिट का भार सौंपा गया था उन्होंने इसे अव्यवस्थित कर दिया जिसके परिणामस्वरूप आज 1500 मजदूर सड़क पर हैं। यह यूनिट बन्द कर दी गई है और माननीय मंत्री महोदय ने यह नहीं कहा है कि ऋणदाताओं, जिनमें केन्द्रीय सरकार की वित्तीय संस्था, भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम भी शामिल है, के आवेदन पर कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कम्पनी को बन्द करने का निदेश दिया है । जब केन्द्रीय सरकार इस यूनिट को पूरी तरह से बन्द करना चाहती है तो इसके पुनर्जीवित होने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

महोदय, आज यह कम्पनी समाप्त होने की प्रक्रिया में है । माननीय मंत्री महोदय ने ऐसा बताया है कि केन्द्रीय सरकार इस यूनिट को फिर से खोलने के लिए काफी प्रयास कर रही है किंतु वह यह नहीं जानते कि कम्पनी समाप्त होने वाली है और किसी भी दिन इसकी आस्तियों को बेचे जाने का निदेश दिया जा सकता है । यदि मशीनें बेच दी गई तथा भूमि बेच दी गई तो तब क्या होगा ? आप इसे कैसे पुनर्जीवित कर सकते हैं ? महोदय, पश्चिम बंगाल सरकार, केन्द्र सरकार के एक प्रश्न के उत्तर में बिक्री कर तथा विद्युत शुल्क में रियायत देने के लिए सहमत हो गई थी। इस यूनिट में उत्पादन सुनिश्चित करने के संबंध में मजदूरों के साथ भी एक समझौता हुआ था । माननीय प्रधान मंत्री ने मार्च, 1980 में पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री को पत्र लिखा था कि कच्चे माल की उपलब्धता ही एकमात्र अड़चन है । यह जानने के पश्चात् पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने बिहार के मुख्यमंत्री से सम्पर्क स्थापित किया और वह अपेक्षित कच्चे माल की सप्लाई करने के लिए तैयार हो गये ।

महोदय, क्या हम माननीय मंत्री महोदय के उत्तर से यह समझें कि इस देश में बाँस आदि की पर्याप्त सप्लाई नहीं है और इस प्रकार भविष्य में कोई नई कागज यूनिटें स्थापित नहीं की जा

सकती तथा कागज यूनिटों की क्षमता में कोई वृद्धि नहीं की जा सकती। महोदय, अब आप कैसे सोच सकते हैं कि नई कागज यूनिटें स्थापित की जायें ? मैं नहीं जानता कि माननीय मंत्री महोदय इस बात से अवगत हैं या नहीं कि पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दाखिल किया है और कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष उस आवेदन को दाखिल करने का श्रेय मुझे है।

आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि राज्य सरकार के उपक्रम के रूप में चलाने के लिए पट्टे अथवा खरीद के आधार पर पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम द्वारा अधिकार में लेने के बारे में आपत्ति भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम ने की है जो कि केन्द्र सरकार की वित्तीय संस्था है। भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम का कहना है कि इस यूनिट को अधिकार में न लिया जाये। इसे बेचा जाना है ताकि वह अपनी राशि वसूल कर सके। माननीय मंत्री महोदय ने इसके बारे में एक शब्द भी नहीं कहा है। या तो उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है या वह इन तथ्यों को प्रकट नहीं करना चाहते। मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि क्या श्री लवराज, जो इस समय पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में सचिव हैं, की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी; इस समिति की रिपोर्ट क्या है ? क्या वह उस रिपोर्ट को सभापटल पर रखेंगे ? महोदय, ताकि देश तथा सदन को यह पता चले कि रिपोर्ट क्या है और इसे अर्थक्षम क्यों नहीं पाया गया। दूसरी बात, मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या भारत सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि यदि वह इसे न आरंभ कर सके तो इसे अपने अधिकार में ले। उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम की धारा 25च (क) में एक ऐसा उपबंध है जिसके अंतर्गत यदि कोई कंपनी समाप्त होने वाली हो तो भी उसे अधिकार में लिया जा सकता है। अब यदि भारत सरकार आगे नहीं आती और इसी बीच कंपनी की आस्तियाँ बेच दी जाती हैं तो इन सब बातों का क्या प्रभाव पड़ेगा ? यह सब कब समाप्त होगा ? मंत्री महोदय हर समय यह कह रहे हैं कि हम इसे अर्थक्षम नहीं समझते। महोदय, हमने उनके साथ विचार विमर्श किया है। उन्होंने कहा है कि इसमें कई अड़चनें हैं—हम इसे कैसे कर सकते हैं आदि-आदि। 5 करोड़ रुपये मूल्य की आस्तियों वाली एक अन्य कम्पनी को अधिकार में लिया गया था। यहाँ एक यूनिट चालू हालत में है जिसमें 1500 मजदूर काम कर रहे थे। वे अब सड़कों पर हैं। मंत्री महोदय ने यह कहने की कृपा की है कि अव्यवस्था के लिए मजदूरों को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। ठीक है, यदि इसके लिए मजदूरों को दोषी नहीं ठहराया जाता और इस बीच कम्पनी समाप्त हो जाती है तो भारत सरकार की इस मामले में कोई जिम्मेदारी नहीं है। वह जानते हैं कि देश के कानून के अन्तर्गत राज्य सरकार को ऐसी कोई शक्ति प्राप्त नहीं है कि वह इस यूनिट का प्रबंध अपने हाथ में ले सके। केवल केन्द्र सरकार ही यह कार्य कर सकती है। अब इसलिए मेरा विशिष्ट प्रश्न यह है कि यूनिट को बन्द करने की कार्यवाही आरंभ करने से पूर्व सरकार का इस सम्बन्ध में क्या रवैया रहेगा। पश्चिम बंगाल उद्योग विकास निगम ने पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम द्वारा इस यूनिट की खरीद किये जाने तक पट्टे पर इस यूनिट को लेने के लिए आवेदन किया है ताकि इसे अच्छी तरह से चलाया जा सके। इससे फैक्ट्री को फिर से चालू किया जा सकता है और मजदूरों को फिर से रोजगार पर लगाया जा सकता है। क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या भारत सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम इस यूनिट को अपने अधिकार में लेने के मामले में पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम

का विरोध करने के बजाये उसकी मदद करे। क्या वह लवराज समिति की रिपोर्ट सभा पटल पर रखेंगे ? क्या यह सच नहीं है कि माननीय प्रधान मंत्री ने केवल एक ही अड़चन का उल्लेख किया था कि कच्चे माल की उपलब्धता ठीक नहीं है। कच्चे माल की सप्लाई के बारे में दो राज्य सरकारों के बीच समझौता हो गया है जिसके बारे में वह पूरी तरह से अवगत हैं। दूसरी बात, मैं यह जानना चाहता हूँ कि कम्पनी को समाप्त करने की कार्यवाही के मामले में सरकार का क्या रवैया है।

श्री चरणजीत चानना : कुछ माननीय सदस्यों ने, जिन्होंने वाद-विवाद में भाग लिया है, बहुत अच्छे वक्तव्य दिये हैं किन्तु दुर्भाग्यवश वे तथ्यों पर आधारित नहीं हैं। उन्हें अपनी जानकारी अद्यतन बनाये रखने की आवश्यकता है। उदाहरणार्थ, माननीय सदस्य ने जो पहली बात कही है वह **लवराज समिति** की रिपोर्ट के बारे में है। मैं सभा को केवल यह बात याद दिलाना चाहता हूं तथा चाहता हूँ कि जो कुछ मैंने यहाँ कहा है और जो तर्क दिये हैं वे औद्योगिक लागत और मूल्य ब्युरो द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट पर आधारित है। इस ब्यूरो के अध्यक्ष श्री लवराज कुमार थे। मैंने उस मानदंड और सारे फार्मूले के बारे में बात की है जिनके आधार पर मिल को ईष्टतम आधार पर चलाया जा सकता है। यह उस विशेष बात पर आधारित है। यदि वह चाहते हैं कि मैं उसे दुबारा कहूँ तो मैं ऐसा कर सकता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : रिपोर्ट को सभा पटल पर रखिए।

श्री चरणजीत चानना : रिपोर्ट पर विचार हो रहा है। विचार करने के पश्चात् हम यह देखेंगे कि क्या किया जा सकता है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : कोई समय-सीमा बताइये।

श्री चरणजीत चानना : मैं सभा को आश्वासन दे सकता हूँ कि इस पर यथाशीघ्र विचार किया जायेगा। इस समय मैं केवल यही कह सकता हूँ। जहाँ तक उच्च न्यायालय के मामले का सम्बन्ध है, वे सब विविध लेनदार हैं जो न्यायालय तक गये हैं। वे वित्तीय संस्थायें हैं जो न्यायालय के पास गयीं। उन्हें हम कोई निदेश नहीं दे सकते। यह न्यायालय और ऋण देने वालों के बीच का मामला है। हम उन्हें बाध्य नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त, बिहार और पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्रियों के बीच हुए समझौते के बारे में माननीय सदस्य का विचार केवल एक ही बात से पुष्ट होता है। मेरी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के साथ दो विस्तृत बैठकें हुई हैं। मैंने इन बातों पर उनके साथ विचार-विमर्श किया है। खास बात तो यह है कि बिहार के पास पर्याप्त कच्चा माल नहीं है। माननीय सदस्य का यह मानना कि हम मिल को नहीं चलाना चाहते, बिल्कुल निराधार है। जैसा कि मैंने कहा है कि मुख्य बात यह है कि मजदूरों को फिर से रोजगार पर लगाना जो कि मिल के बन्द होने के कारण बेरोजगार हो गये हैं। यह पहलू महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यदि माननीय सदस्य राजनीति की बात करते हैं तो मैं माननीय सदस्य को केवल यह बताना चाहूँगा कि इस यूनिट में आई०एन०टी० यू०सी० की यूनियन थी, मैं आपसे केवल यही कहूंगा कि यह मेरी अपनी पार्टी की यूनियन है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इसीलिए हम यह पोल खोल रहे हैं।

श्री चरणजीत चानना : सरकार इस पर विचार कर रही है। आपको इस स्थिति का फायदा नहीं उठाना है। मैंने यह कहा था कि इस समस्या के पहलुओं और प्रभावों के बारे में अध्ययन किया जा रहा है। दुर्भाग्यवश, माननीय सदस्यों ने अपने अनुसार कुछ बातें सोच ली हैं। मैंने वह बात बिल्कुल भी नहीं कही। मैंने कहा था कि क्षेत्र सरकार के विचाराधीन हैं। यही मैंने उनसे कहा है।

(व्यवधान

श्री सोमनाथ चटर्जी : यदि इस बीच यूनिट वेच दी जाये तो क्या होगा ?

श्री चरणजीत चानना : कच्चे माल की उपलब्धता के सम्बन्ध में मैं केवल यही कह सकता हूं कि बिहार के पास इतने वन नहीं हैं कि वह पश्चिम बंगाल तथा बिहार की विद्यमान मिलों को कच्चा माल सप्लाई कर सके। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल के मुख्य-मंत्री और मेरे बीच हुई एक बैठक में यह निश्चय किया गया था कि यदि राज्य सरकार मिलों को चालू रखना चाहती है तो उसे वनरोपण के कार्य को प्रोत्साहन देना चाहिए। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, हमें इसके बारे में गम्भीरता से विचार करना चाहिए !

श्री चरणजीत चानना : मैं यह नहीं कहना चाहता कि माननीय सदस्य का वक्तव्य तथ्यों पर बिल्कुल आधारित नहीं है। मैं केवल यह कह रहा हूं कि मैं उनकी जानकारी को अद्यतन बना रहा हूं। मैं उस जानकारी को सही करना चाहता हूं जो माननीय सदस्यों के पास है। माननीय सदस्यों ने 1978-79 के दौरान मिल के चलाये जाने के बारे में बात की है। 1978-79 के दौरान मिल आर्थिक दृष्टि से ठीक नहीं थी। हम इसे अर्थक्षम बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। 1978-79 के दौरान इसको 1.8 करोड़ रुपये और 1979-80 में 2 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। इसलिए, उस मिल विशेष को इस हालत में चलाना राष्ट्रीय हित में ठीक नहीं होगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम मिल को अपने हाथ में लेने का इच्छुक है। मैं केन्द्र सरकार से केवल उसे सप्लाई करने के बारे में पूछ रहा हूं।

श्री चरणजीत चानना : जहाँ तक पश्चिम बंगाल आद्योगिक विकास निगम के प्रस्ताव का संबंध है, यह मेरे पास नहीं आया है मुझे इसकी जानकारी नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : कलकत्ता उच्च न्यायालय में यह 9 अप्रैल के लिए निश्चित किया गया है।

श्री चरणजीत चानना : क्या आप चाहते हैं कि मैं कलकत्ता उच्च न्यायालय में जाऊं ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप का स्वागत है। हमें यह स्पष्ट वक्तव्व देना चाहिए कि क्या वे इस स्थिति के बारे में मगरमच्छ के आंसू तो नहीं बहा रहे हैं। उन्हें स्पष्ट रूप से यह कहना चाहिए कि वे इस मामले में ठोस कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री चरणजीत चानना : मैं मान्य सदस्यों को केवल यह बताना चाहता हूं कि उन्हें एक बात पर संतुष्ट होना चाहिए। आर्थिक स्थिति का ठीक तरह से उपचार न होने के कारण मिल को

घाटा हो रहा है और मेरे लिए वक्तव्य देना उचित नहीं है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो के अध्यक्ष श्री लवराज कुमार की रिपोर्ट पर सरकार विचार कर रही है। उस रिपोर्ट के आधार पर निर्णय किया जायेगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह कोई ठोस बात बताएं। उन्होंने कहा है कि केन्द्रीय सरकार अब भी अर्थक्षमता के बारे में विचार कर रही है। अब पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम ने मिल को अपने संसाधानों से चलाने के लिए इसे पट्टे पर लेने के लिए न्यायालय में एक मूल आवेदन दाखिल किया है। आप इस बात को मानेंगे कि यदि केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण में आने वाली सरकारी वित्तीय संस्थायें किसी मामले का विरोध करती हैं तो न्यायालय के सामने कठिनाई आ जाती है। क्या मंत्री महोदय यह देखने के लिए अपने पद का उपयोग करने की कृपा करेंगे कि सरकारी वित्तीय संस्थायें पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम के आवेदन का विरोध न करें। मैं माननीय मंत्री महोदय से अपील कर रहा हूं।

श्री चरणजीत चानना : जब तक पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम द्वारा प्रस्ताव के ब्यौरे नहीं भेजे जाते तब तक मैं इस आधार पर कोई वचन नहीं दे सकता कि वित्तीय संस्थायें क्या कहेंगी या क्या नहीं कहेंगी। यह देखना वित्तीय संस्थाओं का कार्य है कि कोई प्रस्ताव आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य है अथवा नहीं। इसी के आधार पर उन्हें निर्णय लेना होता है। मैं नहीं कह सकता कि वे क्या निर्णय लें अथवा क्या निर्णय न लें। मैं केवल एक ही बात कह सकता हूं कि 1500 मजदूरों को फिर से रोजगार मिले, भारत सरकार यथाशीघ्र इसका समाधान निकालने की इच्छुक है।

6.42 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 2 अप्रैल, 1981/12 चैत्र, 1903 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

———

मुद्रक : चौधरी मुद्रण केन्द्र, साउथ मौजपुर, दिल्ली